करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

दिसम्बर, 2018

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 11

- कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मेकेदातु परियोजना विवाद 11
- भारत जल प्रभाव सम्मेलन-2018 12
- केंद्र द्वारा अलग धर्म के रूप में लिंगायत को मान्यता देने से इनकार 13
- इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने 'पीसीएस 1 एक्स' लॉन्च किया 14
- 9 राज्यों ने सौभाग्य के तहत 100% घरेलू विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त किया 15
- पार्टनर्स फोरम 2018 16
- पहली बार जल संरक्षण शुल्क की शुरुआत 17
- एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल 18
- लोकसभा में ट्रांसजेंडर विधेयक पास 19
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंज़ूरी 21
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग 22
- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 24
- सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का मसौदा जारी 25
- सभी बिजली मीटरों को 'स्मार्ट प्रीपेड' बनाने की योजना 26
- ऑनलाइन बिक्री हेतु कड़े किये गए नियम 27
- पुलिस स्टेशनों और न्यायालयों को एकीकृत करने के लिये पायलट प्रोजेक्ट 28
- आकांक्षी ज़िलों की दूसरी डेल्टा रैंकिंग 28

दृष्टि The Vision

नोट :

➢ केंद्र ने बढाई NRC को अपडेट करने की अवधि 29

➢ भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCIM) विधेयक, 2018 30

आर्थिक घटनाक्रम **32**

➢ कृषि निर्यात नीति 2018 32

➢ शाहपुरकंडी डैम (राष्ट्रीय परियोजना) 33

➢ फ्रेट विलेज़ 34

➢ 12 सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं में से एक मिशन इंद्रधनुष 35

➢ दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा 2.9% तक बढ़ा 36

➢ दोपहिया वाहनों पर लेवी को लेकर मतभेद 37

➢ विदेशों से धन प्राप्ति के मामले में भारत फिर टॉप पर 38

➢ नई कृषि नीति में भारतीय चाय की उपेक्षा 39

➢ शेयर स्वैप 39

➢ रूफटॉप सोलर पैनल से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि 40

➢ राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्द्धन परिषद 41

➢ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक मसौदा 42

➢ राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 43

➢ बोगीबील सड़क-रेल पुल 44

➢ करेंसी बैन के बाद नेपाल ने खर्च सीमा भी निर्धारित की 44

➢ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012 में संशोधन की मंज़ूरी 46

➢ केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (CPSEs) को शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने की मंज़ूरी 47

➢ आर्थिक पूंजी के ढाँचे पर बिमल जालान समिति 48

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **49**

नोट :

- ➢ भारत-रूस-चीन की दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता 49
- ➢ अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको द्वारा नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 49
- ➢ G20 समूह 50
- ➢ चीन-अमेरिका ट्रेड वार पर विराम 51
- ➢ ओपेक (OPEC) से अलग होगा क़तर 52
- ➢ भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मुद्रा विनिमय समझौता 54
- ➢ विभिन्न देशों के साथ केंद्र सरकार ने दी कई समझौतों को मंज़ूरी 54
- ➢ व्यापार युद्ध के प्रारंभ का संकेत 55
- ➢ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भारत-जापान साझेदारी 56
- ➢ भारत मालदीव को वित्तीय सहायता देगा 57
- ➢ विवादित द्वीपों पर रूसी सैन्य बैरक का निर्माण, जापान का विरोध 58
- ➢ मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 59
- ➢ भारत-अमेरिका 'टू प्लस टू वार्ता' 59
- ➢ यातना के विरुद्ध यू.एन. कन्वेंशन 61
- ➢ यमन पर नया शांति समझौता 62
- ➢ जापान फिर से शुरू करेगा व्हेल का वाणिज्यिक शिकार 63

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी **65**

- ➢ ड्रोन पंजीकरण हेतु डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च 65
- ➢ नई 'केंप्युटर' (chemputer) प्रणाली के माध्यम से दवा उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव 66
- ➢ जीसैट-11 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 67
- ➢ ओसीरिस-रेक्स अंतरिक्ष यान बेन्नू पर पहला आगंतुक 67
- ➢ मंत्रिमंडल द्वारा बहुविषयक साइबर-फिज़िकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन को मंज़ूरी 68

दृष्टि The Vision

नोट :

➢ चाँद के 'डार्क साइड' पर पहली बार लैंडिंग करेगा चीन का रोवर 70

➢ भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित की सौर चक्र की भविष्यवाणी की विधि 70

➢ नासा का वोएजर-2 71

➢ ऑक्सीटॉसिन उत्पादन पर केंद्र का प्रतिबंध रद्द 73

➢ राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन 74

➢ मिश्रित बायो-फ्यूल के साथ भारतीय वायुसेना की पहली उड़ान 75

➢ सौरमंडल में सबसे दूर स्थित पिंड की खोज 77

➢ परमाणु क्षमता संपन्न अग्नि- IV मिसाइल का सफल परीक्षण 78

➢ वर्चुअल रियलिटी थ्रीडी मॉडल 79

➢ गगनयान कार्यक्रम को मंत्रिमंडल की स्वीकृति 80

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 82

➢ जलवायु वित्त से जुड़े तीन आवश्यक 'S' 82

➢ जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 83

➢ बायो-प्लास्टिक और पर्यावरण 84

➢ यमुना नदी में प्रदूषण पर निगरानी समिति की रिपोर्ट 85

➢ मिस्र के उपजाऊ डेल्टा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव 86

➢ सतत् ऊर्जा के लिये नियामक संकेतक 2018 86

➢ इको निवास संहिता 2018 88

➢ कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज (COP) का 24वाँ सत्र संपन्न 89

➢ विलुप्त होने की कगार पर सोन चिरैया 92

➢ जलवायु परिवर्तन से हिमालयी क्षेत्र में होगा जल संकट 93

➢ पॉल्युशन एंड हेल्थ मीट्रिक्स रिपोर्ट 94

नोट :

➢ एशियाई शेर संरक्षण परियोजना 94

➢ पेंटिंग ब्रश बनाने के लिये नेवलों का शिकार 95

➢ तटीय नियमन ज़ोन (CRZ) अधिसूचना, 2018 को मंज़ूरी 96

➢ UNFCCC में भारत के दूसरे द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की मंज़ूरी 98

➢ जैव-विविधता सम्मेलन (सीबीडी) पर भारत की छठी रिपोर्ट 100

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 102

➢ अल नीनो के कारण बढ़ सकता है सर्दियों का तापमान 102

➢ महासागरीय सतह का मानचित्रण 103

➢ फैथई' तूफान 104

➢ ज्वालामुखी-जनित सुनामी 105

सामाजिक मुद्दे 106

➢ हार्ट अटैक रिवाइंड' 106

➢ डेटा प्वाइंट: गो रक्षा के नाम पर आतंक 107

➢ विकलांगता अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्यों की प्रगति धीमी 107

➢ सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट- 2018 108

➢ भारत में 8 मौतों में से 1 का कारण वायु प्रदूषण 110

➢ दुनियाभर में बढ़ रहे हैं खसरे के मामले : WHO 111

➢ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 112

➢ बुज़ुर्गों के लिये बुनियादी अधिकारों की कमी 113

➢ डेटा पॉइंट: मैनुअल स्केवेंजर्स के हालात 114

➢ बाल सुरक्षा नीति का मसौदा 115

➢ जनसंख्या स्थिरता पर नीति आयोग की कार्ययोजना 115

दृष्टि The Vision

नोट :

➢ 30 मिलियन नवजात शिशुओं को मदद की ज़रूरत 116

➢ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स- 2018 117

कला एवं संस्कृति **120**

➢ भीतरगाँव का ईंटों से निर्मित मंदिर 120

➢ सेंट ऑगस्टीन के चर्च के खंडहर 121

आंतरिक सुरक्षा **122**

➢ समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देगा सूचना संलयन केंद्र 122

चर्चा में **124**

➢ सेतुरमण पंचनाथन 124

➢ नागरिकता शिक्षा पुरस्कार 124

➢ फोर्ब्स इंडिया लिस्ट 124

➢ अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 124

➢ विश्व एड्स दिवस 124

➢ किम्बरले प्रक्रिया 125

➢ अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडमिरल कप नौका दौड़ 125

➢ हॉर्नबिल महोत्सव 126

➢ सशस्त्र बल ध्वज दिवस – 2018 126

➢ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 126

➢ तालानोआ वार्ता 127

➢ सहरिया जनजाति 127

➢ फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 127

दृष्टि The Vision

नोट :

- भारतीय नौसेना दिवस 128
- भालू पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन 128
- ‘शिन्यु मैत्री- 2018’ 129
- एक्सीड सैट-1 129
- मांगदेचू परियोजना 129
- USMCA व्यापार समझौता 129
- डॉ. भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस 130
- वृश्चिकोलसवम उत्सव 130
- विश्व की पहली टेलीरोबोटिक कोरोनरी सर्जरी 130
- नगालैंड में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना 131
- स्वदेश दर्शन योजना 131
- युवाओं के लिये राष्ट्रीय चुनौती 131
- हैंड-इन-हैंड 131
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक हैकथॉन 132
- इंद्र नेवी-18 132
- एविया-इंद्र- 18 132
- टिकाऊ जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 132
- कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 133
- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 133
- सोनपुर मेला 133
- येलो वेस्ट प्रोटेस्ट 134
- अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण 134
- कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 134

नोट :

- यूनिसेफ का स्थापना दिवस 135
- ENSURE पोर्टल 135
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन 135
- संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको-सेंसिटिव ज़ोन 135
- अंडमान सी क्रेट्स 136
- 'आयुषाचार्य' सम्मेलन 136
- बायोब्लिट्ज़ 136
- क्या है बायोब्लिट्ज़? 136
- स्पेसशिपटू 137
- बो घोषणापत्र 137
- बिकतेवा घोषणा 137
- भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग 138
- महिला किसान अवार्ड कार्यक्रम 138
- ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 138
- इंडिया पोस्ट का ई-कॉमर्स पोर्टल 139
- वीमैन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 139
- खजियार झील 140
- वन्यजीवन हेतु कृत्रिम द्वीप 140
- भारतीय डाक की दीन दयाल स्पर्श योजना 140
- मेघदूत पुरस्कार 141
- रंगमंच महोत्सव 'अंडर द साल ट्री' 141
- ब्रह्मांड का सबसे चमकीला पिंड 141
- कंचनजंगा लैंडस्केप 141

नोट :

- पाइका विद्रोह 142
- स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) 142
- बौद्ध स्थल संग्रहालय 142
- सूचना समेकन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र 143
- राष्ट्रीय अखण्डता के लिये सरदार पटेल पुरस्कार 143
- सदैव अटल 143
- बदल सकता है अंडमान-निकोबार के तीन द्वीपों का नाम 144
- सस्टेनेबल प्लास्टिक 144
- थाईलैंड में मारिजुआना का प्रयोग वैध 144
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हेतु अलग-अलग उच्च न्यायालय 145
- पोक्काली धान 145
- पावाकूथू कठपुतली कला 145
- काजीरंगा में जलपक्षी का बेसलाइन सर्वे 146
- सुंदरबन में रिवर डॉल्फिन पर खतरा 146
- कश्मीरी हंगुल 146
- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) विधेयक, 2018 146
- 'एक ज़िला, एक उत्पाद' क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन 147
- तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगाँठ 148

विविध 149

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मेकेदातु परियोजना विवाद

संदर्भ

कुछ समय पूर्व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कर्नाटक में मेकेदातु बांध परियोजना के लिये व्यवहार्यता अध्ययन की प्रक्रिया को रोकने हेतु आग्रह किया था। लेकिन हाल ही में केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने कर्नाटक सरकार की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (feasibility report) को स्वीकृति देते हुए कावेरी नदी पर बनने वाले मेकेदातु (Mekedatu) बहुद्देश्यीय परियोजना को प्रशासनिक मंज़ूरी दे दी है।

मेकेदातु परियोजना (Mekedatu Project)

- कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर स्थापित की जा रही यह परियोजना तमिलनाडु के रामानगरम् ज़िले में मेकेदतु के पास है।
- इस परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 48 TMC (thousand million cubic feet) है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बंगलूरू को पेयजल की आपूर्ति करना और इस क्षेत्र में भूजल पटल का पुनर्भरण (recharge) करना है।

तमिलनाडु बनाम कर्नाटक

- तमिलनाडु ने मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। तमिलनाडु का मुख्य तर्क यह है कि मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी जल प्राधिकरण के अंतिम निर्णय का उल्लंघन करती है और दो जलाशयों के निर्माण के परिणामस्वरूप कृष्णाराज सागर और कबीनी जलाशयों में जलग्रहण के साथ-साथ कर्नाटक और तमिलनाडु की सामूहिक सीमा बिलिगुंडुलू में भी जल-प्रवाह प्रभावित होगा।
- वहीँ कर्नाटक का कहना है कि यह परियोजना तमिलनाडु को निर्धारित मात्रा में पानी जारी करने के रास्ते में नहीं आएगी और न ही इसका इस्तेमाल सिंचाई उद्देश्यों के लिये किया जाएगा।

बांध पर हो रही राजनीति

- वर्ष 2015 में तमिलनाडु में इस परियोजना के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसे राजनीतिक दलों, किसानों, परिवहन संघों, खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ था।
- साथ ही तमिलनाडु की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कर्नाटक को इस परियोजना के निर्माण करने से रोके।

आगे की राह

- कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority-CWMA) के विशेषज्ञों अनुसार, केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा इस परियोजना को मंज़ूरी मिलने के बाद भी इस प्रक्रिया के लिये CWMA से मंज़ूरी लेना अनिवार्य है।
- प्राधिकरण के विशेषज्ञों के अनुसार, इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन किया जाना अभी शेष है क्योंकि CWC का फैसला केवल तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission- CWC)

- जल संसाधन के क्षेत्र में यह देश का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है।
- इस आयोग को बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास के प्रयोजन हेतु समूचे देश के जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपभोग संबंधी योजनाओं के लिये राज्य सरकारों के परामर्श से शुरू करने, समन्वित करने तथा आगे बढ़ाने का सामान्य उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- इस आयोग का प्रमुख एक अध्यक्ष होता है जिसका पद भारत सरकार के पदेन सचिव के स्तर का होता है।
- आयोग के तीन तकनीकी विंग हैं, जिसमें अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना तथा नदी प्रबंध विंग शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

नोट :

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority-CWMA)

- तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुदुचेरी के बीच जल के बँटवारे संबंधी विवाद को निपटाने हेतु 1 जून, 2018 को केंद्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) का गठन किया।
- इस प्राधिकरण के गठन का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने 16 फरवरी, 2018 को दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के भीतर इस प्राधिकरण का गठन करना था।

प्राधिकरण की संरचना

- इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, 8 सदस्यों के अलावा एक सचिव शामिल है।
- अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या आयु के 65 वर्ष पूरे होने तक निर्धारित किया गया है।

भारत जल प्रभाव सम्मेलन-2018

चर्चा में क्यों ?

5 से 7 दिसंबर, 2018 के बीच नई दिल्ली में भारत जल प्रभाव सम्मेलन-2018 (India Water Impact Summit-2018) का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga-NMCG) और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र (Centre for Ganga River Basin Management and Studies- cGanga) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
- इस वर्ष गंगा नदी बेसिन के संरक्षण पर विचार किया जाएगा।
- इसमें गंगा नदी के संरक्षण हेतु किये गए विभिन्न प्रयासों पर विचार किया जाएगा, जिसमें आँकड़ों का संग्रह करना, जल-विज्ञान, ई-फ्लो, कृषि और अपशिष्ट जल जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- इस सम्मेलन में 15 देशों के लगभग 200 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिनमें 50 से अधिक केंद्रीय, राज्य और नगरीय प्रशासनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
- सम्मेलन के दौरान वृक्षारोपण और जैव विविधता, शहरी नदी/जल प्रबंधन योजनाएँ, गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम (Ganga Rejuvenation Programme) के वित्तपोषण हेतु वैश्विक पारिस्थितिकी के निर्माण तथा दीर्घावधि परियोजना हेतु वित्त के लिये वैश्विक पूंजी बाज़ार से पूंजी जुटाने जैसे मुद्दों पर सत्रों का आयोजन किया जाएगा।

सम्मेलन के दौरान तीन प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

1. पाँच राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना: ये पाँच राज्य हैं- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और बिहार। इस सम्मेलन के अंतर्गत इन राज्यों में जल संरक्षण हेतु किये जा रहे प्रयासों और कार्यों पर विचार किया जाएगा।
2. गंगा वित्तपोषण मंच (Ganga Financing Forum)– सम्मेलन के दौरान गंगा वित्त पोषण मंच का उद्घाटन भी किया जाएगा। वित्तपोषण मंच नमामि गंगे संबंधी कार्यक्रमों में निवेश करने के इच्छुक वित्तीय संस्थानों और निवेशकों को एकजुट करेगा।
3. प्रोद्योगिकी और नवाचार (Technology and Innovation)- पर्यावरण प्रौद्योगिकी जाँच (Environment Technology Verification- ETV) प्रक्रिया के रूप में ज्ञात प्रायोगिक/प्रदर्शनात्मक कार्यक्रमों का संचालन। इसके ज़रिये विश्व भर की प्रौद्योगिकी और नवाचार कंपनियों को नदी बेसिन में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिये अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

सम्मेलन के बारे में

- भारत जल प्रभाव सम्मेलन एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें देश में जल से संबंधित कुछ सबसे बड़ी समस्याओं के आदर्श समाधान ढूँढ़ने पर विचार विर्मश किया जाता है।
- पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2012 में किया गया था।

केंद्र द्वारा अलग धर्म के रूप में लिंगायत को मान्यता देने से इनकार

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया कि उसने पहले ही राज्य सरकार को सूचित किया था कि लिंगायत/वीरशैव समुदाय को अल्पसंख्यक धर्म की स्थिति प्रदान करने हेतु राज्य की सिफारिशों को मानना संभव नहीं है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (MMA) ने अदालत के समक्ष 13 नवंबर, 2018 को राज्य सरकार को भेजे गए पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की, जिसमें MMA ने अपनी पूर्ववत स्थिति को दोहराया कि लिंगायत/वीरशैव समुदाय को 'हिंदुओं के एक धार्मिक संप्रदाय' के रूप में मान्यता दी जाती है।
- लिंगायतों/वीरशैवों को अल्पसंख्यक धर्म की स्थिति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार और कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग (KSMC) द्वारा किये गए कार्यों पर पूछताछ संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह पत्र अदालत में जमा किया गया था।
- MMA ने गृह मंत्रालय (MHA) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) से परामर्श के बाद राज्य को लिखा, "लिंगायत और वीरशैवों द्वारा अलग स्थिति की मांग पर पहले भी विचार किया गया है और यह देखा गया था कि 1871 की जनगणना (भारत में पहली आधिकारिक जनगणना) के बाद से लिंगायत को हमेशा हिंदू धर्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा लिंगायत को हिंदू धर्म के धार्मिक संप्रदाय के रूप में माना जाता है ।"
- MHA और NCM द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण को उद्धृत करते हुए MMA ने कहा, "अगर लिंगायत/वीरशैव को हिंदू के अलावा अलग संहिता प्रदान करके एक अलग धर्म के रूप में माना जाए, तो निर्धारित धर्म का दावा करने वाले अनुसूचित जाति (SC) के सभी सदस्य अनुसूचित जाति के रूप में प्राप्त अपने सभी लाभों के साथ अनुसूचित जाति के रूप में अपनी स्थिति खो देंगे।"
- MHA ने 24 अगस्त, 2018 के अपने पत्र में MMA को सूचित किया था कि "भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के परामर्श से अलग धर्म के रूप में लिंगायत और वीरशैवों की मान्यता पर विस्तार से विचार किया गया है। यह देखा गया है कि RGI द्वारा आयोजित जनगणना में वीरशैव-लिंगायत को लगातार हिंदुओं के एक संप्रदाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।"
- MMA ने अपने पत्र में कहा, "MHA और NCM के विचारों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय के लिये कर्नाटक सरकार के अनुरोध को मानना संभव नहीं है।"
- 23 मार्च, 2018 को कर्नाटक राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 की धारा 2(c) के तहत बासवन्ना के दर्शन और शिक्षाओं का पालन करने वाले लिंगायतों तथा वीरशैवों को एक धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप मान्यता प्रदान करने के लिये केंद्र से सिफारिश की थी।
- यह सिफारिश अलग अल्पसंख्यक धर्म के रूप में इस समुदाय को मान्यता प्रदान करने की मांग हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गए अनुरोध पर KSMC द्वारा गठित विशेषज्ञों के सात सदस्यीय पैनल द्वारा की गई थी।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एस सुजाता की खंडपीठ, जिसके सामने ये याचिकाएँ सुनवाई के लिये आईं, ने सभी याचिकाओं का निपटान कर दिया क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सिफारिश को मानने से इनकार कर देने के बाद राज्य सरकार के कार्यों के खिलाफ उठाए गए प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिये अब कोई औचित्य नहीं रहा।
- उच्च न्यायालय ने 5 जनवरी, 2018 को पारित अपने अंतरिम आदेश में यह स्पष्ट कर दिया था कि अल्पसंख्यक धर्म की स्थिति प्रदान करने पर राज्य की कार्यवाही अदालत के अंतिम निर्णय के अधीन थी। चूँकि याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया था कि राज्य या KSMC के पास KSMC अधिनियम, 1994 के तहत किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक धर्म की स्थिति का अध्ययन या उसकी अनुशंसा करने की कोई शक्ति नहीं है।

कौन हैं लिंगायत ?

- बारहवीं सदी में कर्नाटक में 'बासवन्ना' के नेतृत्व में एक धार्मिक आंदोलन चला जिसमें बासवन्ना के अनुयायी लिंगायत कहलाए। इन्होंने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्गीकरण की पैरवी की।
- लिंगायत, मृतकों को जलाने की बजाय दफनाते हैं तथा श्राद्ध नियमों का पालन नहीं करते, न तो ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को मानते हैं और न ही पुनर्जन्म को। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया।
- माना जाता है कि वीरशैव तथा लिंगायत एक ही है किंतु लिंगायतों का तर्क है कि वीरशैव का अस्तित्व लिंगायतों से पहले का है तथा वीरशैव मूर्तिपूजक है। वीरशैव वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जबकि लिंगायत ऐसा नहीं करते।
- कर्नाटक में लगभग 18 प्रतिशत आबादी लिंगायतों की है। ये लंबे समय से हिंदू धर्म से पृथक् धर्म का दर्जा चाहते हैं। अगर इन्हें धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो इन्हें भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के आधार पर आरक्षण का फायदा मिलेगा।

इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने 'पीसीएस 1 एक्स' लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (Indian Ports Association-IPA) द्वारा पोत परिवहन मंत्रालय के मार्गदर्शन में पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम 'PCS 1x' लॉन्च किया गया। इस दौरान यूआरएल www.indianpcs.gov.in को मुंबई से विभिन्न हितधारकों की उपस्थिति में शुरू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- 'PCS 1x' उपयोगकर्त्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस के साथ क्लाउड आधारित एक नई पीढ़ी की तकनीक है। यह प्रणाली एक ही प्लेटफॉर्म पर समुद्री व्यापार से संबंधित 19 मौजूदा हितधारकों के अलावा 8 नए हितधारकों को निर्बाध रूप से एकीकृत करती है।
- इस प्लेटफॉर्म के द्वारा नोटिफिकेशन इंजन, कार्यप्रवाह, मोबाइल एप्लीकेशन, ट्रैक और ट्रेस, बेहतर यूजर इंटरफेस, बेहतर सुरक्षा सुविधाएँ, बिना आईटी क्षमता वाले लोगों के लिये डैशबोर्ड की पेशकश करके बेहतर समावेशन जैसी मूल्यवर्द्धित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- 'PCS 1x' की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर जो कि समुद्री उद्योग को सेवाएँ प्रदान करता है, तक पहुँच प्रदान करता है जिससे यह हितधारकों को सेवाओं के विस्तृत नेटवर्क तक पहुँचने में सक्षम बनाता है।
- यह प्रणाली सभी हितधारकों हेतु सभी कार्यक्षमताओं को एक स्टॉप इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिये एकल साइन ऑन सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाती है। इसकी एक और प्रमुख विशेषता एक विश्व स्तरीय स्टेट ऑफ़ द आर्ट पेमेंट एग्रीगेटर सोल्यूशन (state of the art payment aggregator solution) की व्यवस्था है जो बैंक विशिष्ट भुगतान प्रणाली पर निर्भरता को समाप्त करती है।
- यह प्रणाली व्यापार को सीमा शुल्कों के साथ बेहतर ढंग से संचारित करने में सक्षम बनाएगी क्योंकि एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) आधारित आर्किटेक्चर भी शुरू किया गया है, जिससे वास्तविक समय पर बातचीत की जा सके।
- यह प्रणाली एक डेटाबेस प्रदान करती है जो सभी प्रकार के लेन-देन के लिये एक डेटा बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह पहली बार में ही डेटा को कैप्चर और स्टोर करता है जिससे विभिन्न बिंदुओं पर लेन-देन के लिये डेटा दर्ज करने की आवश्यकता हेतु मानवीय हस्तक्षेप को कम किया जा सके और इस प्रकार प्रक्रिया में त्रुटियों को कम किया जाता है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि यह सुविधा लेन-देन की अवधि में कम-से-कम 1.5 से 2 दिन की कमी करेगी। लेन-देन में लगने वाले समय और लेन-देन की कुल लागत को कम करने में इस एप्लीकेशन का व्यापक प्रभाव होगा।
- इस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा भारत में समुद्री व्यापार में क्रांतिकारी बदलाव की संभावना है और इसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप विकसित किया गया है। इस प्लेटफ़ॉर्म ने भारत की व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) की विश्व रैंकिंग और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (Logistics Performance Index-LPI) रैंकिंग में सुधार करने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- 'PCS 1x' के उपयोग और लाभों के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने के लिये एक प्रमुख प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह एक ऐसी पहल है जो कागज़ पर निर्भरता को कम करके हरित पहलों का समर्थन भी करती है।
- इस वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म को स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है तथा यह देश की 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' पहल का हिस्सा है। पोत परिवहन मंत्रालय PCS प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिये अलग-अलग आदेश जारी कर रहा है।

नोट :

9 राज्यों ने सौभाग्य के तहत 100% घरेलू विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त किया

चर्चा में क्यों ?

ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, अब तक नौ राज्यों ने सौभाग्य योजना के तहत पूर्ण घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। विद्युत मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इन 9 राज्यों में मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, मिज़ोरम, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रालय ने हाल ही में लगभग 10 मिलियन घरों या पहले के लक्ष्य के लगभग एक- चौथाई तक घरेलू विद्युतीकरण लक्ष्य को कम कर दिया था।
- ऐसा इसलिये किया गया था क्योंकि कुछ उपयोगकर्त्ताओं ने विद्युतीकरण कार्यक्रम का चयन किया है, जबकि कुछ घर नियमित रूप से अधिवासित नहीं हैं। इसके साथ ही अब देश के 16 राज्यों में 100 प्रतिशत घर विद्युतीकृत हैं।
- महाराष्ट्र, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कई अन्य राज्य ऐसे हैं जहाँ कुछ ही घर गैर-विद्युतीकृत हैं और उम्मीद है कि वे किसी भी समय 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।
- विद्युत मंत्रालय के अनुसार, 31 दिसंबर, 2018 तक भारत द्वारा 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लेने की उम्मीद की गई है।
- विद्युत मंत्रालय ने यह भी कहा कि 'सभी के लिये किफायती एलईडी के ज़रिये उन्नत ज्योति- उजाला' (Unnat Jyoti by Affordable LED for All –UJALA) योजना के तहत 31.68 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 16,457 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की अनुमानित लागत की बचत हुई।
- अधिकतम मांग के समय 8,237 मेगावाट की बचत करते हुए प्रतिवर्ष 41.14 बिलियन किलोवाट की अनुमानित ऊर्जा बचत और ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 33.32 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की गई है।
- विद्युत मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2019 तक 1.34 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स के स्थान पर स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी बल्बों को प्रतिस्थापित करना है।
- अब तक 74.79 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिकतम मांग के समय 837 मेगावाट की बचत करते हुए प्रतिवर्ष 5.02 बिलियन किलोवाट की अनुमानित ऊर्जा बचत की जा रही है और GHG उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 3.46 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की जा रही है।

सौभाग्य योजना

- सौभाग्य योजना का शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिये किया गया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने कोष से 10% धन खर्च करेंगे और शेष 30% राशि बैंकों से बतौर ऋण के रूप में प्राप्त करनी होगी।
- विशेष राज्यों के संदर्भ में केंद्र सरकार योजना का 85% अनुदान देगी, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल 5% धन लगाना होगा और शेष 10% बैंकों से कर्ज़ लेना होगा। ऐसे सभी चार करोड़ निर्धन परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, जिनके पास अभी कनेक्शन नहीं है।
- ये मुफ्त बिजली कनेक्शन गरीब परिवारों को 2018 तक प्रदान किये जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वाट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया जाएगा, जिसमें हर घर के लिये 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा भी शामिल है।
- बिजली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं हैं, उन्हें 500 रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा और इसे 10 किश्तों में वसूला जाएगा। इस योजना की लागत 16000 करोड़ रुपए से अधिक है।

पार्टनर्स फोरम 2018

चर्चा में क्यों?

12 और 13 दिसंबर को नई दिल्ली में चौथे पार्टनर्स फोरम का आयोजन किया गया। इस फोरम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। Partnership for Maternal, New-borne & Child Health (PMNCH) के सहयोग भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। पार्टनर्स फोरम में 85 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

- PMNCH मिशन का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य समुदाय की सहायता करना है ताकि वह सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधित विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सफलतापूर्वक काम कर सके।

फोरम का उद्देश्य

- इस पार्टनर्स फोरम का उद्देश्य बच्चों और माताओं की मृत्यु दर में कमी लाना तथा किशोरों, बच्चों, नवजात शिशुओं और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उपाय करना था।

क्या है पार्टनर्स फोरम?

- पार्टनर्स फोरम एक वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम है जो सितंबर 2005 में शुरू किया गया था। यह दूसरी बार है जब भारत ने इसकी मेज़बानी की।
- महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर वैश्विक उपायों को बढ़ावा देने की कड़ी में यह चौथा उच्चस्तरीय बहुराष्ट्रीय आयोजन था।
- पार्टनर्स फोरम के पिछले सम्मेलन जोहांससबर्ग, दक्षिण अफ्रीका (2014), नई दिल्ली, भारत (2010) और दारेस्सलाम, तंज़ानिया (2007) में आयोजित किये गए थे।
- 92 देशों के 1000 से अधिक शिक्षाविद्, अनुसंधानकर्त्ता, शिक्षण संस्थान, दानकर्त्ता और फाउंडेशन, Health Care Professionals, बहुराष्ट्रीय एजेंसियाँ, गैर-सरकारी संगठन, भागीदार राष्ट्र, वैश्विक वित्तीय संस्थान और निजी क्षेत्र के संगठन इसके सदस्यों में शामिल हैं।

पार्टनर्स फोरम के कार्यक्रम इसकी वैश्विक कार्यनीति के उद्देश्यों- 'जीना–फलना-फूलना और रूपातंरण' (Survive – Thrive – Transform) से संबंधित थे। इसमें 6 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें शैशवकाल, किशोरावस्था, स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता, समानता और गरिमा, महिला सशक्तीकरण और बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार शामिल है।

पार्टनर्स फोरम में भारत दिवस (India Day in Partners Forum)

र्टनर्स फोरम 2018 के दौरान सभी भागीदारों ने संयुक्त रूप से भारत दिवस का आयोजन भी किया। भारत दिवस के आयोजन का उद्देश्य Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health (RMNCAH+A) कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना था। इसके अलावा, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिये विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और संगठनों द्वारा लागू बेहतर प्रक्रियाओं से सीख लेना और उन्हें साझा करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था ताकि वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रगति की जा सके।

क्या है RMNCAH+A?

RMNCAH+A जीवन के हर चरण में स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देखभाल दृष्टिकोण की निरंतरता पर केंद्रित है। यह महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिये वैश्विक नीति के साथ जुड़ा है और इसके प्रमुख कार्यक्रम, रोकी जा सकने वाली मौतों पर अंकुश लगाने, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने तथा वातावरण को सक्षम बनाने के लिये भली-भाँति परिभाषित लक्ष्यों से युक्त हैं। जब से भारत में RMNCAH+A की शुरुआत हुई है, तब से मातृत्व, शिशु, बच्चे और किशारों के स्वास्थ्य आँकड़ों में काफी सुधार हुआ है।

प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, और किशोरावस्था RMNCAH+A कार्यक्रम का केंद्रबिंदु हैं। ये इस कार्यक्रम की सफलता में मुख्य योगदानकर्त्ता हैं। राज्यों ने RMNCAH+A के तहत अनेक नवाचारी प्रयासों की शुरुआत की है जो स्वास्थ्य देखभाल में भागीदार बनने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करते हैं।

नोट :

पहली बार जल संरक्षण शुल्क की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal- NGT) के विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन करने और भूमिगत जल निकालने के संबंध में वर्तमान दिशा-निर्देशों में मौजूद विभिन्न कमियों को दूर करने के लिये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण (Central Ground Water Authority- CGWA) ने 12 दिसंबर, 2018 को भूमिगत जल निकालने के संदर्भ में संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किये।

- ये दिशा-निर्देश 01 जून, 2019 से प्रभावी होंगे।

उद्देश्य

- संशोधित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य देश में एक अधिक मज़बूत भूमिगत जल नियामक तंत्र सुनिश्चित करना है।

विशेषता

- संशोधित दिशा-निर्देशों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता जल संरक्षण शुल्क (Water Conservation Fee- WCF) की अवधारणा शुरू करना है।
- इस शुल्क का क्षेत्र की श्रेणी, उद्योग के प्रकार और भूमिगत जल निकालने की मात्रा के अनुसार अलग-अलग भुगतान करना होगा।
- जल संरक्षण शुल्क की उच्च दरों से उन इलाकों में नए उद्योगों को स्थापित करने से रोकने में मदद मिलेगी जहाँ ज़मीन से अत्यधिक मात्रा में पानी निकाला जा चुका है। साथ ही यह उद्योगों द्वारा बड़ी मात्रा में भूमिगत जल निकालने के एक निवारक के रूप में काम करेगा।
- इस शुल्क से उद्योगों को पानी के इस्तेमाल के संबंध में उपाय करने और पैक किये हुए पीने के पानी की इकाइयों की वृद्धि को हतोत्साहित किया जा सकेगा।
- संशोधित दिशा-निर्देशों की अन्य प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं-
- उद्योगों से निकलने वाले जल (जिनका पुनर्चक्रण हो चुका हो) और शोधित सीवेज जल का इस्तेमाल।
- प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान करना।
- डिजिटल प्रवाह मीटरों की पीजो मीटर और डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डरों (टेलीमीटरी के साथ अथवा उसके बिना जो भूमिगत जल निकालने की मात्रा पर निर्भर करता है) की अनिवार्यता।
- उद्योगों द्वारा पानी का लेखा अनिवार्य करना, कुछ विशेष उद्योगों को छोड़कर।
- छत पर वर्षा का पानी एकत्र करने को अनिवार्य बनाना।
- प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों/परियोजना परिसरों में भूमिगत जल को दूषित होने से रोकने के लिये अपनाए जाने वाले उपायों को प्रोत्साहित करना।

संशोधित दिशा-निर्देश

- अधिसूचना के अनुसार, भूमि से जल निकालने वाले उद्योग जिसमें खनन के माध्यम से जल-निष्कासन करने वाली इकाइयों सहित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिये भूजल का उपयोग करने वाले उद्योग शामिल हैं, को सरकार से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (No-Objection Certificate- NOC) प्राप्त करने के लिये आवेदन करने की आवश्यकता होगी।
- निजी परिवार जो 1 इंच से अधिक व्यास की डिलीवरी पाइप का उपयोग करके भूजल प्राप्त करते हैं, उन्हें भी WCF का भुगतान करना होगा।
- कृषि क्षेत्र (देश में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता) को इस शुल्क से मुक्त रखा गया है।
- सरकार के पास भूजल ब्लॉक की एक सूची होती है, जिसे मूल्यांकन ब्लॉक कहा जाता है। भूजल निकासी के आधार पर इस सूची को 'सुरक्षित,' 'अर्ध-महत्त्वपूर्ण', 'महत्त्वपूर्ण' और 'अत्यधिक शोषित' (safe, semi-critical, critical and over-exploited) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नोट :

- एक 'सुरक्षित' ब्लॉक में एक दिन में 20 घन मीटर (एक घन मीटर=1,000 लीटर) तक जल निकासी के लिये कंपनी को प्रति घन मीटर पर 3 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन एक दिन में 5,000 क्यूबिक मीटर या उससे अधिक जल निकालने पर उसे 'अत्यधिक शोषित' ब्लॉक में शामिल किया जाएगा जिससे प्रति घन मीटर पर जल निकासी पर 100 रुपए से अधिक का दैनिक शुल्क वसूला जाएगा।
- आवासीय परियोजनाओं के लिये WCF की सीमा 1 से 2 रुपए प्रति घन मीटर है। सभी औद्योगिक और आवासीय निकायों को WCF के अलावा NOC के लिये भी आवेदन करने की आवश्यकता होगी।
- ऐसे उपयोगकर्त्ता जो पानी निकालने के लिये बिजली का उपयोग नहीं करते हैं, को भी NOC प्राप्त करने और WCF का भुगतान करने की आवश्यकता से छूट दी गई है।
- सशस्त्र सेनाओं, रक्षा और अर्धसैनिक बलों के प्रतिष्ठानों तथा सरकारी जलापूर्ति एजेंसियों के लिये रणनीतिक और सामरिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को भी छूट (उच्च जरूरतों के साथ) दी गई है।

भारत में भूमिगत जल का उपयोग

- भारत दुनिया में भूमिगत जल का सबसे बड़ा उपयोगकर्त्ता है जो हर वर्ष 253 BCM (Billion Cubic Meters) भूमिगत जल निकालता है। यह दुनिया में ज़मीन से निकाले जाने वाले पानी का करीब 25 प्रतिशत है।
- केंद्रीय भू-जल बोर्ड (CGWB) ने देशभर में 6,584 इकाइयों का मूल्यांकन कर उनका वर्गीकरण किया है, जिसमें से 1,034 इकाइयों को 'अधिक शोषित' के रूप में, 253 को 'गंभीर', 681 को 'अर्द्ध-गंभीर' और 4,520 'सुरक्षित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शेष 96 इकाइयों को मूल्यांकन के आधार पर 'लवणीय' (Saline) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (Central Ground Water Authority- CGWA)

- केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA) का गठन पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत देश में भूजल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से की गई थी ।
- भूजल संसाधनों के दीर्घावधिक संपोषण (sustenance) को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण भूजल विकास के विनियमन संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ चला रहा है।

एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA) ने 50 प्रतिशत से ज़्यादा जनजातीय आबादी और 20,000 जनजातीय जनसंख्या वाले प्रत्येक प्रखंड (block) में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अथवा एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल (Eklavya Model Residential Schools- EMRSs) खोलने को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है।

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस योजना को प्रारंभ करने के लिये वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 2242.03 करोड़ रुपए की वित्तीय लागत को मंज़ूरी दी है।

CCEA की मंज़ूरी के अनुसार-

- EMRS के संचालन के लिये जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत नवोदय विद्यालय समिति (Navodaya Vidyalaya Samiti) के समान एक स्वायत्त संस्था होगी।
- पहले से स्वीकृत EMRS में प्रति स्कूल 5 करोड़ रुपए तक की अधिकतम राशि की लागत के आधार पर आवश्यकता के अनुसार सुधार कार्य किया जाएगा।
- 163 जनजातीय बहुल ज़िलों में प्रति 5 करोड़ रुपए लागत वाली खेल सुविधाएँ (Sports Facilities) स्थापित की जाएंगी, इसमें से प्रत्येक का निर्माण 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 15 खेल सुविधाओं के लिये वित्तीय प्रावधानों को स्वीकृति दी गई है।
- रख-रखाव के लिये आर्थिक सहायता जो प्रति पाँच वर्ष के लिये 10 लाख रुपए स्वीकार्य है, को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा।

नोट :

नया क्या है ?

- उल्लेखनीय है कि 50 प्रतिशत से ज़्यादा जनजातीय आबादी और 20,000 जनजातीय जनसंख्या वाले 102 प्रखंडों में पहले से ही EMRS का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार देश भर में इन प्रखंडों में 462 नए EMRS की स्थापना की जाएगी।
- नई योजना में निर्माण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा छात्रों हेतु बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये EMRS की निर्माण लागत को मौजूदा 12 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने की परिकल्पना की गई है।
- वित्त वर्ष 2019-20 से छात्रों पर बार-बार होने वाले खर्च की राशि मौजूदा 61,500 रुपए प्रति छात्र से बढ़ाकर 1,09,000 रुपए की जाएगी।
- पूर्वोत्तर (North East), पर्वतीय क्षेत्रों (Hilly Areas), दुर्गम क्षेत्रों (difficult areas) तथा वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित क्षेत्रों (areas affected by Left Wing Extremisma) में निर्माण के लिये 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना का महत्त्व

- जनजातीय लोगों की शिक्षा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु विशेष हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किये जाने से उनके जीवन में सुधार लाने के साथ ही उनके अन्य सामाजिक समूहों के समकक्ष आने की संभावना है और इसका प्रभाव 2021 की जनगणना में परिलक्षित होगा।

EMRS योजना

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी और इस तरह के प्रथम स्कूल का शुभारंभ वर्ष 2000 में महाराष्ट्र में हुआ था।
- EMRS आदिवासी छात्रों के लिये उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में कार्यरत हैं।
- राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 480 छात्रों की क्षमता वाले EMRS की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के अंतर्गत अनुदान द्वारा विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (Special Area Programme- SAP) के तहत की जा रही है।
- अनुसूचित जनजाति के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिये EMRS एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण है। EMRS में छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों सहित स्कूल की इमारत के निर्माण के अलावा खेल के मैदान, छात्रों के लिये कंप्यूटर लैब, शिक्षकों के लिये संसाधन कक्ष आदि का भी प्रावधान किया गया है।

लोकसभा में ट्रांसजेंडर विधेयक पास

चर्चा में क्यों ?

17 दिसंबर, 2018 को लोकसभा द्वारा ट्रांसजेंडर विधेयक को 27 संशोधनों के साथ पारित किया गया। इस विधेयक को दो वर्ष पूर्व सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विधेयक को परामर्श के लिये सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण विभाग की स्थायी समिति को भेजा गया, सरकार ने स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत 27 संशोधनों के साथ इसे स्वीकृति प्रदान की।

इस विधेयक को यह एक प्रगतिशील विधेयक है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 'पुरुष', 'महिला' या 'ट्रांसजेंडर' के रूप में पहचानने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस बिल के माध्यम से भारत सरकार की कोशिश एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की है, जिससे किन्नरों को भी सामाजिक जीवन, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में आज़ादी से जीने का अधिकार मिल सके।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016
[Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2016]

ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करना।

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करना।
- ऐसे व्यक्ति को उस रूप में मान्यता देने के लिये अधिकार प्रदत्त करने और स्वत: अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार प्रदत्त करना।

नोट :

- पहचान-पत्र जारी करना।
- यह उपबंध करना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को किसी भी स्थापन में नियोजन, भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों के विषय में विभेद का सामना न करना पड़े।
- प्रत्येक स्थापन में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
- विधेयक के उपबंधों का उल्लंघन करने के संबंध में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना।

विधेयक के संबंध में समिति की रिपोर्ट

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में गठित स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट में 'एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति' की परिभाषा को भी पुनर्परिभाषित किया गया है, ताकि इसे और अधिक समावेशी और सटीक बनाया जा सके।
- इसके अतिरिक्त इस समुदाय के संदर्भ में भेदभाव की परिभाषा और भेदभाव के मामलों को हल करने के लिये एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की भी सिफारिश की गई।
- साथ ही इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण देने की बात भी शामिल की गई है।
- उक्त समिति की सिफारिशों में उभयलिंगियों को कानूनी मान्यता प्रदान करने तथा धारा 377 के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी।
- संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों में उभयलिंगियों के लिये आरक्षण, भेदभाव के खिलाफ मज़बूत प्रावधान, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सरकारी अधिकारियों हेतु दंड का प्रावधान, उन्हें भीख मांगने से रोकने के लिये कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उनके लिये अलग से सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था करना आदि शामिल है।
- सके अतिरिक्त समिति द्वारा अधिकारों और कल्याण से परे यौन पहचान के मुद्दे को भी संबोधित किया गया। साथ ही इसके द्वारा इंटरसेक्स भ्रूण (intersex fetuses) होने की स्थिति में गर्भपात के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने तथा इंटरसेक्स शिशुओं (intersex infants) के संबंध में ज़बरन शल्य कार्य के संदर्भ में भी प्रावधान किये जाने की बात कही गई।
- इसके अतिरिक्त सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस समिति द्वारा विधेयक में निहित अन्य कई शर्तों को फिर से परिभाषित किया गया।
- हिजड़ा या अरवानी समुदायों द्वारा ट्रांसजेंडर बच्चों को गोद लेने जैसी वैकल्पिक पारिवारिक संरचनाओं की पहचान के लिये इस विधेयक में परिवार को "रक्त, विवाह या गोद लिये गए ट्रांसजेंडर व्यक्ति से संबंधित लोगों के समूह" के रूप में परिभाषित किया गया है।

अधिकार विहीन दृष्टिकोण

- ध्यातव्य है कि नालसा मामले में प्रयोग किये गए अधिकारों की भाषा (rights language) के अनुरूप 2016 के विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 19 एवं 21) के साथ संबद्ध करते हुए व्याख्यायित किया गया है।
- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक (Mental Healthcare Bill) 2016 तथा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 में भी अधिकारों की इसी भाषा (rights language) का प्रयोग किया गया है।
- एक अन्य समस्या यह है कि 2016 के विधेयक के अंतर्गत इस कानून के संचालन एवं क्रियान्वयन के विषय में कोई विशेष जानकारी प्रदान नहीं की गई है।
- ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नालसा मामले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये नागरिक अधिकारों को सुलभ बनाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है।
- हालाँकि, वर्तमान विधेयक इस दृष्टिकोण पर खरा नहीं उतरता है। अंतत: यहाँ यह स्पष्ट करना अत्यावश्यक है कि उपरोक्त सभी विधेयकों में से किसी भी विधेयक में धारा 377 के प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है।
- ध्यातव्य है कि धारा 377 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, विशेषकर ट्रांसजेंडर महिलाओं के शोषण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है।

नोट :

ट्रांसजेंडर कौन होता है ?

ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति होता है, जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत लिंगी की तरह जीवन बिताता है। जब किसी व्यक्ति के जननांगों और मस्तिष्क का विकास उसके जन्म से निर्धारित लिंग के अनुरूप नहीं होता है, महिला यह महसूस करने लगती है कि वह पुरुष है और पुरुष यह महसूस करने लगता है कि वह महिला है।

भारत में ट्रांसजेंडर्स के समक्ष आने वाली परशानियाँ:

- ट्रांसजेंडर समुदाय की विभिन्न सामाजिक समस्याएँ जैसे- बहिष्कार, बेरोज़गारी, शैक्षिक तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी, शादी व बच्चा गोद लेने की समस्या आदि।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मताधिकार 1994 में ही मिल गया था, परंतु उन्हें मतदाता पहचान-पत्र जारी करने का कार्य पुरुष और महिला के प्रश्न पर उलझ गया।
- इन्हें संपत्ति का अधिकार और बच्चा गोद लेने जैसे कुछ कानूनी अधिकार भी नहीं दिये जाते हैं।
- इन्हें समाज द्वारा अक्सर परित्यक्त कर दिया जाता है, जिससे ये मानव तस्करी का आसानी से शिकार बन जाते हैं।
- अस्पतालों और थानों में भी इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है।

सामाजिक तौर पर बहिष्कृत

- भारत में किन्नरों को सामाजिक तौर पर बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण उन्हें न तो पुरुषों की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही महिलाओं में, जो लैंगिक आधार पर विभाजन की पुरातन व्यवस्था का अंग है।
- इसका नतीजा यह होता है कि वे शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। बेरोज़गार ही रहते हैं। सामान्य लोगों के लिये उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ तक नहीं उठा पाते हैं।
- इसके अलावा वे अनेक सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर्स के पक्ष में दिये गए महत्त्वपूर्ण आदेश निम्नलिखित हैं-

- उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा स्वयं अपना लिंग निर्धारित किये जाने के अधिकार को सही ठहराया था तथा केंद्र और राज्य सरकारों को पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर के रूप में उनकी लैंगिक पहचान को कानूनी मान्यता प्रदान करने का निर्देश दिया था।
- न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, क्योंकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग माना जाता है।
- उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को थर्ड जेंडर समुदाय के लिये कल्याणकारी योजनाएँ चलाने और इस सामाजिक कलंक को मिटाने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया था।

निष्कर्ष

भारत में ऐसे लोगों को सामाजिक कलंक के तौर पर देखा जाता है। इनके लिये काफी कुछ किये जाने की आवश्यकता है। यह विधेयक भी इसी दिशा में एक प्रयास है। इस विधेयक के माध्यम से किन्नरों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिये वे लंबे समय से प्रयत्नशील हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और कानूनी अधिकारों की प्राप्ति आदि सभी मोर्चों पर ट्रांसजेंडर्स के लिये कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) का विस्तार करने वाले प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- उज्ज्वला योजना के विस्तार के बाद उन गरीब परिवारों को नि:शुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सकेगा जिनके पास LPG कनेक्शन नहीं है और योजना के मौजूदा प्रावधानों के तहत ये परिवार अभी तक इसका लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं थे।
- उज्ज्वला योजना के मौज़ूदा प्रावधानों के अंतर्गत LPG कनेक्शन 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर दिये जाते थे। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया-
  - सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार
  - वन्य निवासी (Forest Dwellers)
  - अति पिछड़ा वर्ग (Most Backward Classes- MBC)
  - द्वीपों/नदी द्वीपों पर रहने वाले लोग (people residing in Islands / river islands)
  - चाय और पूर्व-चाय बागान जनजाति (Tea & Ex-Tea Garden Tribes)
  - प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (Prime Minister Housing Scheme (Rural)) के लाभार्थी
  - अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) के लाभार्थी
- पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें सभी गरीब परिवारों को शामिल किया गया है।

पृष्ठभूमि

- BPL (Below Poverty Line) यानी गरीबी रेखा से नीचे गुज़र-बसर करने वाले परिवार की महिलाओं को नि:शुल्क LPG कनेक्शन देने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10 मार्च, 2016 को 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' को स्वीकृति दी थी।
- इस योजना की शुरुआत 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से हुई थी।
- इस योजना में नया LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये 1600 रुपए की नकद सहायता शामिल है और यह सहायता केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध लाए गए महाभियोग (Impeachment) प्रस्ताव पर अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा (House of Representative) में बुधवार को मतदान हुआ।

- अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के लिये निचले सदन में दो प्रस्ताव पेश किये गए थे। पहले में उन पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया जो 197 के मुकाबले 230 मतों से पास हुआ।
- दूसरे प्रस्ताव में महाभियोग मसले पर संसद के कार्य में बाधा डालने का आरोप था जो कि 198 के मुकाबले 229 मतों से पास हुआ।
- प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी चार भारतीय अमेरिकी सदस्यों ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया।
- हालाँकि राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार को कोई खतरा नहीं है क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया निचले सदन से पास होने के बावजूद सीनेट में इसका पारित होना मुश्किल है। सीनेट में सत्तारूढ़ रिपब्लिकंस पार्टी का बहुमत है। राष्ट्रपति ट्रंप को केवल एक ही स्थिति में हटाया जा सकता है, जब उनकी पार्टी के सांसद उनके विरुद्ध मतदान करें जिसकी आशंका नहीं है।
- निचले सदन के बाद अब राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने के लिये उच्च सदन यानी सीनेट में महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी। अमेरिका के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हैं जब किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है।
- वर्ष 1868 में एंड्रू जॉनसन और वर्ष 1998 में बिल क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालाँकि दोनों ही बार राष्ट्रपति को सत्ता से हटाया नहीं जा सका था। वर्ष 1974 मंक राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पर अपने एक विरोधी की जासूसी करने का आरोप लगा था। इसे वॉटरगेट स्कैंडल का नाम दिया गया था।

क्या है मुद्दा:

- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर वर्ष 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में संभावित प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन समेत अन्य नेताओं की छवि खराब करने के लिये यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्लादीमेर जेलेंसकी से गैरकानूनी रूप से सहायता मांगने का आरोप है। राष्ट्रपति ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग के साथ-साथ कानून निर्माताओं को जाँच से रोकने का भी आरोप हैं।

अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया:

भारत और अमेरिका के संविधान की तुलना:

- भारत और अमेरिका की सरकारों की कार्यप्रणालियाँ अर्थात् विधायिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका में एक विशिष्ट प्रकार का संबंध है।
- भारत में जहाँ कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है और न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र इससे अलग होता है,वहीं अमेरिका की सरकार की कार्यप्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्पष्ट विभाजन है अर्थात् कोई एक-दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते हैं।
- इस प्रकार जहाँ भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत पूर्णत: लागू नहीं होता है, वहीं अमेरिका में यह पूर्णत: लागू होता है।

शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत (Theory of Separation of Power):

शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं।

पृष्ठभूमि:

- इस सिद्धांत से संबंधित आधारभूत विचार नवीन नहीं है। राजनीतिशास्त्र के जनक अरस्तू ने सरकार को असेंबली, मजिस्ट्रेसी तथा जुडीशियरी नामक तीन विभागों में बाँटा था, जिनसे आधुनिक व्यवस्था का शासन तथा न्याय विभाग का पता चलता है।
- 16वीं सदी के विचारक जीन बोंदा ने स्पष्ट कहा है कि राजा को कानून निर्माता तथा न्यायाधीश दोनों रूपों में एक साथ कार्य नहीं करना चाहिये। लॉक द्वारा भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है।

मॉण्टेस्क्यू:

- मॉण्टेस्क्यू के पूर्व अनेक विद्वानों ने इस प्रकार के विचार प्रकट किये थे, किंतु विधिवत् और वैज्ञानिक रूप में इस सिद्धांत के प्रतिपादन का कार्य फ्राँसीसी विचारक मॉण्टेस्क्यू द्वारा ही किया गया। मॉण्टेस्क्यू लुई चौदहवें का समकालीन था इसलिये उसने राजा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग के प्रभाव को भलीभाँति देखा।
- मॉण्टेस्क्यू के अनुसार "प्रत्येक सरकार में तीन प्रकार की शक्तियाँ होती हैं – व्यवस्थापन संबंधी, शासन संबंधी तथा न्याय संबंधी। इसी आधार पर उसने वर्ष 1762 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'स्पिरिट ऑफ लॉज़' (Spirit of Laws) में शासन संबंधी शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

सिद्धांत का प्रभाव:

- शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का तत्कालीन राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ा। अमेरिकी संविधान निर्माता इस सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे और इसी कारण उन्होंने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था।
- इसी प्रकार मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया आदि अनेक देशों के संविधान में भी इसको मान्यता प्रदान की गई है।

सिद्धांत के पक्ष में तर्क

निरंकुशता और अत्याचार से रक्षा।

- विभिन्न योग्यताओं का उपयोग अर्थात् शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाना इसलिये भी आवश्यक और उपयोगी है कि सरकार से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिये अलग-अलग प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है।
- कार्य विभाजन से बेहतर निष्पादन।
- न्याय की निष्पक्षता।

नोट :

सिद्धांत की आलोचना:

- ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत: मांटेस्क्यू के अनुसार, उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन इंग्लैंड की तत्कालीन शासन पद्धति के आधार पर किया है, लेकिन इंग्लैंड की शासन व्यवस्था कभी भी शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित नहीं रही है।
- शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं: आलोचकों का कथन है कि सरकार एक आंगिक एकता है, उसी प्रकार की स्थिति शासन के अंगों की है। इसलिये शासन के अंगों का पूर्ण व कठोर पृथक्करण व्यवहार में संभव नहीं है।
- अमेरिकी संघीय व्यवस्थापिका अर्थात् कॉन्ग्रेस कानूनों का निर्माण करने के साथ-साथ राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों और संधियों पर नियंत्रण रखती है तथा महाभियोग लगाने का न्यायिक कार्य भी कर सकती है। इसी प्रकार कार्यपालिका के प्रधान, राष्ट्रपति को कानूनों के संबंध में निषेध का अधिकार और न्याय क्षेत्र में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने एवं क्षमादान का अधिकार प्राप्त है।
- शक्ति का पृथक्करण अवांछनीय भी है: शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाना न केवल असंभव वरन् अवांछनीय भी है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य तथा कार्यपालिका प्रशासन का कार्य ठीक प्रकार से कर सके, इसके लिये दोनों अंगों के बीच पारस्परिक सहयोग अति आवश्यक है।

निष्कर्ष:

- शक्ति के पृथक्करण का आशय यह है कि सरकार के तीन अंगों को एक-दूसरे के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप से बचते हुए अपनी सीमा में रहना चाहिये, और इस रूप में शक्तियों के विभाजन सिद्धांत को अपनाना न केवल उपयोगी बल्कि आवश्यक भी है।

भारत और अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया की तुलना:

- भारत में संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन के आधार पर प्रारंभ की जा सकती है वहीं अमेरिका में देशद्रोह, रिश्वत और दुराचार जैसे मामलों के आधार पर संसद के प्रतिनिधि सदन द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है।
- भारत में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव पर कम-से-कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, वहीं अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के 51% सदस्यों की सहमति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
- भारत में महाभियोग प्रस्ताव को पेश किये गए सदन के कुल सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किये जाने पर इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जबकि अमेरिका में महाभियोग प्रस्ताव सदन में पारित होने के बाद एक ज्यूरी के पास भेजा जाता है जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। इस ज्यूरी में राष्ट्रपति बचाव पक्ष के रूप में एक अधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है। इस ज्यूरी में प्रस्ताव पास होने के बाद उसे सीनेट में भेजा जाता है।
- भारत में दूसरे सदन में भी प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है जबकि अमेरिका में प्रस्ताव को 67% सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (Public distribution) मंत्रालय' द्वारा प्रस्तावित 'उपभोक्ता संरक्षण विधेयक' लोकसभा में पारित हो गया। गौरतलब है कि यह विधेयक 1986 के अधिनियम की जगह लेगा।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- पारित किये गए विधेयक में उपभोक्ता (Consumer) शब्द को परिभाषित किया गया है। विधेयक के अनुसार, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिये कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिये किसी वस्तु को हासिल करता है या व्यावसायिक उद्देश्य के लिये किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है।

उपभोक्ताओं के अधिकार

- विधेयक में उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात की गई है, जो इस प्रकार हैं-
  1. ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना, जो जीवन और संपत्ति के लिये जोखिमपरक है।
  2. वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना।
  3. प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर वस्तु और सेवा उपलब्ध होने का आश्वासन प्राप्त होना
  4. अनुचित या प्रतिबंध व्यापार की स्थिति में मुआवज़े की मांग करना।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी (Central Consumer Protection Authority)

- केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनका संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी (Central Consumer Protection Authority-CCPA) का गठन करेगी। यह अथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगी।
- लोकसभा में पारित हो चुके इस विधेयक में भ्रामक विज्ञापनों के लिये जुर्माने का भी प्रावधान है।
- ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commissions-CDRCs) के गठन का भी प्रावधान है।

उत्पाद की ज़िम्मेदारी

- उत्पाद की ज़िम्मेदारी विनिर्माण करने वाले या सेवा प्रदाता या विक्रेता की होगी। यह उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि किसी खराब वस्तु या खराब सेवा के कारण होने वाले नुकसान या चोट के लिये उपभोक्ता को मुआवजा दे।
- मुआवजे का दावा करने के लिये उपभोक्ता को विधेयक में स्पष्ट खराबी या गड़बड़ी से जुडी कम-से-कम एक शर्त को साबित करना होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का मसौदा जारी

चर्चा में क्यों?

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफार्मों पर 'गैरकानूनी' जानकारी उपलब्ध कराने वाले 'प्रवर्तक' का पता लगाने और ऐसी सूचनाएँ अधिसूचित होने के 24 घंटे बाद इस तरह की सामग्री को हटाना अनिवार्य करते हैं, का मसौदा जारी किया है।

- उल्लेखनीय है कि फेक न्यूज/व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया साइटों के जरिये फैलाई गई अफवाहों के कारण 2018 में मॉब लिंचिंग की अनेक घटनाएँ हुईं।
- यह मसौदा सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद आया है जिसमें सरकार को गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मंचों के जरिये चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे यौन दुर्व्यवहार संबंधी ऑनलाइन सामग्री के प्रकाशन और इनके प्रसार से निपटने के लिये दिशा-निर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SOP) तैयार करने के लिये मंज़ूरी दी गई थी।

सूचना प्रौद्योगिकी कानून

- सूचना प्रौद्योगिकी कानून (आईटी कानून), 2000 को इलेक्ट्रोनिक लेन-देन को प्रोत्साहित करने, ई-कॉमर्स और ई-ट्रांजेक्शन के लिये कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई-शासन को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोकने तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रणाली और प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करने के लिये अमल में लाया गया था।
- यह कानून 17 अक्तूबर, 2000 को लागू किया गया।
- सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अनुच्छेद 79 में कुछ मामलों में मध्यवर्ती संस्थाओं को देनदारी से छूट के बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 79(2)(c) में जिक्र किया गया है कि मध्यवर्ती संस्थाओं को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उचित तत्परता बरतनी चाहिये और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य दिशा-निर्देशों का भी पालन करना चाहिये। तद्नुसार सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश) नियम, 2011 को अप्रैल-2011 में अधिसूचित किया गया।

नोट :

2011 के नियमों के स्थान पर नए नियम

- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2011 में अधिसूचित नियमों के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश) नियम, 2018 का मसौदा तैयार किया। जिस पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया चल रही है।
- विभिन्न मंत्रालयों के बीच और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/फेसबुक, गूगल, ट्विटर, याहू, वॉट्सएप और मध्यवर्ती संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य एसोसिएशनों जैसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI), सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (ISPAI) जैसे प्लेटफॉर्मों सहित अन्य साझेदारों के साथ विचार-विमर्श के बाद जनता से सुझाव आमंत्रित करने हेतु मसौदा जारी किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी [मध्यवर्ती संस्थानों के लिये (संशोधन) दिशा-निर्देश] नियम, 2018 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान

केंद्र द्वारा तैयार किये SOP मसौदे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिये निम्नलिखित प्रावधान हैं-

- सामग्री को हटाने के लिये सक्रिय निगरानी उपकरण स्थापित करना।
- गैरकानूनी सामग्री की पहचान कर उसको हटाने के लिये विश्वसनीय फ़्लैगर्स (flaggers) की तैनाती।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिये 24X7 तंत्र स्थापित करना।
- पूरे भारत में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करना।
- प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी सामग्री उपलब्ध कराने वाले को ट्रेस करने की सुविधा।
- साइबर सुरक्षा से संबंधी घटनाओं को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के साथ दर्ज करना।
- किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी को 72 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना।

संविधान के तहत नागरिकों को प्राप्त है बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

- सरकार भारत के संविधान में प्रदत्त अपने नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति तथा निजता की आज़ादी देने के लिये प्रतिबद्ध है। इसलिये सरकार अभी तक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने वाली सामग्री को नियंत्रित नहीं करती।
- हालाँकि सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 में अधिसूचित नियम के अनुसार, सोशल नेटवर्क प्लेटफार्म को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके मंच का इस्तेमाल आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा और अपराध के लिये नहीं किया जाता है।

सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक बड़ी चुनौती

- अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्त्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।
- सोशल मीडिया के दुरुपयोग में आतंकवादियों की भर्ती के लिये प्रलोभन, अश्लील सामग्री का प्रसार, वैमनस्य फैलाना, हिंसा भड़काना, फेक न्यूज़ आदि शामिल हैं।

सभी बिजली मीटरों को 'स्मार्ट प्रीपेड' बनाने की योजना

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2019 से शुरू करके अगले 3 वर्षों में सभी मीटरों को 'स्मार्ट प्रीपेड' बनाने की योजना बनाई है।

योजना के लाभ

इस कदम से विद्युत क्षेत्र में क्रांति आने की संभावना है। कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (All Technical and commercial- AT&C) हानियों में कमी होने, विद्युत वितरण कंपनियों (Distribution Companies- DISCOMs) की वित्तीय स्थिति सुधरने, ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलने, बिल अदायगी में सुविधा होने और कागजों पर लिखित बिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था समाप्त हो जाने से ही इस क्षेत्र में क्रांति संभव हो पाएगी।

- स्मार्ट मीटरों की ओर उठाया जा रहा कदम दरअसल गरीब अनुकूल कदम है क्योंकि इसके लागू होने से उपभोक्ताओं को पूरे महीने का बिल एक ही बार में अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी बजाय उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से भुगतान कर सकते हैं।

नोट :

- स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का निर्माण करने से युवाओं के लिये कौशलपूर्ण रोज़गार भी सृजित होंगे।
- राज्य सरकारों ने इससे पहले 'सभी के लिये बिजली' दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे और उन्होंने अपने-अपने उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति करने पर सहमति जताई थी।
- अत: विद्युत वितरण के लाइसेंसधारक 01 अप्रैल, 2019 तक या उससे पहले ही अपने-अपने उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे बिजली मुहैया कराना शुरू कर देंगे।
- हालाँकि असाधारण या विशिष्ट परिस्थितियों में संबंधित आयोग इस समयावधि में कुछ रियायत दे सकता है। इसमें होने वाली देरी के कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा।

ऑनलाइन बिक्री हेतु कड़े किये गए नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों (e-commerce companies) को उन फर्मों से उत्पाद बेचने पर रोक लगाईं जाएगी जिनमें उनकी 'हिस्सेदारी' या उन पर 'नियंत्रण' है।

मंत्रालय का रुख?

- वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) ने समेकित एफडीआई नीति परिपत्र 2017 (Consolidated FDI Policy Circular 2017) के संबंध में इसे एक स्पष्टीकरण के रूप में जारी किया है। यह स्पष्टीकरण पहले की नीति में खामियों को दूर करने पर लक्षित है।
- वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, ई-कॉमर्स के 'मार्केटप्लेस मॉडल (marketplace model)' में स्वचालित प्रक्रिया के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। ई-कॉमर्स के 'इन्वेंट्री-आधारित मॉडल (inventory-based model)' में FDI की अनुमति नहीं है।

नियंत्रण से तात्पर्य

- 'इन्वेंट्री-आधारित मॉडल'
  - किसी भी ई-कॉमर्स को 'इन्वेंट्री-आधारित मॉडल' तब कहा जाता है जब उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली 'वस्तु एवं सेवा' पर ई-कॉमर्स इकाई का ही स्वामित्व हो।
- 'मार्केटप्लेस मॉडल'
  - किसी भी ई-कॉमर्स को 'मार्केटप्लेस मॉडल' तब कहा जाता है जब कोई ई-कॉमर्स कंपनी खरीदार और विक्रेता के बीच एक सुविधा प्रदाता (Service Provider) के रूप में मात्र एक सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।
- मंत्रालय का रुख उक्त परिभाषाओं से ही स्पष्ट हो जाता है। मंत्रालय के अनुसार, मार्केटप्लेस उपलब्ध कराने वाली ई-कॉमर्स इकाई बेचे जानी वाली किसी भी वस्तु या सेवा पर स्वामित्व या नियंत्रण कायम नहीं करेगी।
- इन्वेंट्री पर इस तरह का स्वामित्व या नियंत्रण 'मार्केटप्लेस मॉडल' को इन्वेंट्री-आधारित मॉडल व्यापार के रूप में संदर्भित करेगा।
- यदि किसी विक्रेता की 25% से अधिक बिक्री 'ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस' इकाई विशिष्ट या उस समूह की अन्य कंपनियों से हो रही हो तो उस विक्रेता की इन्वेंट्री को 'ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस' इकाई विशिष्ट द्वारा नियंत्रित माना जाएगा ।

मंत्रालय के निर्देश

- मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कि एक 'ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस' किसी भी विक्रेता को अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी उत्पाद को बेचने के लिये मजबूर नहीं करेगा।
- 'ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई' को हर साल 30 सितंबर तक वैधानिक लेखा परीक्षक (statutory auditor) की रिपोर्ट के साथ एक प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें सभी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि होगी।

नोट :

पुलिस स्टेशनों और न्यायालयों को एकीकृत करने के लिये पायलट प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय के एक पैनल ने तेलंगाना के वारंगल ज़िले में आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली के दो महत्त्वपूर्ण स्तंभों- अदालतों और पुलिस स्टेशनों को एकीकृत करने के लिये एक पायलट परियोजना शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- शीर्ष अदालत की ई-कमेटी की एक पहल, इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (Inter-operable Criminal Justice System- ICJS) सभी आपराधिक अदालतों और पुलिस स्टेशनों के बीच डेटा के लाइव आदान-प्रदान को संभव बनाने का प्रयास करती है।
- जस्टिस एम.बी. लोकुर, सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी के प्रमुख हैं और ICJS के अध्यक्ष भी हैं।
- यह परियोजना सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरेखित है और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देगी।
- यह प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Reports-FIR) और चार्जशीट दायर करने जैसी कागज़ी कार्रवाई और दस्तावेज़ी सबूतों के काम को पूरा करने में लगने वाले समय को बचाने में मदद करेगी।
- जाँच अधिकारियों के लिये अदालती कार्रवाई की ट्रैकिंग आसान हो जाएगी।
- इसके अगले चरण में ICJS डेटा साझाकरण को अन्य राज्यों में विस्तारित करना और इसे जेलों, फोरेंसिक केंद्रों, अभियोजन प्रणालियों तथा किशोर गृहों तक विस्तारित करना शामिल हैं।
- ई-न्यायालय परियोजना का उद्देश्य देश भर में ज़िला और अधीनस्थ अदालतों का कंप्यूटरीकरण है।
- यह कार्यान्वयन के अंतिम चरण में पहुँच गया है। इसमें 16,755 ज़िला अदालतों को शामिल किया गया है। परियोजना के तहत ई-सम्मन, वकीलों और वादियों को SMS अलर्ट तथा ई-फाइलिंग जैसी कई इलेक्ट्रॉनिक सेवाएँ शुरू की गई हैं।
- नेशनल न्यायिक डाटा ग्रिड (National Judicial Data Grid) 100 मिलियन से अधिक मामलों की एक गतिशील रिपॉज़िटरी की मेज़बानी करता है।

राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (National Judicial Data Grid-NJDG)

- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना का अंग है। ई-न्यायालय राष्ट्रीय पोर्टल (ecourts.gov.in) की शुरुआत अगस्त 2013 में की गई थी।
- तब से अब तक 2852 से अधिक ज़िला और तालुका कोर्ट कॉम्प्लेक्स ने NJDG पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
- NJDG मामलों की पहचान करने, प्रबंधन एवं लंबित होने की अवधि को कम करने के लिये निगरानी के साधन के रूप में कार्य करता है।
- NJDG ने विशेष रूप से भारत को वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में अपनी रैंकिंग में सुधार करने में मदद की है।

आकांक्षी ज़िलों की दूसरी डेल्टा रैंकिंग

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग (National Institution for Transforming India- NITI Aayog) ने जून से लेकर अक्तूबर, 2018 तक के महीनों के दौरान बेहतर प्रदर्शन के आधार पर आकांक्षी ज़िलों (Aspirational Districts) की दूसरी रैंकिंग जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- इस रैंकिंग में पहली बार 'परिवारों के बीच कराए गए सर्वेक्षणों' के सत्यापित आँकड़े शामिल किये गए हैं। ये सर्वेक्षण नीति आयोग के ज्ञान साझेदारों जैसे कि टाटा ट्रस्ट्स (TATA Trusts) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) द्वारा कराए गए हैं।

- जून माह के दौरान सभी आकांक्षी ज़िलों में कराए गए इन सर्वेक्षणों के तहत 1,00,000 से भी अधिक परिवारों को कवर किया गया।
- ज़िलों को श्रेणीबद्ध करने का काम चैंपियंस ऑफ चेंज (Champions of the Change) डैशबोर्ड के ज़रिये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आँकड़ों पर आधारित है, जिसमें वास्तविक समय के आधार पर ज़िला स्तर के आँकड़े शामिल किये गए हैं।

जिन ज़िलों ने जून 2018 से अक्तूबर 2018 के बीच बड़ी पहल करते हुए अपनी रैंकिंग में गुणात्मक छलांग लगाई है उन्हें फास्ट मूवर्स (Fast Movers) की संज्ञा दी गई है, जो इस प्रकार है-

डेल्टा रैंकिंग की शुरुआत

- नीति आयोग ने आकांक्षी ज़िलों की पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में जारी की थी जिसमें 31 मार्च, 2018 से 31 मई, 2018 के बीच नीति आयोग द्वारा स्वयं दर्ज किये गए आँकड़ों के आधार पर रैंकिंग की गई थी।
- यह रैंकिंग आकांक्षी ज़िलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना जैसे विकासात्मक क्षेत्रों में वृद्धिशील प्रगति दर्शाने के लिये शुरू की गई थी।

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम

- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम की शुरूआत 5 जनवरी, 2018 को हुई थी।
- इसका उद्देश्य उन ज़िलों में तेज़ी से बदलावा लाना है, जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम प्रगति की है और वे अल्पविकसित ज़िलों के रूप में उभरकर सामने आए हैं, जिसके कारण वे संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने की राह में चुनौती बने हुए हैं।

केंद्र ने बढाई NRC को अपडेट करने की अवधि

चर्चा में क्यों ?

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC) के नवीनीकरण और सुधार कार्य को पूरा करने की अवधि को केंद्र सरकार ने और छह महीने के लिये बढ़ा दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि असम में NRC को अपडेट करने की प्रक्रिया अब 30 जून, 2019 तक पूरी की जा सकेगी।

प्रमुख बिंदु

- इससे पहले असम में NRC को अपडेट करने के की समयावधि 31 दिसंबर, 2018 तक थी लेकिन भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित समय-सीमा तक असम में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों को सूचीबद्ध करने का कार्य पूरा करना संभव नहीं है इसलिये इस समयावधि को और 6 माह के लिये बढ़ाया गया है।
- असम में NRC की प्रक्रिया को पूरा करने के लिये पहली अधिसूचना 6 दिसंबर, 2013 में जारी की गई थी जिसमें सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिये तीन साल का समय निर्धारित किया था। लेकिन तब से अब तक सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिये निर्धारित समयावधि में पाँच बार विस्तार किया है।
- NRC का मसौदा 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित किया गया था जिसमें कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.9 करोड़ लोगों के नाम को शामिल किया गया था।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC)

- NRC वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है।
- इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।
- वर्तमान में इसे अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है और इसमें केवल उन्हीं भारतीयों के नाम को शामिल किया जा रहा है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं। उसके बाद राज्य में पहुँचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा।

- NRC उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहाँ से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। NRC की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं।

असम में NRC

- 80 के दशक में अखिल असम छात्र संघ (All Assam Students Union-AASU) ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिये एक आंदोलन शुरू किया।
- AASU के छह साल के संघर्ष के बाद 15 अगस्त, 1985 को AASU और दूसरे संगठनों तथा भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिसे असम समझौते के नाम से जाना जाता है।
- इस समझौते के अनुसार, 25 मार्च, 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले हिंदू- मुसलमानों की पहचान की जानी थी तथा उन्हें राज्य से बाहर किया जाना था।
- नागरिकों के सत्यापन के लिये यह अनिवार्य किया गया कि केवल उन्हें ही भारतीय नागरिक माना जाएगा जिनके पूर्वजों के नाम 1951 के NRC में या 24 मार्च 1971 तक के किसी वोटर लिस्ट में मौजूद हों।
- असम में NRC अपडेट को नियंत्रित करने वाले प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 में दिये गए हैं।

भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCIM) विधेयक, 2018

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के लिये राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2018 [National Commission for Indian Medical Systems (NCIM) Bill, 2018] के मसौदे को मंज़ूरी दे दी है।

उद्देश्य

- मौजूदा नियामक भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (Central Council for Indian Medicine-CCIM) के स्थान पर एक नए निकाय का गठन करना, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली के लिये प्रस्तावित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) की तर्ज पर भारतीय चिकित्सा क्षेत्र की चिकित्सा शिक्षा में व्यापक सुधार लाना।

विशेषताएँ

- विधेयक के मसौदे में चार स्वायत्त बोर्डों के साथ एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। चारों स्वायत्त बोर्ड इस प्रकार होंगे-

1. आयुर्वेद बोर्ड (Board of Ayurveda) : आयुर्वेद से जुड़ी समग्र शिक्षा के संचालन की जिम्मेदारी इस बोर्ड के पास होगी।
2. यूनानी, सिद्ध एवं सोवा-रिग्पा बोर्ड (Board of Unaini, Siddha and Sowarigpa) : इस बोर्ड के पास यूनानी, सिद्ध एवं सोवा रिग्पा से जुड़ी समग्र शिक्षा के संचालन की ज़िम्मेदारी होगी।
   ‘सोवा-रिग्पा’ जिसे आमतौर पर दवा की तिब्बती प्रणाली के रूप में जाना जाता है, दुनिया की सबसे प्राचीन, समकालीन और अच्छी तरह लिखित रूप में मौजूद चिकित्सा परंपराओं में से एक है।
3. आकलन एवं रेटिंग बोर्ड (Board of assessment and rating): यह भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के शैक्षणिक संस्थानों का आकलन करने के साथ-साथ उन्हें मंज़ूरी प्रदान करेगा।
4. भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के चिकित्सकों का पंजीकरण बोर्ड (Board of ethics and registration of practitioners of Indian systems of medicine) : यह भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Commission for Indian Medicine) के अधीन प्रैक्टिस से जुड़े आचार नीति मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register) के रख-रखाव की ज़िम्मेदारी संभालेगा।

- विधेयक के मसौदे में सामान्य प्रवेश परीक्षा और एक 'एक्ज़िट एक्जाम' (exit exam)का प्रस्ताव भी किया गया है जिसमें सभी स्नातकों को पास करना अनिवार्य होगा तभी उन्हें प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा।
- विधेयक में शिक्षक अर्हता परीक्षा (teacher's eligibility test) आयोजित करने का भी प्रस्ताव किया गया है, ताकि नियुक्ति एवं पदोन्नति से पहले शिक्षकों के ज्ञान के स्तर (standard) का आकलन किया जा सके।

लाभ

- प्रस्तावित नियामक ढाँचे या व्यवस्था से पारदर्शिता के साथ-साथ आम जनता के हितों के संरक्षण के लिये जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी।
- NCIM देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा।

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (Central Council for Indian Medicine-CCIM)

यह भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के तहत गठित तथा आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय (Statutory body) है।

कार्य

- भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब तथा सोवा रिग्पा में शिक्षा के लिये न्यूनतम मानक तैयार करना और उन्हें लागू करना।
- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परीक्षा अधिनियम 1970 के द्वितीय अनुसूची में/से चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता के समावेश/से मान्यता को वापस लिये जाने से संबंधित मामलो पर केंद्रीय सरकार को अनुशंसा भेजना।
- भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय पंजिका का रख-रखाव करना और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।
- भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों द्वारा अनुपालन करने के लिये आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक तैयार कर उन्हें लागू करना।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति के नए महाविद्यालय स्थापित करने, स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने एवं नए अथवा स्नातकोतर अतिरिक्त विषयों को प्रारंभ करने हेतु विभिन संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना व भारत सरकर को अनुशंसाएँ भेजना।

The Vision

आर्थिक घटनाक्रम

कृषि निर्यात नीति 2018

संदर्भ

हाल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि निर्यात नीति को मंज़ूरी दे दी। गौरतलब है कि यह मंज़ूरी किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से दी गई है। यह नीति कृषि निर्यात के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी जिसमें आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण, उत्पादों का मानकीकरण, नियमों को सुव्यवस्थित करना, कृषि संकट को बढ़ावा देने वाले फैसलों को कम करना और अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- कृषि निर्यात नीति, 2018 का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक करना है।
- ध्यातव्य हो कि यह फैसला 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के उद्देश्यों के तहत लिया गया है।
- कृषि निर्यात नीति से चाय, कॉफी और चावल जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ यह वैश्विक कृषि व्यापार में देश की हिस्सेदारी को बढ़ाएगी।
- इस नीति के तहत जैविक उत्पादों पर सभी प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों को भी हटाने की कोशिश की जाएगी। एक अधिकारी के मुताबिक, इस नीति के कार्यान्वयन के लिये अनुमानित वित्त 1,400 करोड़ रुपए से अधिक का होगा।

कृषि निर्यात नीति के अवयव

- कृषि निर्यात नीति में की गईं सिफारिशों को दो श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है।
- सामरिक (Strategic)

सामरिक श्रेणी में तहत निम्नलिखित उपाय शामिल होंगे-

- नीतिगत उपाय
- अवसंरचना एवं रसद समर्थन
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिये समग्र दृष्टिकोण
- कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की बड़ी भागीदारी
- मूल्य वर्द्धित निर्यात को बढ़ावा देना
- 'ब्रांड इंडिया' का विपणन और प्रचार

परिचालन (Operational)

परिचालन के तहत निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे-

- उत्पादन और प्रसंस्करण में निजी निवेश को आकर्षित करना
- मज़बूत नियमों की स्थापना
- अनुसंधान एवं विकास
- विविध

शाहपुरकंडी डैम (राष्ट्रीय परियोजना)

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकंडी डैम (Shahpurkandi Dam) परियोजना को मंज़ूरी दे दी है।

- इस परियोजना के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक पाँच वर्षों की अवधि के दौरान 485.38 करोड़ रुपए (सिंचाई घटक के लिये) की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन से रावी नदी के जल की मात्रा में कमी लाने में सहायता मिलेगी जो वर्तमान में माधोपुर हेडवर्क्स से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है।

परियोजना के बारे में

- शाहपुरकंडी डैम परियोजना के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) की वर्तमान 99 परियोजनाओं के समान नाबार्ड (NABARD) के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु केंद्रीय जल आयोग की वर्तमान निगरानी व्यवस्था के अतिरिक्त केंद्रीय जल आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में पंजाब और जम्मू-कश्मीर के चीफ इंजीनियर और संबंधित अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।
- यह परियोजना जून 2022 तक पूरी हो जाएगी।

परियोजना से लाभ

- रावी नदी के पानी की कुछ मात्रा वर्तमान में माधोपुर हेडवर्क्स से होकर पकिस्तान चली जाती है, जबकि पंजाब और जम्मू-कश्मीर दोनों राज्यों में जल की आवश्यकता है। इस परियोजना के लागू होने से पानी की बर्बादी को कम करने में मदद मिलेगी।
- इस परियोजना के पूरा होने से पंजाब राज्य में अतिरिक्त 5000 हेक्टेअर और जम्मू-कश्मीर में 32,173 हेक्टेअर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी।
- इसके अलावा इस परियोजना से पंजाब ऊपरी बारी दोआब नहर (Uppar Bari Doab Canal- UBDC) प्रणाली के अंतर्गत 1.18 लाख हेक्टेअर में सिंचाई सुविधा को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। परियोजना के पूरा होने पर पंजाब 206 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन में सक्षम होगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन से अकुशल श्रमिकों के लिये 6.2 लाख कार्यदिवसों, अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिये 6.2 लाख कार्यदिवसों तथा कुशल श्रमिकों के लिये 1.67 लाख कार्यदिवसों के रोज़गार का सृजन होगा।

परियोजना की लागत

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation- MoWR, RD & GR) की परामर्शदात्री समिति ने 24 अगस्त, 2019 को इस राष्ट्रीय परियोजना के लिये 2285.81 करोड़ रुपए की संशोधित लागत निर्धारित की थी।
- 31 अक्तूबर, 2018 को MoWR, RD & GR के परामर्शदात्री समिति की 138वीं बैठक में दूसरे पुनरीक्षित लागत अनुमान के रूप में 2715.70 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई।
- इस परियोजना के लिये 26.04 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2010-11 के दौरान जारी की गई थी।
- शाहपुरकंडी डैम परियोजना के कार्य घटकों की शेष लागत 1973.53 करोड़ रुपए (सिंचाई घटक: 564.63 करोड़ रुपए, ऊर्जा घटक:1408.90 करोड़ रुपए) है। इसमें 485.38 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

पृष्ठभूमि

- सिंधु नदी के जल बँटवारे के लिये 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किये थे। इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास और सतलज के जल के उपयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था। लेकिन वर्तमान में रावी नदी के जल की कुछ मात्रा माधोपुर हेडवर्क्स होकर पाकिस्तान में चली जाती है।

नोट :

- इस परियोजना के लागू होने से पानी की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी।
- पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच 1979 में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। समझौते के तहत पंजाब सरकार द्वारा रंजीत सागर डैम (थीन डैम) और शाहपुरकंडी डैम का निर्माण किया जाना था। रंजीत सागर डैम का निर्माण कार्य अगस्त 2000 में पूरा हो गया था।
- शाहपुरकंडी डैम परियोजना रावी नदी पर रंजीत सागर डैम से 11 किमी. अनुप्रवाह (downstream or d/s) तथा माधोपुर हेडवर्क्स से 8 किमी. प्रतिप्रवाह (upstream or u/s) पर स्थित है।
- योजना आयोग ने नवंबर 2001 में इस परियोजना को प्रारंभिक स्तर पर मंज़ूरी दी थी और इसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme- AIBP) के अंतर्गत शामिल किया गया था ताकि सिंचाई घटक के अंतर्गत इस परियोजना के लिये धन उपलब्ध कराया जा सके।
- हालाँकि पंजाब सरकार द्वारा ऊर्जा घटक के अंतर्गत राशि उपलब्ध न कराने और जम्मू-कश्मीर के साथ कई मुद्दों पर मतभेद होने के कारण इस परियोजना में कोई प्रगति नहीं हो सकी।
- इस संबंध में द्विपक्षीय स्तर पर कई बैठकें आयोजित की गईं तथा भारत सरकार के स्तर पर भी कई बैठकों का आयोजन हुआ। अंतत: MoWR, RD & GR के तत्त्वावधान में पंजाब और जम्मू-कश्मीर ने 8 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में एक समझौते पर सहमति व्यक्त की थी।

फ्रेट विलेज़

चर्चा में क्यों?

जहाज़रानी मंत्रालय (Shipping Ministry) ने गंगा नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के समीप वाराणसी में 156 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्रेट विलेज़ (Freight Village) विकसित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- वाराणसी फ्रेट विलेज का विकास भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा।
- यह एक कार्गो हब के रूप में काम करेगा और माल एकत्रित करने एवं उसके मूल्यवर्द्धन का भी एक केंद्र होगा। यह वाराणसी में एक पेशेवर लॉजिस्टिक्स उद्योग के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।
- फ्रेट विलेज़ की भूमि का मालिक IWAI (Inland Waterways Authority of India) होगा लेकिन इसका कुछ हिस्सा लॉजिस्टिक्स कंपनियों और जलमार्ग से संबंधित विनिर्माण एवं व्यापारिक कंपनियों को बाज़ार स्थितियों के अनुसार तय मूल्यों एवं निर्धारित शर्तों पर पट्टे पर दिया जाएगा ताकि वे अपना कारोबार स्थापित कर सकें।
- यह फ्रेट विलेज़ कंटेनर, बल्क एवं ब्रेक-बल्क कार्गो, तरल थोक और बैग वाले कार्गो सहित विविध कार्गो प्रोफाइल को अपनी सेवाएँ मुहैया करा सकता है।

क्या होता है फ्रेट विलेज़?

- फ्रेट विलेज़ एक ऐसा निर्दिष्ट क्षेत्र है जहाँ परिवहन के विभिन्न साधन, माल वितरण और अन्य लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ सिंक्रनाइज तरीके से बड़े पैमाने पर उपलब्ध होती हैं।
- फ्रेट विलेज़ का मुख्य कार्य परिवहन के विभिन्न साधनों का प्रबंधन एवं उनकी उपयोगिता सुनिश्चित करना, उनमें तालमेल बिठाना और मौजूदा परिवहन साधनों में भीड़भाड़ को कम करना है।
- फ्रेट विलेज़ बुनियादी तौर पर एक कार्गो एग्रीगेटर होता है जो शिपर/कार्गो मालिक को विभिन्न लॉजिस्टिक विकल्प यानी रेल-सड़क, रेल-जलमार्ग, सड़क-जलमार्ग आदि प्रदान करता है।
- यह पसंदीदा लॉजिस्टिक विकल्प कम इष्टतम/ सबसे कम लॉजिस्टिक लागत पर आधारित होता है जो शिपर/कार्गो मालिक से वसूला जा सकता है।

- माल ढुलाई संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ एक ही छत के नीचे उपलब्ध होने और उनमें समन्वय से कारोबारी सुगमता सुनिश्चित होती है। साथ ही इससे माल की ढुलाई के लिये ट्रक क्षमता का बेहतर उपयोग संभव हो पाता है और कारोबारी गतिविधियों एवं आर्थिक दक्षता में सुधार हो सकता है।

वाराणसी ही क्यों ?

- विश्व बैंक (World Bank) के एक पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन में पाया गया कि वाराणसी, फ्रेट विलेज़ के लिये एक उपयुक्त जगह है।
- यह शहर सामरिक दृष्टि से भी उपयुक्त जगह पर स्थित है और यह ईस्टर्न ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की लॉजिस्टिक्स श्रृंखला का मध्य बिंदु है जहाँ से राष्ट्रीय जलमार्ग-1, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी), राष्ट्रीय राजमार्ग-7 और राष्ट्रीय राजमार्ग-2 गुज़रते हैं।
- जल मार्ग विकास परियोजना के तहत बन रहे मल्टी मोडल टर्मिनल के चालू होने पर वाराणसी के अंतर्देशीय जलमार्ग पर यातायात में वृद्धि होने की उम्मीद है।

12 सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं में से एक मिशन इंद्रधनुष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिये सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष को एक स्वतंत्र चिकित्सा ज़ूरी द्वारा स्वास्थ्य देखभाल के स्तर को बढ़ाने वाली बारह सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं में से एक के रूप में चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत द्वारा आयोजित किये जाने वाले सम्मेलन 'पार्टनर्स फोरम' का आयोजन नई दिल्ली में होगा।
- इस शिखर सम्मेलन में माँ, बच्चे और किशोरावस्था के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिये एक मंच पर 85 देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा।
- इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से प्राप्त 300 आवेदनों में से सर्वश्रेष्ठ बारह प्रथाओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
- इन 12 शोधों को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (BMJ) के एक विशेष अंक में प्रकाशित किया जाएगा।
- भारत का लक्ष्य वर्ष 2020 तक सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों का 90 प्रतिशत टीकाकरण करना है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015-16 में यह संख्या 62 प्रतिशत थी।

सफलता के आँकड़े

- 1990 के दशक में भारत में मातृ मृत्यु दर 77 प्रतिशत से घटकर अब 44 प्रतिशत और पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर 126 प्रति हजार जीवित जन्म से घटकर 39 हो गई है।
- प्रारंभिक बचपन के विकास के लिये चिली और जर्मनी की सामाजिक सुरक्षा नीतियों की सराहना की गई है।
- इसके अत्तिरिक्त कंबोडिया में गरीबों के लिये विकास कार्यक्रम और भारत में मिशन इंद्रधनुष को गुणवत्ता, समानता और गरिमा की कहानियों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है, जबकि किशोरावस्था के स्वास्थ्य और कल्याण में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिये इंडोनेशिया और अमेरिका को एक अच्छा प्रदर्शक माना गया है।
- साथ ही मलावी की टोल फ्री हेल्पलाइन और मलेशिया के सार्वभौमिक एंटी-एचपीवी (anti-HPV) टीकाकरण कवरेज को यौन और प्रजनन अधिकारों के लिये सबसे अच्छी पहल के रूप में उद्धृत किया जा रहा है।
- दशकों के युद्ध और अस्थिरता के बाद अफगानिस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं की भी स्केलिंग की गई है और साथ ही साथ सिएरा लियोन के रेडियो कार्यक्रम, जो इबोला प्रभावित बच्चों और उनके समुदायों का समर्थन करता है, को मानवतावादी और सबसे उदार मामलों में से माना गया हैं।

मिशन इंद्रधनुष के बारे में

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को 'मिशन इन्द्रधनुष' की शुरुआत की।

नोट :

- इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2020 तक ऐसे सभी बच्चों का टीकाकरण करना है, जिन्हें सात बीमारियों से लड़ने के टीके नहीं लगाए गए हैं या आंशिक रूप से लगाए गये हैं।

तीव्र मिशन इंद्रधनुष

- 1 अगस्त, 2017 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्ण टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने और निम्न टीकाकरण कवरेज वाले शहरी क्षेत्रों एवं अन्य इलाकों पर अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान देने हेतु मंत्रालय द्वारा 'तीव्र मिशन इंद्रधनुष' लॉन्च किया गया था।
- इसके अनुसार वर्ष 2018 तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य है।
- तीव्र मिशन इंद्रधनुष के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिन पर मिशन इंद्रधनुष के तहत ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सका था।
- तीव्र मिशन इंद्रधनुष की एक विशिष्ट खूबी यह है कि इसके तहत अन्य मंत्रालयों/विभागों विशेषकर महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, शहरी विकास, युवा मामले, एनसीसी इत्यादि से जुड़े मंत्रालयों एवं विभागों के साथ सामंजस्य बैठाने पर अपेक्षाकृत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
- विभिन्न विभागों के जमीनी स्तर वाले कामगारों जैसे कि आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, एनयूएलएम के तहत जिला प्रेरकों, स्वयं सहायता समूहों के बीच समुचित सामंजस्य तीव्र मिशन इंद्रधनुष के सफल क्रियान्वयन के लिहाज से अत्यंत आवश्यक है।
- भारत के 'सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम' की शुरुआत वर्ष 1985 में चरणबद्ध तरीके से की गई थी, जो कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक था, जिसका उद्देश्य देश के सभी ज़िलों को 90% तक पूर्ण प्रतिरक्षण प्रदान करना था।
- हालाँकि कई वर्षों से परिचालन में होने के बावजूद UIP केवल 65% बच्चों को उनके जीवन के प्रथम वर्ष में होने वाले रोगों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित कर पाया था। अत: मिशन इंद्रधनुष को प्रारंभ किया गया।

दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा 2.9% तक बढ़ा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1.1% की तुलना में उच्च व्यापार घाटे के कारण इस वर्ष जुलाई-सितंबर तिमाही के लिये चालू खाता घाटा (CAD) सकल घरेलू उत्पाद के 2.9% तक बढ़ गया।

प्रमुख बिंदु

- पिछले साल की समान अवधि में 6.9 अरब डॉलर की तुलना में इस वर्ष दूसरी तिमाही के लिये घाटा 19.1 बिलियन डॉलर था। अप्रैल-जून तिमाही के लिये CAD सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% या 15.9 बिलियन डॉलर था।
- केंद्रीय बैंक ने कहा कि सालाना आधार पर CAD की बढ़ोत्तरी मुख्य रूप पिछले वर्ष के 32.5 अरब डॉलर की तुलना में इस वर्ष के 50 बिलियन डॉलर के उच्च व्यापार घाटे के कारण थी।
- विशेषज्ञों के अनुसार, तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण चालू खाता घाटा बढ़ गया। लेकिन अब कीमतों में शीर्ष स्तर से 31% तक कमी आई है। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमज़ोर होने के बाद भी निर्यात में वृद्धि हुई। अत: चालू खाते घाटे का पूरे वर्ष इसी प्रकार उच्च बने रहने की उम्मीद नहीं है।
- सॉफ्टवेयर और वित्तीय सेवाओं से शुद्ध आय में वृद्धि के कारण निवल सेवाओं की प्राप्तियों में मुख्य रूप से 10.2% की वृद्धि हुई।
- निजी हस्तांतरण प्राप्तियाँ (Private Transfer Receipts), मुख्य रूप से विदेशों में नियोजित भारतीयों द्वारा प्रेषण के कारण 20.9 बिलियन डॉलर थी, जो पिछले वर्ष से 19.8% अधिक है।
- आरबीआई के अनुसार, "वित्तीय खाते में, शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2017-18 की दूसरी तिमाही में 12.4 बिलियन डॉलर की तुलना में घटकर 2018-19 की दूसरी तिमाही में 7.9 बिलियन डॉलर हो गया।"
- पोर्टफोलियो निवेश ने पिछले साल की दूसरी तिमाही में 2.1 बिलियन डॉलर के अंतर्वाह की तुलना में 2018-19 की दूसरी तिमाही में ऋण और इक्विटी बाज़ारों में शुद्ध बिक्री के कारण 1.6 बिलियन डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया।

- गैर-निवासी जमा (non-resident deposits) के कारण शुद्ध प्राप्तियाँ 2018-19 की दूसरी तिमाही में 3.3 अरब डॉलर हो गईं जो पिछले वर्ष 0.7 बिलियन डॉलर थीं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि 2017-18 दूसरी तिमाही में 9.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि के मुकाबले इस वर्ष की दूसरी तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार (भुगतान संतुलन के आधार पर) में 1.9 बिलियन डॉलर की कमी आई।

रुपए की गिरावट को रोकना

- केंद्रीय बैंक ने रुपए में तेज़ गिरावट को रोकने के लिये डॉलर बेचकर मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप किया था। अक्टूबर 2018 तक रुपया डॉलर के मुकाबले 15% कमज़ोर हो गया था, लेकिन नवंबर में तेल की कीमतों में कमी आने से रुपए में मज़बूती देखी गई।
- हाल ही में जारी किये गए नवीनतम आँकड़ों से पता चला है कि 30 नवंबर से एक हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 932.8 मिलियन डॉलर बढ़कर 393.718 बिलियन डॉलर हो गया।
- कुल मिलाकर देश का भुगतान संतुलन जुलाई-सितंबर तिमाही में 1.9 बिलियन डॉलर के घाटे में था, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में इसमें 9.5 बिलियन डॉलर का अधिशेष था।
- पिछले वर्ष की पहली छमाही में GDP के 1.8% की तुलना में 2018-19 की समान अवधि में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.7% तह बढ़ गया है। रेटिंग एजेंसी फिच ने हाल ही में कहा कि चालू खाता अंतर के बढ़ने के कारण रुपया 75 प्रति डॉलर तक गिर सकता है।

दोपहिया वाहनों पर लेवी को लेकर मतभेद

चर्चा में क्यों ?

ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने हेतु दोपहिया वाहनों पर 'फीबेट' (एक तरह का शुल्क या छूट) लगाने के नीति आयोग के प्रस्ताव पर भारी उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग के बीच मतभेद उभर कर सामने आए हैं।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रालय ने नीति आयोग के दोपहिया वाहन जैसे बड़े पैमाने पर उपयोग होने वाले परिवहन माध्यम पर 'शुल्क' लगाने को लेकर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इससे न सिर्फ कीमतों में वृद्धि होने की आशंका है, बल्कि इस कर के संग्रह से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न होंगी।
- नीति आयोग द्वारा शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। आयोग का कहना है कि वह शुल्क के माध्यम से पूंजी एकत्र करेगा और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये सब्सिडी देने में किया जाएगा।
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू है, जबकि दहन इंजन (पेट्रोल-डीज़ल) वाले वाहनों पर 28 प्रतिशत। इस लिहाज़ से पहले ही 16 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
- भारी उद्योग मंत्रालय देश में वाहन क्षेत्र के विकास के लिये योजनाओं और नीतियों को लागू करने का काम करता है।
- देश में हर साल करीब दो करोड़ दोपहिया वाहन बेचे जाते हैं। नीति आयोग की गणना के हिसाब से यदि प्रति वाहन 500 रुपए का भी शुल्क लगाया जाता है, तो करीब 10,000 करोड़ रुपए एकत्र हो सकते हैं।
- हालाँकि दिक्कत यह है कि इसे एकत्र कौन करेगा, क्योंकि अब सभी उपकर जीएसटी के अंदर सम्मिलित हो गए हैं।
- भारी उद्योग मंत्रालय भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास के लिये योजनाओं और नीतियों को लागू करता है। हर साल लगभग 2 करोड़ दोपहिया वाहन बेचे जाते हैं।

फीबेट क्या है ?

- फीबेट एक तरह की शुल्क और छूट प्रणाली है, जिसमें ऊर्जा-दक्ष या पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि इस तरह की गतिविधियों का पालन करने में नाकाम रहने पर दंडित किया जाता है।
- इस साल सितंबर में आयोजित भारत के पहले वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन में नीति आयोग द्वारा समर्थित दो रिपोर्टों में इसे शामिल किया गया था।

नोट :

- ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मोबिलिटी' नामक रिपोर्ट में ग्रीन मोबिलिटी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये फीबेट सिस्टम का उपयोग करने और फीबेट सिस्टम के साथ ग्रीन मोबिलिटी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने के लिये एक विनियमन प्रक्रिया विकसित करने का सुझाव दिया गया था।

विदेशों से धन प्राप्ति के मामले में भारत फिर टॉप पर

चर्चा में क्यों?

- विश्व बैंक की 'माइग्रेशन एंड रेमिटेंस' (Migration & Remittance) रिपोर्ट
- इस हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, धन प्रेषण (Remittance) के मामले में भारतीय सबसे आगे

क्या है इस रिपोर्ट में? (What is in the Report?)

विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि विकासशील देशों को आधिकारिक रूप से भेजा गया धन 2018 में 10.8 प्रतिशत बढ़कर 528 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल इसमें 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।दुनियाभर के देशों में भेजा जाने वाला धन इस दौरान 10.3 प्रतिशत बढ़कर 689 अरब डॉलर होने की उम्मीद है।

भारत रहा फिर सबसे आगे

- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विदेश से पैसा भेजने के मामले में भारतीयों ने एक बार फिर बाज़ी मारी है यानी इस क्रम को उन्होंने 2018 में भी बरकरार रखा है।
- पिछले तीन वर्षों में विदेश से भारत को भेजे गए धन में खासी बढ़ोतरी हुई है।
- 2016 में यह 62.7 अरब डॉलर था और 2017 में बढ़कर 65.3 अरब डॉलर हो गया।
- 'माइग्रेशन एंड रेमिटेंस' रिपोर्ट के अनुसार, प्रवासी भारतीयों ने 2018 में 80 अरब डॉलर देश में भेजे।
- 2017 में भारत की कुल GDP में रेमिटेंस का हिस्सा 2.7 प्रतिशत था
- इसके बाद चीन का नंबर है, जिसके नागरिकों ने 67 अरब डॉलर भेजे।
- इसके बाद 34 अरब डॉलर के साथ फिलिपींस तथा मेक्सिको और 26 अरब डॉलर के साथ मिस्र का स्थान रहा।

क्या है धन-प्रेषण? (What is Remittance?)

जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफर के ज़रिये पैसा भेजता है तो उसे Remittance (रेमिटेंस) कहते हैं भारत में रेमिटेंस के मामले में खाड़ी देशों में बसे भारतीयों का योगदान अधिक रहता है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों में काम करने वाले NRIs द्वारा भारत में अपने परिवारों को भेजा गया पैसा भी रेमिटेंस की श्रेणी में आता है।

भारत के पड़ोसी देशों- बांग्लादेश और पाकिस्तान में उनके प्रवासी नागरिकों द्वारा भेजे जाने वाले धन में क्रमश: 17.9 और 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

- विकसित देशों; खासकर अमेरिका में आर्थिक परिस्थितियों में मजबूती और तेल की कीमतों में वृद्धि का संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से निकासी पर सकारात्मक प्रभाव से धन प्रेषण में वृद्धि हुई। संयुक्त अरब अमीरात से निकासी में 2018 की पहली छमाही में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अर्थव्यवस्था के लिये लाभकारी (Good for Economy)

विभिन्न देशों के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करने का बेहद अहम ज़रिया होता है रेमिटेंस, खासकर भारत जैसे विकासोन्मुख देशों की अर्थव्यवस्था में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है इसके अलावा छोटे और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में रेमिटेंस की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। वहीं, कई ऐसे देश हैं जिनकी GDP में रेमिटेंस का हिस्सा अन्य क्षेत्रों से होने वाली आय से अधिक होता है

नोट :

प्रवासी भारतीय भेजते हैं धन (Remittances by Indians Settled Abroad)

देश की अर्थव्यवस्था में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का योगदान प्रवासी भारतीय (NRIs) बरसों से करते रहे हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और यही कारण है कि अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों की वज़ह से प्रवासी भारतीय अपने देश को रेमिटेंस भेजने के मामले में अन्य देशों के प्रवासियों से कहीं आगे हैं।

इन प्रवासी भारतीयों के महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार ने 2004 में प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय का गठन किया। इसके अलावा भारत सरकार प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी करती है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में आयोजित किया गया था इसके अलावा प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी दिये जाते हैं। इसी तरह इस वर्ष के प्रारंभ में नई दिल्ली में प्रथम प्रवासी भारतीय संसद का आयोजन भी किया गया था।

नई कृषि नीति में भारतीय चाय की उपेक्षा

चर्चा में क्यों ?

चाय उद्योग पिछले कुछ वर्षों से बढ़ती कीमतों के कारण दबाव का सामना कर रहा है। देश में चाय उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि के साथ-साथ इसके उपभोग में भी वद्धि हुई है, अत: इसका असर कीमतों पर पड़ा है। अत: यह क्षेत्र नई कृषि निर्यात नीति में कुछ राहत पाने की उम्मीद कर रहा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मुख्य रूप से बढ़ती मज़दूरी के कारण चाय बागान क्षेत्र की निश्चित लागत में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले तीन वर्षों में मूल्य प्राप्ति/अर्जन में केवल 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- चाय का निर्यात पिछले कुछ वर्षों में भी स्थिर रहा है। भारत ने वर्ष 2017 में 240 मिलियन किलोग्राम (mkg) चाय का निर्यात किया।
- भारत से वस्तु निर्यात योजना (Merchandise Exports From India Scheme) के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भारतीय चाय संघ (ITA) मौजूदा 5 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर लगभग 10 प्रतिशत की उच्च दर करने की मांग कर रहा है।

इंडियन टी एसोसिएशन (ITA)

1881 में स्थापित इंडियन टी एसोसिएशन (ITA) भारत में चाय उत्पादकों का प्रमुख और सबसे पुराना एसोसिएशन है।

ITA, प्लांटेशन एसोसिएशन की सलाहकार समिति (CCPA) के सचिवालय के रूप में कार्य करता है जो भारत में चाय उत्पादक संघों की शीर्ष निकाय है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नई कृषि निर्यात नीति को मंज़ूरी दी, जिसका लक्ष्य बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना और विभिन्न वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंधों को हटाकर 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना करना है।
- उपर्युक्त नीति उच्च मूल्य और मूल्य वर्द्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देकर देश से निर्यात किये जाने वाले मदों और गंतव्यों तक इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग करती है ताकि चीन, अमेरिका, ईरान और इराक में लक्षित बाज़ारों तक अपने निर्यात को बढ़ा सके।
- ऑर्गेनिक चाय, ग्रीन टी और परंपरागत रूप से प्रचलित चाय की आमतौर पर 'मूल्य वृद्धि' की जानी चाहिये।
- परंपरागत रूप से प्रचलित चाय के उत्पादन की लागत, CTC की तुलना से लगभग प्रति ₹ 20 किलो अधिक है।
- इस उद्योग से संबंधित अध्ययन के मुताबिक, उत्पादक पूंजीगत व्यय, राजस्व की अनुमानित हानि और मूल्य प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण CTC को परंपरागत रूप में प्रचलित चाय से परिवर्तित करने के इच्छुक नहीं हैं।

शेयर स्वैप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर (GSK Consumer) के साथ विलय की घोषणा की। इस सौदे को शेयर स्वैप (share swap) माना गया। इसके माध्यम से GSK कंज्यूमर के शेयरधारक एक निर्धारित तिथि तक HUL के 4.39 शेयरों से अपने प्रत्येक शेयर का आदान-प्रदान करने के योग्य होंगे।

नोट :

शेयर स्वैप (share swap) क्या है ?

- जब कोई कंपनी लक्षित कंपनी के शेयरधारकों को अपने शेयर जारी करके अधिग्रहण के लिये उनका भुगतान करती है, तो इसे शेयर स्वैप के रूप में जाना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो विलय या अधिग्रहण के सौदों द्वारा किसी कंपनी को खरीदने के लिये जब शेयरों को 'करेंसी' की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसे शेयर स्वैप कहते हैं।
- शेयर स्वैप में नकदी में भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। अगर शेयर स्वैप डील यानी शेयरों की अदला-बदली के ज़रिये एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है तो पहली कंपनी दूसरी कंपनी के शेयरधारकों को अपने कुछ शेयर देती है और ये शेयर दूसरी कंपनी के प्रत्येक शेयर के बदले में दिये जाते हैं।
- सौदा होने के बाद दूसरी कंपनी के शेयरों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, यानी इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
- लक्षित कंपनी में मौजूदा होल्डिंग्स के बदले शेयरों की संख्या जिसे स्वैप अनुपात कहा जाता है, को राजस्व और मुनाफे के साथ-साथ बाज़ार मूल्य जैसे मापकों देखने के बाद लक्षित कंपनी का मूल्यांकन किया जाता है।

शेयर स्वैप के लाभ

- चूँकि लक्षित कंपनी के शेयरधारक मर्ज की गई इकाई के शेयरधारक भी होंगे, विलय से पूर्व अपेक्षित तालमेल का जोखिम और लाभ दोनों पक्षों द्वारा साझा किया जाएगा।
- नकदी सौदे में यदि अधिग्रहणकर्त्ता ने प्रीमियम का भुगतान किया है और यह कोई भौतिक सहयोग नहीं है, तो ऐसे में केवल अधिग्रहण करने वाली कंपनी के शेयरधारकों की संख्या में गिरावट आती है।
- शेयर स्वैप में उधार लेने की लागत को बचाने हेतु अधिग्रहणकर्त्ता के लिये कोई नकद निकासी शामिल नहीं है लेकिन समृद्ध कंपनियाँ व्यवसाय में या अन्य खरीद के लिये निवेश के लिये अपनी नकदी का उपयोग कर सकती हैं।
- वहीं दूसरी ओर नए शेयर जारी करने से प्रमोटर होल्डिंग में कमी के साथ अधिग्रहणकर्त्ता/कंपनी के शेयरधारकों की कमाई में कमी आ सकती है। हालाँकि, अगर अगले कुछ वर्षों में विलय की संभावना हो तो अधिग्रहण करने वाली कंपनी कम करों के अधिरोपण का लाभ उठा सकती।
- यह लाभ तब और बढ़ जाता है जब अधिग्रहण मूल्य अधिग्रहीत कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य से अधिक हो।

रूफटॉप सोलर पैनल से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 30 सितंबर तक 1,538 मेगावाट के रूफटॉप सोलर पैनल रिकॉर्ड स्तर पर लगाए गए, जिससे इस श्रेणी में कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,399 मेगावाट हो गई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर क्षमता 15.3 GW तक पहुँचने की उम्मीद है और यह सरकार के 40 GW के लक्ष्य का लगभग 38 प्रतिशत है।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक अधिष्ठान क्षेत्र 70 फीसदी हिस्सेदारी के साथ बाज़ार पर हावी है, जबकि आवासीय क्षेत्र में केवल 9 प्रतिशत के मामूली अंतराल के साथ गिरावट आई है।
- अध्ययन में यह भी बताया गया है कि कुल पाँच राज्य - महाराष्ट्र (473 मेगावाट), तमिलनाडु (312 मेगावाट), कर्नाटक (272 मेगावाट), राजस्थान (270 मेगावाट) और उत्तर प्रदेश (223 मेगावाट) बाज़ार में कुल 54 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं।
- पूंजीगत व्यय (CAPEX) बाज़ार (जहाँ संपूर्ण छत, छत मालिकों के स्वामित्व में है) में केवल 18 प्रतिशत हिस्सेदारी (जो पिछले वर्ष 21 प्रतिशत थी) के साथ 10 प्रमुख कंपनियाँ कार्यरत हैं।
- इन दस कंपनियों में से स्थान एवं उनकी हिस्सेदारी के अनुसार शीर्ष तीन कंपनियाँ क्रमशः टाटा पावर (4.4 प्रतिशत), महिंद्रा (2 फीसदी) और सनस्योर (2 फीसदी) हैं।

नवीकरणीय क्षमता हेतु लक्ष्य

- भारत सरकार ने वर्ष 2022 के अंत तक 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है।
- इसमें पवन ऊर्जा से 60 GW, सौर ऊर्जा से 100 GW, बायोमास पावर से 10 GW और छोटे जलविद्युत से 5 GW ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य शामिल है।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्द्धन परिषद

चर्चा में क्यों?

चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (Department of Industrial Policy and Promotion -DIPP) के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्द्धन परिषद (National Medical Devices Promotion Council-NMDPC) का गठन करने की घोषणा की गई है।

चिकित्सा उपकरण उद्योग का महत्त्व

- चिकित्सा उपकरण उद्योग (Medical Devices Industry- MDI) स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश के सभी नागरिकों के लिये स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्त करने में अहम है। भारत में इस क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों का निर्माण तेज़ी से किया जा रहा है।

संरचना

- राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्द्धन परिषद का नेतृत्व औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के सचिव करेंगे।
- आंध्र प्रदेश का मेडटेक ज़ोन (MedTech Zone) परिषद को तकनीकी समर्थन प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्द्धन परिषद के कार्यों में शामिल होगा-

- भारत के चिकित्सा उपकरण उद्योग को प्रोत्साहन और विकास की सुविधा देना।
- समय-समय पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- एजेंसियों और संबंधित विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- चिकित्सा उपकरणों के लिये अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानकों के प्रति उद्योग को जागरूक बनाना।
- राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्द्धन से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में सरकार को सुझाव देना।

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग

- औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की स्थापना 1995 में हुई थी तथा औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ वर्ष 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया था।
- इससे पहले अक्तूबर 1999 में लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (Small Scale Industries & Agro and Rural Industries -SSI&A&RI) और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम (Heavy Industries and Public Enterprises- HI&PE) के लिये अलग-अलग मंत्रालयों की स्थापना की गई थी।

कार्य एवं भूमिका

- विकास की आवश्यकता और राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप औद्योगिक विकास के लिये औद्योगिक नीति और रणनीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन।
- सामान्य रूप से औद्योगिक विकास की निगरानी करना और विशेष रूप से सभी औद्योगिक एवं तकनीकी मामलों पर सलाह सहित निर्दिष्ट उद्योगों के प्रदर्शन की निगरानी।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment -FDI) नीति का निर्माण करना और FDI को स्वीकृति देना, प्रोत्साहन देना और FDI को सहज बनाना।

- उद्योग स्तर पर विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहन देना और इसके लिये नीतिगत मानक तैयार करना।
- पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक आदि के लिये हेतु बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत नीतियों का निर्माण।
- विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के तहत उद्योगों का प्रशासन।
- औद्योगिक साझेदारी के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक मसौदा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा सांख्यिकी आँकड़ों पर देश की सर्वोच्च सलाहकार संस्था की स्वायत्तता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission-NSC) विधेयक पर मसौदा तैयार किया है तथा इस पर लोगों से प्रतिक्रिया मांगी गई है।

मुख्य बिंदु:

- इस विधेयक के मसौदे में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को देश के सभी सांख्यिकी मामलों के लिये सर्वोच्च तथा स्वायत्त बनाने का प्रावधान किया गया है और इसकी संरचना में भी परिवर्तन का प्रावधान किया गया है।
- इस मसौदे के अंतर्गत NSC की सलाहकार संस्था की भूमिका को बनाए रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि नीतियों से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय सरकार करेगी।
- भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation- MoSPI) द्वारा 19 जनवरी, 2020 तक लोगों से इस मसौदे पर सुझाव एवं प्रतिक्रियाएँ मांगी गई हैं।
- ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा हाल की कई सांख्यिकी आधारित रिपोर्टें नहीं जारी की गईं जिनमें बेरोज़गारी सर्वेक्षण (Unemployment Survey) तथा उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Consumption Expenditure Survey) आदि शामिल थे।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग:

- जनवरी, 2000 में सरकार ने डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य देश की समस्त सांख्यिकी प्रणाली तथा सरकार के सांख्यिकी आँकड़ों की समीक्षा करना था।
- अगस्त, 2000 में डॉ. सी. रंगराजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सांख्यिकी के लिये एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात कही गई।
- इसका कार्य देश की सभी प्रमुख सांख्यिकी गतिविधियों की निगरानी, विकास तथा इनके लिये उत्तरदायी विभिन्न संस्थाओं के मध्य सहयोग स्थापित करना था।
- रंगराजन समिति का सुझाव था कि शुरुआत में इस आयोग का गठन सरकार के आदेश द्वारा हो।
- समिति की अनुशंसा पर 1 जून, 2005 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया।
- इसमें एक अध्यक्ष, चार सदस्य, एक पदेन सदस्य तथा भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् को NSC का सचिव बनाया गया।
  - वर्तमान में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer-CEO) NSC का पदेन सदस्य सदस्य (Ex-Officio Member) होता है।
  - सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् (Chief Statistician of India-CSI) कहा जाता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक मसौदे के प्रमुख बिंदु:

- NSC की संरचना में बदलाव करते हुए इसके पदेन सदस्य के तौर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्थान पर वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor) को नियुक्त किया जाएगा।
- इसके अलावा वर्तमान में मौजूद NSC के सचिव को पहले की तरह भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् ही कहा जाएगा।

- इसके तहत NSC में एक अध्यक्ष तथा पाँच पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) के डिप्टी गवर्नर, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् तथा पदेन सदस्य के तौर पर वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार इसमें शामिल होंगे।
- NSC के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति एक सर्च कमिटी की सलाह पर भारत सरकार द्वारा की जाएगी। सर्च कमिटी के किसी सदस्य की गैर मौजूदगी में हुई नियुक्ति को अमान्य नहीं माना जाएगा।
- भारत सरकार आवश्यकता पड़ने पर भारत की एकता और अखंडता, राज्यों की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, अनुशासन तथा नैतिकता आदि हितों को ध्यान में रखते हुए में NSC को दिशा-निर्देश दे सकती है।
- विधेयक के अनुसार, NSC अपनी शक्तियों के प्रयोग अथवा कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को मानने के लिये बाध्य होगा।
- सरकारी आँकड़ों से संबंधित किसी मामले पर भारत सरकार NSC से सलाह मांग सकती है।
- इसके अलावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली किसी सरकारी एजेंसी से NSC की सलाह को स्वीकार न करने के कारणों पर रिपोर्ट मांग सकती है।
- NSC की सलाह न मानने के कारणों पर बनाई गई रिपोर्ट संसद अथवा संबंधित राज्य की विधायिका में 30 दिनों के लिये प्रस्तुत की जाएगी।
- NSC को यह अधिकार होगा कि वह देश की किसी सरकारी संस्था की सांख्यिकी प्रणाली में निहित अवधारणा, परिभाषा, मानक, कार्य-पद्धति तथा नीतियों के संबंध में परामर्श दे।
- मसौदे में कहा गया है कि NSC सरकार से विचार-विमर्श के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (National Statistical Organisations- NSO) की कार्य-पद्धति, सांख्यिकी मानकों तथा वर्गीकरण के मामलों में भागीदारी करे।
- केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों में नियुक्त सभी नोडल अधिकारी सांख्यिकी के मूलभूत मामलों पर भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के प्रति उत्तरदायी होंगे।

राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018

संदर्भ

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (Department of Industrial Policy and Promotion-DIPP) ने राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 के परिणाम घोषित किये। यह अपने तरह की पहली रैंकिंग है। DIPP ने इसकी कार्यविधि जनवरी 2016 से शुरू कर दी थी।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य देश में उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है। योजना के तहत कर और पूंजीगत लाभ कर की छूट दी जा रही है।
- प्रमुख बिंदु
- स्टार्ट-अप नीति नेतृत्व, नवाचार, नवाचार प्रगति, संचार, पूर्वोत्तर नेतृत्व, पर्वतीय राज्य नेतृत्व इत्यादि विभिन्न श्रेणियों में राज्यों का आकलन किया गया।
- इन श्रेणियों में किये जाने वाले प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को शानदार प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन, मार्गदर्शक, आकांक्षी मार्गदर्शक, उभरते हुए राज्य और आरंभकर्त्ता के रूप में पहचान की गई है –
  - शानदार प्रदर्शन - गुजरात
  - बेहतरीन प्रदर्शन - कर्नाटक, केरल, ओडिशा और राजस्थान
  - मार्गदर्शक - आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना
  - आकांक्षी मार्गदर्शक - हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल
  - उभरते हुए राज्य - असम, दिल्ली, गोवा, जम्मू & कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड
  - आरंभकर्त्ता - चंडीगढ़, मणिपुर, मिज़ोरम, नगालैंड, पुदुच्चेरी, सिक्किम और त्रिपुरा

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 51 अधिकारियों को 'चैंपियन' के रूप में चुना गया, जिन्होंने अपने राज्यों की स्टार्ट-अप इको प्रणाली के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- इस पूरी प्रक्रिया में 27 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया।
- मूल्यांकन समिति में स्टार्ट-अप इको प्रणाली से संबंधित स्वतंत्र विशेषज्ञों को रखा गया था, जिन्होंने विभिन्न मानकों के आधार पर सभी राज्यों का मूल्यांकन किया।
- रोजगार सृजन के लिए स्टार्ट-अप देश में बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि ये नए विचारों से लैस होते हैं और ये देश की सामाजिक, कृषि और सेवा क्षेत्र की समस्याएँ हल करने में सक्षम होते हैं।

बोगीबील सड़क-रेल पुल

संदर्भ

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे सड़क और रेल पुल का उद्घाटन किया है। गौरतलब है कि यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- बोगीबील असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा सड़क और रेल पुल है।
- इस पुल में सबसे ऊपर तीन लेन वाली एक सड़क है, जबकि उसके ठीक नीचे दोहरी रेल लाइन है। यह पुल ब्रह्मपुत्र के जलस्तर से 32 मीटर की ऊँचाई पर है।
- बोगीबील सड़क-रेल पुल का निर्माण 2002 में शुरू हुआ था। इस पुल को स्वीडन और डेनमार्क को जोड़ने वाले पुल की तर्ज़ पर बनाया गया है।

पुल की महत्ता

- **क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा**
  - यह पुल असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर तक की यात्रा को काफी कम कर देगा। यह पर्यटकों, व्यापार और चिकित्सा के लिये लाभकारी साबित होगा।
- **रक्षा क्षेत्र को सहयोग**
  - इस ब्रिज का सबसे बड़ा फायदा तो चीन सीमा पर तैनात हमारी सेना को होगा।
  - यह पुल अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सशस्त्र बलों हेतु रसद की आपूर्ति में सहायता प्रदान करेगा।
  - इस पुल को इतना मज़बूत बनाया गया है कि इससे सेना के टैंक भी निकल सकेंगे और हवाई मार्ग पर होने वाला खर्च बचेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय संबंधो का सुदृढ़ीकरण**
  - यह पुल अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के साथ-साथ इंट्रा-नॉर्थ-ईस्ट कनेक्टिविटी और ट्रांसनेशनल लिंकेज के साथ अन्य क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व अवसर खोलगा।

करेंसी बैन के बाद नेपाल ने खर्च सीमा भी निर्धारित की

चर्चा में क्यों ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारत में अपने नागरिकों द्वारा खर्च की जाने वाली भारतीय मुद्रा की मात्रा सीमित कर दी है। अब नेपाल का कोई भी नागरिक भारत में प्रतिमाह एक लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा। भारत में वस्तुओं और सेवाओं के लिये भुगतान करते समय भी यह सीमा लागू होगी। नेपाल ने यह निर्णय अपने चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) को कम करने के लिये लिया है। लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्रियों के अनुसार, नेपाल ने यह अभूतपूर्व कदम भारतीय मुद्रा के साथ हाल के कटु अनुभवों के बाद उठाया है, जिसमें विमुद्रीकरण की प्रक्रिया भी शामिल थी।

- व्यक्तिगत खर्च को सीमित करने का निर्णय नेपाल द्वारा 100 रुपए से अधिक मूल्य वर्ग वाली भारतीय करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के दो सप्ताह बाद आया है।
- नेपाली बैंकों के प्रीपेड, क्रेडिट और डेबिट कार्डों पर यह सीमा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
- भारत में अस्पतालों में इलाज और दवाओं पर आने वाले खर्च को इस सीमा से मुक्त रखा गया है।

विमुद्रीकरण से नेपाल भी हुआ था प्रभावित

- भारत के विमुद्रीकरण से नेपाल भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था और इसे लेकर वहाँ एक नकारात्मक भावना उत्पन्न हुई है।
- इसके मद्देनज़र अपनी मुद्रा पर ज़ोर देते हुए नेपाल ने भविष्य में किसी भी ऐसे भारतीय कदम के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने के लिये ऐसा किया है।
- नेपाल द्वारा भारत से कोई सलाह-मशविरा किये बिना ऐसा करने से देशवासियों के बीच यह संदेश गया है कि वह अपनी मुद्रा को नियंत्रित करने में स्वयं सक्षम है।

नेपाल लगा चुका है भारत की नई करेंसी पर बैन

- इसी महीने में नेपाल ने अपने यहाँ भारत की नई (विमुद्रीकरण के बाद जारी हुई) करेंसी के चलन पर रोक लगा दी। नेपाल सरकार ने 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के लेन-देन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी।
- नेपाल सरकार ने लोगों से कहा है कि वे 100 रुपए से अधिक मूल्य यानी 200, 500 और 2000 रुपए के नोटों को न रखें।
- केवल 100 रुपए के भारतीय नोट को ही नेपाल में कारोबार एवं अन्य चीजों के लिये स्वीकार किया जाएगा।
- इससे पहले भारत में जारी हुए 200, 500 और 2000 रुपए के भारतीय नोटों को नेपाल सरकार ने मान्यता तो नहीं दी थी, लेकिन इसे गैर-कानूनी भी घोषित नहीं किया था।
- अब भारतीयों को नेपाल में 100-50 या अन्य छोटे नोट ले जाने होंगे या बॉर्डर पर ही नए भारतीय नोटों को नेपाल की करेंसी से बदलना होगा।
- नेपाल में भारतीय नोटों को आसानी से स्वीकार किया जाता है। नेपाली नागरिक भी अपनी बचत, लेन-देन और कारोबार के लिये भारतीय मुद्रा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं।

क्या है नेपाल राष्ट्र बैंक का कहना?

नेपाल ने अपने यहाँ आर्थिक अपराधों और हवाला कारोबार पर रोक लगाने का उल्लेख करते हुए यह कार्रवाई की है।

- नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार, जब तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नई अधिसूचना जारी नहीं करता, नए भारतीय नोट एक्सचेंज नहीं किये जा सकते।
- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ नेपाल राष्ट्र बैंक के वर्तमान समझौते के अनुसार, कोई नेपाली नागरिक 25 हज़ार रुपए तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों में रख सकता है।
- नेपाल में बड़े पैमाने पर भारतीय करेंसी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में नेपाल के लोगों को 500 व 1000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने में अब भी परेशानी हो रही है।
- नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारतीय करेंसी के पुराने नोटों को एक्सचेंज करने के लिये दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स बनाई है।

विमुद्रीकरण का क्या हुआ था असर और खर्च की सीमाबंदी का क्या होगा असर?

- भारत सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था। उसके बाद 2000, 500 और 200 रुपए के नए नोट जारी किये गए।
- नोटबंदी से नेपाल और भूटान भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए थे क्योंकि वहाँ भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल आम है।
- पुरानी भारतीय करेंसी को बदलने की समस्या से नेपाल आज भी जूझ रहा है। पहले नेपाल में 500 और 1000 रूपए की भारतीय करेंसी की अच्छी-खासी संख्या थी। नेपाल में लोगों को पुरानी भारतीय करेंसी बदलने का पर्याप्त मौका नहीं मिला।
- नेपाली नागरिकों के खर्च को सीमित करने की वज़ह से भारत में नेपाली उपभोक्ताओं और पर्यटकों के के पास खर्च करने के विकल्प सीमित हो जाएंगे।

- इस वज़ह से भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रों में होने वाला व्यापार भी प्रभावित होगा, जहाँ नेपाली व्यापारी आमतौर पर भारतीय करेंसी में भुगतान करते हैं।
- अब भारतीयों को नेपाल में 100-50 रुपए या अन्य छोटे नोट ले जाने होंगे या सीमा पर ही नए भारतीय नोटों को नेपाल की करेंसी से बदलना होगा।
- नेपाल में भारतीय नोटों को आसानी से स्वीकार किया जाता है। नेपाली नागरिक भी अपनी बचत, लेन-देन और कारोबार के लिये भारतीय मुद्रा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं।

पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012 में संशोधन की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराध संबंधी दंड को अधिक कठोर बनाने हेतु बाल यौन अपराध संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences-POCSO) अधिनियम, 2012 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी।

पॉक्सो क्या है?

- पॉक्सो, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act – POCSO) का संक्षिप्त नाम है।
- संभवत: मानसिक आयु के आधार पर इस अधिनियम का वयस्क पीड़ितों तक विस्तार करने के लिये उनकी मानसिक क्षमता के निर्धारण की आवश्यकता होगी।
- इसके लिये सांविधिक प्रावधानों और नियमों की भी आवश्यकता होगी, जिन्हें विधायिका अकेले ही लागू करने में सक्षम है।
- पॉक्सो अधिनियम, 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिये लागू किया गया था।
- यह अधिनियम बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिये हर चरण को ज्यादा महत्त्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों और कल्याण का सम्मान करता है। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव (gender discrimination) नहीं है।

संशोधन

- पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा- 4, धारा- 5, धारा- 6, धारा- 9, धारा- 14, धारा- 15 और धारा- 42 में संशोधन बाल यौन अपराध के पहलुओं से उचित तरीके से निपटने के लिये किया गया है।
- ये संशोधन देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती हुई प्रवृति को रोकने के लिये कठोर उपाय करने की ज़रूरत के कारण किये जा रहे हैं।
- बाल यौन अपराध (child sexual abuse) की प्रवृति को रोकने इस अधिनियम की धारा- 4, धारा- 5और धारा- 6 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि बच्चों के साथ होने वाले आक्रामक यौन अपराधों के मामले में मृत्युदंड सहित कठोर दंड का विकल्प प्रदान किया जा सके।
- प्राकृतिक संकटों और आपदाओं के समय बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण और आक्रामक यौन अपराध के उद्देश्य से बच्चों की जल्द यौन परिपक्वता (sexual maturity) के लिये बच्चों को किसी भी तरीके से हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ खिलाने के मामले में इस अधिनियम की धारा- 9 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
- बाल पोर्नोग्राफी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा- 14 और धारा- 15 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।
- बच्चों की पोर्नोग्राफिक सामग्री (pornographic material) को नष्ट न करने/डिलिट न करने/ रिपोर्ट न करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की सामग्री का प्रसारण/प्रचार/किसी अन्य तरीके से प्रबंधन करने के मामले में जेल या जुर्माना या दोनों सजाएँ देने का प्रस्ताव किया गया है।

नोट :

- न्यायालय द्वारा यथा निर्धारित आदेश के अनुसार ऐसी सामग्री को न्यायालय में सबूत के रूप में उपयोग करने के लिये रिपोर्टिंग की जा सकेगी।
- व्यापारिक उद्देश्य से बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण किसी भी रूप में करने पर दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है।

निष्कर्ष

पॉक्सो अधिनियम, 2012 में प्रस्तावित संशोधन बाल यौन अपराध की बढ़ती प्रवृति को रोकने में सहायता कर सकते हैं। हालाँकि, यौन अपराधों के लिये कठोर से कठोर दंड के प्रावधान मौजूद होने के बाद भी तेज़ी से बढ़ते इन अपराधों पर लगाम लगाने में असफल ही रहे हैं। बच्चों की पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट न करने/भंडारण करने/अपने पास रखने जैसे अपराधों के लिये दंड का प्रावधान निश्चित ही कारगर साबित हो सकता है। इस संशोधन का उद्देश्य यौन अपराध के विभिन्न पहलुओं और दंड के संबंध में स्पष्टता स्थापित करना है।

केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (CPSEs) को शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने की मंज़ूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने 7 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों को IPO/FPO के माध्यम से शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने के लिये अपनी मंज़ूरी दे दी है।

समिति ने जिन उद्यमों का शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने के लिये मंज़ूरी दी है वे हैं-

1. टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड [Telecommunication Consultants (India) Ltd-TCIL]-IPO
2. रेलटेल कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (RailTel Corporation India Ltd.) – IPO
3. नेशनल सीड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (National Seed Corporation India Ltd.-NSC) – IPO
4. टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (Tehri Hydro Development Corporation Limited-THDC) – IPO
5. वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड [Water & Power Consultancy Services (India) Limited- WAPCOS Ltd.]– IPO
6. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनिरल्स (इंडिया) लिमिटेड [FCI Aravali Gypsum and Minerals (India) Limited-FAGMIL] -IPO
7. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (Kudremukh Iron Ore Company Limited-KIOCL) – FPO

लाभ

शेयर बाज़ार की सूची में इन केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के शामिल होने से इनका मूल्य बढ़ेगा और इनमें निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

अन्य फैसले

- सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (भविष्य में सूचीबद्ध किये जाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों सहित) की सीमा, निवेश के तरीके, मूल्य निर्धारण, समय आदि के बारे में निर्णय लेने के लिये वित्त मंत्री, सड़क परिवहन एवं नौवहन मंत्री और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री को शामिल करते हुए एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में अधिकृत किया गया है।
- केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों को सूची में शामिल करने के लिये पात्रता शर्तों का दायरा बढ़ाया गया है।
- सकारात्मक सकल संपदा (net asset) और पिछले किसी तीन वित्त वर्षों में सकल मुनाफा अर्जित करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम शेयर बाज़ार की सूची में शामिल होने के लिये पात्र होगा।

नोट :

आर्थिक पूंजी के ढाँचे पर बिमल जालान समिति

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आरक्षित कोष के उचित आकार के बारे में सुझाव देने के लिये पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह समिति इस बारे में सुझाव देगी कि केंद्रीय बैंक के आरक्षित कोष का आकार क्या होना चाहिये, उसे सरकार को कितना लाभांश देना चाहिये।
- यह विशेषज्ञ समिति रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न प्रावधानों, आरक्षित कोष और बफर की ज़रूरत और उसके उचित होने के बारे में स्थिति की समीक्षा करेगी। समिति अपनी पहली बैठक के 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट दाखिल करेगी।
- इसके अलावा समिति वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ वैश्विक व्यवहार की भी समीक्षा करेगी।
- समिति एक उचित लाभ वितरण नीति (Profit Distribution Policy) के बारे में भी प्रस्ताव देगी। इसमें रिजर्व बैंक के समक्ष आने वाली सभी स्थितियों पर गौर किया जाएगा। मसलन ज़रूरत से अधिक प्रावधान रखने की स्थिति।
- केंद्रीय बैंक ने समिति से यह भी सुझाव देने को कहा है कि रिजर्व बैंक के जोखिम के प्रावधान का उचित स्तर क्या होना चाहिये।

समिति के सदस्य

1. RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान (चेयरमैन)
2. RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन (डिप्टी चेयरमैन)
3. आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग (सदस्य)
4. RBI के डिप्टी गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन (सदस्य)
5. RBI बोर्ड के सदस्य भारत दोशी (सदस्य)
6. RBI बोर्ड के सदस्य सुधीर मांकड़ (सदस्य)

पृष्ठभूमि

- रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल तथा सरकार के बीच केंद्रीय बैंक के पास पड़े अतिरिक्त कोष को लेकर मतभेद थे। सरकार ने RBI से अतिरिक्त पूंजी देने के लिये कहा था।
- सरकार का कहना है कि घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने, कमजोर बैंकों में पूंजी डालने और उधार देने तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये इस पूंजी का इतेमाल किया जाएगा।
- RBI के भंडार के दो घटक हैं:
  - 2.5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिकता निधि।
  - 6.91 लाख करोड़ रुपए की एक करेंसी तथा गोल्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व।
- कोर रिज़र्व आकस्मिकता निधि कुल संपत्ति का लगभग 7% है और इसका बाकी हिस्सा बड़े पैमाने पर पुनर्मूल्यांकन भंडार में है, जिसमें मुद्रा और सोने के मूल्य में संबंधित परिवर्तनों के साथ उतार-चढ़ाव होता है।
- रिजर्व बैंक के पास पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी 9.6 लाख करोड़ रुपए की पूंजी दिखाई गई है।
- वित्त मंत्रालय का विचार है कि रिजर्व बैंक अपनी कुल संपत्ति के 28 प्रतिशत के बराबर बफर पूंजी रखे हुए है जो वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा रखे जाने वाली आरक्षित पूंजी की तुलना में बहुत ऊंचा है। इस बारे में वैश्विक नियम 14 प्रतिशत का है।
- रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 19 नवंबर की बैठक में इस बारे में सुझाव देने के लिये विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला किया था।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-रूस-चीन की दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता

चर्चा में क्यों

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग के संदर्भ में विचार-विमर्श करने हेतु ब्यूनस आयर्स त्रिपक्षीय वार्ता की। गौरतलब है कि भारत-रूस-चीन के मध्य यह दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता करीब 12 साल बाद हो रही है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत-रूस-चीन तीनों के शीर्ष नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और आपसी बातचीत को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर दिया।
- तीनों शीर्ष नेता बहुपक्षीय संस्थानों जैसे- विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र और नव-स्थापित वित्तीय संस्थानों में सुधार तथा सुदृढ़ीकरण के महत्त्व पर सहमत थे। ध्यातव्य है कि ऐसे सस्थानों ने वैश्विक शांति तथा प्रगति में महत्त्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है।
- इस वार्ता में वैश्विक विकास और समृद्धि के लिये एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली तथा दुनिया की खुली अर्थव्यवस्था के लाभों को रेखांकित किया गया।
- इस वार्ता में तीनों शीर्ष नेता BRICS, SCO और EAS तंत्र के माध्यम से सहयोग को मजबूत करने, आतंकवाद तथा जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने, संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने, सभी मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने जैसे सभी मामलों पर नियमित रूप से परामर्श आपसी पर भी सहमत हुए।
- नरेंद्र मोदी, चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, बहुपक्षीयता और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मज़बूत बनाने, देशों पर अवैध प्रतिबंध लगाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की।
- इसके अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सहयोग, SCO (Shanghai Cooperation Organisation), ARF (ASEAN Regional Forum), ADMS-Plus (ASEAN Defence Ministers' Meeting, The ADMM-Plus यानी ASEAN के 10 मेम्बर स्टेट और 8 देश), ASEM (Asia-Europe Meeting) जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की।
- गौरतलब है कि भारत-रूस-चीन अपने शीर्ष स्तर के नेताओं के मध्य होने वाली बैठकों को 12 साल बाद फिर से शुरू कर रहे हैं। भारत-रूस-चीन को सूक्ष्म रूप में RIC से भी प्रदर्शित किया जाता है।

अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको द्वारा नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

हस्ताक्षर किये जाने की पूर्व संध्या तक सौदे के अंतिम विवरण को लेकर जारी अस्थिरता के बाद हाल ही में मेक्सिको, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं ने उत्तरी अमेरिकी व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- डेढ़ वर्ष तक चली गंभीर वार्ता के बाद 30 सितंबर को तीनों देशों के नेताओं ने उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (NAFTA) को प्रतिस्थापित करने के सिद्धांत के अनुरूप एक सौदे पर सहमति व्यक्त की थी, जो कि 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के पारस्परिक व्यापार को नियंत्रित करता है।

- तीनों पक्षों के मध्य सौदे के बेहतर क्रियान्वयन हेतु इसकी बारीकियों और शब्दावली को लेकर काफी दिनों से आपस में नोंक-झोंक चल रही थी और ब्यूनस आयर्स में जी-20 शिखर सम्मेलन के शुरू होने से कुछ घंटे पहले तक तीनों पक्ष इस पर सहमत नहीं थे जब तक कि अधिकारियों ने बैठकर इसे हस्ताक्षरित नहीं कर दिया।
- तीनों देशों के नीति नियामकों द्वारा अभी भी इस समझौते को मंज़ूरी दिया जाना बाकी है। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (NAFTA) के स्थान पर लागू होने के बाद आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) के रूप में जाना जाएगा।
- कनाडाई प्रधानमंत्री द्वारा इस समझौते को 'नए NAFTA' के रूप में संदर्भित किया गया। इस पर हस्ताक्षर करने से पहले, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि दोनों देशों को इस्पात और एल्यूमीनियम शुल्क को खत्म करने के लिये मिलकर प्रयास करना चाहिये।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान NAFTA को फिर से बदलने की कसम खाई थी। उन्होंने कई बार वार्ता के दौरान इस समझौते को फाड़ने और अमेरिका द्वारा पूरी तरह से इस समझौते से अलग होने की धमकी दी, जिससे तीनों पड़ोसियों के बीच व्यापार अवरुद्ध हो जाता।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको को 24 वर्षीय समझौते पर पुनर्विचार करने के लिये मजबूर कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि मौजूदा समझौते ने अमेरिकी कंपनियों को कम मज़दूरी वाले मेक्सिको में नौकरियाँ स्थानांतरित करने के लिये प्रोत्साहित किया था।
- डेयरी उत्पादों के लिये कनाडा के संरक्षित आंतरिक बाज़ार के संबंध में अमेरिकी आपत्तियाँ वार्ता के दौरान वार्ताकारों के समक्ष एक बड़ी चुनौती थीं और डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार रियायतों की मांग की तथा कनाडा पर अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया।

अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौता (USMCA)

- यह मूलत: नाफ्टा का दूसरा संस्करण है। इसके अंतर्गत कारों, श्रम संबंधी नीतियों, पर्यावरण मानकों, बौद्धिक संपदा, सुरक्षा व कुछ डिजिटल व्यापार प्रावधानों पर किये गए बड़े परिवर्तन शामिल हैं।
- इस समझौते के तहत 500 मिलियन निवासियों का क्षेत्र समाहित होगा और एक वर्ष में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होगा।
- इस समझौते के तहत कनाडा अब अपने डेयरी बाज़ार को अमेरिकी उत्पादकों के लिये खोल देगा और बदले में अमेरिका ने विवाद निपटान प्रावधानों को अपरिवर्तित छोड़ दिया।
- इसके अलावा, यह व्यापार नियमों के 'हेरफेर' को रोकने के लिये मुद्रा मूल्य को शामिल करने सहित प्रावधानों को जोड़ता है और शुल्क मुक्त बाज़ार का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे बाहरी देशों पर नियंत्रण करता है।

क्या है NAFTA?

- उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (North American Free Trade Agreement-NAFTA) एक व्यापक व्यापार समझौता है जो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच व्यापार तथा निवेश के नियम निर्धारित करता है।
- चूँकि यह समझौता 1 जनवरी, 1994 से लागू हुआ था, इसलिये नाफ्टा ने तीनों देशों के बीच मुक्त व्यापार और निवेश के लिये अधिकतर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को व्यवस्थित रूप से हटा दिया।
- इस समझौते के कारण इन तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया। ट्रेडमार्क, पेटेंट और करेंसी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार संबंधी काफी सुगम नियम बनाए गए।

G20 समूह

प्रस्तावना

ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी या G20, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय (economic and financial) एजेंडा के सबसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु प्रमुख मंच है। यह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। G20 के सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र (United Nation), IMF और विश्व बैंक भी भाग लेते हैं।

G20 समूह में शामिल अर्थव्यवस्थाएँ

G20 समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत, वैश्विक निवेश का 80% तथा पूरे विश्व की जनसंख्या के दो-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

G20 समूह के उद्देश्य

- वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत् आर्थिक संवृद्धि हासिल करने हेतु सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना।
- वित्तीय विनियमन (Financial Regulations) को बढ़ावा देना जो कि जोखिम (Risk) को कम करते हैं तथा भावी वित्तीय संकट (Financial Crisis) को रोकते हैं।
- एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आर्किटेक्चर बनाना।

G20 समूह की उत्पति और विकास

- 1997 में आए बड़े वित्तीय संकट के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिये।
- G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों-अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्राँस और इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में की गई थी।
- संयुक्त राष्ट्र (United Nation), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) तथा विश्व बैंक (World Bank) के स्टाफ स्थायी होते हैं और इनके हेड क्वार्टर भी होते हैं, जबकि G20 का न तो स्थायी स्टाफ होता है और न ही हेड क्वार्टर, यह एक फोरम मात्र है।
- G20 समूह के सहभागी संस्थान

G20 शिखर सम्मेलन 2018

- G20 का 13वाँ शिखर सम्मेलन 30 नवंबर से 1 दिसंबर, 2018 तक अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया।
- यह शिखर सम्मेलन कई मायनों में काफी खास था। इस सम्मेलन के दौरान समूह के नेताओं ने 10 साल पहले अस्तित्व में आए G20 के कार्यों की समीक्षा करने के साथ-साथ आने वाले दशक की नई चुनौतियों से निपटने के तरीके और समाधान पर भी चर्चा की।
- इस सम्मेलन में भारत ने भगौड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिये 9 सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया तथा कई अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय बैठकें भी कीं।
- ब्यूनस आयर्स में आयोजित इस सम्मेलन की थीम 'BUILDING CONSENSUS FOR FAIR AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT' थी।
- इस सम्मेलन के दौरान भ्रष्टाचार से मुक्ति, महिला सशक्तीकरण, वित्तीय शासन का सुदृढ़ीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था, श्रम बाज़ारों का भविष्य और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी थी।
- इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को लेकर उचित कार्रवाई, व्यापार एवं निवेश पर सहयोग, वैश्विक कर प्रणाली में निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जानी थी।
- इस सम्मेलन का मुख्य ध्यान 'फ्यूचर ऑफ वर्क (The future of work), विकास हेतु अवसंरचना और सतत् खाद्य सुरक्षा' पर था।

चीन-अमेरिका ट्रेड वार पर विराम

चर्चा में क्यों

हाल ही में एक बैठक के दौरान चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका किसी डील में अतिरिक्त टैरिफ पर रोक लगाने पर सहमत हुए हैं जो उनके बीच चल रहे व्यापार युद्ध को रोकने में मदद करेगा। यह रोक 90 दिनों के अंतराल के लिये लगाई गई है। इस दौरान दोनों देश नए सिरे से वार्ता के माध्यम से अपने मतभेदों को दूर करने की कोशिश करेंगे।

नोट :

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अर्जेंटीना में वार्ता के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि वह 200 अरब डॉलर के चीनी सामान पर 1 जनवरी से टैरिफ में 25% की बढ़ोतरी नहीं करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले चीनी सामानों पर 1 जनवरी को भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी।
- इसके बदले चीन, अमेरिका से कृषि, ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य उत्पादों की एक अनिर्दिष्ट (unspecified) लेकिन पर्याप्त मात्रा में सामान खरीदने के लिये तैयार है।
- यकीनन यह समझौता दोनों देशों के बीच चल रहे आर्थिक टकराव को बढ़ने से रोकने में प्रभावी ढंग से मदद करेगा।
- तथ्यों से यह कई बार सिद्ध हो चुका है कि चीन और अमेरिका दोनों देशों का हित इनके बीच मेल-जोल में निहित है, टकराव में नहीं।

नई व्यापार वार्ता

- दोनों पक्ष तकनीकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा, गैर-टैरिफ बाधाओं और कृषि सहित तमाम मुद्दों को हल करने के लिये नई व्यापार वार्ता की शुरुआत करेंगे।
- दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि यदि 90 दिनों के अंदर वार्ता द्वारा कोई समाधान नहीं निकलता है तो 10% के टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा।
- चीन की राज्य संचालित मीडिया ने दोनों नेताओं की महत्त्वपूर्ण आम सहमति की सराहना की। किंतु 90 दिनों की समय-सीमा का जिक्र नहीं किया।
- दोनों पक्षों द्वारा आम सहमति के पश्चात् मुश्किल काम है वार्ता में शामिल होकर किसी परिणाम पर पहुँचना है। दोनों पक्षों को अविलंब इस अवसर को भुनाने का पूरा प्रयास करना होगा।
- अमेरिका द्वारा चीन पर थोपे गए टैरिफ की भरपाई अमेरिकी कंपनियाँ और ग्राहक ज़्यादा कीमत देकर कर रहे हैं। इसके साथ ही कई कंपनियों ने आयातित सामानों की कीमतें भी बढ़ा दी हैं।

Qualcomm-NXP सौदा

- स्मार्टफोन का चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Qualcomm Inc को अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के कारण चीनी विनियामक से अनुमोदन स्वीकृत न हो पाने की वजह से 44 बिलियन डॉलर के सौदे से पीछे हटना पड़ा। इस कंपनी को अमेरिका-चीन व्यापार विवाद का शिकार होना पड़ा।

चीन पर टैरिफ और भारत

- भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) के अनुसार, यदि अमेरिका चीन पर अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क लगाता है तो कुछ भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो सकते हैं।
- उद्योग मंडल के एक विश्लेषण के अनुसार, भारत को अमेरिकी बाज़ार में मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, वाहन, ट्रांसपोर्ट कलपुर्जे, रसायन, प्लास्टिक और रबड़ उत्पादों पर ध्यान देना चाहिये।
- चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को गति मिलेगी, नई नौकरियों का सृजन होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी।
- निर्यात को बढ़ावा देने हेतु भारत द्वारा शुरू की गई 'Export promotion capital goods schemes (EPCGS)' को भी गति मिलेगी।

ओपेक (OPEC) से अलग होगा क़तर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क़तर ने तेल निर्यातक देशों के संगठन (Organization of Petrolium Exporting Countries- OPEC) अर्थात् ओपेक से जनवरी 2019 में अलग होने की घोषणा की है।

OPEC से कतर के अलग होने का कारण

- OPEC से अलग होने का कारण सऊदी अरब द्वारा क़तर पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप भी हो सकता है लेकिन क़तर इस आरोप को बेबुनियाद बताता रहा है।
- क़तर का कहना है की वह OPEC से इसलिये अलग हो रहा है क्योंकि वह प्राकृतिक गैस उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।
- कुछ विश्लेषकों ने OPEC से कतर के अलग होने के फैसले को सऊदी अरब के विरोध में राजनीतिक निर्णय माना है।

क़तर के इस फैसले का OPEC पर असर

- संभवत: OPEC से कतर के अलग होने के फैसले का तेल की कीमत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह तेल का अपेक्षाकृत छोटा उत्पादक है।
- OPEC में तेल उत्पादन में कतर का 11वाँ स्थान है, अत: कहा जा सकता है कि OPEC में क़तर तेल के सबसे छोटे उत्पादकों में से एक है, तेल के सामूहिक उत्पादन में क़तर का योगदान 2% से भी कम है।

भारत-क़तर संबंध

- अभी तक क़तर भारत के लिये एक OPEC सहयोगी देश ही रहा है। आने वाले समय में भारत और क़तर के बीच संबंधों में बदलाव आ सकता है क्योंकि क़तर विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक है। प्राकृतिक गैस के कुल वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 30% है।
- जिस तरह से भारत में द्रवित प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ रहा है उसकी आपूर्ति के लिये भारत और क़तर के बीच बेहतर व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं।
- इसके अलावा यदि भविष्य में OPEC तेल उत्पादन और निर्यात में कटौती करने का फैसला लेता है तो भारत स्वतंत्र रूप से तेल आयात के लिये क़तर की ओर रुख कर सकता है।
- लेकिन सऊदी अरब के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। ऐसे में भारत के लिये आवश्यक है कि वह सोच-समझ कर कदम उठाए।

OPEC के बारे में

- OPEC एक स्थायी, अंतर सरकारी संगठन है, जिसका गठन 10-14 सितंबर, 1960 को आयोजित बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला ने किया था।
- इन पाँच संस्थापक सदस्यों के बाद इसमें कुछ अन्य सदस्यों को इसमें शामिल किया गया, ये देश हैं-
- क़तर (1961), इंडोनेशिया (1962), लीबिया (1962), संयुक्त अरब अमीरात (1967), अल्जीरिया (1969), नाइजीरिया (1971), इक्वाडोर (1973), अंगोला (2007), गैबन (1975), इक्वेटोरियल गिनी (2017) और कांगो (2018)
- इक्वाडोर ने दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी, लेकिन अक्तूबर 2007 में वह पुन: OPEC में शामिल हो गया।
- इंडोनेशिया ने जनवरी 2009 में अपनी सदस्यता त्याग दी। जनवरी 2016 में यह फिर से इसमें सक्रिय रूप से शामिल हुआ, लेकिन 30 नवंबर, 2016 को OPEC सम्मेलन की 171वीं बैठक में एक बार फिर से इसने अपनी सदस्यता स्थगित करने का फैसला किया।
- गैबन ने जनवरी 1995 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी। हालाँकि, जुलाई 2016 में वह फिर से संगठन में शामिल हो गया।
- अत: वर्तमान में इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या 15 है तथा क़तर के अलग होने के बाद सदस्य देशों की संख्या 14 रह जाएगी।
- OPEC के अस्तित्व में आने के बाद शुरुआत में पाँच वर्षों तक इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में था। 1 सितंबर, 1965 को इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थानांतरित कर दिया गया था।

नोट :

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मुद्रा विनिमय समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिये भारत-संयुक्त अरब अमीरात की बैठक (India-UAE Joint Commission Meeting for Economic and Technical Cooperation) के दौरान भारत ने UAE के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये जिसमें मुद्रा विनिमय समझौता (Currency Swap Deal) भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिये भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक का यह 12वाँ सत्र है।
- इस बैठक के दौरान भारत और UAE के बीच व्यापार, सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई।
- इस बैठक के दौरान भारत और UAE के बीच हुए दूसरे समझौते से ये दोनों देश अफ्रीका में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह और आधुनिक UAE के संस्थापक शेख जायेद की जयंती के शताब्दी समारोह के अवसर पर अबू धाबी में गांधी-ज़ायेद डिजिटल संग्रहालय का भी निर्माण किया गया है।

मुद्रा विनिमय समझौता क्या है?

- मुद्रा विनिमय समझौता दो देशों के बीच ऐसा समझौता है जो संबंधित देशों को अपनी मुद्रा में व्यापार करने और आयात-निर्यात के लिये अमेरिकी डॉलर जैसी किसी तीसरी मुद्रा को बीच में लाए बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर भुगतान करने की अनुमति देता है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार

- लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ, दोनों देश एक-दूसरे के लिये सबसे बड़े व्यापार भागीदार हैं।
- संयुक्त अरब अमीरात भारत में होने वाले तेल आयात का छठा सबसे बड़ा स्रोत है।
- वर्ष 2017 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 6.6 बिलियन डॉलर का था जबकि भारत में UAE का प्रत्यक्ष निवेश 5.8 बिलियन डॉलर का था।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं। वर्ष 2018 की शुरुआत में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (Abu Dhabi National Oil Company- ADNOC) तथा भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम (Oil and Natural Gas Corporation- ONGC) ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते से भारतीय कंपनियों को अबू धाबी के अपतटीय तेल क्षेत्र जो कि प्रतिदिन लगभग 1.4 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है, को विकसित करने का अवसर मिला।
- इसके अलावा ADNOC सऊदी अरामको (Saudi Aramco) के सहयोग से भारत के 44 बिलियन डॉलर की लागत वाली रत्नागिरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में भी निवेश कर रहा है और कर्नाटक के पदुर (Padur) में भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड (Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd-ISPRL) की भूमिगत तेल भंडारण सुविधा के विकास में सहयोग कर रहा है।

विभिन्न देशों के साथ केंद्र सरकार ने दी कई समझौतों को मंज़ूरी

केंद्र सरकार ने वैश्विक जगत में अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज कराने और द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत बनाने के लिये कई देशों के साथ सहयोग समझौतों को मंज़ूरी दी है।

संक्षिप्त में इनका विवरण निम्नानुसार है:

1. बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिये भारत-ताजिकिस्तान समझौता : यह समझौता पृथ्वी के दूरसंवेदी, सेटेलाइट संचार, सेटेलाइट आधारित नैविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान तथा ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रणालियों तथा ग्राउंड सिस्टम, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी ऐप्लीकेशन सहित अंतरिक्ष विज्ञान टेक्नोलॉजी तथा एप्लीकेशनों में सहयोग की संभावनाओं में सहायक होगा। इस समझौते से एक संयुक्त

कार्यसमूह बनेगा जो इसे लागू करने की समय-सीमा और उपायों सहित एक कार्य योजना तैयार करेगा। कार्यसमूह में डीओएस/ इसरो तथा ताजिकिस्तान की लैंड मैनेजमेंट तथा जियोडेसी स्टेट कमेटी के सदस्य होंगे। (ऐसे ही समझौते भारत ने उज़्बेकिस्तान, मोरक्को, अल्जीरिया आदि देशों के साथ भी किये हैं)

2. भूगर्भ, खनन एवं खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत-ज़िम्बाब्वे समझौता: इस समझौते से भारत और ज़िम्बाब्वे के बीच चयनित क्षेत्रों में सहयोग के लिये संस्थागत प्रणाली उपलब्ध होगी। संसाधनों, कानूनों और नीतियों पर आधारित जानकारी का आदान-प्रदान करना, विकास से जुड़ी रणनीतियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिये विचार गोष्ठियाँ आयोजित करना, दोनों पक्षों के बीच प्रौद्योगियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना, खनन क्षेत्र में मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना और निवेश के अवसर तैयार करना इस समझौते के उद्देश्य हैं।
3. स्वास्थ्य देखभाल और आरोग्य के लिये भारत-जापान समझौता: इस समझौते से पारंपरिक औषधि प्रणाली के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। शोध, प्रशिक्षण, सम्मेलन, बैठक तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति पर आने वाला खर्च आयुष मंत्रालय के बजट से पूरा किया जाएगा।
4. डाक क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत-जापान सहयोग-समझौता: इस समझौते से भारत और जापान के बीच डाक सेवाओं में सुधार होगा और डाक क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। डाक नीति के संबंध में दोनों पक्ष अपने अनुभवों के आधार पर सूचनाएँ साझा करेंगे।
5. पर्यावरण सहयोग के क्षेत्र में भारत-जापान के बीच सहयोग: इस सहयोग ज्ञापन से दोनों देश के उपयुक्त कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समानता, पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। इसके तहत दोनों देशों के बीच सूचना और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान करना भी शामिल है।
6. ऊर्जा सक्षमता और ऊर्जा संरक्षण के लिये भारत-फ्रांस समझौता: यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौता है, जिसमें केवल तकनीकी सहायता हेतु ज्ञान का आदान-प्रदान और सहयोग शामिल है। यह समझौता ज्ञापन ऊर्जा सक्षमता बढ़ाने तथा मांग प्रबंधन से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों और टेक्नोलॉजी पर सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा। इस समझौते से ऊर्जा सक्षमता के बारे में जागरूकता पैदा होगी। इससे कार्बन उत्सर्जनों तथा वैश्विक उत्सर्जन की निगरानी के लिये डेटा के संग्रहण, उपयोग तथा विश्लेषण के लिये तंत्र विकसित होंगे।
7. मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत संयुक्त गतिविधियों पर भारत-रूस समझौता: इस समझौते से भारत और रूस के बीच सहयोग मज़बूत होगा और रेडियेशन शील्डिंग, लाइफ स्पोर्ट सिस्टम, क्रू मॉड्यूल, मीटिंग पॉइंट तथा डॉकिंग प्रणाली, अंतरिक्ष कक्ष, अंतरिक्ष यात्रियों के लिये प्रशिक्षण जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिये टेक्नोलॉजी तथा अग्रिम प्रणालियाँ विकसित करने के काम को गति मिलेगी।
8. पृथ्वी विज्ञान में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर भारत-अमेरिका समझौता: इसके तहत दोनों देशों के संगठनों के पास उपलब्ध विशेषज्ञता साझा करने में मदद मिलेगी और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाई जा सकेगी। सहयोग के विशेष क्षेत्रों में ईको प्रणालियाँ, जलवायु अस्थिरता तथा भूमि उपयोग परिवर्तनों, ऊर्जा, खनिज संपदा, पर्यावरण, प्राकृतिक संकटों, जोखिम तथा मूल्यांकन दृढ़ता, जल संसाधन, इन्फोर्मेटिक्स तथा डेटा एकीकरण के क्षेत्र शामिल हैं।
9. संयुक्त डाक टिकट जारी करने पर भारत-आर्मेनिया समझौता: इसके तहत संचार मंत्रालय का डाक विभाग और आर्मेनिया का राष्ट्रीय डाक संचालक (‘HayPost CJSC) पारस्परिक रूप से नृत्य विषय पर संयुक्त डाक टिकट जारी करने पर सहमत हुए। स्मृति डाक टिकटों में भारत के मणिपुरी नृत्य तथा आर्मेनिया के हौब एरेक नृत्य दिखाए गए हैं।

व्यापार युद्ध के प्रारंभ का संकेत

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के उनके समकक्ष शी जिनपिंग के बीच ब्यूनस आयर्स में हुई बैठक के बाद दोनों नेताओं ने 1 जनवरी, 2019 से एक-दूसरे पर नए आयात शुल्क नहीं लगाने पर सहमति जताई।

पुन: व्यापार युद्ध का प्रारंभ

- दोनों नेताओं ने मौजूदा व्यापार युद्ध को खत्म करने के लिये लगातार संवाद बनाए रखने की भी प्रतिबद्धता जताई तथा ट्रंप ने चीन पर 90 दिनों के लिये 200 अरब डॉलर के सामान पर शुल्क लगाने की योजना को रोक दिया।

- इसी वर्ष के मध्य में अमेरिका ने चीन के 250 अरब डॉलर के सामान पर आयात शुल्क लगा दिया था, प्रतिक्रियास्वरूप चीन ने भी अमेरिका के 60 अरब डॉलर के सामान पर शुल्क लगाया था।
- हाल ही में चीन की ग्लोबल टेलिकम्युनिकेशंस कंपनी हुवाई की मुख्य वित्तीय अधिकारी मेंग वानझू को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया है जिस पर चीन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है तथा तुरंत रिहाई की मांग की, पुन: ट्रेड वार के लिये यह एक अहम कारक हो सकता है।
- हुवाई दुनिया की सबसे बड़ी टेलिकम्युनिकेशन उपकरण और सेवा प्रदाता कंपनी है। वैश्विक तौर पर सफलता मिलने के बावजूद भी यह अमेरिकी परेशानियों का सामना कर रही है।
- यह कंपनी अमेरिका के खुफिया अधिकारियों के निशाने पर थी और उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बताया था।
- साथ ही, भले ही आयात शुल्क के संबंध में स्थगन पर दोनों देशों ने सहमति जताई थी, लेकिन व्यापार युद्ध फिर से शुरू होने की अभी भी गुंजाइश बनी हुई है।
- ब्यूनस आयर्स में हुई बैठक को विगत वर्षों के लीग ऑफ नेशंस के प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है।

लीग ऑफ नेशंस (LAN) के बारे में

- यह एक अंतर सरकारी संगठन था जिसका गठन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 10 जनवरी, 1920 को हुआ था।
- यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका मुख्य मिशन विश्व शांति बनाए रखना था।
- प्रथम विश्व यद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिये एक मंच प्रदान करने हेतु इसका गठन किया गया था।
- इसके प्राथमिक लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा उपायों युद्ध को रोकना, नि:शस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत एवं मध्यस्थता द्वारा समाधान करना शामिल था। इसके अतिरिक्त अन्य संबंधित संधियों में शामिल लक्ष्यों में श्रम दशाएँ, मूल निवासियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार, मानव एवं दवाओं का अवैध व्यापार, शस्त्र व्यपार, वैश्विक स्वास्थ्य, युद्धबंदी तथा यूरोप में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आदि थे।
- दुर्भाग्य से अपने ऊँचे बेंचमार्क के बावजूद, लीग अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई।
- लीग के गठन के लगभग दो दशक बाद, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और ज़र्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। हिटलर का दावा था कि लीग की धाराएँ ज़र्मनी की संप्रभुता का उल्लंघन करती थी। ज़र्मनी लीग से हट गया, जल्दी ही कई अन्य आक्रामक शक्तियों ने भी उसका अनुसरण किया।
- द्वितीय विश्व युद्घ की शुरुआत से पता चलता है कि लीग भविष्य में युद्ध न होने देने के अपने प्राथमिक उद्देश्य में असफल रहा था।
- युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका स्थान लिया तथा लीग द्वारा स्थापित कई एजेंसियाँ और संगठन संघ में शामिल हो गए।

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भारत-जापान साझेदारी

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है और इसकी अहमियत को समझते हुए जापान द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत भी सतत् विकास लक्ष्यों में शामिल स्वास्थ्य संबधी लक्ष्यों को हासिल करने हेतु तत्पर है, लेकिन भारत की अधिकांश आबादी आज भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के विषय में अनभिज्ञ है।

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज

- यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का आशय है सभी लोगों और समुदायों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना किये बिना स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करना। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन सेवाओं की गुणवत्ता उन लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिये पर्याप्त है।
- उल्लेखनीय है कि 7 अप्रैल, 2018 को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC)/विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस वर्ष की थीम - 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज: एवरीवन, एवरीवेयर' को रखा गया था।

जापान में स्वास्थ्य हेतु पहल

- भारत ने आयुष्मान भारत के माध्यम से UHC की तरफ अपना पहला कदम उठाया है हालाँकि, जापान ने वर्ष 1961 में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कवरेज की रूपरेखा बना ली थी और इस लक्ष्य को साधने का प्रयास भी किया गया।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने और पूरे जापान में मेडिकल स्कूल स्थापित करने के लिये एक प्रमुख राजनीतिक निर्णय की आवश्यकता थी।
- UHC का कार्यान्वयन प्रारंभिक रूप से व्यापक राष्ट्रीय निवेश और स्वास्थ्य, वित्त तथा शिक्षा मंत्रालयों सहित स्थानीय सरकारों द्वारा किये जा रहे व्यापक प्रयासों के माध्यम से ही संभव हो सकता था।
- जापान में इन प्रयासों के लिये व्यापक निवेश भी किया है जिससे जापान में स्वस्थ लोगों तथा स्वस्थ श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई।
- इसके परिणामस्वरूप इस स्थिति से जापान के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। इसके अलावा, UHC ने आय के पुनर्वितरण के लिये एक तंत्र के रूप में काम करके सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित किया।
- यही कारण है कि जापान के दूरस्थ स्थानों में भी स्वास्थ्य देखभाल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
- महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जापान ने UHC की उपलब्धता सुनिश्चित करके अपने नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी मानसिक तनाव को दूर किया जोकि समग्र कल्याण का एक अनिवार्य घटक है।

स्वास्थ्य देखभाल के लिये जापान-भारत साझेदारी

- हम बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिये व्यापक परियोजनाओं में जापान के साथ साझेदारी कर रहे हैं।
- जापान ने पहले भारत में पोलियो को खत्म करने के लिये भारत के साथ काम किया है।
- वर्तमान में जापानी और भारतीय डॉक्टर कोलकाता में जापान द्वारा स्थापित डायरिया अनुसंधान और नियंत्रण केंद्र में एक-दूसरे के विचारों और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान कर रहे हैं।
- तमिलनाडु के 17 शहरों में, शहरी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को आपसी सहयोग से मज़बूत किया जा रहा है।
- हाल ही में अक्तूबर के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान द्वारा आयुषमान भारत तथा जापान के एशिया स्वास्थ्य और कल्याण पहल के बीच तालमेल को आगे बढ़ाने के लिये स्वास्थ्य देखभाल पर सहयोग के एक नए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- इन प्रयासों से बेहतर स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र और भारत में UHC को बढ़ावा मिलेगा।
- जापान को भी भारत से सीखने का मौका मिल सकता है, उदाहरण के लिये आयुर्वेद जापान की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक नया आयाम ला सकता है।

भारत मालदीव को वित्तीय सहायता देगा

चर्चा में क्यों

हाल ही में मालदीव के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद सोलेह की यह पहली यात्रा है। भारत ने मालदीव को 1.4 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

हालिया यात्रा

- मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वित्तीय सहायता की घोषणा की।
- मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह से बातचीत के बाद दोनों पक्ष हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग को और मज़बूत करने पर भी सहमत हुए।
- सितंबर में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव में सोलेह ने ताकतवर नेता अब्दुल्ला यामीन को मात दी थी।
- हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने हेतु दोनों देशों के बीच सहयोग आवश्यक है और भारत तथा मालदीव को अपने द्विपक्षीय संबंध में मज़बूती लाना आवश्यक है।

मालदीव और भारत

- मालदीव रणनीतिक रूप से भारत के नज़दीक और हिंद महासागर में महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है।
- मालदीव में चीन जैसी किसी प्रतिस्पर्द्धी शक्ति की मौजूदगी भारत के सुरक्षा हितों के संदर्भ में उचित नहीं है।
- चीन वैश्विक व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के माध्यम से मालदीव जैसे देशों में तेज़ी से अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है।
- मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन भी 'इंडिया फर्स्ट' की नीति अपनाने का ज़ोर-शोर से दावा करते थे लेकिन जब भारत ने उनके निरंकुश शासन का समर्थन नहीं किया तो उन्होंने चीन और पाकिस्तान का रुख कर लिया।
- इस संदर्भ में तीन वज़हों से भारत की चिंताएँ उभरकर सामने आई थीं। पहली, मालदीव में चीन की आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति में वृद्धि; दूसरी, भारतीय परियोजनाओं और विकास गतिविधियों में व्यावधान, जिसकी वज़ह से भारत के तकनीकी कर्मचारियों को मालदीव द्वारा वीज़ा देने से इनकार किया जाना और तीसरा, इस्लामी कट्टरपंथियों का बढ़ता डर।

नए संबंधों का सृजन

- भारतीय नौसैनिक रणनीति में मालदीव जैसे देश को शामिल करना भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- भारत को लेकर मालदीव की नई सरकार की सोच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति पद संभालने के बाद इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने पहली विदेश यात्रा हेतु भारत को चुना है।
- मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त भी बताया।

आगे की राह

शुरुआती रुझानों में मालदीव में सत्ता परिवर्तन भारत के लिये सकारात्मक प्रतीत होता है। किंतु मालदीव में चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाने हेतु भारत को यह अवसर भुनाना होगा। अपनी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारत को नई सत्ता के साथ समझदारी से काम लेते हुए मालदीव का साथ देना होगा।

विवादित द्वीपों पर रूसी सैन्य बैरक का निर्माण, जापान का विरोध

चर्चा में क्यों?

रूसी सेना ने प्रशांत महासागर में जापान के समीप स्थित चार विवादित द्वीपों कुनाशीर (Kunashir), इतुरूप (Iturup), शिकोतान (Shikotan) और हबोमाए (Habomai) पर नई सैन्य बैरकों का निर्माण किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, रूस दक्षिणी कुरिल द्वीपों पर बख्तरबंद वाहनों (armoured vehicles) के लिये अन्य सुविधाएँ भी विकसित कर रहा है। इन चार द्वीपों में से दो द्वीपों पर आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है, जिनमें अगले हफ्ते से सैनिकों को भेजा जाएगा।

- हालाँकि, इन द्वीपों पर रूसी गतिविधियों का जापान ने कड़ा विरोध किया है। इससे पहले जुलाई में भी जापान ने रूस द्वारा इन विवादित द्वीपों पर किये जा रहे क्रियाकलापों को कम करने के लिये कहा था।

नहीं हो सका है शांति समझौता

- द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में तत्कालीन सोवियत सेना द्वारा इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद से जापान और रूस इन द्वीपों पर अपनी संप्रभुता का दावा करते आए है। यही वज़ह है कि विश्वयुद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति समझौता नहीं हो सका है।
- इस विवाद को सुलझाने के लिये दोनों देशों के बीच कई बार राजनयिक स्तर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए है।

जापानी प्रधानमंत्री की रूस यात्रा

- जानकारी के मुताबिक, अगले साल 21 जनवरी को जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिये रूस का दौरा कर सकते है। अगुर करने वाली बात यह है कि जापानी प्रधानमंत्री के इस संभावित दौरे से पहले जापान और अमेरिका के बीच एक रक्षा सौदा होने वाला है।
- रूस का कहना है कि यदि जापान इन द्वीपों पर अमेरिकी मिसाइल प्रणाली तैनात करने की योजना बना रहा है तो प्रधानमंत्री की यात्रा के बावजूद भी इस मामले को सुझाया नहीं जा सकता है।

कुरिल द्वीप को लेकर है विवाद

- कुरिल द्वीपसमूह (Kuril Islands) प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक ज्वालामुखीय द्वीपसमूह है। यह जापान के होक्काइदो (Hokkaido) द्वीप से रूस के कमचातका (kamchatka) प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक फैला हुआ है।
- कुरिल द्वीपों के पूर्वी ओर उत्तरी प्रशांत महासागर और पश्चिमी ओर ओख़ोत्स्क सागर (Sea of Okhotsk) है।
- दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही यह दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जब जापान में युद्ध कमज़ोर पड़ गया तो रूसी सेना ने कुरिल द्वीपों पर कब्जा कर वहाँ बसे लगभग 17,000 जापानियों को भगा दिया था।
- तब से कुरिल के चारों द्वीप जिन पर जापान अपना अधिकार बताता है, को लेकर विवाद बना हुआ है। ये चारों द्वीप समूह हैं- कुनाशीर (Kunashir), इतुरूप (Iturup), शिकोतान (Shikotan) और हबोमाए (Habomai)

मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

संदर्भ

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आमंत्रण पर मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह 16-18 दिसंबर, 2018 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति सोलेह की यह पहली विदेश यात्रा थी।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने निम्नलिखित समझौतों/समझौता ज्ञापनों की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये:
  - वीज़ा प्रबंधन सहायता पर समझौता
  - सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन
  - कृषि व्यवसाय व्यवस्था में सुधार हेतु पारस्परिक सहयोग के लिये समझौता ज्ञापन
  - सूचना और संचार टेक्नोलॉजी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग पर आशय की संयुक्त घोषणा
- दोनों देशों ने संस्थागत संपर्क बनाने तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के लिये रूपरेखा निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की।
  - स्वास्थ्य विशेषकर कैंसर उपचार पर सहयोग
  - आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता
  - मानव संसाधन विकास
  - पर्यटन
- मालदीव के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने भारत और मालदीव के बीच परंपरागत एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूती प्रदान करने व जीवंत बनाने का संकल्प दोहराया।
- भारत और मालदीव के बीच संबंध भौगोलिक निकटता, नस्लीय, ऐतिहासिक, सामाजिक-आर्थिक तथा दोनों देशों की जनता के बीच सांस्कृतिक संबंधों के चलते मज़बूत हुए हैं। दोनों शीर्ष नेताओं द्वारा लोकतंत्र, विकास तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्त्व में भरोसा जताया गया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की 'पड़ोसी प्रथम' नीति का स्मरण करते हुए मालदीव के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा लोकतंत्र की मज़बूती और स्वतंत्र संस्थानों की आकांक्षा पूरी करने में भारत द्वारा यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
- प्रधानमंत्री ने इस संबंध में बजटीय समर्थन, मुद्रा की अदला-बदली के रूप में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता तथा मालदीव के सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये रियायती ऋण के प्रावधान की घोषणा की।

भारत-अमेरिका 'टू प्लस टू वार्ता'

चर्चा में क्यों?

18 दिसंबर, 2019 को भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच वाशिंगटन में 'टू प्लस टू वार्ता' (2+2 Dialogue) हुई।

मुख्य बिंदु:

- वाशिंगटन में भारत-अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्व में 'टू प्लस टू वार्ता' संपन्न हुई।
- इस वार्ता में दोनों पक्षों ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में बढती साझेदारी को सकारात्मक रुप से स्वीकार किया और कहा कि सितंबर 2018 में दिल्ली में आयोजित पहली 'टू प्लस टू वार्ता' के बाद दोंनों देशों के बीच संबंधों में मज़बूती आई है।

'टू प्लस टू वार्ता' में चर्चा में रहे कुछ प्रमुख विषय:

- इस वार्ता में एक तरफ जहाँ हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में संबंध प्रगाढ़ बनाने को लेकर स्पष्टता देखी गई वहीं अमेरिका की निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों द्वारा भारत में अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण की राह में एक बड़ी अड़चन समाप्त हो गई है। दोनों देशों ने इसके लिये 'इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स' (Industrial Security Annex) नामक समझौते को मंज़ूरी दी है।

इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स

- यह समझौता भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी रक्षा कंपनियों के हितों की रक्षा करने की गारंटी देता है।
- यह समझौता अमेरिकी सरकार और अमेरिकी कंपनियों को भारतीय निजी क्षेत्र के साथ गोपनीय जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, जो अब तक भारत सरकार और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों तक सीमित है।
- भारतीय उद्योग रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश किये जाने की आवश्यकता है, इसलिये ISA भारत के लिये विशेष रूप से आवश्यक है।
- रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल कार्यक्रम (Defence Technology and Trade Initiative-DTTI) के तहत रक्षा व्यापार के क्षेत्र में निष्पादित की जाने वाले प्राथमिकता पहलों की पहचान की गई।
- अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने भारत को अपना लोकतांत्रिक मित्र बताते हुए आतंकवाद से अमेरिका तथा भारत के लोगों की सुरक्षा किये जाने की बात कही और भारत को पाकिस्तान प्रायोजित तथा अन्य प्रायोजित आतंकवाद को समाप्त करने में समर्थन देने का आश्वासन दिया।
- भारत और अमेरिका की तीनों सेनाओं के बीच नवंबर 2019 में 'टाइगर ट्राइंफ' (Tiger Triumph) नामक युध्दाभ्यास का आयोजन किया गया जो अब वार्षिक रूप से आयोजित किया जाएगा।

क्या है 'टू प्लस टू वार्ता'?

'टू प्लस टू वार्ता' एक ऐसी मंत्रिस्तरीय वार्ता होती है जो दो देशों के दो मंत्रालयों के मध्य आयोजित की जाती है।

- भारत और अमेरिका के बीच 'टू प्लस टू वार्ता' दोनों देशों के मध्य एक उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है जो भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के लिये मंच प्रदान करता है।
- भारत और अमेरिका के बीच आयोजित यह दूसरी 'टू प्लस टू वार्ता' है तथा अमेरिका में आयोजित पहली 'टू प्लस टू वार्ता' है।

भारत को लाभ:

भारत और अमेरिका के बीच 'टू प्लस टू वार्ता' के आयोजन से भारत को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे-

- भारत और अमेरिका के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक एवं रणनीतिक सहयोग से हिंद महासागर में बढ़ते चीन के सैन्य प्रभुत्त्व को प्रतिसंतुलित करने में भारत सक्षम होगा।
- भारत और अमेरिका के बीच संपन्न 'इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स' के माध्यम से भारत के रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण में अड़चनें समाप्त होंगी जिससे भारतीय सेनाओं के पास हथियार एवं अन्य सैन्य उपकरणों के भंडार में वृद्धि होगी जो कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद तथा पड़ोसी देशों की अस्थिर गतिविधियों से भारत की रक्षा करने के लिये अत्यंत आवश्यक है।
- इस समझौते के माध्यम से रक्षा एवं उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत-अमेरिका व्यापार तथा तकनीकी सहयोग को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
- अमेरिका द्वारा आतंकवाद की समाप्ति के लिये भारत का समर्थन किये जाने से भारत में सीमा पार आतंकवाद में कमी आएगी।

नोट :

यातना के विरुद्ध यू.एन. कन्वेंशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने 'यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार या सजा के विरुद्ध यू.एन. कन्वेंशन' (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) के अनुच्छेद-22 से संबंधित घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित इस घोषणा-पत्र के अनुसार, मालदीव सरकार अत्याचार से प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतें प्राप्त करने के लिये गठित समिति की दक्षता की पहचान करेगी परंतु यह केवल उन्हीं मामलों में संभव हो सकेगा जब यातना से पीड़ित का मामला मालदीव के अधिकार क्षेत्र में आता हो।
- मालदीव के राष्ट्रपति ने इस कन्वेंशन के अनुच्छेद-22 से संबंधित घोषणा-पत्र पर नवंबर 2018 में यातना के विरुद्ध बनी समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के निष्कर्षों में दी गई सिफारिशों के आधार पर हस्ताक्षर किये हैं।

यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के विरुद्ध यू.एन. कन्वेंशन: (UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment):

- यह यू.एन. कन्वेंशन 10 दिसंबर, 1984 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया गया तथा हस्ताक्षर, अनुसमर्थन एवं स्थापित करने के लिये प्रस्तावित किया गया।
- यह कन्वेंशन 26 जून, 1987 को प्रभाव में आया था।
- यह कन्वेंशन 9 फरवरी, 1975 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'यातना और अन्य क्रूरता, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा से सभी व्यक्तियों के संरक्षण' विषय पर विचार-विमर्श का परिणाम था।
- यह कन्वेंशन राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर किसी भी क्षेत्र में यातना को रोकने के लिये प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर बल देता है, साथ ही यह ऐसे लोगों को जिनके संबंध में यह विश्वास है कि जहाँ भी जाएंगे ऐसी ही समस्या उत्पन्न करेंगे, को किसी भी देश में आवागमन के लिये प्रतिबंधित भी करता है।
- विशेषत: इस कन्वेंशन के अनुच्छेद-55 में मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता के सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ाने की बात की गई है।

क्या कहता है कन्वेंशन का अनुच्छेद-22 ?

- इस अनुच्छेद के अनुसार, इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्य यातना से प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतें प्राप्त करने के लिये गठित समिति की दक्षता की पहचान करता है परंतु यह केवल उन्हीं मामलों में संभव हो सकेगा जब यातना पीड़ित का मामला उस पक्षकार राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता हो।
- यदि किसी पक्षकार राज्य द्वारा इस संदर्भ में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, तो समिति द्वारा इस संबंध में कोई मामला स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भारत की स्थिति:

- भारत ने 14 अक्तूबर, 1997 को इस यू.एन. कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये थे। हालाँकि भारत द्वारा अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि भारत द्वारा अभी यातना विरोधी कानून नहीं बनाया गया है।
- भारत विश्व के उन नौ देशों में से एक है, जिन्होंने अभी तक यातना विरोधी कानून नहीं बनाए है, जबकि यह इस अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि की पुष्टि करने के लिये एक अनिवार्य शर्त है।

यमन पर नया शांति समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यमन के हुती विद्रोहियों (Houthi rebels) और राष्ट्रपति अब्द्राबुह मंसूर हादी (Mansur Hadi) के प्रति वफादार सैन्य बलों के बीच होदेदा बंदरगाह शहर (port city of Hodeida) में युद्धविराम पर समझौता हो गया है। गौरतलब है कि स्टॉकहोम (Stockholm) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ वार्ता (mediated talks) में यह समझौता हुआ।

हालिया परिस्थिति

- वार्ता के समय, शहर लगभग पूरी तरह सऊदी नेतृत्त्व वाले गठबंधन के हाथों में था।
- गठबंधन ने यमन में मानवीय सहायता को रोकने के लिये कई महीनों से बंदरगाह को अवरुद्ध किया हुआ था और ज़्यादातर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के सैनिक लड़ाके ही विद्रोहियों से जूझ रहे थे।
- इस्तांबुल में वाणिज्य दूतावास के अंदर पत्रकार जमाल खशोगी (Jamal Khashoggi) की हत्या के बाद सऊदी अरब को वैश्विक दबाव में आकर यमन में युद्धविराम करना पड़ा।
- खशोगी मामले के बाद यमन और इसकी खराब मानवीय स्थिति पर पूरी दुनिया की निगाह इतनी मज़बूत रही है कि संयुक्त अरब का समर्थन करने वाले अमेरिका ने भी गठबंधन ताकतों में अपनी भागीदारी कम करनी शुरू कर दी।
- संयुक्त राष्ट्र के दबाव के बाद, सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार ने भी वार्ता के लिये हरी झंडी दे दी।

यमन में मानवीय हालात?

- WHO (World Health Organisation) के अनुसार, 2015 में सऊदी हस्तक्षेप के बाद से यमन में कम से कम 10,000 लोग मारे गए हैं।
- गठबंधन ताकतों द्वारा किये गए हवाई हमले ने बुनियादी अवसंरचना को तबाह कर दिया, खाद्य पदार्थों और दवाइयों की आपूर्ति में कमी ला दी, जिससे यमन को व्यापक नुकसान झेलना पड़ा है।
- अगर यमन को सहायता नहीं पहुँचाई गई तो लगभग 12 मिलियन लोग भुखमरी के शिकार हो सकते हैं। इस समय पूरा देश कोलेरा (cholera) के प्रकोप से भी प्रभावित है। यूनिसेफ (United Nations International Children's Emergency Fund-UNICEF) द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, यमन में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है।

यमन में सऊदी अरब का हस्तक्षेप क्यों?

- जब शिया हुती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना (Sana'a) पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति हादी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को दक्षिणी हिस्से में सिमटना पड़ा, तब सऊदी अरब ने यमन में हस्तक्षेप करना शुरू किया।
- सऊदी अरब ने ईरान पर अरब प्रायद्वीप में अस्थिरता लाने और शिया हुती विद्रोहियों को आर्थिक सहायता देने का आरोप लगाया था। वस्तुत: इस प्रायद्वीप में स्थिरता स्थापित करना सऊदी अरब की योजना थी।
- किंतु सऊदी अरब के चार वर्षों के अथक प्रयासों के बावजूद हुती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा जमाने के साथ-साथ उत्तरी यमन के ज़्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण कायम किया हुआ है। यही बात सऊदी अरब के लिये परेशानी का सबब बनी हुई है।

क्या युद्ध विराम टिकेगा?

- कुछ छोटे-मोटे उल्लंघनों को छोड़कर युद्धविराम अब तक बरकरार है और दोनों तरफ दबाव बना हुआ है।
- हाल के महीनों में जहाँ एक ओर हुती के नियंत्रण से कई इलाके बाहर हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सऊदी गठबंधन ताकतों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है।
- समझौते के अनुसार, युद्ध के सभी भागीदारों को 21 दिनों के भीतर होदेदा से वापस लौटना होगा।
- संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक, सरकार और विद्रोही प्रतिनिधियों की निगरानी हेतु एक टीम गठित करेंगे ताकि युद्धविराम संधि की निगरानी की जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि स्टॉकहोम समझौता मुख्य रूप से यमन की मानवीय स्थितियों पर केंद्रित है।

- यही कारण है कि केवल होदेदा में युद्धविराम पर सहमति बनी है। सवाल यह है कि क्या युद्ध करने वाले दल संघर्ष के अन्य क्षेत्रों में भी युद्धविराम को लागू करेंगे।
- यमन के बिखरते राजनीतिक परिदृश्य में दोनों दल अच्छी तरह से फैले हुए हैं। इस आमानवीय संघर्ष का समाधान केवल तभी मिल सकता है जब विद्रोही और सरकार दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ राजनीतिक रियायतें बरतें।

जापान फिर से शुरू करेगा व्हेल का वाणिज्यिक शिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान ने अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (International Whalling Commission- IWC) की सदस्यता छोड़कर फिर से व्हेल का वाणिज्यिक शिकार शुरू करने की घोषणा की है।

जापान द्वारा IWC की सदस्यता त्यागने का कारण

- इससे पहले भी जापान ने कई बार इस निकाय से बाहर निकलने की धमकी दी थी और जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि का हस्ताक्षरकर्त्ता होने के बावजूद 'वैज्ञानिक अनुसंधान' के लिये एक वर्ष में सैकड़ों व्हेल पकड़ने के कारण नियमित रूप से इसकी आलोचना की जाती रही है।
- जापान ने IWC से मांग की थी कि उसे व्हेल का वाणिज्यिक शिकार फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए लेकिन जापान की इस मांग को व्हेल के शिकार का विरोध करने वाले देशों जिनमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, के विरोध के चलते स्वीकार नहीं किया गया।
- जापान आधिकारिक तौर पर इस वर्ष के अंत तक अपने फैसले के बारे में IWC को सूचित करेगा, जिसका तात्पर्य यह है कि जापान द्वारा इस आयोग की सदस्यता छोड़ने का फैसला 30 जून, 2019 तक लागू हो सकेगा।

IWC की सदस्यता त्यागने के मायने

- उल्लेखनीय है कि व्हेल का वाणिज्यिक शिकार जापान के क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित होगा। वह अंटार्कटिक या दक्षिणी गोलार्द्ध में शिकार नहीं करेगा।
- IWC की सदस्यता छोड़ने का मतलब है कि जापान आइसलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में शामिल हो जाएगा जो व्हेल के वाणिज्यिक शिकार पर IWC द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का खुले तौर पर विरोध करते है।
- IWC की सदस्यता छोड़ने का तात्पर्य यह है कि IWC द्वारा वर्तमान में संरक्षित मिंक और अन्य व्हेल का जापान के तटीय क्षेत्रों में फिर से शिकार किया जा सकेगा।
- लेकिन जापान अंटार्कटिक में अपने तथाकथित वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु किये जाने वाले शिकार को जारी रखने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि इसे यह अनुसंधान जारी रखने की अनुमति अंटार्कटिक संधि के तहत IWC का सदस्य होने के कारण दी गई है।

सदस्यता त्यागने के पीछे जापान का तर्क

- जापान ने सदियों से व्हेलों का शिकार किया है और द्वितीय विश्व के बाद जब यह देश बेहद गरीबी की स्थिति का सामना कर रहा था उस समय माँस ही यहाँ के निवासियों के लिये प्रोटीन का महत्त्वपूर्ण स्रोत था।
- जापान का तर्क है कि व्हेलिंग जापान की परंपराओं का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और IWC की सदस्यता त्यागने से मछुआरों को व्हेल का शिकार करने की अनुमति मिलेगी। इससे देश में व्हेल के वाणिज्यिक शिकार की संस्कृति को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (International Whaling Commission- IWC)

- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC) एक वैश्विक निकाय है जिसे व्हेल के संरक्षण और शिकार संबंधी प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है।

- IWC के सभी सदस्य व्हेलिंग के विनियमन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के (International Convention for the Regulation of Whaling) के हस्ताक्षरकर्त्ता हैं।
- यह अभिसमय एक प्रकार का कानूनी तंत्र है जिसके अंतर्गत वर्ष 1946 में IWC की स्थापना की गई थी।

IWC के सदस्य

- वर्तमान में IWC के सदस्य देशों की संख्या 89 है।

अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty)

- अंटार्कटिक संधि को वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है।
- इस संधि पर आरम्भ में 12 देशों- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांँस, जापान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, तत्कालीन सोवियत संघ, युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वाशिंगटन में हस्ताक्षर किये।
- बाद में 27 अन्य देशों ने इस संधि को स्वीकार किया और 23 जून, 1961 को यह संधि प्रभाव में आई।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

ड्रोन पंजीकरण हेतु डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा देश में ड्रोन ऑपरेटरों के लिये पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने हेतु 'डिजिटल स्काई' नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इसी वर्ष अगस्त माह में सरकार ने रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम (Remotely Piloted Aerial System-RPAS) के संचालन के लिये नियम बनाए थे, जो कि 1 दिसंबर से प्रभावी हो गए।
- इन नियमों के तहत RPAS के सुरक्षित संचालन और एयर स्पेस के सहकारी उपयोग के लिये ऑपरेटरों, रिमोट पायलट/उपयोगकर्त्ता और निर्माताओं/OEM के दायित्वों का विस्तृत विवरण दिया गया।
- नागरिक उड्डयन के नियमों (CAR) के तहत डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की भी घोषणा की गई, जो कि अपनी तरह का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो CAR के उल्लंघन को कम करने के लिये सॉफ़्टवेयर-आधारित आत्म-प्रवर्तन की एक आदर्श प्रणाली 'बिना अनुमति के उड़ान नहीं' (No Permission, No Take-off-NPNT) लागू करता है।
- इन मानदंडों के तहत ड्रोन उपयोगकर्त्ताओं को अपने ड्रोन का एक बार पंजीकरण कराना होगा। उन्हें ड्रोन के मालिकों के साथ-साथ उसके पायलटों को भी पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।
- भारत में नैनो ड्रोन कानूनी तौर पर 1 दिसंबर से उड़ान शुरू कर सकते हैं। माइक्रो और उससे ऊपर की श्रेणियों के ड्रोन के लिये ऑपरेटरों को डिजिटल स्काई पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी।
- मंत्रालय के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उपयोगकर्त्ताओं का पंजीकरण स्वीकार करना शुरू कर दिया है तथा अनमैंड एरियल ऑपरेटर्स परमिट (Unmanned Aerial Operator's Permit- UAOP) और यूनिक आईडेंटीफिकेशन नंबर (Unique Identification Numbers-UIN) के लिये भुगतान भारत कोष पोर्टल (bharatkosh.gov.in) के माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे।
- मंत्रालय के अनुसार, उड़ान भरने की अनुमति प्राप्त करने के लिये रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम (Remotely Piloted Aerial System-RPAS) या ड्रोन ऑपरेटरों या रिमोट पायलटों को एक उड़ान योजना (flight plan) दर्ज करनी होगी।
- मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "ग्रीन ज़ोन में उड़ान भरने के लिये पोर्टल या एप के माध्यम से केवल उड़ानों के समय और स्थान की आवश्यकता होगी। यलो ज़ोन में उड़ान भरने के लिये अनुमति की आवश्यकता होगी और रेड ज़ोन में उड़ानों की अनुमति नहीं दी जाएगी।"
- इन क्षेत्रों की पहचान जल्द ही घोषित की जाएगी। पोर्टल पर अनुमति डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। अनधिकृत उड़ानों को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये डिजिटल परमिट के बिना कोई भी ड्रोन उड़ान नहीं भर पाएगा।
- डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इस तेज़ी से बदलते उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के साथ विकसित होने के लिये बनाया गया है। आने वाले महीनों में उपयोगकर्त्ताओं के लिये उड़ान की प्रक्रिया को सरल करने और सुरक्षा एजेंसियों को निगरानी की सुविधा प्रदान करने के लिये नई विशेषताएँ विकसित की जाएंगी।
- इसके अलावा, यह अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में डिजिटल स्काई सेवा प्रदाता (DSPs) अप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (APIs) के माध्यम से इस मंच की कार्यक्षमता का विस्तार करेगा।
- मंत्रालय ने जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में ड्रोन पॉलिसी 2.0 की सिफारिश पर एक टास्क फोर्स गठित किया है। टास्क फोर्स द्वारा इस साल के अंत तक अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी करने की उम्मीद है।

नोट :

- मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि RPAS के लिये ड्रोन 2.0 कार्ययोजना में स्वायत्त उड़ानों, ड्रोन के माध्यम से वितरण और दृश्य सीमा से परे (BVLOS) उड़ानों के लिये नियामक ढाँचे को शामिल किये जाने की संभावना है।
- वज़न के आधार पर ड्रोन की पाँच श्रेणियाँ- नैनो (250 ग्राम से कम), माइक्रो (250 ग्राम से 2 किलो तक), स्माल (2 किलो से 25 किलो तक), मीडियम (25 किलो से 150 किलो तक) तथा लार्ज (150 किलो से अधिक) होंगी।

क्या है ड्रोन?

- रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम (Remotely Piloted Aerial System-RPAS) जिसे ड्रोन के रूप में जाना जाता है, व्यापक अनुप्रयोगों वाला एक तकनीकी मंच है।
- इन्हें एक रिमोट या विशेषकर इसी के लिये बनाए गए कंट्रोल रूम से उड़ाया जाता है। ड्रोन अपने आकार, दायरे, स्थिरता और भार उठाने की क्षमता के आधार पर कई प्रकार के होते हैं।
- इनमें आमतौर पर स्थिर पंख, रोटर रहते हैं और ये बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जीपीएस सिस्टम के ज़रिये काम करने वाले अलग-अलग ड्रोन की कार्यक्षमता अलग-अलग होती है।
- सामान्य तौर पर निगरानी के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले ड्रोन की रेंज फिलहाल 100 किमी. तक है। एक बार बैटरी चार्ज होने पर यह काफी ऊँचाई पर 100 किमी. प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है।

नई 'केंप्युटर' (chemputer) प्रणाली के माध्यम से दवा उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने दवाओं के अणुओं का उत्पादन करने के लिये एक नई विधि विकसित की है, जिसमें प्रोग्राम तैयार करने में सक्षम एक 'केंप्युटर' (chemputer) के माध्यम से कार्बनिक रसायनों को आसानी से और विश्वसनीय रूप से संश्लेषित करने हेतु डाउनलोड किये जा सकने वाले ब्लूप्रिंट का उपयोग किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित यह शोध पहली बार प्रदर्शित करता है कि महत्त्वपूर्ण दवा अणुओं के संश्लेषण को एक किफायती और मॉड्यूलर रासायनिक-रोबोट प्रणाली में कैसे प्राप्त किया जा सकता है जिसे कि एक केंप्युटर कहते हैं।
- जबकि रासायनिक उत्पादन में हालिया प्रगति ने स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से प्रयोगशाला स्तर पर कुछ रासायनिक यौगिकों का उत्पादन करने की अनुमति दी है, लेकिन रासायनिक सूत्रों को लिखने और साझा करने के लिये केंप्युटर को एक नए सार्वभौमिक और अंत:क्रियात्मक मानक द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है।
- शोधकर्त्ताओं ने कहा कि रसायन विज्ञान के लिये एक सामान्य अवधारणा विकसित करना इसकी मुख्य वज़ह थी जिसे सार्वभौमिक, व्यावहारिक और कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा संचालित किया जा सके।
- कंप्यूटर प्रोग्राम पर चलने वाले उन रासायनिक सूत्रों को वैज्ञानिकों ने 'केम्पिलर' नाम दिया है। ये केम्पिलर केंप्युटर को यह निर्देश देते हैं कि पहले से कहीं अधिक किफायती और सुरक्षित ढंग से मांग अनुरूप अणुओं का उत्पादन कैसे करें।
- शोधकर्त्ताओं का दावा है कि एक सार्वभौमिक कोड का उपयोग करने की यह क्षमता दुनिया भर के रसायनविज्ञानियों को अपने रासायनिक सूत्रों को डिजिटल कोड में बदलने की अनुमति देगी।
- यह लोगों को आईट्यून्स या स्पॉटिफी पर संगीत डाउनलोड करने के समान ही रासायनिक सूत्रों को साझा करने और डाउनलोड करने की अनुमति देगा।
- ग्लासगो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ली क्रोनिन के अनुसार, "यह दृष्टिकोण रसायन शास्त्र के डिजिटलीकरण में एक महत्त्वपूर्ण कदम है और मांग के अनुरूप जटिल अणुओं की सार्वभौमिक असेंबली की अनुमति देगा तथा एक सरल सॉफ़्टवेयर एप और मॉड्यूलर केंप्युटर का उपयोग करके नए अणुओं को खोज और निर्माण की क्षमता को सर्वसुलभ बनाएगा।"
- क्रोनिन ने कहा, "एक कॉम्पैक्ट केंप्युटर प्रणाली के माध्यम से दवाओं के लिये रासायनिक सूत्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और संश्लेषित करने योग्य बनाने से दुनिया के दूरस्थ हिस्सों में चिकित्सा पेशेवरों को ज़रूरत के समय जीवन रक्षक दवाओं को बनाने की अनुमति मिल सकती है।"

नोट :

- शोधकर्त्ताओं ने कहा कि इस प्रणाली के संभावित अनुप्रयोग बहुत अधिक हैं और हम जैविक रसायन शास्त्र के लिये इस क्रांतिकारी नए दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिये बहुत उत्साहित हैं।

जीसैट-11 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation's -ISRO) के सबसे भारी और उन्नत संचार उपग्रह GSAT -11 को फ्रेंच गुयाना (French Guiana) के कौरु (Kouru) लॉन्च बेस स्पेसपोर्ट (Spaceport) से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

- इस संचार उपग्रह को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन-5 (Arianए-5) से लॉन्च किया गया।
- GSAT-11 इसरो के उच्च प्रवाह क्षमता वाले संचार उपग्रह (high-throughput communication satellite- HTS) समूह का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि इस श्रेणी के दो संचार उपग्रह GSAT-29 और GSAT-19 पहले से ही अंतरिक्ष में हैं।
- यह ISRO द्वारा निर्मित 34वाँ संचार उपग्रह है।

लाभ

- देश भर में ब्रॉडबैंड सेवाएँ उपलब्ध कराने में GSAT एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह स्पॉट बीम तकनीक (spot beam technology) के उपयोग के कारण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड की क्षमता में वृद्धि करेगा और इंटरनेट डाटा की उच्च दर सुनिश्चित करेगा।
- GSAT-11 भारत नेट परियोजना (Bharat Net Project) जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, के अंतर्गत आने वाले देश के ग्रामीण क्षेत्रों और दुर्गम ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।
- उल्लेखनीय है कि भारत नेट परियोजना का उद्देश्य अन्य योजनाओं के साथ-साथ ई-बैंकिंग, ई-हेल्थ तथा ई-गवर्नेंस जैसी सार्वजनिक कल्याण की योजनाओं को बढ़ावा देना है।

स्पॉट बीम

- स्पॉट बीम एक सैटेलाइट सिग्नल है जो किसी क्षेत्र विशेष में अधिक आवृत्ति की तरंगे तेजी से भेज सकता है। यह एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है।
- ये बीम जितनी पतली होती हैं उनके सिग्नल उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। GSAT-11 में स्पॉट बीम की प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाएगा ताकि पूरे देश को कवर किया जा सके।
- इसके विपरीत इनसैट (INSAT) जैसे पारंपरिक उपग्रह लाइट ब्रॉड सिंगल बीम का प्रयोग करते हैं जो इतने शक्तिशाली नहीं होते कि पूरे देश को कवर कर सकें।

ओसीरिस-रेक्स अंतरिक्ष यान बेन्नू पर पहला आगंतुक

चर्चा में क्यों?

लगभग दो साल की यात्रा के बाद, नासा का अंतरिक्ष यान ओसीरिस-रेक्स (OSIRIS-Rex) 3 दिसंबर को क्षुद्र ग्रह बेन्नू (Bennu) पर पहुँचा और इसने हीरे के आकार की चट्टान का चित्र लिया। यह अंतरिक्ष यान आने वाले दिनों यानी 31 दिसंबर तक को बेन्नू की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक कोई भी अंतरिक्ष यान इस तरह के एक छोटे से क्षुद्रग्रह की कक्षा तक नहीं पहुँच पाया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- क्षुद्र ग्रह के नमूनों को एकत्रित कर पृथ्वी पर लौटने के लिये यह पहला अमेरिकी प्रयास है इससे पूर्व केवल जापान ने कुछ हद तक इस क्षेत्र में प्रयास किये हैं।
- वर्ष 2020 में वैज्ञानिक इस यान द्वारा जुटाए गए नमूने एकत्र करेंगे और 2023 तक यह पृथ्वी पर लौट आएगा।

- वैज्ञानिक, बेन्नू जैसे कार्बन समृद्ध क्षुद्र ग्रह की सामग्री का अध्ययन करने के लिये उत्सुक हैं, जो 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल की शुरुआती निर्माण का प्रमाण है।
- इस प्रकार बेन्नू एक खगोलीय समय कैप्सूल के समान है।
- इस बीच एक जापानी अंतरिक्ष यान जिसको रायगु (Ryugu) नाम दिया गया है जून के बाद से क्षुद्र ग्रहों के नमूने एकत्रित करने के लिये पृथ्वी से रवाना होगा। यह जापान का दूसरा क्षुद्र ग्रह मिशन है।

क्षुद्र ग्रह के बारे में

- मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे-छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है।
- अनियमित आकार वाले ये क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करते हैं।
- क्षुद्र ग्रह ग्रह निर्माणकारी तत्त्वों के अवशेष हैं जिनमें जल, कार्बनिक तत्त्व, धातुएँ आदि प्राकृतिक संसाधन निहित होते हैं।
- बेन्नू भी एक क्षुद्र ग्रह है जिसे '1999 RQ36' के नाम से भी जाना जाता है।

ओसीरिस-रेक्स (Osiris-REx)

- 8 सितंबर, 2016 को नासा द्वारा फ्लोरिडा के केप केनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से अंतरिक्ष यान ओसीरिस-रेक्स (Osiris-REx) को एटलस-U रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया।
- इस अंतरिक्ष यान का निर्माण लॉकहीड मार्टीन स्पेस सिस्टम्स द्वारा किया गया है।
- ओसीरिस-रेक्स (Osiris-REx) का पूरा नाम-ओरिजिंस, स्पेक्ट्रल इंटरप्रीटेशन, रिसोर्स आईडेंटीफिकेशन, सिक्योरिटी-रेगोलिथ एक्सफ्लोरर एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है।
- नासा के इस अंतरिक्ष मिशन के द्वारा पृथ्वी के समीप के क्षुद्रग्रह बेन्नू से नमूने का संग्रहण एवं उनका अध्ययन किया जाएगा।
- इस मिशन का उद्देश्य क्षुद्रग्रह पर वातावरण और उसकी बनावट के संबंध में सटीक जानकारी एकत्र करना है।
- यह अन्तरिक्ष यान अपनी रोबोटिक आर्म की मदद से क्षुद्र ग्रह की सतह पर चट्टानों एवं खनिज तत्वों के नमूने एकत्रित करेगा।
- इस अंतरिक्ष यान में पाँच उपकरण लगे हैं, जो इस प्रकार हैं –
  - ओसीरिस-रेक्स लेज़र अल्टीमीटर (OLA),
  - ओसीरिस-रेक्स थर्मल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर (OTES),
  - ओसीरिस-रेक्स विज़िबल एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर (OVIRS),
  - ओसीरिस-रेक्स कैमरा सूट (OCAMS) तथा
  - रेगोलिथ, एक्स-रे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (REXIS)।

मंत्रिमंडल द्वारा बहुविषयक साइबर-फिज़िकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा बहुविषयक साइबर-फिज़िकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS) को मंज़ूरी दे दी गई। इसे पाँच सालों के लिये 3600 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- NM-ICPS एक समग्र मिशन है जो CPS में प्रौद्योगिकी विकास, विनियोग विकास, मानव संसाधन विकास, कौशल विकास, उद्यमशीलता और स्टार्ट-अप विकास तथा संबंधित प्रौद्योगिकियों के मुद्दों को हल करेगा।
- मिशन का लक्ष्य 15 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (Technology Innovation Hubs-TIH), 6 विनियोग नवाचार केंद्र (Application Innovation Hubs-AIH) और 4 प्रौद्योगिकी आधारित नव-अनुसंधान केंद्र (Technology Translation Research Parks-TTRP) बनाना है।

- ये नवाचार केंद्र (Innovation Hubs) और TTRP देश के प्रतिष्ठित अकादमिक, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य संगठनों में समाधान विकास के संबंध में अकादमिक संस्थानों, उद्योग, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को आपस में जोड़ेंगे।
- अकादमिक संस्थानों, उद्योग और सरकार के एक उपयुक्त समूह को शामिल करने के लिये रणनीतिक पहल के संबंध में प्रस्ताव को अपनाया गया है।
- मिशन के कार्यान्वयन, निगरानी और उसके मार्गदर्शन के लिये मिशन प्रशासनिक बोर्ड तथा अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति, वैज्ञानिक सलाहकार समिति और अन्य उप-समितियों के रूप में मज़बूत संचालन तथा निगरानी प्रणाली तैयार होगी।
- इन नवाचार केंद्रों और TTRP के चार प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके साथ मिशन के कार्यान्वयन का कार्य आगे बढ़ेगा। ये चार क्षेत्र हैं- i) प्रौद्योगिकी विकास ii) मानव संसाधन विकास एवं कौशल विकास iii) नवाचार, उद्यमिता एवं स्टार्ट-अप इको प्रणाली विकास iv) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

मिशन का उद्देश्य

- इस मिशन के तहत समाज की बढ़ती प्रौद्योगिकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा और यह अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिये अग्रणी देशों के अंतर्राष्ट्रीय रूझानों तथा रोडमैप का जायजा लेगा।
- इस मिशन के तहत देश में साइबर-फिज़िकल प्रणालियों (CPS) और संबंधित प्रौद्योगिकियों की पहुँच सुगम हो जाएगी। भारतीय परिस्थितियों के मद्देनज़र राष्ट्रीय/क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने के लिये CPS प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाएगा।
- CPS में अगली पीढ़ी की कुशल श्रमशक्ति का सृजन होगा। प्रौद्योगिकी आधारित नव-अनुसंधान में तेज़ी लाई जाएगी। इस मिशन से CPS में उद्यमिता और स्टार्ट-अप इको प्रणाली के विकास में तेज़ी आएगी।
- CPS के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग विषयों में उच्च शिक्षा में उन्नत अनुसंधान को तेज़ी प्रदान की जाएगी। इस मिशन के ज़रिये भारत को अन्य उन्नत देशों के समकक्ष लाने का प्रयास किया जाएगा तथा भारत द्वारा कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों को प्राप्त किया जाएगा।

मिशन के संभावित लाभ

- मिशन समाज के लाभ के लिये CPS प्रौद्यगिकियों के कारगर इस्तेमाल करने के संबंध में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और उद्योगों को अपनी परियोजनाएँ और योजनाएँ चलाने में मदद करेगा।
- CPS प्रौद्योगिकियों से राष्ट्र की वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी नवाचार क्षमताओं को नई धार मिलेगी। इसके अलावा वे सरकार के अन्य मिशनों को समर्थन देंगी, औद्योगिक तथा आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा का माहौल पैदा करेंगी और एक वास्तविक रणनीतिक संसाधन के रूप में विकसित होंगी।
- प्रस्तावित मिशन, विकास का माध्यम बनेगा, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, रणनीति आधारित सुरक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय पहलों को लाभ होगा। इसके अलावा इंडस्ट्री 4.0, स्मार्ट सिटी, सतत् विकास लक्ष्य इत्यादि को भी लाभ होगा।
- CPS आने वाली प्रौद्योगिकियों की एक समग्र प्रणाली है, जो विकास की दौड़ में अन्य देशों के साथ मिलकर चलने को प्राथमिकता देती है। सीपीएस से समस्त कौशल आवश्यकताओं में आमूल परिवर्तन होगा। उद्योग/समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्नत कौशल और कुशल श्रमशक्ति के सृजन के द्वारा यह मिशन रोज़गार के अवसरों में इजाफा करेगा।
- नवाचार, उद्यमिता और स्टार्ट-अप इको प्रणाली प्रस्तावित NM-ICPS का अभिन्न हिस्सा है, जिसके मद्देनज़र स्टार्ट-अप से भी CPS तथा संबंधित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आधारित रोज़गार अवसर पैदा होंगे। इस तरह अल्पकालिक अवधि में लगभग 40,000 रोज़गार और दीर्घकालिक अवधि में लगभग दो लाख रोज़गार सृजित होंगे।

मिशन की आवश्यकता क्यों?

- CPS और इससे संबंधित प्रौद्योगिकियाँ, जैसे- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), मशीन लर्निंग (ML), डीप लर्निंग (DP), बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम एन्क्रिप्शन (क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन), डेटा साइंस और भविष्यवाणी विश्लेषिकी, भौतिक आधारभूत संरचना और अन्य बुनियादी ढाँचे के लिये साइबर सुरक्षा, व्यापक रूप से सभी क्षेत्रों में मानव प्रयास के लगभग हर क्षेत्र में एक परिवर्तनीय भूमिका निभा रही है।

नोट :

- सरकार और उद्योग के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे प्रतिस्पर्द्धी बने रहने, सामाजिक विकास करने, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास में तेजी लाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा पर्यावरण को कायम रखने के लिये इन उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये तैयार रहें।

चाँद के 'डार्क साइड' पर पहली बार लैंडिंग करेगा चीन का रोवर

चर्चा में क्यों ?

चीन ने अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 8 दिसंबर को चाँद की दूसरी ओर की सतह (डार्क साइड) पर लैंड कराने के लिये एक रोवर प्रक्षेपित किया जो चंद्रमा के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाएगा। चीन यह मिशन भेजने वाला विश्व का पहला देश है।

प्रमुख बिंदु

- चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, दक्षिण पश्चिमी शिचांग के प्रक्षेपण केंद्र से लाँग मार्च 3बी रॉकेट के ज़रिये 'चांग ई-4' की सफल लॉन्चिंग की गई।
- बीजिंग के इस चंद्र अभियान का नाम चीनी पौराणिक कथाओं की चंद्रमा देवी के नाम पर 'चांग ई-4' (chang e-4) रखा गया है।
- चाँद के आगे वाले हिस्से जो कि हमेशा धरती के सामने होता है, में कई समतल क्षेत्र हैं और रोवर के लिये वहाँ उतरना काफी आसान होता है।
- चाँद की दूसरी ओर की सतह वाला क्षेत्र पहाड़ी और काफी ऊबड़-खाबड़ है। ऐसे में रोवर की लैंडिंग कराना काफी चुनौतीपूर्ण है।
- इस रोवर को नए साल के आसपास चंद्रमा की सतह पर लैंड किये जाने की उम्मीद है। चांग ई-4 की सफल लॉन्चिंग ने चीन के चंद्र अन्वेषण मिशन की लंबी यात्रा की अच्छी शुरुआत की है, जो अंधेरी सतह पर नए प्रयोगों और असंगत इलाकों का पता लगाएगा।
- 1959 में पहली बार सोवियत संघ ने चंद्रमा की दूसरी तरफ की सतह की पहली तस्वीर ली थी, जिससे चंद्रमा के डार्क साइड के कुछ रहस्यों को सुलझाने में मदद मिली थी। अभी तक कोई भी लैंडर या रोवर चाँद की दूसरी ओर की सतह पर नहीं उतर सका है।
- चाँद की दूसरी ओर की सतह होने के कारण इस मिशन में सबसे बड़ी चुनौती रोबोटिक लैंडर (रोवर) के साथ संपर्क स्थापित करने की थी। इसके लिये चीन ने मई में क्यूक्विआओ सेटेलाइट को चाँद की कक्षा में स्थापित किया ताकि लैंडर और धरती के बीच डाटा और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके।

भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित की सौर चक्र की भविष्यवाणी की विधि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार, IISER कोलकाता के शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने पिछले 100 वर्षों से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग करके अगले सौर चक्र (लगभग 2020 से 2031 तक) की गतिविधि की तीव्रता की भविष्यवाणी की है।

प्रमुख बिंदु

- खगोलविदों ने लगभग 400 वर्षों तक सूर्य की सतह पर सौर कलंक (Sunspots) का अध्ययन किया है। वर्ष 1755 में अवलोकन शुरू होने के बाद से हम वर्तमान में 24वें सौर कलंक चक्र में हैं।
- ज्ञातव्य है कि सौर कलंक चक्रीय प्रतिरूप का पालन करते हैं, पहले इनकी संख्या में वृद्धि होती है और लगभग 11 वर्षों में ये गायब हो जाते हैं, इसे सौर कलंक चक्र या सौर्यिक गतिविधि चक्र के रूप में जाना जाता है।
- अन्य गणनाओं के विपरीत शोधकर्त्ता पाते हैं कि अगले चक्र के दौरान सौर्यिक गतिविधि कम नहीं होगी, बल्कि यह वर्तमान चक्र के समान होगी, या शायद पहले से भी मज़बूत हो। वे उम्मीद करते हैं कि यह चक्र 2024 के आस-पास चरम पर होगा।

शोधकर्त्ता चुंबकीय क्षेत्र विकास क्रम मॉडल और अवलोकन संबंधी आँकड़ों का उपयोग कर सूर्य के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। वे सौर गतिविधि का अनुकरण करते हैं और एक चक्र से प्राप्त आँकड़े का उपयोग करते हुए लगभग दस वर्ष पूर्व के अगले चक्र में सूर्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं।

- वर्ष 1913 से लेकर अब तक दर्ज आँकड़ों के साथ अपने अनुकरण की तुलना करने पर उन्हें ज़्यादातर मामलों में महत्त्वपूर्ण समानता दिखती है। उसी विधि का उपयोग करते हुए शोधकर्त्ता भविष्य में लगभग दस वर्षों के अगले चक्र की सौर गतिविधि की भविष्यवाणी करते हैं।
- इस शोधपत्र के लेखक दिव्येंदु नंदी के अनुसार, "हमारे काम से पता चला है कि हम अगले सौर कलंक चक्र (यानी अगले 10 वर्षों) से परे भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सूर्य की गतिशील 'स्मृति' (यानी, सूर्य की पिछली स्थितियों के समय की अवधि, जो कि भविष्य की स्थितियों को प्रभावित करती है) केवल एक सौर्य चक्र तक सीमित है और इससे परे नहीं है।
- इस शोधपत्र का लेखन डॉ नंदी जो कि सेंटर फॉर एक्सलेंस इन स्पेस साइंसेज इंडिया (Centre for Excellence in Space Sciences India) और डिपार्टमेंट ऑफ़ फिज़िकल साइंस (Department of Physical Sciences) IISER, कोलकाता से जुड़े हैं, ने शोध छात्र प्रंतिका भौमिक के साथ मिलकर किया।
- विशेषज्ञों के अनुसार, "इस प्रकार का कार्य सूर्य की दीर्घकालिक भिन्नताओं और हमारे जलवायु पर इसके प्रभाव को समझने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण होगा जो आदित्य मिशन के उद्देश्यों में से एक है। यह पूर्वानुमान आदित्य मिशन की वैज्ञानिक परिचालन योजना के लिये भी उपयोगी होगा।"
- सौर कलंक को समझने का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि वे अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करते हैं। यह सूर्य के आस-पास के क्षेत्र में विकिरण, कण प्रवाह और चुंबकीय प्रवाह के प्रभाव को संदर्भित करता है।
- चरम घटनाओं के दौरान, अंतरिक्ष का मौसम इलेक्ट्रॉनिक्स संचालित उपग्रह नियंत्रण, संचार प्रणाली, ध्रुवीय मार्गों पर हवाई यातायात और यहाँ तक कि बिजली ग्रिड को भी प्रभावित कर सकता है। अन्य दिलचस्प कारण यह भी है कि यह माना जाता है कि सौर कलंक पृथ्वी की जलवायु से संबंधित हैं।
- इस क्षेत्र में बहुत से शोध इस बात का अनुमान लगाने पर केंद्रित हैं कि अगला सौर कलंक चक्र किस प्रकार आकार लेगा- क्या सूर्य बेहद सक्रिय होगा और कई सौर धब्बे उत्पन्न करेगा या नहीं।
- भविष्यवाणी की गई है कि अगला चक्र (चक्र 25) कम सौर कलंक की गतिविधि दिखाएगा। यहाँ तक अनुमान लगाया गया है कि सूर्य लंबे समय तक कम गतिविधि की अवधि की ओर बढ़ रहा है - सौर भौतिक विज्ञानी इसका वर्णन 'मौंडर लाइक मिनिमम' के रूप में करते हैं।
- मौंडर मिनिमम वर्ष 1645 से 1715 तक की अवधि को संदर्भित करता है जहाँ पर्यवेक्षकों ने न्यूनतम सौर कलंक गतिविधि की सूचना दी, यहाँ 28 वर्षों की अवधि में सौर कलंक की संख्या लगभग 1,000 गुना कम हो गई।
- इस दौरान और कम गतिविधि की ऐसी अन्य अवधि के दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में औसत से कम तापमान का अनुभव हुआ। जबकि मौंडर मिनिमम और पृथ्वी पर जलवायु के बीच संबंध अभी भी बहस का मुद्दा है, यह सौर कलंक के अध्ययन का एक और कारण प्रदान करता है।
- शोधकर्त्ताओं ने लिखा, "सौर कलंक चक्र-25 सौर गतिविधि की पर्याप्त रूप से कमज़ोर प्रवृत्ति को उलट सकता है, जिसके अनुसार, आसन्न मौंडर की तरह और अधिक तथा ठंडे वैश्विक जलवायु की अटकलें लगाई गई हैं।"

नासा का वोएजर-2

चर्चा में क्यों?

नासा का वोएजर-2 (Voyager 2) सौरमंडल के आखिरी छोर तक पहुँचने वाला इतिहास में दूसरा मानव निर्मित उपकरण बन गया है।

- Voyager 2 को 20 अगस्त, 1977 को लॉन्च किया गया था, जबकि Voyager 1 को 5 सितंबर, 1977 को लॉन्च किया गया था। Voyager 2 NASA का सबसे लंबा चलने वाला मिशन है।
- Voyager 1 ने 2012 में ही इस सीमा को पार किया था।
- लेकिन 41 साल पहले लॉन्च किये गए Voyager 2 में एक क्रियाशील उपकरण लगाया गया है जो अंतरिक्ष में तारों के बीच की दुनिया के बारे में अपनी तरह के पहले प्राकृतिक अवलोकन उपलब्ध कराएगा।
- नासा के अनुसार, इस समय Voyager 2 पृथ्वी से 18 बिलियन किमी. दूर है।

नोट :

- Voyager 1 और Voyager 2 दोनों अभी सौरमंडल के अंदर ही हैं फिलहाल निकट भविष्य में भी ये इससे बाहर नहीं जाएंगे।
- Voyager 2 एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो सभी चार गैस विशाल ग्रहों - बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेप्च्यून की यात्रा कर चुका है।

हेलीओस्फीयर (heliosphere)

- अंतरिक्ष यान पर लगे विभिन्न उपकरणों से प्राप्त डेटा का आकलन कर मिशन के वैज्ञानिकों ने यह निर्धारित किया कि इस प्रोब ने 5 नवंबर को हेलीओस्फीयर (heliosphere) के आखिरी छोर को पार किया।
- हैलियोपाउज़ (heliopause) नामक यह सीमा ऐसा स्थान है जहाँ कमज़ोर, गर्म सौर हवा तारों के बीच के ठंडे और घने माध्यम से मिलती है।
- इस यान द्वारा अपनी यात्रा के नए चरण में प्रवेश करने के बावजूद मिशन के ऑपरेटर Voyager 2 के साथ संवाद कर सकते हैं। लेकिन इस यान से आने वाली सूचना, जो प्रकाश की गति से आगे बढती है, को अंतरिक्ष यान से पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 16.5 घंटे का समय लगता है।
- हेलीओस्फीयर से Voyager 2 के बाहर निकलने का सबसे मजबूर साक्ष्य प्लाज़्मा साइंस एक्सपर्टमेंट (Plasma Science Experiment- PLS) से प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि यह उपकरण पर Voyager 1 पर भी लगाया था लेकिन इस यान द्वारा हेलीओपोज़ की सीमा को पार करने से काफी पहले वर्ष, 1980 में ही इस उपकरण ने काम करना बंद कर दिया था।
- प्लाज्मा डेटा के अतिरिक्त, Voyager 2 द्वारा हेलीओपॉज़ की सीमा को पार करने के साक्ष्य इस पर लगे अन्य तीन उपकरणों- ब्रह्मांडीय किरण उपप्रणाली (cosmic ray subsystem), कम ऊर्जा वाले कण उपकरण (low energy charged particle instrument) और मैग्नेटोमीटर (magnetometer) से प्राप्त हुए हैं।

महत्त्व और चुनौतियाँ

- हेलिओस्फीयर बाहरी अंतरिक्ष से बहने वाली स्थिर इंटरसेलर हवाओं के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, इस संबंध में दोनों Voyagers विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इनके अवलोकनों का उपयोग नासा के IBEX (NASA's Interstellar Boundary Explorer-IBEX) से डेटा प्राप्त करने के लिये किया जाएगा, यह सौर मंडल की सीमा की रिमोट सेंसिंग संबंधी एक मिशन है।
- इस मिशन में सबसे बड़ी चुनौती गर्मी और बिजली के क्रमिक नुकसान से निपटना है। वर्तमान में Voyager 2 का परिचालन केवल 38.5 डिग्री फ़ारेनहाइट (3.6 डिग्री सेल्सियस) के तापमान पर किया जा रहा है और इससे प्रत्येक वर्ष अंतरिक्ष यान के विद्युत उत्पादन में 4 वाट की कमी आती है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावलियाँ

टर्मिनेशन शॉक (Termination Shock):

- सूर्य से बाहर की ओर अरबों किलोमीटर की दूरी पर बहने वाली सौर हवा।
- यह विद्युत आवेशित गैसों की एक धारा है।
- जब तक कि यह टर्मिनेशन शॉक तक न पहुँच जाए, तब तक यह औसतन 300 से 700 किमी. प्रति सेकेंड (700,000-1,500,000 मील प्रति घंटा) की गति से बहती है। इस बिंदु पर सौर हवा की गति तेज़ी से कम हो जाती है क्योंकि यह इंटरसेलर हवाओं (interstellar wind) के संपर्क में आ जाती है।

हेलिओस्फीयर (Heliosphere):

- सूर्य से निकलने वाली सौर हवा, एक ऐसे बुलबुले का निर्माण करती है जो ग्रहों की कक्षाओं से बहुत दूर तक फैली हुई हो। यह बुलबुला (bubble) ही हेलिओस्फीयर है जो एक लंबे वात शंकु (windsock) के आकार का होता है तथा तारों के बीच अंतरिक्ष में सूर्य के साथ-साथ गति करता है।

हेलिओशीएथ (Heliosheath):

- हेलीओशिएथ, हेलीओस्फीयर का बाहरी क्षेत्र है, जो टर्मिनेशन शॉक (वह बिंदु जहाँ सौर हवा की गति अचानक कम हो जाती है तथा वह पहले की तुलना में अधिक सघन और गर्म हो जाती है) से परे होता है।

नोट :

हेलियोपॉज़ (Heliopause):

- सौर हवा और इंटरसेलर हवा के बीच की सीमा, जहाँ दोनों हवाओं का दबाव संतुलन में होता है, को हेलियोपॉज़ कहते है।

बो शॉक (Bow shock)

- जब हेलीओस्फीयर इंटरस्टेलर स्पेस के माध्यम से बहता है, तो बो शॉक का निर्माण होता है ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में जहाज़ के चलने के दौरान होता है।

ऊर्ट क्लाउड (Oort Cloud)

- यह उन छोटे पिंडो का संग्रह है जो अभी भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में हैं। सौर मंडल की सीमा को ऊर्ट क्लाउड के अंतिम किनारे से बाहर माना जाता है।
- हालाँकि, अभी तक ऊर्ट क्लाउड की चौड़ाई ठीक से ज्ञात नहीं है, लेकिन यह अनुमान है कि यह सूर्य से लगभग 1000 खगोलीय इकाइयों (astronomical units- AU) से शुरू होता है और लगभग 100,000 AU तक इसका विस्तार होता है (1 AU सूर्य से पृथ्वी के बीच दूरी है)।

द गोल्डन रिकॉर्ड (The Golden Record)

- गोल्डन रिकॉर्ड 12 इंच की तांबे की डिस्क है जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है, Voyager 1 और 2 दोनों पर पर ध्वनि संकेतों रिकॉर्ड को लगाया गया है। इसमें धरती पर जीवन और संस्कृति की विविधता को चित्रित करने के लियेए चुने गए ध्वनियों और छवियों वाले डेटा होते हैं।

डीप स्पेस नेटवर्क (Deep Space Network- DSN)

- डीप स्पेस नेटवर्क (DSN) हमारे सौर मंडल के सबसे दूरदराज के बिंदुओं का पता लगाने वाले नासा और गैर-नासा मिशन का समर्थन करता है।
- DSN में तीन ग्राउंड स्टेशन हैं जो पृथ्वी पर एक-दूसरे से लगभग 120 डिग्री की दूरी ((120 + 120 + 120 = 360) पर स्थित हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गहरे अंतरिक्ष में कोई भी उपग्रह हर समय कम-से-कम एक स्टेशन के साथ संवाद करने में सक्षम हो।

DSN की स्थिति

- कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया
- मैड्रिड, स्पेन
- गोल्डस्टोन, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका

इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्शलरेशन प्रोब (Interstellar Mapping and Acceleration Probe)

- यह नासा का एक और मिशन है, जिसे Voyager के अवलोकनों का अनुसरण करने के लिये 2024 में लॉन्च किया जाना है।

इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर (Interstellar Boundary Explorer -IBEX)

- नासा के इस मिशन का उद्देश्य सौर हवा और इंटरस्टेलर माध्यम के बीच हमारे सौर मंडल के किनारे पर होने वाली पारस्परिक क्रिया की प्रकृति के बारे में खोज करना है।
- इसे 19 अक्तूबर, 2008 को लॉन्च किया गया था।

ऑक्सीटॉसिन उत्पादन पर केंद्र का प्रतिबंध रद्द

चर्चा में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ऑक्सीटॉसिन (Oxytocin) के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला

- ऑक्सीटॉसिन के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का फैसला मनमाना और अनुचित है।
- दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये डेयरी क्षेत्र में इस दवा के दुरुपयोग को रोकने के लिये निजी कंपनियों को इस दवा को बनाने या आपूर्ति करने से रोकने वाले केंद्र सरकार के फैसले के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

क्या है ऑक्सीटॉसिन?

- ऑक्सीटॉसिन एक हार्मोन है जो मस्तिष्क में अवस्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है।
- मनुष्य के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण ऑक्सीटॉसिन को लव हार्मोन (Love Harmone) के नाम से भी जाना जाता है।

उपयोग

- ऑक्सीटॉसिन के इंजेक्शन का उपयोग आमतौर पर दूध देने वाले पशुओं से अतिरिक्त दूध प्राप्त करने के लिये किया जाता है। इसका इंजेक्शन लगा देने से पशु किसी भी समय दूध दे सकता है।
- ऑक्सीटॉसिन का इस्तेमाल प्रसव पीड़ा शुरू करने और रक्तस्राव नियंत्रित करने के लिये किया जाता है।
- वर्तमान समय में इसका उपयोग खेती में भी किया जा रहा है। सामान्यत: इसका इस्तेमाल कद्दू, तरबूज, बैंगन, खीरा आदि सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिये भी किया जाता है।

प्रभाव

- इसके उपयोग से पशुओं में प्राकृतिक क्षमता कम होती है तथा दूध की गुणवत्ता में भी कमी आती है।
- इससे सब्जियों का आकार रातों-रात बढ़ाया जाता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकारक है।
- ऑक्सीटोसिन दवा का गुप्त रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री की जा रही है जिससे इसका व्यापक दुरुपयोग हो रहा है जो मनुष्यों एवं पशुओं के लिये हानिकारक है।
- ऑक्सीटॉसिन के दुरुपयोग के कारण दुधारू पशुओं में बाँझपन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

DTAB ने भी की प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश

- दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड (Drug Technical Advisory Board- DTAB) ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से यह सिफारिश की थी कि ऑक्सीटॉसिन की खुदरा बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाया जा सकता है।
- DTAB की सिफारिश के अनुसार, ऑक्सीटॉसिन की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना को संशोधित किया जा सकता है तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के तहत मानव उपयोग के लिये इसकी बिक्री और वितरण को जारी रखा जा सकता है।

पृष्ठभूमि

- डेयरी सेक्टर में ऑक्सीटॉसिन के गंभीर दुरुपयोग का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- फिलहाल केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार, केवल एक ही सार्वजनिक इकाई कर्नाटक एंटीबायोटिक और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (Karnataka Antibiotic and Pharmaceuticals Limited) को इस दवा का निर्माण और देश भर में इसकी आपूर्ति करने का अधिकार प्राप्त था। उल्लेखनीय है कि इस कंपनी ने पहले कभी ऑक्सीटॉसिन का निर्माण नहीं किया था।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन

चर्चा में क्यों?

तीन वर्षों से अधिक की देरी के बाद हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission) के तहत 70 से अधिक सुपर कंप्यूटर बनाने के लिये फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी फर्म अटोस (Atos)के साथ 4,500 करोड़ रूपए का अनुबंध किया है।

नोट :

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस अनुबंध को प्राप्त करने के लिये अटोस, लेनोवो, एचपी और नेटवेब टेक्नोलॉज़ी के मध्य प्रतिस्पर्द्धा थी।
- इस अनुबंध द्वारा भारत में 73 सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन और निर्मित किये जाने की संभावना है जिसकी बदौलत भारत की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
- इस अनुबंध के तहत फ्राँस की कंपनी अटोस भारत में सुपर कंप्यूटर निर्माण की दिशा में काम करेगी।
- गौरतलब है कि देश में उच्च क्षमता वाली 70 से भी अधिक सुपरकंप्यूटिंग सुविधाओं से युक्त विभिन्न शैक्षणिक और शोध संस्थानों का नेटवर्क बनाया जाएगा।

क्या है राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन ?

- 25 मार्च, 2015 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन को मंज़ूरी दी थी।
- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास, वैश्विक प्रौद्योगिकी के रुझानों और बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन को मंज़ूरी दी थी।
- इस मिशन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कार्यान्वित कर रहे हैं।
- सुपरकंप्यूटिंग के क्षेत्र में कार्यकलापों को शुरु करने के लिये 2014-15 में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के लिये 42.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया था।
- ये नए सुपर कंप्यूटर न केवल सरकार की ई-प्रशासन नीति को बेहतर बनाएंगे बल्कि यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भी आम जनता तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- ये सुपर कंप्यूटर विभिन्न मंत्रालयों, वैज्ञानिकों व शोध करने वाले संस्थानों के काम आएंगे। इनका उपयोग वाहन बनाने से लेकर नई दवाओं के निर्माण, ऊर्जा के स्रोत तलाशने व जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों में किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के तहत भारत को विश्व स्तरीय कम्प्यूटिंग शक्ति बनाना है।
- भारत के पास लगभग 30 सुपर कंप्यूटर हैं जिनमें से अधिकांश उच्च अधिगम वाले संस्थानों, जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईटी और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं जैसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, सी-डैक सीएआईआर-चतुर्थ प्रतिमान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र आदि में स्थित हैं।
- सुपरकंप्यूटिंग मिशन के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद भारत की गिनती अमेरिका, जापान, चीन और यूरोपीय संघ जैसे सुपरकंप्यूटर से संपन्न देशों में होगी।

परियोजना में देरी क्यों ?

- अलग-अलग मंत्रालयों की मिलकर काम करने में उत्पन्न चुनौतियों के साथ-साथ वित्त की कमी, इस परियोजना के शुरू होने में तीन साल की देरी की वज़ह रही।

कहाँ लगेंगे ये सुपर कंप्यूटर ?

- पहले तीन सुपर कंप्यूटर आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर और आईआईआईटीएम पुणे में स्थापित किये जाएंगे। आईआईटी बीएचयू को एक पेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर मिलेगा, जबकि अन्य दो संस्थानों को 650 टेरा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर मिलेंगे।
- C-DAC सभी सुपर कंप्यूटर को एक सामान्य ग्रिड से जोड़ने की योजना बना रहा है, जो किसी भी संस्थान को सुपरकंप्यूटिंग पावर तक पहुँचने की सुविधा प्रदान करेगा जिससे यह दुनिया की सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटिंग प्रणाली बन जाएगी।

मिश्रित बायो-फ्यूल के साथ भारतीय वायुसेना की पहली उड़ान

चर्चा में क्यों ?

भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) के प्रमुख परीक्षण स्थल ASTE, बंगलूरू में 17 दिसंबर, 2018 को पायलटों और इंजीनियरों ने An-32 सैनिक परिवहन विमान (transport aircraft) में पहली बार मिश्रित बायो-जेट ईंधन (blended bio-jet

fuel) का इस्तेमाल करते हुए प्रायोगिक उड़ान भरी। यह परियोजना भारतीय वायुसेना, DRDO, डायरेक्टोरेट जनरल एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस (Directorate General Aeronautical Quality Assurance-DGAQA) और CSIR-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (Indian Institute of Petroleum) का मिला-जुला प्रयास है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय वायुसेना ने ज़मीन पर बड़े पैमाने पर ईंजन परीक्षण किये। इसके बाद 10 प्रतिशत मिश्रित एटीएफ का इस्तेमाल करते हुए विमान का परीक्षण किया गया।
- इस ईंधन को छत्तीसगढ़ जैव डीज़ल विकास प्राधिकरण (Chattisgarh Biodiesel Development Authority-CBDA) से प्राप्त जट्रोफा तेल से बनाया गया है, जिसका बाद में CSIR-IIP में प्रसंस्करण किया गया है।
- भारतीय वायुसेना 26 जनवरी, 2019 को गणतंत्र दिवस पर फ्लाईपास्ट (Republic Day flypast) में बायो-जेट ईंधन का इस्तेमाल करते हुए An-32 विमान उड़ाना चाहती है।

एविएशन बायो-फ्यूल

- पौधों में मौजूद अखाद्य तेलों, लकड़ी और उसके उत्पादों, जानवरों की वसा और बायोमास से बनने वाले बायो-फ्यूल के एक हिस्से को पारंपरिक ईंधन, जैसे पेट्रोल या डीज़ल में मिलाकर एविएशन बायो-फ्यूल बनाया जाता है।

जट्रोफा से बायो-फ्यूल

- वर्तमान समय में हमारे सामने परमाणु ऊर्जा, सौर-ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं प्राकृतिक गैस आदि के रूप में कई विकल्प उपलब्ध हैं परंतु विकिरण से जुड़े खतरों,अत्यधिक लागत व अन्य सीमाओं के कारण इन विकल्पों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहा जा सकता है। यही कारण है कि कुछ देशों में तिलहनों व वृक्षों से प्राप्त होने वाले बीज के तेलों को पेट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर उपयोग में लाया जा रहा है।
- अमेरिका व यूरोप के कुछ देशों में वनस्पति से प्राप्त खाद्य तेल जैसे- सोयाबीन, सूरजमुखी, मूँगफली तथा मक्का को डीज़ल के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा रहा हैं, परंतु भारत में खाद्य तेल की बढ़ती मांग के चलते इनके किसी अन्य उपयोग के बारे में विचार करना भी कठिन प्रतीत होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों द्वारा वृक्षमूल वाले तिलहनों जैसे- नीम, तुंग, करंज व जेट्रोफा (रतनजोत) इत्यादि से प्राप्त होने वाले तेलों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर बल दिया जा रहा है।
- कम सिंचाई, पथरीली एवं ऊँची-नीची बंज़र भूमियों में उगने की क्षमता तथा जंगली जानवरों से कोई हानि न होने जैसी विलक्षण विशेषताओं के कारण जट्रोफा की खेती करना बहुत आसान है। जेट्रोफा के तेल से बने डीज़ल में सल्फर की मात्रा बहुत ही कम होने के कारण इसको बायो-डीज़ल की श्रेणी में रखा गया है।

जैव ईंधन के प्रमुख लाभ

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।
- गैर-विषाक्त और बायोडिग्रेडेबल।
- इसमें कोई सल्फर नहीं होता है जो एसिड बारिश का कारण बनता है।
- पर्यावरण अनुकूल कम उत्सर्जन।
- ग्रामीण रोज़गार क्षमता।

जैव ईंधन संचालित पहली जेट उड़ान

- जेट्रोफा बीज से निर्मित तेल और विमानन टरबाइन ईंधन के मिश्रण से प्रणोदित उड़ान देश की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान होगी।
- उल्लेखनीय है कि यह उड़ान सेवा दिल्ली से देहरादून के बीच संचालित हुई, जिसमें 43 मिनट का समय लगा। यह सेवा स्पाइस जेट (Bombardier Q-400) द्वारा मुहैया कराई गई। इस उड़ान में चालक दल के पाँच सदस्यों सहित कुल 25 व्यक्ति सवार थे।
- विमान के ईंधन में जैव-ईंधन और विमानन टरबाइन ईंधन का अनुपात 25:75 था। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, विमानन टरबाइन ईंधन के साथ 50% की दर से जैव ईंधन मिश्रित करने की अनुमति प्राप्त है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि देहरादून स्थित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ भारतीय पेट्रोलियम संस्थान को स्वदेशी रूप से ईंधन के निर्माण में आठ वर्ष का समय लग गया।
- ध्यातव्य है कि 2008 में वर्जिन अटलांटिक द्वारा वैश्विक स्तर पर पहली टेस्ट उड़ान के बाद ही संस्थान ने जैव ईंधन पर अपना प्रयोग कार्य शुरू किया था।

विश्व जैव-ईंधन दिवस

- 10 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में विश्व जैव-ईंधन दिवस का आयोजन किया गया।
- परंपरागत जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के तौर पर गैर-जीवाश्म ईंधनों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकार द्वारा जैव-ईंधन के क्षेत्र में की गई पहलों को दर्शाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव-ईंधन दिवस आयोजित किया जाता है।
- पिछले तीन वर्षों से तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय विश्व जैव-ईंधन दिवस का आयोजन कर रहा है।
- सर रुदाल्फ डीज़ल (डीज़ल इंजन के आविष्कारक) ने 10 अगस्त, 1893 को पहली बार मूँगफली के तेल से यांत्रिक इंजन को चलाने में सफलता हासिल की थी।

जैव-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018

- इस नीति के द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री तथा क्षतिग्रस्त अनाज, जैसे- गेहूँ, टूटे चावल और सड़े हुए आलू का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है।
- नीति में जैव-ईंधनों को 'आधारभूत जैव-ईंधनों' यानी पहली पीढ़ी (1जी) के बायो-एथेनॉल और बायो-डीज़ल तथा 'विकसित जैव-ईंधनों' यानी दूसरी पीढ़ी (2जी) के एथेनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप-इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, बायो-सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है, ताकि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।
- अतिरिक्त उत्पादन के चरण के दौरान किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंज़ूरी से एथेनॉल उत्पादन के लिये (पेट्रोल के साथ उसे मिलाने हेतु) अधिशेष अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
- जैव-ईंधनों के लिये नीति में 2जी एथेनॉल जैव रिफाइनरी को 1जी जैव-ईंधनों की तुलना में अतिरिक्त कर प्रोत्साहन, उच्च खरीद मूल्य आदि के अलावा 6 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए की निधियन योजना हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग का संकेत दिया गया है।

राजस्थान, केंद्र सरकार द्वारा मई 2018 में प्रस्तुत की गई जैव-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान अब तेल बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये उदयपुर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। जैव-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति किसानों को उनके अधिशेष उत्पादन का आर्थिक लाभ प्रदान करने और देश की तेल आयात निर्भरता को कम करने में सहायक होगी।

सौरमंडल में सबसे दूर स्थित पिंड की खोज

चर्चा में क्यों?

रहस्यों से भरे हमारे ब्रह्मांड में खगोलविदों की एक टीम ने सौरमंडल के अब तक के सबसे दूर स्थित पिंड की खोज की है।

- यह पहला ज्ञात पिंड है जिसकी पहचान सौरमंडल के सबसे दूर स्थित पिंड के रूप में की गई है।
- पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी की तुलना में यह 100 गुना से अधिक दूरी पर स्थित है।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर (International Astronomical Union's Minor Planet Center) ने 17 दिसंबर, 2018 को इस नए पिंड के बारे में घोषणा की थी और अस्थायी रूप से इसे 2018 वीजी18 (2018 VG18) नाम दिया गया है।

- यह खोज कार्नेगी यूनिवर्सिटी (Carnegie University) के स्कॉट एस. शेपार्ड (Scott S. Sheppard), यूनिवर्सिटी ऑफ़ हवाई (University of Hawaii) के डेविड थॉलेन (David Tholen) और नॉर्थर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी (Northern Arizona University) के चाड ट्रुजिलो (Chad Trujillo) द्वारा की गई थी।
- 2018 VG18 लगभग 120 खगोलीय इकाई (astronomical units- AU) की दूरी पर स्थित है और इतनी दूर स्थित होने के कारण शोधकर्त्ताओं की टीम ने इसे 'फ़ारआउट' (Farout) उपनाम नाम दिया है। उल्लेखनीय है कि 1 AU को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है।
- सौरमंडल में सबसे दूर देखा गया दूसरा पिंड एरिस (Eris) है जो लगभग 96 AU की दूरी पर स्थित है। प्लूटो (Pluto) वर्तमान में लगभग 34 AU की दूरी पर है, इसका तात्पर्य यह है कि 2018 VG18 सौरमंडल के सबसे प्रसिद्ध बौने ग्रह की तुलना में साढ़े तीन गुना अधिक दूरी पर स्थित है।
- 2018 VG18 की चमक इस बात का संकेत देती है कि इसका व्यास लगभग 500 किमी. है, संभवत: इसका आकार गोल है और यह एक बौना ग्रह (Dwarf Planet) हो सकता है। इसका रंग थोड़ा गुलाबी है जो आमतौर पर बर्फ-समृद्ध पिंडो से जुड़ा रंग है।
- 2018 VG18 सौरमंडल के किसी अन्य पिंड की तुलना में कहीं अधिक दूर है और बहुत धीमी गति चलायमान, इसलिये इसकी कक्षा पूरी तरह से निर्धारित करने में कुछ और साल लग सकते हैं।
- अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण ही इस पिंड को संभवत: सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिये 1,000 से अधिक वर्षों का समय लग सकता है।

कैसे हुई 2018 VG18 की पुष्टि?

- 2018 VG18 की खोज सौरमंडल में अत्यधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं की खोज के लिये जारी निरंतर खोज का हिस्सा है, जिसमें संदिग्ध ग्रह एक्स (Planet X) भी शामिल है, जिसे कभी-कभी प्लैनेट 9 (Planet 9) भी कहा जाता है।
- 2018 VG18 की खोज से संबंधित तस्वीरें 10 नवंबर, 2018 को हवाई (Hawaii) में मौना किआ (Mauna Kea) के ऊपर स्थित जापानी टेलीस्कोप सुबारू से ली गई थी।
- 2018 VG18 की खोज के बाद इसकी दूरी की पुष्टि के लिये इसे एक बार फिर से देखा जाना आवश्यक था क्योंकि पिंड की दूरी को सटीक रूप से निर्धारित करने में कई रातों का समय लगता है।
- दिसंबर की शुरुआत में चिली (Chile) में कार्नेगी की लास कैम्पाना वेधशाला (Carnegie's Las Campanas Observatory) में मैगेलन टेलीस्कोप के ज़रिये 2018 VG18 को दूसरी बार देखा गया था।
- अगले कुछ हफ़्तों तक शोधकर्त्ताओं की टीम ने इस पिंड का मार्ग सुनिश्चित करने और चमक तथा रंग जैसे भौतिक गुणों की प्राप्ति के लिये मैगेलन दूरबीन (Magellan telescope) के ज़रिये इसकी निगरानी की।
- मैगेलन के अवलोकनों ने इस बात की पुष्टि की कि 2018 VG18 लगभग 120 AU की दूरी पर स्थित है।

परमाणु क्षमता संपन्न अग्नि- IV मिसाइल का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

23 दिसंबर, 2018 को भारत ने परमाणु क्षमता संपन्न लंबी दूरी की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (Inter Continental Ballistic Missile) अग्नि- IV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

प्रमुख बिंदु

- सतह-से-सतह पर मार करने वाली इस सामरिक मिसाइल का परीक्षण डॉ. अब्दुल कलाम द्वीप पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (Integrated Test Range-ITR) के लॉन्च कॉम्प्लेक्स-4 से किया गया। इस द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप (Wheeler Island) के नाम से जाना जाता था।
- मोबाइल लॉन्चर के ज़रिये लॉन्च किये गए इस मिसाइल के उड़ान प्रदर्शन की ट्रैकिंग और निगरानी रडार, ट्रैकिंग सिस्टम और रेंज स्टेशन से की गई।

नोट :

- अग्नि- IV मिसाइल का यह 7वाँ परीक्षण था। इससे पहले मिसाइल का परीक्षण 2 जनवरी, 2018 को भारतीय सेना के रणनीतिक बल कमान (strategic force command -SFC) ने इसी बेस से किया था।
- अग्नि- I, II, III और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें सशस्त्र बलों के शस्त्रागार में पहले से ही शामिल हैं जो भारत को प्रभावी रक्षा क्षमता प्रदान करती हैं।

अग्नि-IV की विशेषताएँ

- स्वदेशी तौर पर विकसित व परिष्कृत अग्नि- IV मिसाइल 4,000 किमी की मारक क्षमता के साथ दो चरणों वाली मिसाइल है।
- इसका वज़न लगभग 17 टन तथा लंबाई 20 मीटर है।
- यह अत्याधुनिक मिसाइल आधुनिक और कॉम्पैक्ट वैमानिकी या एवियोनिक्स (avionics) से लैस है, ताकि उच्च स्तर की विश्वसनीयता और परिशुद्धता प्रदान की जा सके।
- अग्नि- IV मिसाइल उन्नत एवियोनिक्स, 5वीं पीढ़ी के ऑन बोर्ड कंप्यूटर (On Board Computer) से सुसज्जित है। इसमें उड़ान के समय गड़बड़ी को ठीक करने और मार्गदर्शन के लिये नवीनतम सुविधाएँ भी हैं।
- अत्यधिक विश्वसनीय अतिरिक्त माइक्रो नेविगेशन सिस्टम (Micro Navigation System-MINGS) द्वारा समर्थित रिंग लेज़र गायरो-बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (Ring Laser Gyro-based Inertial Navigation System-RINS) यह सुनिश्चित करता है कि मिसाइल सटीकता के साथ लक्ष्य तक पहुँचे।
- इसका पुन: प्रवेश उष्मा कवच (re-entry heat shield) 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सहन कर यह सुनिश्चित करता है कि अंदर का तापमान 50 डिग्री से कम रहे और इस दौरान वैमानिकी प्रणाली सामान्य ढंग से काम कर सके।

वर्चुअल रियलिटी थ्रीडी मॉडल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कैंसर से मुकाबले में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। वैज्ञानिकों ने कैंसर का वर्चुअल रियलिटी थ्रीडी मॉडल (Virtual Reality 3D model) तैयार किया है जिससे कैंसर के इलाज में मदद मिल सकेगी।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मरीज़ से लिये गए ट्यूमर के नमूने के वर्चुअल रियलिटी थ्रीडी मॉडल का उपयोग करते हुए इसका विस्तृत अध्ययन किया जा सकेगा। इस मॉडल की सहायता से छोटी-से-छोटी कोशिका का भी चित्रण करना संभव हो सकेगा।
- शोधकर्त्ताओं का कहना है कि यह मॉडल कैंसर के प्रति हमारी समझ को बढ़ाएगा और नए उपचारों की खोज में मददगार साबित होगा।

शोध का तरीका

- कैंसर रिसर्च यूके कैंब्रिज इंस्टीट्यूट (CRUK) के शोधकर्त्ताओं ने इस अध्ययन में स्तन कैंसर से पीड़ित एक रोगी के ट्यूमर से 1 मिलीमीटर घनाकार नमूना लिया।
- इस 1 मिलीमीटर घनाकार नमूने को पतले टुकड़ों में काटकर स्कैन करते हुए उन पर निशान लगाया गया, जिससे उनकी आण्विक संरचना और DNA गुणधर्मों को पहचाना जा सके।
- तत्पश्चात् वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग करते हुए इन नमूने का पुर्ननिर्माण किया गया। अब इस 3 डी ट्यूमर नमूने का किसी भी वर्चुअल रियलिटी प्रयोगशाला के भीतर विश्लेषण किया जा सकता है।
- यह वर्चुअल रियलिटी प्रणाली दुनिया के किसी भी कोने से उपयोगकर्त्ताओं को ट्यूमर की जाँच करने की सुविधा प्रदान करती है।

गगनयान कार्यक्रम को मंत्रिमंडल की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम (Gaganyaan Programme) को अपनी मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम के तहत भारत तीन सदस्यों वाले दल को कम-से-कम 7 दिनों के लिये अंतरिक्ष में भेजेगा।
- यदि यह मिशन सफल हुआ तो भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। इससे पहले यह काम करने वाले देश है- अमेरिका (USA), रूस (Russia) और चीन (China)।
- इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के लिये भारत रूस और फ्राँस के साथ पहले ही करार कर चुका है।
- गगनयान को लॉन्च करने के लिये GSLVMK-3 (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III) लॉन्च व्हिकल का उपयोग किया जाएगा, जो इस मिशन के लिये आवश्यक पेलोड क्षमता से परिपूर्ण है।
- गगनयान कार्यक्रम एक राष्ट्रीय प्रयास है और इसमें उद्योग, शिक्षा जगत तथा देशभर में फैली राष्ट्रीय एजेंसियों की भागीदारी होगी।
- इस अंतरिक्ष यान को 300-400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में रखा जाएगा।

व्यय

- इस संपूर्ण कार्यक्रम की लागत 10,000 करोड़ रुपए से कम होगी। इसमें टेक्नोलॉजी विकास लागत, विमान हार्डवेयर प्राप्ति तथा आवश्यक ढाँचागत तत्त्व शामिल हैं।

लाभ:

- गगनयान कार्यक्रम ISRO, शिक्षा जगत, उद्योग, राष्ट्रीय एजेंसियों तथा अन्य वैज्ञानिक संगठनों के बीच सहयोग के लिये व्यापक ढाँचा तैयार करेगा।
- इस कार्यक्रम से विभिन्न प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक क्षमताओं को एकत्रित करके शोध अवसरों तथा टेक्नोलॉजी विकास में व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं शोधकर्त्ता लाभान्वित होंगे।
- यह औद्योगिक विकास में सुधार तथा युवाओं के लिये प्रेरणास्रोत साबित होगा।
- इससे सामाजिक लाभ के कार्यों लिये प्रौद्योगिकी के विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार होगा।
- मानव अंतरिक्ष यान (Human Spaceflight) क्षमता भारत को दीर्घकालिक राष्ट्रीय लाभों के साथ-साथ भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष खोज कार्यक्रमों (Global space exploration initiatives) में सहयोगी के रूप में भागीदारी के लिये सक्षम बनाएगी।
- इस कार्यक्रम से रोज़गार सृजन, मानव संसाधन विकास तथा वृद्धि सहित औद्योगिक क्षमताओं के संदर्भ में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

क्रियान्वयन

- कर्मी प्रशिक्षण, मानव जीवन विज्ञान, प्रौद्योगिकी विकास पहलों के साथ-साथ डिजाइन की समीक्षा में राष्ट्रीय एजेंसियों, प्रयोगशालाओं और शिक्षा जगत की भागीदारी होगी।
- स्वीकृति की तिथि से 40 महीनों के अंदर पहले मानव चालित विमान (human space flight) प्रदर्शन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
- ISRO ने लॉन्च व्हीकल GSLV MK-III का विकास कार्य पूरा कर लिया है। इसमें पृथ्वी केंद्रित कक्षा (earth orbit) में तीन सदस्य मॉड्यूल लॉन्च करने की आवश्यक भार क्षमता निहित है।

नोट :

- ISRO ने प्रौद्योगिकी संपन्न क्रू स्केप सिस्टम (crew escape system) का भी परीक्षण किया है जो मानव अंतरिक्ष विमान के लिये बहुत आवश्यक है।
- GSLV MK-IIIX मिशन विमान के भाग के रूप में क्रू मॉड्यूल (Crew Module) का एयरोडायनेमिक चित्रण (aerodynamic characterization) तैयार हो गया है।
- जीवन समर्थन प्रणाली (life support system) तथा अंतरिक्ष पोशाक (Space suit) विकसित करने की क्षमता हासिल कर ली है।
- इसके अतिरिक्त स्पेस केपसूल रि-एंट्री एक्सपेरिमेंट (Space Capsule Re-entry experiment-SRE) मिशन में कक्षीय (Orbital) तथा पुन: प्रवेश (re-entry) मिशन और पुन:प्राप्ति संचालन (recovery operations) का प्रदर्शन किया जा चुका है।

दृष्टि The Vision

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

जलवायु वित्त से जुड़े तीन आवश्यक 'S'

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पोलैंड के काटोविस (Katowice) में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से संबंधित 'COP 24' के दौरान अलग से आयोजित एक कार्यक्रम में 'जलवायु वित्त से जुड़े तीन आवश्यक 'S' – स्कोप, स्केल और स्पीड : एक प्रतिबिंब' (3 Essential "S"s of Climate Finance - Scope, Scale and Speed: A Reflection) के शीर्षक वाला परिचर्चा पत्र जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- इस परिचर्चा पत्र में जलवायु वित्त से जुड़े तीन आवश्यक तत्त्वों यथा- Scope (दायरा), Scale (मात्रा) और Speed (गति) का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।
- परिचर्चा पत्र में विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त (Climate Finance) के बारे में दिये गए विभिन्न आँकड़ों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है।
- इस परिचर्चा पत्र के अनुसार, विभिन्न रिपोर्टों में जलवायु परिवर्तन से जुड़े वित्त की जिन परिभाषाओं का उपयोग किया गया है वे UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। इस संबंध में जिन पद्धतियों का उपयोग किया गया वे भी संशययुक्त थीं।
- इसमें उन आवश्यक तत्त्वों की धीरे-धीरे पहचान करने की कोशिश की गई है जो विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर प्रवाहित होने वाले जलवायु वित्त के सुदृढ़ एवं पारदर्शी लेखांकन के लिये आवश्यक हैं।

परिचर्चा पत्र का महत्त्व

- जहाँ एक ओर विकासशील देशों की वित्तीय ज़रूरत ट्रिलियन डॉलर में है, वहीं दूसरी ओर, जलवायु वित्त से जुड़ी सहायता के साथ-साथ इसमें वृद्धि के लिये विकसित देशों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धताएँ स्पष्ट रूप से वास्तविकता में तब्दील नहीं होती हैं। जलवायु वित्त के बारे में सटीक जानकारी देने और इस पर करीबी नज़र रखने से संबंधित मामला भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।

क्या कहते हैं आँकड़े?

- 2016 में विकसित देशों ने 100 अरब अमेरीकी डालर के जलवायु वित्त पर एक रोडमैप प्रकाशित किया था जिसमें दावा किया गया कि 2013-14 में सार्वजनिक जलवायु वित्त का स्तर प्रतिवर्ष 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया था। हालाँकि, इन दावों का कई लोगों द्वारा विरोध किया गया था।
- 2015 में भारत सरकार के एक परिचर्चा पत्र में उल्लेख किया गया कि 2013-14 में वास्तविक जलवायु वित्त के वितरण का स्तर 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- 2017 के आँकड़े भी इसी तरह की कहानी व्यक्त करते हैं। बहुपक्षीय जलवायु निधि के लिये कुल प्रतिबद्धताओं में से वास्तव में लगभग 12 प्रतिशत को ही वितरित किया गया।
- UNFCCC की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में Annex II Parties की ओर से किया जाने वाला कुल जलवायु विशिष्ट वित्तीय प्रवाह 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जबकि जलवायु वित्त का लक्ष्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- जैसा कि निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है, इस वित्त का अधिकांश प्रवाह (लगभग 90 प्रतिशत) द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्य चैनलों के माध्यम से किया गया है, जबकि इनमें से केवल 10 प्रतिशत का प्रवाह बहुपक्षीय निधि के माध्यम से किया गया था।

निष्कर्ष

- इस परिचर्चा पत्र का संदेश स्पष्ट है कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को उपलब्ध कराए जाने वाले जलवायु वित्त की सही मात्रा पर अधिक विश्वसनीय, सटीक और सत्यापन योग्य आँकड़ों की आवश्यकता है।
- वित्तीय संसाधनों के लेखांकन का मॉडल किसी विशेष देश के विवेकाधिकार पर आधारित नहीं हो सकता है। जलवायु वित्त की पारदर्शी रिपोर्टिंग करने के लिये लेखांकन ढाँचे को ठोस परिभाषाओं के माध्यम से मज़बूत बनाया जाना चाहिये।
- जलवायु वित्त संबंधी रिपोर्टिंग में विश्वसनीयता, सटीकता और निष्पक्षता से संबंधित कई मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है।

जलवायु जोखिम सूचकांक 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक स्वतंत्र विकास संगठन जर्मनवॉच द्वारा विकसित जलवायु जोखिम सूचकांक (Climate Risk Index-CRI)- 2019 के आधार पर भारत को पिछले 20 वर्षों में चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित देशों में 14वें स्थान पर रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस रैंकिंग में देश के चार पड़ोसियों को भारत की तुलना में और भी उच्च स्थान दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस रैंकिंग में म्याँमार तीसरे, बांग्लादेश सातवें, पाकिस्तान आठवें और नेपाल ग्यारहवें स्थान पर है। यह सूचकांक स्पष्ट करता है कि भारत के चारों पड़ोसी देश चरम मौसमी घटनाओं द्वारा अधिक प्रभावित क्यों होते हैं।
- यह सूचकांक मौत और आर्थिक नुकसान के मामले में चरम मौसमी घटनाओं (तूफ़ान, बाढ़, भयंकर गर्मी इत्यादि) के मात्रात्मक प्रभाव का विश्लेषण करता है। साथ ही यह सूचकांक इन प्रभावों का लेखा-जोखा पूर्णरूप में और साथ ही संबंधित शर्तों के साथ रखता है।
- हालाँकि 1998-2017 के दौरान भारत में 73,212 लोग चरम मौसमी घटनाओं के शिकार बने और इसी समयावधि में चरम मौसमी घटनाओं के कारण भारत की वार्षिक औसत मौतों की संख्या 3,660 थी, जो कि म्याँमार की वार्षिक औसत मौतों की संख्या 7,048 के बाद दूसरी सर्वाधिक औसत संख्या है।
- जनसंख्या के समायोजन के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल को सूची में भारत के ऊपर रखा गया है। आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिये CRI प्रत्येक देश के प्रति इकाई सकल घरेलू उत्पाद की हानि को भी देखता है।
- 1998-2017 के दौरान भारत को ओडिशा में सुपर चक्रवात, अन्य चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन एवं भारी बारिश तथा भयंकर गर्मी की घटनाओं का सामना करना पड़ा। केवल वर्ष 2017 के लिये CRI को देखते हुए एक अलग सूची में भारत फिर से 14वें स्थान पर है, जबकि नेपाल चौथे और बांग्लादेश नौवें स्थान पर है।
- रिपोर्ट में वर्ष 2017 में इन तीन देशों में हुई भारी बारिश का भी जिक्र किया गया है, जिसने 4 करोड़ लोगों को प्रभावित किया और जिसके कारण लगभग 1,200 मौतें हुईं। श्रीलंका, जिसकी 20 वर्षों की रैंकिंग 31वीं है, वर्ष 2017 (इस वर्ष भारी बारिश और भूस्खलन से 200 से अधिक मौतें हुईं) में दूसरे रैंक पर है।
- इसके विपरीत म्याँमार और पाकिस्तान जो कि 1998-2017 की सूची में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले 15 देशों में शामिल हैं, वर्ष 2017 की सूची में क्रमश: 69वें और 33वें स्थान पर हैं। 20 वर्षों की सूची में म्याँमार की यह स्थिति काफी हद तक वर्ष 2008 में आए चक्रवात नरगिस के कारण है, जिसकी वजह से 1.40 लाख लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया गया।
- इस वर्ष विश्लेषण के 14वें संस्करण में जलवायु जोखिम सूचकांक के पहले के परिणामों की पुन: पुष्टि की गई है कि आमतौर पर कम विकसित देश औद्योगिक देशों की तुलना में चरम मौसमी घटनाओं से अधिक प्रभावित होते हैं।
- रिपोर्ट में इस बात का सुझाव दिया गया है कि काटोविस में जलवायु शिखर सम्मेलन में वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य और अनुकूलन संचार दिशा-निर्देशों सहित पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक 'नियम पुस्तिका' को अपनाया जाना चाहिये।

नोट :

अन्य संबंधित आँकड़े

- प्यूर्टो रिको (150 मौतें/वर्ष), होंडुरास (302 मौतें/वर्ष) और म्याँमार (7048 मौतें/वर्ष) को इस 20-वर्ष की अवधि में सर्वाधिक 3 जलवायु जोखिम से प्रभावित देशों के रूप में पहचाना गया है। चीन (1240 मौतें/वर्ष) इस सूची में 37वें, जबकि भूटान (1.65 मौतें/वर्ष) 105वें स्थान पर है।
- 2017 की सूची के लिये प्यूर्टो रिको, श्रीलंका और डोमिनिका वर्ष 2017 में चरम मौसमी घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देश थे। इसके बाद नेपाल, पेरू और वियतनाम का स्थान है। प्यूर्टो रिको और डोमिनिका सितंबर 2017 में तूफान मारिया द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे
- कुल मिलाकर 1998 से 2017 की समयावधि में 5,26,000 से अधिक लोगों की मृत्यु और 3.47 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की हानि (क्रय शक्ति समता में) 11,500 से अधिक चरम मौसमी घटनाओं के प्रत्यक्ष परिणाम के कारण हुई।
- 1998-2017 के दौरान दस सबसे अधिक प्रभावित देशों और क्षेत्रों में से आठ देश कम आय या निम्न-मध्यम आय समूह वाले विकासशील देश थे, एक देश (डोमिनिका) को उच्च-मध्य आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया था और एक अन्य देश (प्यूर्टो रिको) को उच्च आय उत्पन्न करने वाली उन्नत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

बायो-प्लास्टिक और पर्यावरण

चर्चा में क्यों

हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन द्वारा किये गए एक अध्ययन में यह बात खुलकर सामने आई है कि बायो-प्लास्टिक के उपयोग का सकारात्मक प्रभाव उम्मीद से कम ही रह सकता है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि एकल-उपयोग प्लास्टिक की जगह बायोप्लास्टिक को व्यवहार में लाने में पर्याप्त समय लगेगा।

क्या है बायोप्लास्टिक?

- बायोप्लास्टिक मक्का, गेहूँ या गन्ने के पौधों या पेट्रोलियम की बजाय अन्य जैविक सामग्रियों से बने प्लास्टिक को संदर्भित करता है। बायो-प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक सामग्री है।
- इसे मकई और गन्ना के पौधों से सुगर निकालकर तथा उसे पॉलिलैक्टिक एसिड (PLA) में परिवर्तित करके प्राप्त किया जा सकता है। इसे सूक्ष्मजीवों के पॉलीहाइड्रोक्सीएल्केनोएट्स (PHA) से भी बनाया जा सकता है।
- PLA प्लास्टिक का आमतौर पर खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है, जबकि PHA का अक्सर चिकित्सा उपकरणों जैसे-टाँके और कार्डियोवैस्कुलर पैच (हृदय संबंधी सर्जरी) में प्रयोग किया जाता है।

यह एकल-उपयोग प्लास्टिक से बेहतर कैसे?

- बायो-प्लास्टिक या पौधे पर आधारित प्लास्टिक को पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक के विकल्प स्वरूप जलवायु के अनुकूल रूप में प्रचारित किया जाता है।
- प्लास्टिक आमतौर पर पेट्रोलियम से बने होते हैं। जीवाश्म ईंधन की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं पर उनका प्रभाव पड़ता है।
- अनुमान है कि 2050 तक प्लास्टिक वैश्विक CO_2 उत्सर्जन के 15% उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार होगा।
- पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक में कार्बन का हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। दूसरी तरफ, बायो-प्लास्टिक्स जलवायु के अनुकूल हैं। अर्थात् ऐसा माना जाता है कि बायो-प्लास्टिक कार्बन उत्सर्जन में भागीदार नहीं होता है।

बायो-प्लास्टिक के प्रभाव

- क्रॉपलैंड का विस्तार: बायोप्लास्टिक के उपयोग में वृद्धि वैश्विक स्तर पर कृषि उपयोग हेतु भूमि के विस्तार को बढ़ावा दे सकती है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को और बढ़ाएगा।

नोट :

- वनों की कटाई: बड़ी मात्रा में बायो-प्लास्टिक का उत्पादन विश्व स्तर पर भूमि उपयोग को बदल सकता है। इससे वन क्षेत्रों की भूमि कृषि योग्य भूमि में बदल सकती है। वन मक्के या गन्ने के मुकाबले अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं।

खाद्यान्न की कमी: मकई जैसे खाद्यान्नों का उपयोग भोजन की बजाय प्लास्टिक के उत्पादन के लिये करना खाद्यान्न की कमी का कारण बन सकता है।

- औद्योगिक खाद की आवश्यकता: बायोप्लास्टिक को तोड़ने हेतु इसे उच्च तापमान तक गर्म करने की आवश्यकता होती है। तीव्र ऊष्मा के बिना बायो-प्लास्टिक से लैंडफिल या कंपोस्ट का क्षरण संभव नहीं होगा। यदि इसे समुद्री वातावरण में निस्सारित करते हैं तो यह पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक के समान ही नुकसानदेह होगा।

यमुना नदी में प्रदूषण पर निगरानी समिति की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

यमुना नदी की सफाई की देखरेख के लिये नियुक्त एक निगरानी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, यमुना नदी का एक छोटा सा हिस्सा ही इस नदी के अधिकांश प्रदूषण लिये ज़िम्मेदार है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड के यमुनोत्री से प्रयाग तक यमुना नदी की कुल लंबाई 1370 किमी. है। दिल्ली में यह नदी केवल 54 किमी. के क्षेत्र (पल्ला से बदरपुर के बीच) से होकर गुज़रती है।
- निगरानी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के वजीराबाद से ओखला तक यमुना नदी का 22 किमी. का हिस्सा (नदी की कुल लंबाई का 2% से भी कम) सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और नदी के कुल प्रदूषण में लगभग 76 प्रतिशत योगदान इस क्षेत्र का है।
- वजीराबाद से ओखला के बीच ऐसे कई स्थान हैं जहाँ नदी 9 माह तक सूखी रहती है।
- जब तक नदी में न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित नहीं किया जाता तब तक इस नदी का पुनरुद्धार संभव नहीं है।
- समिति ने पल्ला और वजीराबाद में यमुना के पानी की गुणवत्ता के परीक्षण के लिये ऑनलाइन प्रणाली की व्यवस्था करने हेतु DPCC (Delhi Pollution Control Committee) और CPCB (Central Pollution Control Board) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है।

प्रदूषण का कारण

- नदी के इस क्षेत्र में प्रदूषण का प्रमुख कारण नदी में गैर-शोधित औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों का निपटान है।
- समिति की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में दूषित जल उपचार संयंत्रों (CETP) के उपयोग की क्षमता भी कम है। दिल्ली में 28 औद्योगिक क्लस्टर हैं और इनमें से 17 क्लस्टर 13 CETP से जुड़े हुए हैं। शेष 11 क्लस्टर किसी भी CETP से नहीं जुड़े हैं।
- प्रदूषण का एक और कारण नदी में औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों का प्रत्यक्ष एवं अनियमित निपटान है क्योंकि घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्टों के आपस में मिल जाने के बाद उनका शोधन संभव नहीं हो पाता है।

समिति के बारे में

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने सेवानिवृत्त विशेषज्ञ सदस्य बी.एस सजवान और दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा की सदस्यता वाली निगरानी समिति का गठन किया था और 31 दिसंबर, 2018 तक नदी की सफाई पर एक कार्ययोजना व विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण

- पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिये सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्तूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई।

नोट :

- यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु-अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों के निपटान के लिये आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है।
- यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है, लेकिन इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है।

मिस्र के उपजाऊ डेल्टा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

संदर्भ

मिस्र के उत्तरी हिस्से में नील नदी एक डेल्टा का निर्माण करती है। इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खेत वर्ष भर हरियाली से आच्छादित रहते हैं। इस क्षेत्र को मिस्र का कृषि हार्टलैंड भी कहा जाता है लेकिन पिछले कुछ समय से यह क्षेत्र तथा ताज़े पानी के इसके महत्त्वपूर्ण संसाधन भी गर्म होती जलवायु की चपेट में आ गए हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मिस्र की लगभग आधी आबादी इसी उपजाऊ डेल्टा में निवास करती है। इस इलाके का भरण-पोषण करने वाली नील नदी पूरे मिस्र की जल आवश्यकतों के 90 फीसदी की पूर्ति करती है।
- लेकिन बढ़ता तापमान शक्तिशाली नील नदी को दिन-ब-दिन शुष्क बनाता जा रहा है। वैज्ञानिकों और किसानों का कहना है कि तापमान की वज़ह से समुद्र का बढ़ता जल-स्तर और मृदा की लवणता इस समस्या के कारण हैं।
- उक्त समस्या अरब क्षेत्र की सबसे घनी आबादी वाले इस देश में खाद्यान्न की समस्या को बढ़ावा दे सकती है।
- डेल्टा के दक्षिणी हिस्से में खेती के सहारे जीवन-यापन करने वाले किसानों का कहना है कि नील नदी के लगातार सिकुड़ने की वज़ह से अब इस क्षेत्र में पानी नहीं आता है। पानी की कमी की वज़ह से किसानों को भूजल का सहारा लेना पड़ रहा है और बहुतायत मात्रा में पानी की खपत वाली फसलों, जैसे-चावल की बुवाई अब बंद कर दी गई है।
- मिस्र के अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रकाशित 2016 के एक अध्ययन के अनुसार, 2050 तक यह क्षेत्र मृदा में लवणता की वृद्धि के कारण अपनी प्रमुख कृषि भूमि का 15% हिस्सा खो सकता है।
- अध्ययन में यह भी कहा गया है कि टमाटर की उपज 50% तक गिर सकती है। गेहूँ और चावल जैसे प्रमुख अनाजों की उपज में भी क्रमशः 18 और 11 प्रतिशत तक की गिरावट आने की संभावना है।

संभावित उपाय

- यह डेल्टा मिस्र की खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन समस्याओं का सामना करने के लिये ढेरों उपाय किये जा रहे हैं, मसलन-सोलर पैनल आधारित सिंचाई व्यवस्था, डीज़ल जनरेटर का सूर्यास्त के बाद ही प्रयोग आदि।
- हालाँकि, वैज्ञानिकों ने ऐसे उपाय सुझाए हैं, जिन्हें अपनाकर मिस्र जैसे देश जलवायु परिवर्तन से मुकाबला कर सकते हैं। साथ ही कृषि उत्पादन को तापमान प्रतिरोधी फसलों की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है।

उत्तरी अफ्रीका के मिस्र जैसे देशों को अनिवार्य रूप से जलवायु अनुकूलन हेतु प्रयास करने होंगे। अन्यथा भविष्य में उन्हें गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

सतत् ऊर्जा के लिये नियामक संकेतक 2018

चर्चा में क्यों?

सतत् ऊर्जा के लिये नियामक संकेतक (Regulatory Indicators for Sustainable Energy –RISE 2018) के नवीनतम संस्करण के अनुसार, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों में प्रभावशाली वृद्धि के साथ वर्ष 2010 के बाद से अब तक सतत् ऊर्जा हेतु मज़बूत नीतिगत ढाँचा अपनाने वाले देशों की संख्या तीन गुना से अधिक हो गई है।

- राइज 2018 : पॉलिसी मैटर्स (Policy Matters), जो SDG7 (Sustainable Development Goal 7) को प्राप्त करने के लिये नीतियों और विनियमों का वैश्विक भंडार है, बिजली के उपयोग, खाना पकाने के लिये स्वच्छ ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के लिये देश स्तर पर अपनाई गई नीतियों और विनियमों का मूल्यांकन करता है।
- 133 देशों को कवर करने वाले और दुनिया की 97% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों के साथ, RISE 2018 नीति निर्माताओं के क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोगियों के समक्ष अपनी नीतियों और नियामक ढाँचे को मानदंड के रूप में स्थापित करने के लिये एक निर्देश बिंदु प्रदान करता है और उन अंतरालों की पहचान करता है जो सार्वभौमिक ऊर्जा तक पहुँच की दिशा में उनकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं।

RISE 2018 के मुख्य निष्कर्ष

- 2010-2017 के बीच सतत् ऊर्जा के लिये मज़बूत नीतिगत ढाँचा अपनाने वाले देशों की संख्या 17 से बढ़कर 59 तक पहुँच गई जो कि तीन गुना से अधिक है।
- 2015 पेरिस समझौते के बाद अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता दोनों के लिये स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हुए दुनिया में ऊर्जा का सबसे अधिक उपभोग करने वाले देशों में से कई ने अपने अक्षय ऊर्जा नियमों में काफी सुधार किया है।
- यह प्रगति केवल विकसित देशों में ही नहीं हुई है बल्कि विकासशील देशों ने भी इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है।

ऊर्जा तक पहुँच (Energy Access)

- जिन देशों ने 2010 के बाद बिजली तक पहुँच स्थापित करने के लिये अपनी दरों में वृद्धि की है, उन्होंने बिजली तक पहुँच स्थापित करने वाली नीतियों में एक समवर्ती सुधार भी दर्शाया है।
- बिजली तक पहुँच स्थापित करने में पीछे रहने वाले देशों में नीति निर्माता इस अंतराल को तेज़ी से कम करने के लिये ऑफ-ग्रिड समाधान पर ध्यान दे रहे हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)

- 2017 में 50 देशों (2010 से लगभग दोगुना) ने नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण नीति ढाँचे का विकास किया।
- RISE द्वारा कवर किये गए देशों में से लगभग 93% देशों ने आधिकारिक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को अपनाया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में केवल 37% देशों ने आधिकारिक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को अपनाया था।
- 84% देशों के पास अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिये नियम थे, जबकि 95% ने निजी क्षेत्र को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ तैयार करने और उन्हें संचालित करने की अनुमति दी।
- अब भी स्वच्छ ऊर्जा नीतियों के तहत बिजली पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जबकि हीटिंग और परिवहन (जो 80% वैश्विक ऊर्जा उपयोग के लिये ज़िम्मेदार है) को अनदेखा किया जाता है।

ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency)

- ऊर्जा दक्षता पर उन्नत नीतिगत ढाँचा अपनाने वाले देशों का प्रतिशत 2010 के 2% से बढ़कर 2017 में 25% हो गया। उल्लेखनीय है की विश्व की कुल ऊर्जा खपत में इन देशों का योगदान 66% है।
- लेकिन ऊर्जा दक्षता को लेकर वैश्विक औसत स्कोर कम बना हुआ है जो अब भी बहुत अधिक सुधार का सुझाव देता है।

क्लीन कुकिंग (Clean Cooking)

- SDG7 के अंतर्गत लक्षित चार क्षेत्रों में से एक क्लीन कुकिंग की नीति निर्माताओं द्वारा सबसे अधिक अनदेखी की जाती है और इस क्षेत्र के लिये आवश्यकता से कम वित्त उपलब्ध कराया जाता है।
- 2010 से 2017 तक नीतिगत ढाँचे में कुछ विकास के बावजूद, कुकस्टोव के लिये मानक सेटिंग या उपभोक्ता और उत्पादक द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर प्रोत्साहनों में बहुत कम प्रगति हुई है।

नोट :

आगे की राह

- हालाँकि ये परिणाम उत्साहित करने वाले हैं लेकिन RISE 2018 से यह पता चलता है कि देशों द्वारा इस मामले में काफी रास्ता तय किया जाना शेष है।
- टिकाऊ ऊर्जा के लिये उन्नत नीति ढाँचे को अपनाने की दिशा में दुनिया ने केवल आधा रास्ता ही तय किया है। इससे 2030 तक SDG7 की उपलब्धि खतरे में हो सकती है और वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री से कम रखने के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- नीति प्रवर्तन एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है। एक ओर जहाँ मज़बूत नीतिगत ढाँचों को अपनाना महत्त्वपूर्ण है वहीँ दूसरी ओर उन्हें प्रभावी संस्थानों और प्रवर्तन द्वारा समर्थित किया जाना भी आवश्यक है। RISE ने यह समझने में सहायता के लिये प्रॉक्सी संकेतक शामिल किये हैं कि देश नीतियों को लागू करने पर कितनी दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- उन देशों (जिन्होंने टिकाऊ नीतियों पर प्रगति की है) में राष्ट्रीय उपयोगिता की खराब वित्तीय स्थिति इस प्रगति को खतरे में डाल रही है। ऊर्जा तक कम पहुँच वाले देशों में बुनियादी क्रेडिट योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली उपयोगिताओं की संख्या 2012 के 63% से घटकर 2016 में 37% ही रह गई है।

भारतीय परिदृश्य

- भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सफलता मिली है जिसके फलस्वरूप सौर ऊर्जा के मूल्य में कमी आई है।
- लेकिन इसकी संभावना को पूरी तरह से साकार करने के लिये भारत को क्लीन कुकिंग, परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों में बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

RISE 2018 के बारे में

- RISE 2018, RISE का दूसरा संस्करण है।
- इसका पहला संस्करण वर्ष 2016 में प्रकाशित हुआ था।
- इस प्रकार RISE 2018 में भी देशों को वर्गीकृत करने के लिये पिछली कार्य-प्रणाली का ही अनुसरण किया गया है तथा देशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों- ग्रीन ज़ोन, येलो ज़ोन तथा रेड ज़ोन में रखा गया है।
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों को ग्रीन ज़ोन में, मध्यम प्रदर्शन वाले देशों को येलो ज़ोन में तथा सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वालों को रेड ज़ोन में रखा गया है।
- RISE 2018 में 2010 से पॉलिसी टाइम ट्रेंड समेत कई नीतियों को भी शामिल किया गया है जो इस प्रकार हैं-
  - प्रवर्तन का समर्थन करने वाली नीतियों को लागू करने पर अधिक जोर देना।
  - हीटिंग और परिवहन क्षेत्रों का व्यापक कवरेज।
  - क्लीन कुकिंग के लिये नीतियों का प्रारंभिक मूल्यांकन।

इको निवास संहिता 2018

संदर्भ

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने इको निवास संहिता, 2018 (रिहायशी इमारतों हेतु ऊर्जा संरक्षण इमारत संहिता ECBC-R) की शुरुआत की है। इस संहिता के कार्यान्वयन से 2030 तक सालाना 125 अरब यूनिट बिजली की बचत होने की संभावना है जिससे लगभग 100 मिलियन टन कॉर्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस संहिता को लागू करने से रिहायशी क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य ऐसे अपार्टमेंट और नगरों का डिज़ाइन तैयार करना तथा उनके निर्माण को बढ़ावा देना है जिनमें रहने वालों को ऊर्जा की बचत का लाभ मिल सके।
- इस संहिता को बिल्डिंग मैटीरियल आपूर्तिकर्त्ताओं, डेवलपर, वास्तुकारों और विशेषज्ञों सहित सभी साझेदारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।

- संहिता में सूचीबद्ध मानदंडों को जलवायु और ऊर्जा संबंधी आँकड़ों का इस्तेमाल करते हुए अनेक मानदंडों के आधार पर विकसित किया गया है।
- आरंभ में संहिता के पहले भाग की शुरुआत ऊर्जा बचत वाली रिहायशी इमारतों के डिज़ाइन तैयार करने हेतु की गई है जिसमें इमारत के अंदर के हिस्से को शुष्क, गर्म और ठंडा रखने हेतु इमारत के बाहरी हिस्से की नींव के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित किये गए हैं।
- उम्मीद है कि इस संहिता से बड़ी संख्या में वास्तु-शिल्पियों और बिल्डरों को सहायता मिलेगी जो देश के विभिन्न भागों में नए रिहायशी परिसरों के डिज़ाइन तैयार करने तथा उनके निर्माण कार्य में शामिल हैं।
- ऊर्जा संरक्षण इमारत संहिता (ECBC-R) की सहायता से आने वाले 10-15 वर्षों में इमारत निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा की मांग में आने वाली वृद्धि से निपटा जा सकेगा।
- सरकार नए रिहायशी घरों का निर्माण करते समय वास्तुकारों, बिल्डरों सहित इमारत से जुड़े कार्यों में लगे सभी पेशेवरों को ऊर्जा संरक्षण की दिशा में जागरूकता पैदा करने के लिये प्रोत्साहित कर रही है।
- विद्युत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के सहयोग से हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाता है।
- ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में उद्योग और अन्य प्रतिष्ठानों के प्रयासों को मान्यता देने के लिये विद्युत मंत्रालय हर वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित करता है।
- इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की 26 औद्योगिक इकाइयों को ऊर्जा दक्षता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये पुरस्कार दिये जाते हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)

- भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढाँचे के अंदर स्व-विनियमन और बाज़ार सिद्धांतों पर महत्त्व देते हुए ऐसी नीतियों और रणनीतियों के विकास में सहायता प्रदान करना है जिनका प्रमुख लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना है।

कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज (COP) का 24वाँ सत्र संपन्न

संदर्भ

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) के अंतर्गत शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज के 24वें सत्र का आयोजन 2 से 15 दिसंबर, 2018 तक पोलैंड के काटोविस (Katowice) में किया गया।

इस सम्मेलन में तीन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें शामिल थे-

- पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिये दिशा निर्देशों/तौर-तरीकों/नियमों को अंतिम रूप देना।
- सुविधा प्रदान करने वाले तालानोआ संवाद-2018 (2018 Facilitative Talanoa Dialogue) का समापन।
- 2020 से पूर्व उठाए जाने वाले कदमों का कार्यान्वयन एवं महत्त्वाकांक्षाओं का सर्वेक्षण।

कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज (COP) क्या है?

- यह UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। इसके तहत विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल किया गया है। यह हर साल अपने सत्र आयोजित करता है।
- COP, सम्मेलन के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक निर्णय लेता है और नियमित रूप से इन प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

COP 24

- लगभग 2 सप्ताह तक चली वार्ता के बाद ऐतिहासिक 2015 पेरिस समझौते (2015 Paris Agreement) जिसका उद्देश्य पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, के कार्यान्वयन के लिये दिशा-निर्देशों के 'मज़बूत' सेट को अपनाया गया।

नोट :

- पेरिस समझौते को क्रियान्वित करने के लिये एक नियम पुस्तिका का विकास एक महत्त्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की रिपोर्ट (जलवायु परिवर्तन के लिये संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक निकाय) में पूर्व-औद्योगिक स्तरों पर ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने की आवश्यकता और व्यवहार्यता पर बल दिया गया है ताकि यह पूर्व-औद्योगिक स्तर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए।
- एक दर्जन से अधिक बैठकों ने 2015 में हस्ताक्षर किये गए पेरिस समझौते को लागू करने के उद्देश्य से सिद्धांतों के संबंध में विभिन्न विषयों पर वार्ता को सफल बनाने में सक्षम बनाया। इस दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की गई, जिसने जटिल और कठिन दस्तावेज़ को जन्म दिया। इस दस्तावेज़ के प्रमुख पहलू वित्त, पारदर्शिता और अनुकूलन हैं।

COP 24 और भारत

- भारत ने पेरिस समझौते को कार्यान्वित करने के अपने वादे को दोहराते हुए COP-24 के दौरान प्रतिबद्धता एवं नेतृत्व और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के लिये सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना प्रदर्शित की।
- भारत विकसित एवं विकासशील देशों के विभिन्न आरंभिक बिंदुओं की स्वीकृति; विकासशील देशों के लिये लचीलेपन एवं समानता सहित सिद्धांतों पर विचार और समान लेकिन विभेदकारी ज़िम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities, CBDR-RC) सहित देश के प्रमुख हितों की रक्षा करते हुए सभी वार्ताओं में सकारात्मक एवं रचनात्मक तरीके से संलग्न रहा।
- राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदानों पर जारी दिशा-निर्देश NDC की राष्ट्रीय रूप से निर्धारित प्रकृति को संरक्षित करते है तथा पार्टियों के लिये अनुकूलन सहित विभिन्न प्रकार के योगदानों को प्रस्तुत करते हैं।
- ये समग्र दिशा-निर्देश पेरिस समझौते के सिद्धांतों को प्रदर्शित करते हैं तथा विकसित देशों द्वारा पेरिस समझौते के उद्देश्यों को अर्जित करने वाले नेतृत्व को स्वीकृति देते हैं।
- अनुकूलन पर दिशा-निर्देश विकासशील देशों के संयोजन की आवश्यकता को स्वीकृति देता है और यह CBDR-RC के अति सफल सिद्धांत पर आधारित है।
- भारत एक मज़बूत पारदर्शी व्यवस्था के पक्ष में है और अंतिम रूप से संवर्द्धित पारदर्शिता संरचना विकासशील देशों के लिये लचीलापन प्रदान करते हुए मौजूदा दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
- वित्तीय प्रावधानों पर दिशा-निर्देश विकासशील देशों को कार्यान्वयन का माध्यम प्रदान करने में विकसित देशों के उत्तरादायित्व को परिचालित करता है तथा जलवायु वित्त के नए एवं अतिरिक्त तथा जलवायु विशिष्ट होने की आवश्यकता की स्वीकृति देता है।
- पार्टियों ने 100 बिलियन डॉलर के निम्न मूल्य (Floor) से 2020 के बाद नए सामूहिक वित्तीय लक्ष्यों की स्थापना हेतु कार्य शुरू करने पर भी सहमति जताई है।
- प्रौद्योगिकी के लिये सफल संरचना के परिचालन की दिशा में अधिक समर्थन की आवश्यकता की बात स्वीकार की गई है तथा यह प्रौद्योगिकी विकास एवं अंतरण के सभी चरणों को व्यापक रूप से कवर करती है।
- भारत COP24 के परिणाम को सकारात्मक मानता है जो सभी पार्टियों की चिंताओं पर ध्यान देता है तथा पेरिस समझौते के सफल कार्यान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाता है।

पेरिस जलवायु समझौता

- इस ऐतिहासिक समझौते को 2015 में 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क' (UNFCCC) की 21वीं बैठक में अपनाया गया, जिसे COP21 के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को 2020 से लागू किया जाना है।
- इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी देशों को वैश्विक तापमान को औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है (दूसरे शब्दों में कहें तो 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है) और 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिये सक्रिय प्रयास करना है।

नोट :

- पहली बार, विकसित और विकासशील देश, दोनों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (INDC) को प्रस्तुत किया, जो प्रत्येक देश का अपने स्तर पर स्वेच्छा से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक विस्तृत कार्रवाइयों का समूह है।
- पेरिस समझौते का मुख्य सार इसके 27 में से छः अनुच्छेदों में निहित है। ये इस प्रकार हैं-
  1. 'बाज़ार तंत्र' (market mechanism) (A-6) : यह एक देश को किसी दूसरे देश में हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और क्रेडिट खरीदने की अनुमति देता है।
  2. 'वित्त' (Finance) (A-9)
  3. 'प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण' (technology development and transfer) (A-10);
  4. 'क्षमता निर्माण' capacity building (A-11);
  5. 'पारदर्शिता ढाँचा' (transparency framework) (A-13), यह प्रत्येक देश के कार्यों की रिपोर्टिंग से संबंधित है;
  6. 'ग्लोबल स्टॉक-टेक' (global stock-take) (A-14), यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में प्रत्येक देश की प्रतिबद्धता और उसकी कार्रवाई की आवधिक समीक्षा करता है तथा उसमंर सुधार की मांग करता है।

UNFCCC

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है।
- यह समझौता जून, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च, 1994 को इसे लागू किया गया।
- वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत ही वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता (Kyoto Protocol) हुआ और विकसित देशों (एनेक्स-1 में शामिल देश) द्वारा ग्रीनहाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिये लक्ष्य तय किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची एनेक्स-1 में रखा गया है।
- UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP) के नाम से जाना जाता है।

ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

- ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के कारण ध्रुवों की बर्फ तेज़ी से पिघलने लगी है जिसके कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है।
- ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पृथ्वी की ओज़ोन परत पर भी पड़ा है और इसके क्षरण से पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव में वृद्धि हुई है।
- न केवल मनुष्य बल्कि पशु-पक्षी और वनस्पतियों पर भी इसके दुष्प्रभाव में वृद्धि हो रही है। इसके कारण कई दुर्लभ प्रजातियाँ नष्ट हो चुकी हैं।
- पशु-पक्षियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है और बाढ़, सूखा, समुद्री तूफान, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी वृद्धि हुई है।

आगे की राह

- सितंबर 2019 में भी संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई को मज़बूती प्रदान करने के लिये संगठित रूप से राजनीतिक और आर्थिक प्रयास करने के लिये जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा।
- पेरिस समझौते के तहत देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को हासिल करने के बावजूद इस सदी के अंत तक पूरी दुनिया का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के का अनुमान है।
- शिखर सम्मेलन छह क्षेत्रों अर्थात् ऊर्जा संक्रमण (energy transition), जलवायु वित्त (climate finance) और कार्बन मूल्य निर्धारण (carbon pricing), उद्योग संक्रमण (industry transition), प्रकृति-आधारित समाधान (nature-based solutions), शहर और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई (cities and local action) तथा लचीलेपन (resilience) में जारी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करेगा।

नोट :

विलुप्त होने की कगार पर सोन चिरैया

चर्चा में क्यों ?

आईयूसीएन (IUCN) रेड लिस्ट (Red List) के अनुसार, वर्ष 1969 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की आबादी लगभग 1,260 थी और वर्तमान में देश के पाँच राज्यों में मात्र 150 सोन चिरैया हैं। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India-WII) के ताज़ा शोध में यह बात सामने आई है।

सोन चिरैया

- बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि एक समय सोन चिरैया भारत की राष्ट्रीय पक्षी घोषित होते-होते रह गई थी।
- जब भारत के 'राष्ट्रीय पक्षी' के नाम पर विचार किया जा रहा था, तब 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' का नाम भी प्रस्तावित किया गया था जिसका समर्थन प्रख्यात भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली ने किया था। लेकिन 'बस्टर्ड' शब्द के गलत उच्चारण की आशंका के कारण 'भारतीय मोर' को राष्ट्रीय पक्षी चुना गया था।
- सोन चिरैया, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (great Indian bustard) के नाम से भी जाना जाता है, आज विलुप्त होने की कगार पर है। शिकार, बिजली की लाइनों (power lines) आदि के कारण इसकी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है।

परिचय

- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' भारत और पाकिस्तान की भूमि पर पाया जाने वाला एक विशाल पक्षी है। यह विश्व में पाए जाने वाली सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी प्रजातियों में से एक है।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' को भारतीय चरागाहों की पताका प्रजाति (Flagship species) के रूप में जाना जाता है।
- इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम आर्डीओटिस नाइग्रीसेप्स (Ardeotis nigriceps) है, जबकि मल्धोक, घोराड येरभूत, गोडावण, तुकदार, सोन चिरैया आदि इसके प्रचलित स्थानीय नाम हैं।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है, जहाँ इसे गोडावण नाम से भी जाना जाता है।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' की जनसंख्या में अभूतपूर्व कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) ने इसे संकटग्रस्त प्रजातियों में भी 'गंभीर संकटग्रस्त' (Critically Endangered) प्रजाति के तहत सूचीबद्ध किया है।

विशेषताएँ

- एक वयस्क सोन चिरैया की ऊँचाई करीब एक मीटर तक होती है। नर पक्षी की ऊँचाई मादा पक्षी के मुकाबले अधिक होती है।
- नर पक्षी की गर्दन लंबी होती है तथा उसमें पाउच जैसी एक थैली होती है जिससे वह प्रणय के लिये भारी आवाजें निकाल कर मादा को अपनी और आकर्षित करता है।
- नर और मादा दोनों हल्के भूरे रंग के होते हैं। इनके शरीर पर काले छींट नुमा निशान होते हैं।
- नर के सर पर मौजूद कलगी के कारण दूर से ही इसकी पहचान हो जाती है।
- सोन चिरैया ज़मीन पर ही अपना घोंसला बनाती है, यही वजह है कि कुत्तों तथा दूसरे अन्य जानवरों से इसके अण्डों को खतरा होता है।

विलुप्ति का कारण क्या है ?

- प्रश्न यह उठता है कि यदि वर्ष 1969 में सोन चिरैया की 1000 से भी अधिक संख्या मौजूद थी, तो 1969 के बाद ऐसा क्या बदल गया कि आज यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। संभवत: शिकार एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से पिछले कुछ दशकों में इस प्रजाति की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
- भारतीय सीमा से सटे पाकिस्तानी क्षेत्रों में सोन चिरैया का शिकार माँस प्राप्त करने के लिये किया जाता है। लंबे क्षेत्र में विचरण करने की प्रवृत्ति के कारण अक्सर सोन चिरैया पाकिस्तानी क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाती हैं, जहाँ उसे शिकारी अपना निशाना बनाते है। भारत में सोन चिरैया को WII की श्रेणी1 के संरक्षित वन्य प्राणियों में शामिल किया गया है और इसके शिकार पर पूर्णत: पाबंदी है।

नोट :

- वर्तमान समय में यह संकट इसलिये भी गहरा गया है कि घटते मैदान तथा रेगिस्तान में बेहतर सिंचाई व्यवस्था न होने के कारण इनके प्राकृतिक निवास यानी घास के मैदान कम होते जा रहे हैं।
- सोन चिरैया की सीधे देखने की क्षमता (poor frontal vision) का कम होना और भारी शरीर इसके लिये घातक साबित हुए है। सीधे देखने की क्षमता कम होने के कारण ये बिजली के तारों से टकरा जाती है। यही कारण है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा सोन चिरैया के संरक्षण के लिये इसके वास स्थलों के समीप मौजूद बिजली लाइनों को भूमिगत करने का विचार प्रस्तुत किया है।
- साथ ही इसके निवास स्थानों को कई हिस्सों में बाँटकर अंडों को संरक्षित कर इनके सुरक्षित प्रजनन के संबंध में भी संस्तुति की है। गौरतलब है कि एक मादा बस्टर्ड एक मौसम में केवल एक ही अंडा देती है। यदि ऐसे वैज्ञानिक तरीके विकसित कर लिये जाएँ जिनसे वह एक बार में ही कई अंडे देने में सक्षम हो तो यह इसके संरक्षण में महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि तीन गैर-लाभकारी संगठनों - कॉर्बेट फाउंडेशन (Corbett Foundation), कंज़र्वेशन इंडिया (Conservation India) और अभयारण्य नेचर फाउंडेशन (Sanctuary Nature Foundation) ने एक ऑनलाइन याचिका (6,000 से भी अधिक लोगों द्वारा हस्ताक्षरित) शुरू की है। इस याचिका के माध्यम से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से बिजली लाइनों को भूमिगत किये जाने की मांग की गई है।

जलवायु परिवर्तन से हिमालयी क्षेत्र में होगा जल संकट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी (Ohio State University) के शोधकर्त्ताओं ने जलवायु परिवर्तन (climate change) के हिमालय पर प्रभाव के संबंध में एक अध्ययन प्रकाशित किया है। इस अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर्स काफी तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसके चलते जल्द ही भारत, पाकिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्सों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण एंडीज़ पहाड़ (Andes mountains) और तिब्बती पठार (Tibetan plateau) पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। यह भी संभव है इस क्षेत्र की आधी बर्फ पूरी तरह से गायब ही हो जाए, यदि इस संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं गई तो यह अनुमान 1/3 तक भी पहुँच सकता है।
- अध्ययन पत्र में कहा गया है कि पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में कमी की समस्या सामने आ रही है। बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग में भी बढोत्तरी हो रही है, ऐसे में हिमालय के ग्लेशियर्स के पिघलने की दर की बात करें तो भविष्य में यह समस्या और अधिक जटिल रूप धारण कर सकती है।
- इस संदर्भ में पेरू का उदाहरण लिया जा सकता है जहाँ ग्लेशियर के पानी से ही फसलों, पशुओं और साधारण जनता के लिये आवश्यक मात्रा में पानी की आपूर्ति होती हैं।

भारत और चीन के प्रयास

- 2016 में भारत और चीन के शोधकर्त्ताओं ने तिब्बती पठार पर इसी तरह का एक शोध करने के लिये एक पहल की थी, इस शोध में अध्ययन के लिये हज़ारों ग्लेशियरों को शामिल किया गया था। शोध में शामिल ग्लेशियर अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और तज़ाकिस्तान के कुछ हिस्सों में लोगों को पानी की आपूर्ति करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने 'तीसरे ध्रुव' (Third Pole) पठार की खोद से इस कार्य को शुरू किया क्योंकि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों में ताज़े पानी का सबसे बड़ा भंड़ार मौजूद है।
- इसके बाद शोधकर्त्ताओं द्वारा तिब्बती पठार और एंडीज़ पहाड़ों से बर्फ के नमूने एकत्रित किये गए तथा इसके तापमान, वायु गुणवत्ता आदि के माध्यम से पूर्व में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये इसकी जाँच की गई।
- इस अध्ययन के तहत शोधकर्त्ताओं को प्राप्त जानकारी के अनुसार, इतिहास में भी अल-नीनो की वज़ह से कई बार ग्लेशियर्स के तापमान में वृद्धि होने के संकेत मिले हैं। हालाँकि, पिछली शताब्दी के भीतर एंडीज़ और हिमालय दोनों के ग्लेशियर्स में व्यापक तौर पर तापमान में लगातार वृद्धि होने के संकेत मिले हैं।

वर्तमान समय में हो रही तापमान वृद्धि सामान्य नहीं है। यह काफी तेज़ी से बढ़ रही है। इससे पेरू और भारत दोनों के ग्लेशियर्स प्रभावित हो रहे हैं। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत से लोग पानी के लिये इन ग्लेशियर्स पर आश्रित हैं। यह समस्या इसलिये भी विकराल है क्योंकि ग्लेशियरों के पिघलने से हिमस्खलन और बाढ़ का खतरा भी बढ़ता है। इससे इस क्षेत्र की जलापूर्ति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। निश्चित रूप से इस संदर्भ में गंभीर विचार-विमर्श किये जाने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकें।

पॉल्युशन एंड हेल्थ मीट्रिक्स रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्लोबल एलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्युशन (Global Alliance on Health and Pollution- GAHP) द्वारा 2019 पॉल्युशन एंड हेल्थ मीट्रिक्स: ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री एनालिसिस रिपोर्ट (2019 Pollution and Health Metrics: Global, Regional and Country Analysis report) जारी की गई।

- यह रिपोर्ट लांसेट कमीशन ऑन हेल्थ एंड पॉल्युशन (Lancet Commission on Pollution and Health) के निष्कर्षों पर आधारित है।

मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में वैश्विक स्तर पर हुई कुल मौतों में 15% मौतें प्रदूषण की वजह से हुईं।
- विश्व में प्रदूषण की वजह से होने वाली असामयिक मौतों (Premature Deaths) के मामले में शीर्ष देशों की सूची में भारत (23 लाख) पहले स्थान पर तथा चीन (18 लाख) दूसरे स्थान पर है। अमेरिका (1 लाख 96 हज़ार) इस सूची में सातवें स्थान पर है।
- प्रदूषण की वजह से प्रति 1 लाख जनसंख्या पर होने वाली कुल असामयिक मौतों के मामले में चाड (287) पहले स्थान पर है जबकि, इस सूची में भारत (174) दसवें स्थान पर है।
- केवल वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली असामयिक मौतों के मामले में चीन (12 लाख 42 हज़ार) पहले, भारत (12 लाख 40 हज़ार) दूसरे तथा पाकिस्तान (1 लाख 28 हज़ार) तीसरे स्थान पर है।
- भारत एकमात्र देश है जो कि इस रिपोर्ट द्वारा जारी तीनों सूचियों में शामिल है।
- हालाँकि वर्ष 2015 से 2017 के दौरान प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों में कमी आई है। वर्ष 2015 में प्रदूषण की वजह से 90 लाख मौतें हुईं जबकि, वर्ष 2017 में ये 83 लाख रह गईं।
- इन रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ प्रदूषण के परंपरागत स्रोतों जैसे- गंदगी तथा घरेलू धुआँ आदि में कमी आई है वहीं आधुनिक स्रोतों जैसे- शहरीकरण एवं औद्योगीकरण आदि में वृद्धि हुई है।
- वैश्विक स्तर पर आधुनिक प्रदूषण की वजह से प्रतिवर्ष 53 लाख लोगों की मौत होती है जो कि अन्य सभी कारणों में सर्वाधिक है।
- रिपोर्ट के अनुसार, हृदय से संबंधित कुल रोगों के 21%, हृदयाघात के 23%, इस्केमिक (Ischemic) हृदय रोग के 26% तथा फेफड़ों के कैंसर के 43% मामलों में होने वाली कुल मौतों का कारण प्रदूषण था।

एशियाई शेर संरक्षण परियोजना

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने एशियाई शेर की दुनिया की आखिरी स्वतंत्र आबादी और इसके संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 'एशियाई शेर संरक्षण परियोजना' (Asiatic Lion Conservation Project) शुरू की है।

उद्देश्य

- 'एशियाई शेर संरक्षण परियोजना' एशियाई शेर के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति के लिये चलाए जा रहे अन्य प्रयासों को बल प्रदान करेगी, इस परियोजना के तहत आधुनिक तकनीक/उपकरणों, नियमित वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी अध्ययनों, रोग प्रबंधन, आधुनिक निगरानी/गश्त तकनीक की सहायता से कार्य किया जाएगा।

वित्त पोषण

- इस परियोजना का कार्यकाल 3 साल का है, इसके क्रियान्वयन के लिये केंद्रीय प्रायोजित योजना वन्यजीव आवास का विकास [Development of Wildlife Habitat (CSS-DWH)] से लगभग 9784 लाख रुपए का वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ-साथ 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी भी रहेगी।

एशियाई शेर

- एक समय में पूर्वी एशिया में पलामू (Palamau) से लेकर फारस (ईरान) तक पाई जाने वाली एशियाई शेरों की प्रजाति अंधाधुंध शिकार और आवासीय क्षति के कारण विलुप्त होने को है।
- 1890 के दशक के अंत तक गुजरात के गिर जंगलों में शेरों की 50 से भी कम जनसंख्या बची थी। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समय पर कड़े सुरक्षा उपाय किये जाने के बाद वर्तमान में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो पाई है।
- वर्ष 2015 में आखिरी जनगणना में 1648.79 वर्ग किमी. के गिर संरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क (Gir Protected Area Network) में एशियाई शेरों की संख्या 523 दर्ज की गई।
- इस नेटवर्क के अंतर्गत गिर राष्ट्रीय उद्यान (Gir National Park); गिर अभयारण्य (Gir Sanctuary); पानिया अभयारण्य (Pania Sanctuary)' आरक्षित, संरक्षित एवं अनगिनत वनों के समीप अवस्थित मितीला अभयारण्य (Mitiyala Sanctuary) शामिल है।

  यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमेशा से एशियाई शेरों का संरक्षण भारत सरकार की प्राथमिकता रहा है।
- शेरों के संरक्षण के संबंध में किये गए प्रयास
- इस परियोजना से पहले भी मंत्रालय ने गुजरात में एशियाई शेर के संरक्षण हेतु कई प्रयास किये हैं, ऐसे ही एक कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा 21 गंभीर रूप से लुप्तप्राय (critically endangered) प्रजातियों की सूची में एशियाई शेरों को शामिल किया गया है। साथ ही CSS-DWH के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।
- इस परियोजना के अंतर्गत देश में एक स्थिर और व्यावहारिक शेर आबादी सुनिश्चित करने के लिये आवासीय सुधार के उपायों, वैज्ञानिक हस्तक्षेप, रोग नियंत्रण और पशु चिकित्सा देखभाल तथा पर्याप्त पारिस्थितिकी विकास कार्यों पर विशेष रूप से विचार किया गया है।

पेंटिंग ब्रश बनाने के लिये नेवलों का शिकार

संदर्भ

एक तरफ जहाँ हाथियों के अवैध शिकार, एक सींग वाले गैंडों तथा पैंगोलिन के साथ-साथ बाघों की मौत पर आम तौर पर तीखी प्रतिक्रियाएँ देखी गईं, वहीं हज़ारों नेवलों (mongoose) की हत्या पर किसी ने भी बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया।

हालिया घटनाक्रम

- 30 सितंबर, 2018 को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau-WCCB) और उत्तर प्रदेश राज्य के वन विभाग के अधिकारियों ने यूपी के बिजनौर ज़िले के शेरकोट गाँव में घरों और कारखानों पर छापा मारा और वहाँ से से 155 किलोग्राम नेवले के बाल और 56,000 ब्रश ज़ब्त किये गए। यह देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी ज़ब्ती थी और अधिकारियों द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, इतने बाल इकट्ठा करने के लिये कम-से-कम 3,000 जानवरों को मारा गया होगा।
- इसके कुछ समय बाद 10 दिसंबर, 2018 को WCCB के अधिकारियों ने दिल्ली स्थित वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (Wildlife Trust of India-WTI) के साथ समन्वय करते हुए देश भर में 13 स्थानों पर एक साथ छापे मारे और हज़ारों की संख्या में नेवले के बालों से बने ब्रश ज़ब्त किये गए। WCCB द्वारा पिछले दो वर्षों में अवैध व्यापार पर की गई यह 27वीं कार्रवाई थी।

चिंता का कारण

- इन सभी छापों के बावजूद भी प्रमुख भारतीय शहरों में किसी भी दुकान पर नेवले के बालों से ब्रश आसानी से मिल सकते हैं। इन जानवरों के लिये सबसे बड़ा खतरा इस व्यापार हेतु ही इन्हें मारा जाना है।

नोट :

- हालाँकि अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं लेकिन बालों की अच्छी गुणवत्ता, स्थायित्व और भुरभुरापन (brittleness) ने इन जानवरों को खतरे में डाल दिया है।
- ब्रश की संवेदनशीलता, महीन परिष्करण और पेंट को अवशोषित करने की इसकी क्षमता के कारण कई कलाकार इसे अधिक प्राथमिकता देते हैं क्योंकि सिंथेटिक ब्रश में इसके समान गुण नहीं होते हैं।
- पहले इन ब्रशों का निर्माण कई प्रतिष्ठित ब्रश निर्माताओं द्वारा किया जाता था। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में इसके व्यापार की अवैध प्रकृति सामने आने के बाद प्रमुख निर्माताओं ने इसका निर्माण कार्य बंद कर दिया। फिर भी खरीदारों की मांग के चलते छोटे निर्माता नेवले के बाल से बने ब्रश का उत्पादन करते रहे।

नेवला (mongoose)

- नेवला छोटा माँसाहारी स्तनधारी है इसका शरीर लंबा तथा भूरे रंग का होता है।
- भारत में यह व्यापक रूप से ग्रामीण इलाकों, कृषि भूमि और वन क्षेत्रों में पाया जाता है।
- इनका शिकार करने वाले पारंपरिक समुदायों में तमिलनाडु के नारिकुरुवास, कर्नाटक के हक्की पिक्की, आंध्र और कर्नाटक में गोंड तथा मध्य एवं उत्तर भारत में गुलिया, सपेरा और नाथ शामिल हैं।
- नेवलों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के भाग 2 (अनुसूची 2) के तहत सूचीबद्ध किया गया है तथा उनका शिकार, अधिकार और व्यापार करना अपराध है साथ ही दंड के रूप में सात साल तक के कारावास का प्रावधान भी है।
- वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES) द्वारा संरक्षित है।
- देश भर में इसकी छह अलग-अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं:
  1. भारतीय भूरा नेवला (Indian grey mongoose)
  2. छोटा भारतीय नेवला (Small Indian mongoose)
  3. लाल सिरवाला नेवला (Ruddy mongoose)
  4. केकड़ा खाने वाला नेवला (Crab-eating mongoose)
  5. धारीदार गले वाला नेवला (Stripe-necked mongoose)
  6. ब्राउन नेवला (Brown mongoose)
- भारतीय भूरा नेवला प्रजाति सबसे अधिक पाई जाने वाली जाति है और सबसे अधिक शिकार भी इसी प्रजाति का होता है।

नेवलों की दुर्दशा के बारे में लोगों को जागरूक करना आवश्यक

- इसके बालों की कीमत लगभग 3000-5000 रुपए प्रति किलो के बीच होती है और एक किलोग्राम बाल संग्रह करने के लिये 50 जानवरों की हत्या की जाती है। प्रत्येक नेवले से लगभग 40 ग्राम बाल प्राप्त होते हैं जिसमें से केवल 20 ग्राम का उपयोग ब्रश बनाने के लिये किया जा सकता है।
- कलाकारों और आम जनता को यह सूचित किये जाने की जरूरत है कि नेवले के बालों से बने ब्रश का उपयोग करना बंद करें क्योंकि अब तक इसके बालों से निर्मित ब्रशों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है और यह चिंता का एक बड़ा कारण है।

तटीय नियमन ज़ोन (CRZ) अधिसूचना, 2018 को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तटीय क्षेत्रों में आर्थिक एवं विकास गतिविधियों को पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नियंत्रित करने हेतु तटीय नियमन ज़ोन (Coastal Regulation Zone-CRZ) अधिसूचना, 2018 को मंज़ूरी दे दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अधिसूचना (Notification) की पिछली समीक्षा वर्ष 2011 में की गई थी और फिर उसी वर्ष इसे जारी भी किया गया था।

पृष्ठभूमि

- तटीय क्षेत्रों के संरक्षण एवं सुरक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 1991 में तटीय नियमन ज़ोन अधिसूचना जारी की थी, जिसे वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था।
- समय-समय पर तटीय नियमन ज़ोन (Coastal Regulation Zone-CRZ) अधिसूचना के अनुच्छेदों में संशोधन किये जाते रहे हैं।
- 2011 के प्रावधानों, विशेष रूप से समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी के प्रबंधन एवं संरक्षण, तटीय क्षेत्रों के विकास, पारिस्थितिकी पर्यटन, तटीय समुदायों की आजीविका से जुड़े विकल्प एवं सतत् विकास इत्यादि से संबंधित प्रावधानों की व्यापक समीक्षा के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्राप्त हुए अनेक ज्ञापनों पर विचार करते हुए CRZ अधिसूचना, 2018 जैसे कदम को उठाया गया है।

तटीय नियमन ज़ोन (CRZ)

- CRZ को 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय (जिसका नाम अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है) द्वारा फरवरी-1991 में अधिसूचित किया गया था।
- इसका मुख्य उद्देश्य देश के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों को नियमित करना है।
- तटीय क्षेत्र का हाई टाइड लाइन (HTL) से 500 मीटर तक का क्षेत्र तथा साथ ही खाड़ी, एस्चूरिज, बैकवॉटर और नदियों के किनारों को CRZ क्षेत्र माना गया है, लेकिन इसमें महासागर को शामिल नहीं किया गया है।
- इसके अंतर्गत तटीय क्षेत्रों को निम्नलिखित चार भागों में बाँटा गया है-
  1. CRZ - 1 यह कम और उच्च ज्वार लाइन के बीच का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो तट के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है।
  2. CRZ - 2 यह क्षेत्र तट के किनारे तक फैला हुआ होता है।
  3. CRZ – 3 इसके अंतर्गत CRZ 1 और 2 के बाहरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में कृषि से संबंधित कुछ खास गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है।
  4. CRZ – 4 यह जलीय क्षेत्र में क्षेत्रीय सीमा (territorial limits) तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों की अनुमति है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डॉ. शैलेश नायक (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव) की अध्यक्षता में जून 2014 में एक समिति गठित की थी जिसे CRZ अधिसूचना, 2011 में उपयुक्त बदलावों की सिफारिश करने के लिये तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों की चिंताओं के साथ-साथ विभिन्न मुद्दों पर भी गौर करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी।
- शैलेश नायक समिति ने राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के साथ व्यापक सलाह-मशविरा करने के बाद वर्ष 2015 में अपनी सिफ़ारिशें पेश कर दी थीं। अप्रैल, 2018 में एक मसौदा अधिसूचना जारी कर आम जनता से उनके सुझाव आमंत्रित किये गए थे।
- तटीय क्षेत्रों के सतत् विकास (Sustainable Development) की अनिवार्यता और तटीय परिवेश के संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर सरकार ने तटीय नियमन ज़ोन अधिसूचना 2018 को मंज़ूरी दी है, जिससे तटीय समुदायों की आकांक्षाएँ पूरी करने और समाज के गरीब एवं कमज़ोर तबकों का कल्याण सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित होने की आशा है।

CRZ अधिसूचना, 2018 के लाभ

- प्रस्तावित CRZ अधिसूचना, 2018 से तटीय क्षेत्रों में गतिविधियाँ काफी बढ़ जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की रफ्तार भी तेज़ हो जाएगी।
- इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों के संरक्षण संबंधी सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे न केवल बड़ी संख्या में रोज़गारों का सृजन होगा, बल्कि बेहतर जीवन के साथ-साथ भारत की अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन भी सुनिश्चित होगा। नई अधिसूचना से तटीय क्षेत्रों की अतिसंवेदनशीलता में कमी आने के साथ-साथ उनका जीर्णोद्धार भी होने की आशा है।

नोट :

प्रमुख विशेषताएँ:

1. CRZ क्षेत्रों में वर्तमान मानकों के अनुसार, फ्लोर स्पेस इंडेक्स (Floor space index-FSI) अथवा फर्श क्षेत्र अनुपात (Floor area ratio-FAR) को अनुमति प्राप्त होगी।
2. घनी आबादी वाले क्षेत्रों के विकास के लिये ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
3. बुनियादी सुविधाओं के लिये पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा दिया जाएगा।
4. CRZ मंज़ूरी की प्रक्रिया सुव्यवस्थित की गई है।
5. सभी द्वीपों के लिये 20 मीटर का 'कोई विकास नहीं' ज़ोन (No Development Zone- NDZ)' निर्दिष्ट किया गया है।
6. पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले सभी क्षेत्रों को विशेष अहमियत दी गई है।
7. प्रदूषण में कमी करने पर विशेष रूप से फोकस किया गया है।
8. रक्षा एवं रणनीतिक परियोजनाओं को आवश्यक छूट दी गई है।
9. घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिये दो नई श्रेणियाँ, CRZ-3 A और CRZ-3 B निर्धारित की गई हैं।

चिंताएँ

- इस अधिसूचना ने पर्यावरणीय मंज़ूरी की प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है और नाजुक तटवर्ती अंतर्ज्वारिय क्षेत्रों को रियल एस्टेट एजेंटों के लिये खोल देगा।

निष्कर्ष

CRZ अधिसूचना में किये गए बदलावों से किफायती आवास के लिये अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे। यह अधिसूचना कुछ विशेष तरीके से तैयार की गई है। नई अधिसूचना अधिक गतिविधियों, अधिक बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं और इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने जैसे क्षेत्रों में मददगार साबित होने की संभावना है।

UNFCCC में भारत के दूसरे द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) के दायित्व-निर्वहन के तहत भारत की दूसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (Biennial Update Report-BUR) को UNFCCC के समक्ष प्रस्तुत करने को मंज़ूरी दे दी है।

- भारत ने जलवायु परिवर्तन पर पहली द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट वर्ष 2016 में प्रस्तुत की थी।

दूसरे द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट की विशेषताएँ

- UNFCCC में भारत की दूसरी द्विवार्षिक रिपोर्ट, सम्मेलन में प्रस्तुत पहली द्विवार्षिक रिपोर्ट का अद्यतन रूप है।
- द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के पाँच प्रमुख घटक हैं-
  1. राष्ट्रीय परिस्थितियां (National Circumstances)
  2. राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस (National Greenhouse Gas Inventory)
  3. शमन आधारित कार्यकलाप (Mitigation Actions)
  4. वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण संबंधी आवश्यकताएं तथा समर्थन प्राप्ति (Technology and Capacity Building Needs and Support Received)
  5. घरेलू निगरानी, रिपोर्ट व जाँच आधारित व्यवस्था [Domestic Monitoring, Reporting and Verification (MRV) arrangements]।

नोट :

- द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR) राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विभिन्न अध्ययनों के पश्चात तैयार की गई है। BUR की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर की गई है, जिसमें शामिल हैं–
  - विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा
  - अवर सचिव (जलवायु परिवर्तन) की अध्यक्षता में प्रौद्योगिकी परामर्शदात्री विशेषज्ञ समिति (Technical Advisory Committee of Experts) द्वारा की गई समीक्षा
  - अपर सचिव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति (National Steering Committee) द्वारा की गई समीक्षा। राष्ट्रीय संचालन समिति एक अंतर-मंत्रालयी संस्था है।
  - समीक्षा प्रक्रिया के पश्चात सभी संशोधनों व प्रासंगिक टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए दूसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR) को अंतिम रूप दिया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार

- 2014 के दौरान भारत की सभी गतिविधियों से कुल 26,07,488 गीगाग्राम (CC-2 समतुल्य* लगभग 2.607 बिलियन टन) (land use, land use change and forestry- LULUCF को छोड़कर) ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ।
- LULUCF को शामिल करने के पश्चात कुल 23,06,295 गीगा ग्राम (लगभग 2.306 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य) ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ।
- कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी 73 प्रतिशत, IPPU की 8 प्रतिशत, कृषि की 16 प्रतिशत और अपशिष्ट क्षेत्र की 3 प्रतिशत रही।
- वन भूमि, कृषि भूमि और आबादी के कार्बन सिंक ऐक्शन से उत्सर्जन में 12 प्रतिशत की कमी हुई।

वर्ष 2014 के लिए भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तालिका

श्रेणी	कार्बन डाईऑक्साइड समतुल्य (गीगाग्राम)
ऊर्जा	19,09,765.74
औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग	2,02,277.69
कृषि	4,17,217.69
अपशिष्ट	78,227.15
भूमि का उपयोग, भूमि उपयोग में बदलाव व वनीकरण (LULUCF) **	-3,01,192.69
कुल (LULUCF को छोड़कर)	26,07,488.12
कुल (LULUCF के साथ)	23,06,295.43

** ऋणात्मक उत्सर्जन का अर्थ है सिंक ऐक्शन अर्थात वायुमंडल से प्रतिस्थापित कार्बन की कुल मात्रा।

* एक गीगा ग्राम = 109 ग्राम ; ग्रीन हाउस गैसों को उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य में परिवर्तित किया जाता है।

पृष्ठभूमि

- भारत, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) का सदस्य देश है।
- धारा 4.1 और धारा 12.1 के तहत सम्मेलन, विकसित और विकासशील देशों समेत सभी सदस्य देशों को सम्मेलन के सुझावों/दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी/रिपोर्ट प्रदान करने का आग्रह करता है।
- UNFCCC के सदस्य देशों ने 16वें सत्र में अनुच्छेद 60 (c) निर्णय-1 के तहत यह निश्चित किया था कि अपनी क्षमता के अनुकूल विकासशील देश भी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- इन रिपोर्टों में राष्ट्रीय ग्रीन हाऊस गैस तालिका के साथ-साथ उत्सर्जन कम करने के प्रयास, आवश्यकताएँ और समर्थन प्राप्ति का भी उल्लेख होगा।
- अनुच्छेद 41 (F) में वर्णित COP-17 के निर्णय-2 के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्टें जमा की जाएँगी।

नोट :

UNFCCC

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है।
- यह समझौता जून, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च, 1994 को इसे लागू किया गया।
- वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत ही वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता (Kyoto Protocol) हुआ और विकसित देशों (एनेक्स-1 में शामिल देश) द्वारा ग्रीनहाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिये लक्ष्य तय किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची एनेक्स-1 में रखा गया है।
- UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP) के नाम से जाना जाता है।

जैव-विविधता सम्मेलन (सीबीडी) पर भारत की छठी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

29 दिसंबर 2018 को भारत ने जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) की छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आयोजित राज्य जैव विविधता बोर्डों की 13वीं राष्ट्रीय बैठक के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गयी।

संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

- इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने "भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों पर प्रगति: एक पूर्वावलोकन" दस्तावेज भी जारी किया।
- इस बैठक में बताया गया कि भारत विश्व के पहले पांच देशों में; एशिया में पहला तथा जैव विविधता समृद्ध मेगाडायवर्स देशों में भी पहला देश है, जिसने सीबीडी सचिवालय को छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट सौंपी है।
- इस बात पर चर्चा हुई कि एक तरफ जहाँ विश्व भर में जैव विविधता पर आवास विखंडन एवं विनाश, आक्रामक विदेशी प्रजातियों, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के अति उपयोग के कारण दबाव बढ़ रहा है, वहीं भारत उन कुछ देशों में शामिल है जहाँ वन आच्छादन बढ़ रहा है और जंगलों में वन्य जीवन भी बहुतायत संख्या में हैं।
- भारत राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता लक्ष्यों को अर्जित करने की राह पर अग्रसर है और यह वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है।
- गौरतलब है कि सीबीडी सहित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पक्षकार देशों द्वारा राष्ट्रीय रिपोर्टों की प्रस्तुति अनिवार्य होती है।
- एक ज़िम्मेदार देश के रूप में भारत ने कभी भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को नहीं छोड़ा है।
- भारत अब तक नियत समय पर सीबीडी को पांच राष्ट्रीय रिपोर्ट सौंप चुका है।
- छठीं राष्ट्रीय रिपोर्ट को वैश्विक एआईसीएचई (AICHI) जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप संधि प्रक्रिया के तहत विकसित किया गया हैं। यह 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों को अर्जित करने की दिशा में हुई प्रगति की ताजा जानकारी उपलब्ध कराता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें-

- 15वें भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2017 के मुताबिक भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहाँ वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गयी है।
- भारत ने दो राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य (NBT) प्राप्त कर लिये और आठ अन्य NBT प्राप्त करने की राह पर हैं साथ ही शेष दो NBT को भी भारत 2020 के निर्धारित समय तक पूरा करने का प्रयास कर रहा है।
    - भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% से अधिक भाग जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत आता है। भारत आइची लक्ष्य 11 के 17% स्थलीय अवयव को प्राप्त कर चुका है।
    - भारत ने 2015 में पहले Internationally recognized certificate of Compliance (IRCC) का प्रकाशन किया था। तब से IRCC के 75% भाग का प्रकाशन हो चुका है। इस प्रकार पहुँच व लाभ की हिस्सेदारी (ABS) पर नगोया प्रोटोकॉल के लक्ष्य को भारत प्राप्त कर रहा है।

- शेरों की संख्या 2015 में 520 से ऊपर पहुँच चुकी है तथा हाथियों की संख्या 2015 में 30,000 से ऊपर चली गयी है।
- एक सींग वाला भारतीय गैंडा जो 20 वीं शताब्दी के शुरूआत में विलुप्ति के कागार पर था, अब इसकी संख्या 2400 हो गयी है।
- पूरे विश्व में कुल दर्ज किये गए प्रजातियों की 0.3% से ऊपर की जनसंख्या क्रांतिक रूप से संकटापन्ना की श्रेणी में आ चुकी है जबकि भारत में ऐसी सिर्फ 0.08% प्रजातियाँ दर्ज की गयी है।
- कृषि, मत्स्यन, वानिकी आदि के लिये संपोषणीय प्रबंधन अपनाया गया है ताकि प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किये बिना सभी को भोजन एवं पोषण संबंधी सुरक्षा प्राप्त हो सके।

जैव विविधता क्या है?

- जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। अर्थात् किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या एवं प्रकारों को जैवविविधता माना जाता है।
- 1992 में रियो डि जेनेरियों में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा के अनुसार-

जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा-अन्तर्क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग है, में पायी जाने वाली विविधताएँ हैं। इसमें एक प्रजाति के अंदर पायी जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा परिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित है।

जैव विविधता अभिसमय (सीबीडी)

- यह अभिसमय वर्ष 1992 में रियो डि जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत प्रमुख समझौतों में से एक है।
- सीबीडी पहला व्यापक वैश्विक समझौता है जिसमें जैवविविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
- इसमें आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हुए विश्व के परिस्थितिकीय आधारों को बनाएँ रखने हेतु प्रतिबद्धताएँ निर्धारित की गयी है।
- सीबीडी में पक्षकार के रूप में विश्व के 196 देश शामिल हैं जिनमें 168 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं।
- भारत सीबीडी का एक पक्षकार (party) है।
- इस कन्वेंशन में राष्ट्रों के जैविक संसाधनों पर उनके संप्रभु अधिकारों की पुष्टि किये जाने के साथ तीन लक्ष्य निर्धारित किये गए है-
  - जैव विविधता का संरक्षण
  - जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग
  - आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी
- जैव विविधता कन्वेंशन के तत्वाधान में कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को 29 जनवरी, 2000 को अंगीकार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जीवों (LMO) का सुरक्षित अंतरण, प्रहस्तरण और उपयोग सुनिश्चित करना है जिसका मानव स्वास्थ्य को देखते हुए जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- 2010 में नगोया, जापाना के आइची प्रांत में आयोजित सीबीडी के 10 वें सम्मेलन में जैवविविधता के अद्यतन रणनीतिक योजना जिसे आईची लक्ष्य नाम दिया गया, को स्वीकार किया गया।
- उसके एक भाग के रूप में लघु-अवधि रणनीतिक योजना-2020 के तहत 2011-2020 के लिये जैवविविधता पर एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गयी। इसके अंतर्गत सभी पक्षकारों के लिये जैव विविधता के लिये कार्य करने हेतु एक 10 वर्षीय ढाँचा उपलब्ध कराया गया है।
- यह लघुवधि योजना 20 महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों, जिसे सम्मिलित रूप से आइची लक्ष्य (Aichi Targets) कहते है, का एक समूह है।
- भारत ने 20 वैश्विक Aichi जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य (NBT) विकसित किये है।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

अल नीनो के कारण बढ़ सकता है सर्दियों का तापमान

संदर्भ

हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) ने अनुमान लगाया है कि प्रशांत महासागर के आस-पास अल-नीनो (El-Nino) के प्रभाव के कारण भारत में सर्दियों का मौसम लगातार दूसरे साल कुछ गर्म हो सकता है।

प्रमुख बिंदु

- IMD का अनुमान है कि फरवरी 2019 अर्थात् सर्दियों के अंत में एक छोटी अवधि का कमज़ोर अल-नीनो विकसित हो सकता है।
- यह अनुमान IMD के 'सीजनल आउटलुक फॉर टेम्परेचर' (Seasonal Outlook for Temperatures), में प्रकाशित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 से ही IMD गर्मी तथा सर्दी के मौसम के लिये 'सीजनल आउटलुक फॉर टेम्परेचर' जारी करता है।
- ये पूर्वानुमान मानसून मिशन युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली (Monsoon Mission Coupled Forecasting System-MMCFS) की भविष्यवाणियों पर आधारित हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

- IMD की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी।
- यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Science- MoES) की एक एजेंसी है।
- यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिये ज़िम्मेदार प्रमुख एजेंसी है।

अल-नीनो (El-Nino)

- प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल-नीनो कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय देश पेरू एवं इक्वाडोर के समुद्री मछुआरों द्वारा प्रतिवर्ष क्रिसमस के आस-पास प्रशांत महासागरीय धारा के तापमान में होने वाली वृद्धि को अल-नीनो कहा जाता था।
- वर्तमान में इस शब्द का इस्तेमाल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में केंद्रीय और पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही तापमान में कुछ अंतराल पर असामान्य रूप से होने वाली वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप होने वाले विश्वव्यापी प्रभाव के लिये किया जाता है।
- ला-नीना (La-Nina) भी मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है। यह घटना सामान्यत: अल-नीनो के बाद होती है। उल्लेखनीय है कि अल-नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है जबकि ला-नीना में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है।

अल-नीनो से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र

- सामान्यत: प्रशांत महासागर का सबसे गर्म हिस्सा भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वहाँ उपस्थित हवाएँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये हवाएँ गर्म जल को पश्चिम की ओर अर्थात् इंडोनेशिया की ओर धकेलती हैं।
- वैसे तो अल-नीनो की घटना भूमध्य रेखा के आस-पास प्रशांत क्षेत्र में घटित होती है लेकिन हमारी पृथ्वी के सभी जलवायु-चक्रों पर इसका असर पड़ता है।
- लगभग 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के आस-पास इंडोनेशियाई क्षेत्र से लेकर 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर मेक्सिको की खाड़ी और दक्षिण अमेरिकी पेरू तट तक का समूचा उष्ण क्षेत्रीय प्रशांत महासागर अल-नीनो के प्रभाव क्षेत्र में आता है।

अल-नीनो का प्रभाव

- अल-नीनो के प्रभाव से प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है, इससे हवाओं का रास्ते और रफ्तार में परिवर्तन आ जाता है जिसके चलते मौसम चक्र बुरी तरह से प्रभावित होता है।
- मौसम में बदलाव के कारण कई स्थानों पर सूखा पड़ता है तो कई जगहों पर बाढ़ आती है। इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है।
- जिस वर्ष अल-नीनो की सक्रियता बढ़ती है, उस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून पर उसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। इससे पृथ्वी के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है तो कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति भी सामने आती है।
- भारत भर में अल-नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है जबकि, ला-नीना के कारण अत्यधिक बारिश होती है।

महासागरीय सतह का मानचित्रण

संदर्भ

महासागरीय मानचित्रण कार्य में लगे विशेषज्ञों के लिये यह आलोचना की ही बात है कि हम अपनी महासागरीय सतहों के बारे में कम जबकि चंद्रमा और मंगल के बारे में ज़्यादा जानते हैं। किसी भी जगह के देख-रेख या उस क्षेत्र में कोई भी कार्य करने में मानचित्र की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- समुद्री दुनिया, उसकी गहराई, उसकी पर्वत श्रृंखलाएँ, पृथ्वी की सीमाएँ सब कुछ बहुत व्यापक स्तर पर हैं तथा पूरी दुनिया अब भी इनके बारे में अनभिज्ञ है।
- इस अनभिज्ञता को दूर करने के लिये संयुक्त राष्ट्र समर्थित 'सीबेड 2030' नामक प्रोजेक्ट निरंतर प्रयास करता रहा है।
- इस योजना के तहत 2030 तक पूरे महासागरीय सतह के मानचित्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सीबेड 2030 दुनिया के देशों तथा कंपनियों से आँकड़े जुटा रहा है। यह मानचित्रण सबके लिये नि:शुल्क उपलब्ध रहेगा।
- इस पहल का समर्थन करने वाली कई परोपकारी संस्थाओं का मानना है कि इस कार्य को पूरा करने के लिये आपसी सहयोग तथा समन्वय की बहुत आवश्यकता होगी।
- वर्ष 2017 में शुरू की गई इस योजना की अनुमानित लागत 3 बिलियन डॉलर है।
- इस योजना में निप्पन फाउंडेशन और GEBCO तथा विशेषज्ञों के गैर-लाभकारी एसोसिएशन का संश्रय शामिल है।
- यदि यह योजना सफल हो जाती है तो हमें निम्नलिखित परिणाम देखने को मिल सकते हैं-
  - महासागरों का बेहतर ज्ञान
  - विविधता
  - जलवायु की बेहतर समझ
  - आने वाली आपदाओं की पूर्व चेतावनी
  - महासागरों का बेहतर संरक्षण तथा
  - समुद्री संसाधनों का उपयोग
- 'सीबेड 2030' अनुमानत: वर्ष 2030 तक पूरे महासागरीय सतह का मानचित्रण करने में सफल हो जाएगा।

अन्य सहायक प्रयास

- ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनी शेल (Shell Ocean Discovery XPRIZE) द्वारा चलाई जा रही एक प्रतियोगिता में उस टीम को 7 मिलियन डॉलर की राशि दी जाएगी जो महासागरीय खोजबीन करने हेतु तीव्र, स्वायत्त तथा अच्छे रेज्योलूशन वाली तकनीक विकसित करने में सफल हो जाएगी।
- सीबेड 2030 की एक टीम इस प्रतियोगिता के आखिरी चरण में पहुँचने में सफल हो गई है। इस टीम द्वारा डिज़ाईन किया गया रिमोट-नियंत्रित रोबोट महासागरों की चरम गहराई तक जाकर मानचित्रण करने में सक्षम होगा।

नोट :

फैथई' तूफान

चर्चा में क्यों ?

दक्षिण-पश्चिम एवं बंगाल की खाड़ी से सटे हुए पश्चिम-मध्य क्षेत्र में चक्रवाती तूफान 'फेथई' से भारी-बारिश होने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि 'फेथई' नामक चक्रवाती तूफ़ान का नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया है।

चक्रवात

- चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज़ आँधी को कहा जाता है। दोनों गोलार्द्धों के चक्रवाती तूफानों में अंतर यह है कि उत्तरी गोलार्द्ध में ये चक्रवात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में (Counter-Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा (Clockwise) में चलते हैं।
- उत्तरी गोलार्द्ध में इसे हरिकेन, टाइफून आदि नामों से जाना जाता है।

चक्रवातों का नामकरण

- हिंद महासागर क्षेत्र के आठ देश (बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड) एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं।
- जैसे ही चक्रवात इन आठों देशों के किसी भी हिस्से में पहुँचता है, सूची से अगला या दूसरा सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है।
- इस प्रक्रिया के चलते तूफ़ान को आसानी से पहचाना जा सकता है और बचाव अभियानों में भी मदद मिलती है। किसी नाम का दोहराव नहीं किया जाता है।
- नामकरण करने वाला शासी निकाय क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (Regional Specialised Meteorological Centre- RSMC), नई दिल्ली में स्थित है।
- प्रत्येक देश उन दस नामों की एक सूची तैयार करता है जो उन्हें चक्रवात के नामकरण के लिये उपयुक्त लगते हैं। शासी निकाय अर्थात् RSMC प्रत्येक देश द्वारा सुझाए गए नामों में आठ नामों को चुनता है और उसके अनुसार आठ सूचियाँ तैयार करता है जिनमें शासी निकाय द्वारा अनुमोदित नाम शामिल होते हैं।

चक्रवातों के नामकरण का इतिहास

- 1900 के मध्य में समुद्री चक्रवाती तूफान का नामकरण करने की शुरुआत हुई ताकि इससे होने वाले खतरे के बारे में लोगों को समय रहते सतर्क किया जा सके, संदेश आसानी से लोगों तक पहुँचाया जा सके तथा सरकारें और लोग इसे लेकर बेहतर प्रबंधन और तैयारियाँ कर सकें, लेकिन तब नामकरण की प्रक्रिया व्यवस्थित नही थी।
- विशेषज्ञों के अनुसार, नामकरण की विधिवत प्रक्रिया बन जाने के बाद यह ध्यान रखा जाता है कि चक्रवाती तूफानों का नाम आसान और याद रखने लायक होना चाहिये इससे स्थानीय लोगों को सतर्क करने, जागरूकता फैलाने में मदद मिलती है।

1950 के मध्य में नामकरण को और भी क्रमवार ढंग से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों ने इसकी बेहतर पहचान के लिये इनके नामों को पहले से क्रमबद्ध तरीके से रखने हेतु अंग्रेज़ी वर्णमाला के शब्दों के प्रयोग पर ज़ोर दिया।

- 1953 से मायामी नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइज़ेशन (WMO) तूफानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखता आ रहा है। WMO जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है।
- पहले उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का कोई नाम नहीं रखा जाता था क्योंकि ऐसा करना विवादास्पद काम था। इसके पीछे कारण यह था कि जातीय विविधता वाले इस क्षेत्र में सावधान और निष्पक्ष रहने की जरूरत थी ताकि यह लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुँचाए।
- वर्ष 2004 से चक्रवातों को RSMC द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार नामित किया जाता है।

नोट :

ज्वालामुखी-जनित सुनामी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंडोनेशिया की सुंडा खाड़ी में रात के समय ज्वालामुखी फटने के बाद आई सुनामी ने तटवर्ती इलाकों में भयंकर तबाही मचाई है। सुनामी की वज़ह से उठने वाली समुद्री लहरों की चपेट में आकर अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

कितना हुआ है नुकसान?

- यह सुनामी सुंडा खाड़ी के दोनों तरफ़ जावा और सुमात्रा के तटीय इलाक़ों में 22 दिसंबर, 2018 को रात में अचानक से आई।
- कम-से-कम 281 लोगों की मौत, यह संख्या बढ़ने की आशंका है।
- इंडोनेशिया की सरकार का कहना है कि लगभग 800 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं।
- इंडोनेशिया में क्राकाटोआ ज्वालामुखी की सक्रियता को देखते हुए चेतावनी दी गई है कि उसके आसपास के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग तटों से दूर रहें क्योंकि सुनामी की लहरें एक बार फिर अपनी विनाशलीला दिखा सकती हैं।
- सुनामी से प्रभावित इलाकों में अब भी आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा, दक्षिणी सुमात्रा के बांदर लामपंग शहर में सैकड़ों लोगों को गवर्नर के कार्यालय में शरण लेनी पड़ी है।
- आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि सुनामी से सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुँचा है। सबसे ज़्यादा मौतें पांडेंगलांग, दक्षिणी लामपांग और सेरांग इलाकों में हुई हैं।
- आपदा प्रबंधन एजेंसियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इंडोनेशिया के मौसम विभाग ने बताया कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटने के बाद दक्षिणी सुमात्रा और पश्चिमी जावा के पास समुद्र की ऊँची लहरें तटों को तोड़कर आगे बढ़ीं जिससे अनेक मकान नष्ट हो गए।

क्यों आई सुनामी?

- 17000 से अधिक द्वीपों वाला यह देश रिंग ऑफ फायर पर अवस्थित होने की वज़ह से हमेशा से आपदा की आशंका वाला देश रहा है।

रिंग ऑफ फायर

- 'रिंग ऑफ फायर' प्रशांत महासागर के बेसिन में एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ कई भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं।
- सुनामी आने की मुख्य वज़ह ज्वालामुखी में विस्फोट हो सकता है जिससे समंदर के ज़मीनी हिस्से में हलचल हुई और ऊँची लहरें उठीं।

क्या होती है सुनामी?

- दरअसल, 'सुनामी' एक जापानी शब्द है जो 'सु' और 'नामी' से मिलकर बना है। सु का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें।
- इसके कारण समुद्र में तेज़ी के साथ विशाल लहरें उठने लगती हैं जो लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ती हैं और तटीय इलाकों पर एक ऊँची दीवार के रूप में भीषण तरीके से टकराती हैं तथा रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को नष्ट कर देती हैं।
- सुनामी की लहरें एवं उनकी ऊँचाई तटों की विभिन्नता के कारण अलग-अलग होती है।
- कैसे उठती हैं सुनामी लहरें?
- सुनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई कारण होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार कारण भूकंप होता है।
- इसके अलावा ज़मीन धँसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने और कभी-कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठती हैं।
- सबसे विनाशकारी सुनामी लहरें 26 दिसंबर, 2004 को भारतीय तट पर टकराई थीं जिसमें 9395 लोगों की जान गई और लगभग 26 लाख 63 हज़ार लोग प्रभावित हुए।
- भारत के पूर्वी और पश्चीमी तट तथा द्वीप क्षेत्र, अण्डमान निकोबार, सुमात्रा दीप एवं अरब सागर के मकरान क्षेत्र टेक्टोनिक गतिशीलता के कारण सुनामी के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील हैं।

नोट :

सामाजिक मुद्दे

हार्ट अटैक रिवाइंड'

चर्चा में क्यों ?

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) ने औद्योगिक रूप से उत्पन्न ट्रांसफैट (Trans Fats) के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिये मीडिया अभियान 'हार्ट अटैक रिवाइंड' (Heart Attack Rewind) की शुरुआत की है।

अभियान के बारे में

- 'हार्ट अटैक रिवाइंड' (Heart Attack Rewind) नामक अभियान अपनी तरह का पहला मीडिया अभियान वास्तव में 30 सेकंड की एक सार्वजनिक सेवा घोषणा (Public Service Announcement- PSA) है।
- FSSAI के अनुसार, यह अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) द्वारा ट्रांस फैट के पूर्णरूप से उन्मूलन के लिये निर्धारित वर्ष से एक वर्ष पहले अर्थात् 2022 तक भारत में ट्रांस फैट को खत्म करने के FSSAI के वैश्विक लक्ष्य का समर्थन करेगा।
- 'हार्ट अटैक रिवाइंड' को यूट्यूब, फेसबुक, हॉटस्टार और वूट जैसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चार सप्ताह की अवधि के लिये 17 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, अभियान को रेडियो चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा तथा दिल्ली/NCR की आउटडोर होर्डिंग पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- 'हार्ट अटैक रिवाइंड' नागरिकों को ट्रांस फैट के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में चेतावनी देता है और स्वस्थ विकल्पों के माध्यम से उनसे बचने के तरीके प्रस्तुत करता है।
- FSSAI की योजना भारत की खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट के स्तर को <5 प्रतिशत से <2 प्रतिशत तक करना है।

FSSAI के बारे में

- भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन की गई है जो उन विभिन्न अधिनियमों एवं आदेशों को समेकित करता है जिसने अब तक विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में खाद्य संबंधी विषयों का निपटान किया है।
- FSSAI की स्थापना खाद्य वस्तुओं के लिये विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करने और मानव उपभोग के लिये सुरक्षित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात को विनियमित करने के लिये की गई है।
- FSSAI के कार्यान्वयन के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है।

ट्रांस फैट के बारे में

- तरल वनस्पति तेलों को अधिक ठोस रूप में परिवर्तित करने तथा खाद्य के भंडारण एवं उपयोग अवधि (shelf Life) में वृद्धि करने के लिये इन तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, इस प्रकार संतृप्त वसा या ट्रांस फैट का निर्माण होता है।
- ट्रांस फैट बड़े पैमाने पर वनस्पति, नकली या कृत्रिम मक्खन (margarine), विभिन्न बेकरी उत्पादों में मौजूद होते हैं तथा ये तले हुए या पके हुए खाद्य पदार्थों में भी पाए जा सकते हैं।
- FSSAI 2022 तक चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को 2% से कम करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- वैश्विक स्तर पर ट्रांस फैट के सेवन से हर साल 500,000 से अधिक लोगों की मौत हृदय संबंधी बीमारियों (Cardiovascular Disease) के कारण होती है।

नोट :

ट्रांस फैट के उन्मूलन के लिये WHO की योजना

- मई 2018 में WHO ने 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिये एक व्यापक योजना REPLACE की शुरुआत की थी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय पैमानों के अनुसार, Total Energy Intake में ट्रांस फैट्स की मात्रा 1 फीसदी से भी कम होनी चाहिये।
- REPLACE खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के त्वरित, पूर्ण और दीर्घकालीन उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिये छह रणनीतिक कार्रवाइयों का प्रावधान करता है:
  1. RE- (Review) : औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा के आहार स्रोतों और आवश्यक नीति परिवर्तन हेतु परिदृश्य की समीक्षा।
  2. P- (Promote) : स्वस्थ वसा और तेलों के माध्यम से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना।
  3. L- (Legislate) : औद्योगिक तौर पर उत्पादित ट्रांसफैट को खत्म करने के लिये कानून या विनियामक कार्यवाही को लागू करना।
  4. A- (Assess) : खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट सामग्री तथा लोगों द्वारा ट्रांस फैट के उपभोग का आकलन और निगरानी करना।
  5. C- (Create) : नीति निर्माताओं, उत्पादकों, आपूर्तिकर्त्ताओं और जनता के बीच ट्रांस फैट के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना।
  6. E- (Enforce) : नीतियों और विनियमों के अनुपालन को लागू करना।

डेटा प्वाइंट: गो रक्षा के नाम पर आतंक

संदर्भ

गोरक्षा के नाम पर पिछले कुछ सालों से चल रहा आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में एक पुलिस अधिकारी तथा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डाटा जर्नलिज़्म की वेबसाइट इंडिया स्पेंड ने 2012 के बाद घटित होने वाली ऐसी 99 घटनाओं तथा 39 हत्याओं को सारणीबद्ध किया है। इंडिया स्पेंड द्वारा हाल ही जारी किये गए आँकड़े काफी चौंकाने वाले हैं।

घटनाओं का विश्लेषण

- हिंसा के शिकार-
- इंडिया स्पेंड के डेटाबेस के अनुसार, हिंसा के शिकार लोगों का समुदाय आधारित विश्लेषण इस प्रकार है-
- उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा हिंसा
- अब तक गोरक्षा के नाम पर हिंसक घटनाएँ 19 राज्यों में घटित हुई हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा घटनाएँ उत्तर प्रदेश में दर्ज़ की गई हैं।
- उत्तर प्रदेश में कुल 16 घटनाएँ हुईं जिनमें 9 लोगों की हत्या दर्ज़ की गई।
- हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी ऐसे राज्य रहे जहाँ हिंसा होती रही।

मासिक विश्लेषण

- 2012 के बाद अप्रैल 2017 में गोरक्षा के नाम पर हिंसक घटनाएँ सबसे ज़्यादा दर्ज़ की गई थीं।
- हिंसा की घटनाएँ अगस्त 2018 में एक बार फिर घटित होनी शुरू हो गईं।

विकलांगता अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्यों की प्रगति धीमी

चर्चा में क्यों?

दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम (RPWD) के कार्यान्वयन पर डिसेबिलिटी राइट इंडिया फाउंडेशन (DRIF) द्वारा 24 राज्यों में किये गए एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि आधे से अधिक राज्यों ने पर्याप्त समय बीत जाने के बावजूद अभी तक राज्य के नियमों को अधिसूचित नहीं किया है।

प्रमुख बिंदु

- सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि बिहार, चंडीगढ़, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित दस राज्यों ने राज्य के नियमों को अधिसूचित किया है।
- दिव्यांग जनों के रोज़गार के संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय केंद्र (National Centre for Promotion of Employment for Disabled People-NCPEDP) और दिव्यांग जनों के अधिकारों पर राष्ट्रीय समिति (National Committee on the Rights of Persons with Disabilities-NCRPD) के सहयोग से आयोजित इस अध्ययन में कहा गया है कि दिसंबर 2016 में पारित इस अधिनियम को सभी राज्यों द्वारा छह महीने के भीतर अधिसूचित किया जाना था।
- दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के संबंध में राज्यों की प्रशासनिक मशीनरी पर केंद्रित इस अध्ययन से पता चलता है कि 79.2% राज्यों ने RPWD अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु कोष का गठन नहीं किया था।
- कोष का गठन करने वाले पाँच राज्यों में से तमिलनाडु द्वारा इस कोष के लिये 10 करोड़ रुपए आवंटित किये गए, जबकि हिमाचल प्रदेश द्वारा 5 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि, "केवल तमिलनाडु द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में दिव्यांग जनों के लिये सहायता बढ़ाने के संबंध में कुछ कदम उठाए गए हैं।"
- अध्ययन में कहा गया है, "हालाँकि 62.5% राज्यों ने दिव्यांग जनों के लिये आयुक्त नियुक्त किये हैं किंतु यह प्रगति पर्याप्त नहीं है। राज्य में आयुक्तों की सहायता के लिये केवल तीन राज्यों ने विशेषज्ञ सलाहकार समितियों का गठन किया है।"
- इस अध्ययन के संबंध में प्रतिक्रिया देने वाले 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश उच्चतम स्थान पर रहा, इसके बाद ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश का स्थान रहा।
- जम्मू-कश्मीर के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अध्ययन में सबसे निचले स्थान पर थे, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 12वें स्थान पर थी।
- अध्ययन में कहा गया है कि 58.3% राज्यों ने अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिये ज़िलों में विशेष न्यायालयों को अधिसूचित नहीं किया है, जबकि 87.5% राज्यों ने कानूनी तौर पर अनिवार्य एक विशेष सरकारी अभियोजन को नियुक्त नहीं किया है।

अध्ययन से संबंधित आँकड़े

- अध्ययन में प्रतिक्रिया देने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 24 (66.7%) थी। केवल 41.7% राज्यों ने ही राज्य नियमों एवं विशेष न्यायालय को अधिसूचित किया था।
- अध्ययन के अनुसार, 50% राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे थे जिन्होंने राज्य सलाहकारी बोर्ड का गठन नहीं किया था। देश में 79.2% राज्य ऐसे थे जहाँ राज्य कोष का आवंटन नहीं किया गया था।
- 37.5% राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे थे जहाँ दिव्यांग जनों के लिये राज्य आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की गई थी। 12.5% राज्यों में ही विशेष सरकारी अभियोजन की नियुक्ति की गई थी।

सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट- 2018

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट- 2018 (Global status report on road safety 2018) जारी की जिसके अनुसार, सड़क हादसे में होने वाली मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

रिपोर्ट के अनुसार,

- सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या सालाना 1.35 मिलियन के स्तर पर पहुँच गयी है।
- सड़क दुर्घटना के कारण प्रत्येक 23 सेकेंड में एक मौत होती है।
- 5 से 29 साल की उम्र के बच्चों की मौत का एक प्रमुख कारक सड़क हादसों में लगी चोट है।

नोट :

- वैश्विक स्तर पर सड़क हादसों में होने वाली मौतों की कुल संख्या में वृद्धि के बावजूद, हाल के वर्षों में विश्व जनसंख्या के आकार के सापेक्ष मृत्यु की दर स्थिर हो गई है। इससे पता चलता है कि कुछ मध्यम और उच्च आय वाले देशों में मौजूदा सड़क सुरक्षा प्रयासों के कारण इस स्थिति में कमी आई है।
- वास्तव में, उच्च आय वाले देशों की तुलना में कम आय वाले देशों में सड़क यातायात में होने वाली मृत्यु का खतरा तीन गुना अधिक रहता है।
- अफ्रीका में सड़क यातायात में होने वाली मृत्यु की दरें सबसे अधिक (प्रति 100,000 की जनसंख्या पर 26.6) और यूरोप में सबसे कम (प्रति 100,000 की आबादी पर 9.3) हैं।
- रिपोर्ट के पिछले संस्करण के बाद से दुनिया के तीन क्षेत्रों- अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी प्रशांत में सड़क यातायात की मौत दरों में गिरावट आई है।
- सड़क यातायात की मौतों में विविधता सड़क उपयोगकर्त्ता के प्रकार से भी प्रभावित होता है। वैश्विक स्तर पर, सड़क हादसों में होने वाली मौतों में पैदल यात्री और साइकिल चालकों का प्रतिशत 26% था, इस आँकड़ों में 44% के लिये अफ्रीका और 36% के लिये पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र (Eastern Mediterranean) ज़िम्मेदार है।
- सड़क यातायात में होने वाली कुल मौतों में मोटरसाइकिल सवार और यात्रियों की हिस्सेदारी 28% है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह अनुपात अधिक है, उदाहरण के लिये दक्षिण-पूर्व एशिया में यह 43% और पश्चिमी प्रशांत में 36% है।

रिपोर्ट के बारे में

- सड़क सुरक्षा पर WHO की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट हर दो से तीन साल जारी की जाती है, और सड़क सुरक्षा कार्यवाही के दशक (Decade of Action for Road Safety) 2011-2020 हेतु महत्त्वपूर्ण निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करती है।
- इससे पूर्व यह रिपोर्ट 2015 में जारी की गई थी।
- सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2018 ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपिज़ (Bloomberg Philanthropies) द्वारा वित्त पोषित है।

रिपोर्ट के अन्य निष्कर्ष

2015 में जारी पिछली रिपोर्ट की तुलना में, सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2018 के अन्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- 22 अतिरिक्त देशों ने एक या अधिक जोखिम कारकों पर अपने कानूनों में संशोधन किया ताकि उन्हें सर्वोत्तम तरीके से लागू किया जा सके और 1 बिलियन अतरिक्त लोगों को शामिल किया जा सके।
- 3 बिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 46 देशों में गति सीमा तय करने संबंधी कानून है जो सर्वोत्तम अभ्यास के अनुरूप है।
- वर्तमान में 2.3 बिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 45 देशों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कानून हैं जो सर्वोत्तम अभ्यास के अनुरूप हैं।
- 2.7 बिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 49 देशों में वर्तमान में मोटरसाइकिल चलते समय हेलमेट के उपयोग पर कानून हैं यह भी सर्वोत्तम अभ्यास के अनुरूप है।
- 5.3 बिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 105 देशों में, वर्तमान में सीट-बेल्ट के उपयोग पर कानून हैं जो सर्वोत्तम अभ्यास के अनुरूप हैं।
- 652 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 33 देशों में वर्तमान में बाल संयम प्रणाली (child restraint systems) के उपयोग पर कानून हैं जो सर्वोत्तम अभ्यास के साथ संरेखित होते हैं।
- वर्तमान में 114 देशों ने मौजूदा सड़कों का कुछ व्यवस्थित मूल्यांकन या स्टार रेटिंग शुरू की है।
- 1 बिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल 40 देशों ने संयुक्त राष्ट्र वाहन सुरक्षा मानकों (UN vehicle safety standards) कम से कम 7 या सभी 8 प्राथमिकता मानकों को लागू किया है।
- आपातकालीन देखभाल प्रणाली को सक्रिय करने के लिये आधे से अधिक देशों (62%) के पास देश में पूर्ण कवरेज वाला एक टेलीफोन नंबर है।
- 55% देशों में प्री-अस्पताल देखभाल प्रदाताओं (pre-hospital care providers) को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने के लिये औपचारिक प्रक्रिया है।

WHO रिपोर्ट और भारत

भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आकलन सर्वोच्च न्यायलय की उस टिपण्णी से ही लगाया जा सकता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कहा कि देश में इतने लोग सीमा पर या आतंकी हमले में नहीं मरते जितने सडकों पर गड्ढों की वज़ह से मर जाते हैं। लोगों का इस तरह मरना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है।

- WHO के अनुमान के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की दर प्रति 100,000 पर 22.6 है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शहरों में यातायात दुर्घटनाओं में कमी आई है और मीडिया अभियानों तथा मजबूत प्रवर्तन के माध्यम से अधिकाँश शहरों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की संख्या में कमी आई है।
- इसके बावजूद भारत में वर्ष 2016 में 150,785 मौते सड़क दुर्घटनाओं में हुईं। इस प्रवृत्ति से पता चलता है कि 2007 से अब तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या में वृद्धि हुई है।
- भारत ने लोगों की सुरक्षा के लिये आवश्यक अधिकांश नियमों को स्थापित किया है, लेकिन ये नियम सडकों पर होने वाली मौतों के आँकड़ों को कम करने में असफल रहे हैं।
- अतः सतत् विकास एजेंडा 2030 की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये सरकारों को अपने सड़क सुरक्षा प्रयासों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।
- रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र वाहन सुरक्षा मानकों की प्राथमिकता के सात या आठ के कार्यान्वयन के लिये भारत को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

भारत में 8 मौतों में से 1 का कारण वायु प्रदूषण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में द लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ (The Lancet Planetary Health) में प्रकाशित एक शोध निष्कर्ष को ICMR में जारी किया गया। जिसके अनुसार, वर्ष 2017 में भारत में होने वाली आठ मौतों में से एक के लिये भारत में व्याप्त वायु प्रदूषण ज़िम्मेदार था जो कि भारत में होने वाली मौतों के लिये एक प्रमुख जोखिम कारक साबित हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इंडिया स्टेट लेवल डीज़ीज़ बर्डन इनिशिएटिव (India State-Level Disease Burden Initiative) द्वारा प्रकाशित प्रत्येक राज्य में वायु प्रदूषण से जुड़े जीवन प्रत्याशा में कमी के पहले व्यापक अनुमानों के अनुसार, दुनिया की 18% आबादी वाले देश भारत में वायु प्रदूषण के कारण कुल वैश्विक समय पूर्व मौतों और बीमारी के बोझ का 26% भाग शामिल है।
- इंडिया स्टेट लेवल डीज़ीज़ बर्डन इनिशिएटिव, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research-ICMR), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (Public Health Foundation of India-PHFI) और इंस्टीट्यूट हेल्थ मेट्रिक्स और इवोल्यूशन (Institute for Health Metrics and Evaluation -IHME) का एक संयुक्त उद्यम है जो 100 से अधिक भारतीय संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से संचालित होता है।
- शोध के मुख्य निष्कर्षों में यह तथ्य शामिल है कि वर्ष 2017 में भारत में 12.4 लाख मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुईं, जिसमें 6.7 लाख मौतें बाहरी पार्टिकुलेट मैटर वायु प्रदूषण और 4.8 लाख मौतें घरेलू वायु प्रदूषण के कारण हुईं।
- वायु प्रदूषण के कारण हुई कुल मौतों में लगभग आधी से अधिक मौतें 70 वर्ष से कम उम्र के लोगों की हुईं। वर्ष 2017 में भारत की 77% आबादी राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों द्वारा अनुशंसित सीमा से ऊपर पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 के संपर्क में थी।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में PM2.5 का संपर्क स्तर उच्चतम था, इसके बाद अन्य उत्तर भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा का स्थान था।
- इस शोध पत्र में निष्कर्ष वायु प्रदूषण के सभी उपलब्ध आँकड़ों पर आधारित हैं जिनका विश्लेषण ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डीज़ीज़ स्टडी के मानकीकृत तरीकों का उपयोग करके किया गया था।

- इसके अलावा, अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 2017 में भारत में प्रमुख गैर-संक्रमणीय बीमारियों के लिये वायु प्रदूषण के कारण विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) कम-से-कम उतना ही अधिक था जितना तंबाकू के उपयोग के कारण था।
- अध्ययन के अनुसार, वायु प्रदूषण का निम्नतम स्तर जिससे स्वास्थ्य हानि होती है यदि कम हो जाए तो राजस्थान (2.5 वर्ष), उत्तर प्रदेश (2.2 वर्ष) और हरियाणा (2.1 साल) में उच्चतम वृद्धि के साथ भारत में औसत जीवन प्रत्याशा 1.7 वर्ष अधिक होगी।
- अध्ययन में इस बात का सुझाव दिया गया है कि वायु प्रदूषण के जोखिम और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिये नीतियों की योजना बनाते समय बाहरी और घरेलू वायु प्रदूषण के संपर्क में राज्यों के बीच भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) के निदेशक प्रो रणदीप गुलरिया के अनुसार, "स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव तेज़ी से पहचाना जा रहा है। वायु प्रदूषण एक वर्ष भर की घटना है, खासकर उत्तर भारत में, जो श्वसन बीमारियों से कहीं अधिक स्वास्थ्य पर अन्य प्रभाव का कारण बनती है।"

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक

- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (National Ambient Air Quality Standards-NAAQS) को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1961 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 18 नवंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया।
- इसमें 12 प्रदूषकों को शामिल किया गया है- सल्फर डाई ऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड (NO_2), PM-10, PM-2.5, ओज़ोन (O_3), सीसा (Pb), कार्बन मोनो ऑक्साइड (CO), अमोनिया (NH_3), बेंज़ीन (C_6H_6), आर्सेनिक (As), निकिल (Ni), बेंजो पायरीन (BaP)।
- इनमें से 3 प्रदूषकों (PM_{10}, SO_2 और NO_2) की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCB) एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिये प्रदूषण नियंत्रण समितियों (PCC) के सहयोग से 254 नगरों/शहरों में 612 स्थानों पर की जाती है।

दुनियाभर में बढ़ रहे हैं खसरे के मामले : WHO

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के मुताबिक खसरा (measles) के मामलों की संख्या वर्ष 2017 में बढ़ी है, क्योंकि कई देशों ने इस गंभीर बीमारी का लंबे समय से अनुभव किया जा रहा है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टीकाकरण कवरेज में अंतराल के कारण सभी क्षेत्रों में खसरा का प्रकोप बढ़ा है और इस बीमारी से अनुमानित 1,10,000 मौतें हुई हैं।
- इस रिपोर्ट में अद्यतन रोग मॉडलिंग डेटा का उपयोग करके, पिछले 17 वर्षों में खसरा प्रवृत्तियों का सबसे व्यापक अनुमान प्रदान किया गया है।
- रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से 21 मिलियन से अधिक लोगों को खसरा टीकाकरण के माध्यम से बचाया गया है। हालाँकि, 2016 से दुनिया भर में दर्ज किए गए मामलों में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
- अमेरिका, पूर्वी भूमध्य क्षेत्र और यूरोप ने 2017 के मामलों में सबसे बड़ी उछाल का अनुभव किया तो वहीं पश्चिमी प्रशांत एकमात्र विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्र जहाँ खसरा की घटनाओं में कमी आई है।

खसरा (Measles) क्या है ?

- खसरा श्वसन प्रणाली में वायरस, विशेष रूप से मोर्बिलीवायरस (Morbillivirus) के जीन्स पैरामिक्सोवायरस (paramicovirus) के संक्रमण से होता है।
- मोर्बिलीवायरस भी अन्य पैरामिक्सोवायरसों की तरह ही एकल असहाय, नकारात्मक भावना वाले RNA वायरसों द्वारा घिरे होते हैं।

- इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, बहती हुई नाक, लाल आंखें और एक सामान्यीकृत मेकुलोपापुलर एरीथेमाटस चकते भी शामिल है।
- शुरूआती दौर में मस्तिष्क की कोशिकाओं (brain cell) में सूजन आ जाता है और बाद में समस्या के गंभीर होने पर कई सालों बाद व्यक्ति का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension Scheme- NPS) को व्यवस्थित करने तथा इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NPS के तहत कवर किये गए 18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने हेतु इस योजना में बदलावों को मंज़ूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत बदलाव-

- केंद्र सरकार द्वारा NPS टियर-I के दायरे में आने वाले अपने कर्मचारियों के लिये अपना अनिवार्य अंशदान मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन फंडों और निवेश के स्वरूप के चयन की आज़ादी दी गई है।
- वर्ष 2004-2012 के दौरान NPS में अंशदान न करने या इसमें विलंब होने पर क्षतिपूर्ति की जाएगी।
- NPS से बाहर निकलने पर मिलने वाली एकमुश्त निकासी राशि पर कर छूट सीमा बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। इसके साथ ही समूची निकासी राशि अब आयकर से मुक्त हो जाएगी। (मौजूदा समय में वार्षिक तौर पर खरीद के लिये इस्तेमाल की गई कुल संचित राशि का 40 प्रतिशत कर मुक्त है। सेवानिवृत्ति के समय NPS के सदस्य द्वारा निकाली जाने वाली संचित राशि के 60 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत कर मुक्त है, जबकि शेष 20 प्रतिशत राशि कर योग्य है।)
- NPS टियर-II के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाला अंशदान अब आयकर की दृष्टि से 1.50 लाख रुपए तक की छूट के लिये धारा 80 सी के अंतर्गत कवर होगा। यह अन्य योजनाओं जैसे कि सामान्य भविष्य निधि, अंशकारी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि और सार्वजनिक भविष्य निधि के समतुल्य है, बशर्ते कि इसमें तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि हो।

प्रभाव

- NPS के दायरे में आने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों की अंतिम संचित राशि में वृद्धि होगी।
- कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़े बगैर ही सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ जाएगी।
- जीवन प्रत्याशा बढ़ने की स्थिति में वृद्धावस्था सुरक्षा बढ़ जाएगी।
- NPS को और ज़्यादा आकर्षक बनाने से सरकार को सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने एवं उन्हें सेवा में बनाए रखने में आसानी होगी।

पृष्ठभूमि

- 7वें वेतन आयोग ने वर्ष 2015 में अपने विचार-विमर्श के दौरान NPS से जुड़ी विशिष्ट चिंताओं पर गौर किया और सिफारिशें पेश कीं।
- तदनुसार, सरकार द्वारा वर्ष 2016 में सचिवों की एक समिति गठित की गई जिसे NPS के कार्यान्वयन को युक्तिसंगत अथवा सरल बनाने के लिये विभिन्न उपाय सुझाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

- केंद्र सरकार ने 01 जनवरी, 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) शुरू की थी (सशस्त्र बलों को छोड़कर)।
- देश में NPS को लागू करने और विनियमित करने की ज़िम्मेदारी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority) की है।
- PFRDA द्वारा स्थापित नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (National Pension System Trust- NPST) NPS के तहत सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है।

- NPS की संरचना द्विस्तरीय है-
  - टियर- 1 खाता: यह सेवानिवृत्ति की बचत के लिये बनाया गया खाता है जिसका आहरण नहीं किया जा सकता है।
  - टियर-2 खाता: यह एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है। अभिदाता अपनी इच्छानुसार इस खाते से अपनी बचत को आहरित करने के लिये स्वतंत्र है। इस खाते पर कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं हैं।
  - NPS 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की गई है।
  - देश का कोई भी व्यक्ति (निवासी और अनिवासी दोनों) NPS में शामिल हो सकता है, बशर्ते NPS के लिये आवेदन करते समय उसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो।
  - लेकिन OCI (Overseas Citizens of India) तथा PIO (Person of Indian Origin) कार्ड धारक और हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family- HUFs) NPS खाता खोलने के लिये योग्य नहीं हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

- इस अधिनियम को 19 सितंबर, 2013 में अधिसूचित और 1 फरवरी, 2014 से लागू किया गया।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) जिसके अभिदाताओं में केंद्र सरकार/राज्य सरकारों निजी संस्थानों/संगठनों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं, का नियमन PFRDA द्वारा किया जाता है।
- भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा से सबंधित योजनाओं के अध्ययन के लिये भारत सरकार ने वर्ष 1999 में OASIS (वृद्धावस्था सामजिक और आय सुरक्षा) नामक राष्ट्रीय परियोजना को मंज़ूरी दी थी।
- भारत सरकार द्वारा अंशदान पेंशन प्रणाली को 22 दिसंबर, 2003 में अधिसूचित किया गया जो 1 जनवरी, 2004 से लागू हुई और जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम से जाना जाता है।
- 1 मई, 2009 से NPS का विस्तार स्वैच्छिक आधार पर देश के सभी नागरिकों के लिये किया गया जिसमें स्वरोज़गार, पेशेवरों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।

बुज़ुर्गों के लिये बुनियादी अधिकारों की कमी

संदर्भ

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों और बुज़ुर्गों को प्रदान किये गए अपर्याप्त कल्याणकारी अधिकारों की जवाबदेही में सरकार 'आर्थिक बजट' का बहाना नहीं बना सकती है। देश में बुज़ुर्गों की बढ़ती आबादी को देखते हुए भी उनके अधिकारों को संविधान में नई परिस्थितियों के अनुरूप परिभाषित नहीं किया गया है।

मौजूदा अधिकार

- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत गरिमा, स्वास्थ्य और आश्रय हर वरिष्ठ नागरिक का वैधानिक अधिकार है।
- गरिमा, स्वास्थ्य और आश्रय तीन ऐसे महत्त्वपूर्ण घटक हैं जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार को भी संदर्भित करते हैं।
- गौरतलब है कि 2007 के अधिनियम के अनुसार प्रत्येक ज़िले में एक ऐसे वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी, जिसमें कम-से-कम 150 ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आवास की सुविधा दी जा सकेगी, जो गरीब हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- जस्टिस मदन बी. लोकुर की खंडपीठ ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक ज़िले में वृद्धाश्रमों की संख्या के बारे में 'आवश्यक जानकारी' प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार को आदेश दिया है तथा 31 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को प्रत्येक ज़िले के वरिष्ठ नागरिकों हेतु उपलब्ध चिकित्सा और देखभाल सुविधाओं के बारे में राज्यों से विवरण प्राप्त करने का भी आदेश दिया है।
- वृद्धाश्रम और आवास की अनुपस्थिति में बुज़ुर्गों दुर्घटनाओं और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं हेतु सुभेद्य हो जाते हैं।

पेंशन

- अदालत ने निर्देश दिया कि कम-से-कम केंद्र को कम-से-कम 2007 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकारें भी कानून के प्रावधानों को लागू करें।
- पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार द्वारा दायर याचिका के आधार पर अदालत के फैसले में वरिष्ठ नागरिकों और बुज़ुर्गों को पेंशन के रूप में भुगतान किये जाने वाले मामूली भत्ते पर आश्चर्य जताया गया है।
- बुज़ुर्गों की आबादी 1951 में 1.98 करोड़ थी जो 2001 में बढ़कर 7.6 करोड़ तथा 2011 में 10.38 करोड़ हो गई। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों की आबादी 2021 में 14.3 करोड़ और 2026 में 17.3 करोड़ हो जाएगी।
- ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण तथा कल्याण के लिये संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यताप्राप्त उपबंधों का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये पूर्व के अधिनियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों को लागू किया जाए तथा आवश्यकतानुसार संशोधन के द्वारा उक्त उपबंधों को सुदृढ़ करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाया जाए।

डेटा पॉइंट: मैनुअल स्केवेंजर्स के हालात

संदर्भ

देश भर में मैनुअल स्केवेंजर्स की संख्या विभिन्न अनुमानों के मुताबिक भिन्न-भिन्न है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिये गए आँकड़ों के मुताबिक, 8 दिसंबर, 2018 तक 13,973 मैनुअल स्केवेंजर्स की पहचान की गई है। मैनुअल स्केवेंजर्स के साथ होने वाली हालिया घटनाओं से सबक लेते हुए पुनर्वास उपायों की प्रगति और वर्तमान परिदृश्य पर एक नज़र डालते हैं।

सीवर में होने वाली मौतें

- 2015-18 के दौरान सीवर में हुई मौतों में सबसे ज़्यादा मौतें गुजरात में हुई थीं। सुरक्षा उपकरणों तथा सफाई के दौरान नवाचार की कमी की वज़ह से गुजरात में 26 मैनुअल स्केवेंजर्स को अपनी जिंदगी गँवानी पड़ी।
- गुजरात के बाद राजस्थान में 24 और उत्तर प्रदेश में 17 मैनुअल स्केवेंजर्स की मौत दर्ज की गई। (उपर्युक्त चित्र देखें...)
- मैनुअल स्केवेंजर्स की सबसे कम मौतें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश (प्रत्येक राज्य में दो) में दर्ज की गई।

मैनुअल स्केवेंजर्स की संख्या

- मैनुअल स्केवेंजर्स की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है जहाँ चिह्नित मैनुअल स्केवेंजर्स की संख्या 11,563 है।
- छत्तीसगढ़ में चिह्नित मैनुअल स्केवेंजर्स की संख्या मात्र 3, जबकि मध्य प्रदेश में 36 है।
- पूरे भारत में चिह्नित मैनुअल स्केवेंजर्स की कुल संख्या 13,973 है। मैनुअल स्केवेंजर्स की राज्यवार संख्या का अवलोकन करने हेतु उपर्युक्त चित्र देखें...

पुनर्वास हेतु उपाय

- 2015-16 में नकद सहायता पाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह संख्या तेज़ी से कम (20 फरवरी, 2018 का आँकड़ा) होती गई। नकदी सहायता पाने वाले लाभार्थियों की संख्या का विस्तृत अवलोकन करने के लिये ग्राफ में नीली रेखा का विश्लेषण करें...
- 2016-17 में कौशल विकास प्रशिक्षण के लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज़ की गई लेकिन यह वृद्धि अगले वर्ष ही कम होने लगी। कौशल विकास प्रशिक्षण पाने वाले लाभार्थियों की संख्या का विस्तृत अवलोकन करने के लिये ग्राफ में पीली रेखा का विश्लेषण करें...
- प्रदर्शित ग्राफ के अनुसार, कैपिटल सब्सिडी पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 2016 से लगातार कम हो रही है। कैपिटल सब्सिडी पाने वाले लाभार्थियों की संख्या का विस्तृत अवलोकन करने के लिये ग्राफ में हरी रेखा का विश्लेषण करें..

बाल सुरक्षा नीति का मसौदा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित सुझावों के अनुसार बाल सुरक्षा नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर मसौदा नीति अपलोड करते हुए 4 जनवरी तक हितधारकों से टिप्पणियाँ भी आमंत्रित की हैं।

मसौदा नीति

- देश में बच्चों से संबंधित अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को बाल सुरक्षा नीति तैयार करने पर विचार करने को कहा था।
- यह बच्चों की सुरक्षा हेतु समर्पित पहली नीति होगी, जो अब तक व्यापक राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 का हिस्सा थी।
- सभी बच्चे हिंसा, शोषण, उपेक्षा, वंचितता और अन्य सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त बचपन तथा सम्मानित जीवन जीने के अधिकारी हैं।
- भारत युवाओं का देश है, जहाँ बच्चों की आबादी 472 मिलियन से भी अधिक है। इस युवा आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल मानवाधिकार है बल्कि भारत के सुनहरे भविष्य के लिये एक निवेश भी है।
- वर्तमान मसौदा नीति भारत के संविधान, विभिन्न बाल-केंद्रित कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संधि के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा और कल्याण हेतु अन्य मौजूदा नीतियों के तहत प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों पर आधारित है। इस नीति के चार मुख्य पहलू इस प्रकार हैं-
  - जागरूकता
  - रोकथाम
  - रिपोर्टिंग
  - प्रतिक्रिया देना
- इसका उद्देश्य बच्चों के शोषण और उपेक्षा की रोकथाम तथा प्रतिक्रिया के माध्यम से सभी बच्चों हेतु एक सुरक्षित एवं अनुकूल माहौल प्रदान करना है।
- यह नीति सभी संस्थाओं और संगठनों (कॉर्पोरेट और मीडिया घरानों सहित), सरकारी या निजी क्षेत्र को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बच्चों की सुरक्षा/बचाव के संबंध में उनकी ज़िम्मेदारियों को समझाने के लिये एक ढाँचा प्रदान करती है।

जनसंख्या स्थिरता पर नीति आयोग की कार्ययोजना

चर्चा में क्यों ?

नीति आयोग बढ़ती जनसंख्या और इसके उपायों पर चर्चा करने के लिये 20 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में भारतीय जनसंख्या संस्थान (POPULATION FOUNDATION OF INDIA) के साथ मिलकर एक सलाहकार सम्मेलन आयोजित करेगा।

मुख्य बिंदु:

- इस बैठक का विषय- जनसंख्या स्थिरीकरण की सोच को साकार करने: किसी को पीछे नहीं छोड़ने" (Realizing the vision of population stabilization: leaving no one behind) होगा।
- इस सम्मेलन में कई महत्त्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, अनुभवी सलाहकार और विषय विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य जनसंख्या समस्या पर चर्चा करना तथा इसके निवारण के सुझाव तलाशना है, ये सुझाव 15 अगस्त, 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा देश की जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिये किये गए आह्वान को पूरा करने में मदद करेंगे।
- सुझावों के आधार पर नीति आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली कार्ययोजना, परिवार नियोजन कार्यक्रमों में आने वाली कमियों को दूर करने में मददगार हो सकती है।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य, किशोरों और युवाओं पर विशेष ध्यान के साथ अंतर-विभागीय विषमताओं को दूर करने, मांग निर्माण, गर्भनिरोधक सेवाओं की पहुँच एवं देखभाल की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना तथा परिणामों में क्षेत्रीय विषमताओं को संबोधित करने के लिये रचनात्मक सुझाव देना है।

नोट :

सम्मेलन से अपेक्षित कुछ प्रमुख सुझाव निम्न हैं -

- गर्भनिरोधकों के विकल्प बढ़ाना, बच्चों के जन्म के बीच के अंतर को बढ़ाना तथा महिलाओं को इस विषय पर विस्तृत जानकारी देना।
- युवाओं को विवाह और यौन संबंधों के बारे में स्वास्थ्य और आयु संबंधित सामाजिक निर्धारकों की जानकारी देना।
- परामर्श के साथ देखभाल सेवाओं को बेहतर बनाने, दवाओं के दुष्प्रभावों के बेहतर प्रबंधन और परिवार नियोजन में सहायता करना।
- देश की 30% युवा जनसंख्या की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन योजना के लिये बजटीय आवंटन बढ़ाना।
- गर्भनिरोधक के विकल्पों के प्रति मौजूदा सामाजिक-सांस्कृतिक दुष्प्रचारों को संबोधित करना तथा युवाओं से इन समस्याओं को लेकर संवाद बढ़ाने के लिये संचार के नए माध्यमों (जैसे- Social Media आदि) में बड़े पैमाने पर निवेश करना।
- अंतर-विभागीय संवाद को बढ़ावा देने और बहुपक्षीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये जनसंख्या स्थिरीकरण तथा परिवार नियोजन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में रखना।

15 अगस्त, 2019 को लालकिले से अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री ने अनियंत्रित रूप से बढ़ती जनसंख्या पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि,"लगातार बढ़ती जनसंख्या हमारे और हमारी अगली पीढ़ी के लिये कई समस्यायें और चुनौतियाँ लाने वाली हैं।" साथ ही उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिये देश के सभी नागरिकों से अपना योगदान देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने जनसंख्या नियत्रंण के प्रति जागरूक लोगों की प्रशंसा की।

बढ़ती जनसँख्या की चुनौतियाँ :

- किसी भी देश की स्वस्थ और शिक्षित जनसंख्या उसके लिये मानव पूँजी (Human Capital) के रूप में वरदान का काम करती हैं लेकिन यदि जनसंख्या इतनी बढ़ जाये कि देश के सभी नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि) का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाए तो यही जनसंख्या उसके लिये अभिशाप बन जाती है।
- एक अनुमान के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या 37 करोड़ से अधिक है, जून 2019 में यू.एन. द्वारा जारी द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019: हाइलाइट्स (The World Population Prospects 2019: Highlights) नामक एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 तक भारत, चीन को पछाड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।
- इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के स्वास्थ्य, युवा रोज़गार, वृद्धों की देखभाल से लेकर बढ़ती शहरी आबादी के दबाव आदि को नियंत्रित करना देश के लिये एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष:

भारत में जनसंख्या बढ़ने के कारणों में अशिक्षा, कम आयु में विवाह तथा परिवार नियोजन जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति व्याप्त सामाजिक अंधविश्वास का होना है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इतनी बड़ी जनसंख्या पर सरकारी दबाव के बजाय शिक्षा, जागरूकता और समाज के सभी वर्गों के आपसी सामाजिक सहयोग से ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। परिवार नियोजन को विकास के क्षेत्र में सार्वभौमिक रूप से सर्वोत्तम निवेश माना जाता है। भारत को अपने सतत् विकास और आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिये यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ गर्भनिरोधकों के प्रति जागरूकता और गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं की पहुँच बढ़ सके।

30 मिलियन नवजात शिशुओं को मदद की ज़रूरत

संदर्भ

हाल ही में UNICEF और WHO द्वारा संयुक्त रूप से किये गए एक अध्ययन, 'सर्वाइव एंड थ्राइव: ट्रांसफॉर्मिंग केयर फॉर एवरी स्माल एंड सिक न्यूबोर्न (Survive and thrive: Transforming care for every small and sick newborn)' की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 30 मिलियन नवजात शिशुओं को अस्पतालों में खास देखभाल की ज़रूरत है। इस देखभाल के बिना उनमें से ज़्यादातर शिशुओं की या तो मृत्यु हो जाती है या पूरी ज़िंदगी के लिये उन्हें विकलांगता जैसे अभिशाप से जूझना पड़ता है।

भारत की स्थिति

- यूनिसेफ द्वारा पूर्व में कराए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में जन्म लेने वाले प्रति 1,000 शिशुओं में से 25.4 की मृत्यु हो जाती है। भारत में प्रतिवर्ष 6.4 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है।

नोट :

वैश्विक स्थिति

- रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2017 में जन्म से 28 दिनों के अंदर लगभग 2.5 मिलियन नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई, जिनमें से लगभग 80% शिशुओं का वज़न कम था और 65% शिशु प्रीमेच्योर (समय से पूर्व) पैदा हुए थे।
- इसके अलावा, 1.5 मिलियन छोटे और बीमार नवजात शिशु जीवित तो बच जाते हैं लेकिन पूरी जिंदगी परेशान करने वाली बीमारियों जैसे- मस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy) से पीड़ित रहते हैं।

सतत् विकास लक्ष्य का एक हिस्सा

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के एक हिस्से के रूप में दुनिया के सभी देशों के सामने यह चुनौती है कि 2030 तक जन्म लेने वाले प्रति 1,000 शिशुओं में मृत्यु दर को 12 या उससे नीचे लाएँ।
- यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिये दुनिया के सभी देशों को प्रत्येक गर्भवती महिला और प्रत्येक नवजात को बिना किसी भेदभाव (सामाजिक, आर्थिक) के जन्म से पहले और बाद में उच्च-गुणवत्ता वाली सस्ती सेवाएँ उपलब्ध करानी होंगी।

सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals)

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की ऐतिहासिक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है।
- ये लक्ष्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से संबंधित है तथा इनमें विकास के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयामों को शामिल किया गया हैं।
- 17 सतत् विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत् विकास के लिये 2030 एजेंडा के अंग हैं जिसे सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्रमहासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था।
- यह एजेंडा पहली जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है। इन लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिये हुई अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया में राष्ट्रीय सरकारों और दुनिया भर के लाखों नागरिकों ने मिलकर बातचीत की और अगले 15 वर्ष के लिये सतत् विकास हासिल करने का वैश्विक मार्ग अपनाया।
- विश्व अभी सतत् विकास लक्ष्य (SDG) युग के तीसरे वर्ष (2016 में शुरुआत के बाद) में है।

रिपोर्ट में प्रस्तावित सिफारिशें

- इस रिपोर्ट में दुनिया के सभी देशों से आग्रह किया गया है कि वे सुभेद्य नवजात शिशुओं- छोटे और बीमार की मृत्यु को रोकने के लिये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश करें।
- इस रिपोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि शिशुओं की गुणवत्तापूर्ण देखभाल वैश्विक स्तर पर होने वाली नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोक सकती है।
- निम्न और मध्यम आय वाले देश 2030 तक हर तीन नवजात मौतों में से दो को रोक सकते हैं यदि वे अपने निवेश को प्रति व्यक्ति 0.20 डॉलर से बढ़ा दें।

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स- 2018

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (Reporters Without Borders) द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स (World Press Freedom Index) में भारत को 138वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

वैश्विक परिदृश्य

- इस वर्ष कुल 80 पत्रकारों की हत्या हुई है, 348 इस समय जेल में कैद हैं और 60 को बंधक बनाकर रखा गया है जो पूरी दुनिया में मीडिया कर्मियों के प्रति शत्रुता के उच्च स्तर को दर्शाता है।

- मारे गए 80 पत्रकारों में से 63 पेशेवर पत्रकार थे, जबकि 13 गैर-पेशेवर पत्रकार और 4 मीडिया कर्मचारी थे।
- 49 पत्रकारों की या तो हत्या हुई या उन्हें जान-बूझकर निशाना बनाया गया, जबकि 31 पत्रकार रिपोर्टिंग के दौरान मारे गए।
- मारे गए सभी 80 पत्रकारों में 77 पुरुष पत्रकार तथा 3 महिला पत्रकार शामिल थीं।
- पिछले 10 सालों में कुल मिलाकर 702 पत्रकार मारे जा चुके हैं।
- प्रतिवर्ष पत्रकारों की मौत से संबंधित आँकड़े इस प्रकार हैं-

पत्रकारों के लिये सबसे खतरनाक देश

पत्रकारों के लिये सबसे खतरनाक देशों की सूची में शामिल हैं-

1. अफगानिस्तान (15)
2. सीरिया (11)
3. मेक्सिको (9)
4. यमन (8)
5. भारत और अमेरिका (प्रत्येक में 6)

जेलों में कैद पत्रकार

- पूरी दुनिया के जेलों में कैद पत्रकारों की कुल संख्या 348 है। इनमें 179 पेशेवर पत्रकार, 150 गैर-पेशेवर पत्रकार तथा 19 मीडियाकर्मी शामिल हैं। यदि जेलों में कैद पुरुष और महिला पत्रकारों की बात की जाए तो इन कैदियों में 324 पुरुष और 24 महिला पत्रकार शामिल हैं।
- 2017 की तरह इस वर्ष भी जेल में कैद पत्रकारों की कुल संख्या में से आधे से अधिक पत्रकार केवल पाँच देशों की जेलों में हैं। ये देश हैं-

1. चीन (60)
2. मिस्र (38)
3. तुर्की (33)
4. ईरान (28)
5. सऊदी अरब (28)

बंधक पत्रकार

- वर्तमान में पूरी दुनिया में 60 पत्रकारों को बंधक बनाकर रखा गया है। इनमें 45 पेशेवर पत्रकार, 9 गैर-पेशेवर पत्रकार और 6 मीडिया कर्मचारी शामिल हैं।
- बंधक बनाए गए कुल पत्रकारों में से 98% पत्रकारों को मध्य-पूर्व के देशों में, जबकि 2% को शेष विश्व में बंधक बनाया गया है।
- बंधक बनाए जाने वाले पत्रकारों में से 59 को मध्यपूर्वी देशों- सीरिया (31), यमन (17) और ईराक (11) में बंधक बनाया गया है, जबकि 1 पत्रकार को यूक्रेन में बंधक बनाया गया है।

प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले शीर्ष 10 देश और उनका स्कोर

रैंकिंग	देश	स्कोर
1.	नॉर्वे	7.63
2.	स्वीडन	8.31
3.	नीदरलैंड	10.01
4.	फिनलैंड	10.26
5.	स्विट्ज़रलैंड	11.27
6.	जमैका	11.33
7.	बेल्जियम	13.16

नोट :

8.	न्यूज़ीलैंड	13.62
9.	डेनमार्क	13.99
10.	कोस्टा रिका	14.01

भारतीय परिदृश्य

- भारत को इस सूचकांक में 43.24 अंकों के साथ 138वाँ स्थान हासिल हुआ है जबकि वर्ष 2017 में भारत इस सूचकांक में 136वें स्थान पर था।
- इस वर्ष देश में कुल 6 पत्रकारों की हत्या हुई है।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स

- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है, जो सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका निभाता है।

मुख्यालय

- इसका मुख्यालय पेरिस में है।

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स

- RSF द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का प्रथम संस्करण वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया।
- इस सूचकांक में पत्रकारों के लिये उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है।
- प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित मानचित्र, सूचकांक में प्रत्येक देश की स्थिति का दृश्य अवलोकन प्रदान करता है। इस मानचित्र में अलग-अलग श्रेणियों के लिये सफेद, पीले, नारंगी, लाल और काले रंगों का प्रयोग किया गया है-
  - अच्छी स्थिति लिये- सफेद
  - ठीक-ठाक स्थिति के लिये- पीला
  - समस्या ग्रस्त देशों के लिये- नारंगी
  - खराब स्थिति वाले देशों के लिये- लाल
  - बहुतखराब स्थिति वाले देशों के लिये- काला

कला एवं संस्कृति

भीतरगाँव का ईंटों से निर्मित मंदिर

संदर्भ

कानपुर (उत्तर प्रदेश) के भीतरगाँव में स्थित मंदिर ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है।

- इसका निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी A.D. में किया गया था।
- इसे सबसे प्राचीन हिन्दू पवित्र स्थान माना जाता है जिसमें ऊँची छत और शिखर है। इसने उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की वृहद् नागर शैली का मार्ग प्रशस्त किया।

मंदिर वास्तुकला का संक्षिप्त इतिहास

- वैदिक काल के दौरान मंदिर वास्तुकला के अस्तित्व का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- कई पीढ़ियों तक पूजा-पाठ की पद्धतियों के अनुसरण ने मंदिर संरचनाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।
- तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से रॉक-कट वास्तुकला का विकास शुरू हुआ। यद्यपि प्राचीनतम रॉक-कट वस्तुकला का संबंध मौर्य वंश से है लेकिन उत्तर मौर्य काल में निर्मित अजंता की गुफाएँ सबसे पुराने रॉक-कट मंदिरों के उदाहरण हैं।
- जैसे-जैसे मानव ने प्रगति की और नई तकनीकों को सीखा, रॉक-कट मंदिरों की बजाय पत्थर निर्मित मंदिरों के निर्माण को बढ़ावा दिया, चूँकि पत्थर हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं थे, इसलिये उसने ईंट से मंदिरों के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया।
- गंगा के मैदानी इलाकों में कई ईंट निर्मित संरचनाएँ अस्तित्व में आईं क्योंकि इस क्षेत्र की मिटटी कछारी (Alluvial) है तथा पत्थरों और चट्टानों की यहाँ कमी है।
- समय के बढ़ने के साथ-साथ एक तरफ जहाँ चट्टानों और पत्थरों से निर्मित मंदिर सुरक्षित खड़े रहे, वहीं ईंट निर्मित मंदिर स्वयं को बचाने में असफल रहे। लेकिन भीतरगाँव का ईंट निर्मित मंदिर बदलते समय के साथ भी सुरक्षित खड़ा है, मंदिर की यही विशेषता इसे खास बनाती है।

भीतरगाँव मंदिर की वास्तुकला

- मंदिर का प्रवेश द्वारा पहली बार अर्द्ध-वृत्ताकार द्वारों के उपयोग को दर्शाता है।
- अलेक्जेंडर कनिंघम (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक, 1871) ने इसे 'हिंदू आर्क' (Hindu Arc) कहा जो कि भारत-विशिष्ट था।
- मंदिर के आंतरिक भाग (गर्भ गृह) के ऊपर एक लंबी पिरामिडनुमा चोटी (शिखर) है। यह शिखर भारत के नागर मंदिर वास्तुकला की मानक विशेषता बन गया।
- मंदिर की दीवारें शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु आदि देवी- देवताओं की टेराकोटा मूर्तियों से सजाई गई हैं।
- कनिंघम के अनुसार, मंदिर के पीछे वाराह अवतार की मूर्ति की वजह से यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद यह एक विष्णु मंदिर था।

नागर, द्रविड़ तथा वेसर मंदिर

अलग-अलग क्षेत्रों के मंदिर, वास्तुकला के मामले में एक-दूसरे से थोड़े भिन्न हैं- जैसे ओडिशा, कश्मीर तथा बंगाल के मंदिरों की अलग-अलग विशिष्टता है लेकिन, आमतौर पर इन्हें मंदिर वास्तुकला की तीन श्रेणियों- नागर (उत्तर), द्रविड़ (दक्षिण) तथा वेसर शैली में वर्गीकृत किया जा सकता है।

नोट :

सेंट ऑगस्टीन के चर्च के खंडहर

चर्चा में क्यों ?

सेंट ऑगस्टीन के आदेश द्वारा 1597 और 1602 के बीच बनाया गया यह चर्च लेडी ऑफ ग्रेस को समर्पित है। 1830 के दशक में पुर्तगाली सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण इस चर्च परित्याग कर दिया गया था। इस चर्च के हिस्से लगातार ढहते गए इसलिए अब यह काफी हद तक खंडहर में तब्दील हो चुका है। हालाँकि इसके बचे हुए अवशेष अब भी इसकी भव्यता की कहानी सुनाते हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- गोवा के पुराने नगर में बना लगभग 46 मीटर ऊँचा सेंट आगस्टीन चर्च अपने आप में बेहद अनोखा हुआ करता था।
- 1842 में चर्च का मुख्य गुंबद ढह गया, जिसके बाद पूरा ढाँचा धीरे-धीरे में ढह गया।
- 1931 में आगे के हिस्से के साथ-साथ आधा टॉवर ढह गया, जिसके बचे हुए हिस्से को जिसे आज भी देखा जा सकता है।
- 1986 में यूनेस्को ने इस खंडहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया।

चर्च की वास्तु-कला

- मूल रूप से लेटराइट से बने चार मीनारों और विशाल गुंबद वाला यह भवन पुनर्जागरण युग के महान शाही कैथेड्रल (गिरिजाघर) से मिलते-जुलते हैं।
- इस चर्च की वेदी में सुंदर बहुरंगी इतालवी टाइलें और लाल तथा नीले चित्रों के अवशेष हैं।

The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देगा सूचना संलयन केंद्र

चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना औपचारिक रूप से हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region- IOR) के लिये सूचना संलयन केंद्र (Information Fusion Centre- IFC) की शुरुआत करने को तैयार है।

- इस केंद्र के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये हिंद महासागरीय देशों के साथ व्हाइट शिपिंग (white shipping) या वाणिज्यिक शिपिंग संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- IFC-IOR की स्थापना इस क्षेत्र के लिये समुद्री सूचना केंद्र के रूप में कार्य करके क्षेत्र में और उससे परे समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने के दृष्टिकोण से की गई है।

IFC के बारे में

- IFC की स्थापना गुरुग्राम में नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (Information Management and Analysis Centre- IMAC) में की गई है।
- भारत के साथ पहले से ही व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय समझौतों (white shipping information exchange agreements) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में लगभग 21 देश IFC साझेदार हैं।
- शुरुआत में सूचनाओं का आदान-प्रदान वर्चुअल माध्यम- टेलीफोन कॉल, फैक्स, ई-मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया जाएगा। इसके बाद बेहतर इंटरकनेक्शन और समय पर प्राप्त सूचनाओं के त्वरित विश्लेषण के लिये, IFC-IOR में दूसरे देशों के संपर्क अधिकारी भी तैनात किये जाएंगे।

महत्त्व

- भारत के साथ व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश अब IFC में अपने संपर्क अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त यह केंद्र समुद्री सूचना संग्रह और साझाकरण में समुद्री अभ्यास और प्रशिक्षण संबंधी जानकारियों का संग्रहण भी करेगा।
- IFC-IRO की स्थापना से पूरे क्षेत्र में आपसी सहयोग और सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा इसके अलावा यह क्षेत्र में व्याप्त चिंताओं और खतरों को समझने में भी सहायक होगा।
- IFC-IOR एक अलग मंच है जिसमें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium- IONS) के सभी सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है। 2008 में लॉन्च IONS, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने की मांग करता है।

ट्रांस-रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क (Trans-Regional Maritime Network, T-RMN)

- हाल ही में भारत ने ट्रांस-रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- इस बहुपक्षित समझौते में 30 देश शामिल हैं तथा इस नेटवर्क का संचालन इटली (Italy) द्वारा किया जाता है।
- यह समझौता समुद्रों में होने वाली वाणिज्यिक यातायात संबंधी गतिविधियों के बारे में सूचनाओं के विनिमय की सुविधा प्रदान करता है।

सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया

- सूचनाएँ प्राथमिक रूप से स्वचालित पहचान प्रणाली (Automatic Identification System- AIS) के ज़रिये प्राप्त होती हैं। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार सकल रूप से 300 टन से अधिक वज़न वाले पंजीकृत व्यापारिक जहाजों पर स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) लगाना अनिवार्य है।

- AIS सूचना में नाम, MMSI संख्या, स्थिति, जलमार्ग, गति, अंतिम बंदरगाह का दौरा, गंतव्य आदि शामिल होते हैं।
- इस जानकारी को तटीय AIS श्रृंखला और उपग्रह आधारित रिसीवर सहित विभिन्न AIS सेंसर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

IMAC

- समुद्री सुरक्षा पर निगरानी तंत्र को मज़बूत करने के लिये वर्ष 2014 में सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र की स्थापना की गई थी।
- यह नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क (National Command Control Communication and Intelligence Network) की नोडल संस्था है।
- IMAC भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की संयुक्त पहल है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor- NSA) के अधीन कार्य करता है।

नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क (NC3IN)

- भारतीय नौसेना ने नोडल सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) के साथ, नौसेना के 20 और तटरक्षक बल के 31 स्टेशनों सहित कुल 51 स्टेशनों को जोड़ने वाले NC3IN की स्थापना की है।
- NC3IN सभी तटीय रडार (RADAR) श्रृंखलाओं को जोड़ने वाला एकल बिंदु केंद्र है और लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट की एक समेकित तथा वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है।

दृष्टि The Vision

चर्चा में

सेतुरमण पंचनाथन

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सेतुरमण पंचनाथन को अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) का निदेशक बनाया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी नियुक्ति को मंज़ूरी दी है। अमेरिकी सरकार की संस्था NSF विज्ञान और इंजीनियरिंग सहित सभी गैर-चिकित्सा क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में मदद करती है। जबकि चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने के लिये एक अलग संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ काम करती है। व्हाइट हाउस के विज्ञान और तकनीकी नीति विभाग के निदेशक केल्विन ड्रोगेमीयर के अनुसार, डॉ. सेतुरमण पंचनाथन ने अनुसंधान, नवाचार, अकादमिक प्रशासन और नीतिगत अनुभव के साथ नई ज़िम्मेदारी संभाली है। विदित है कि 58 वर्षीय पंचनाथन, फ्राँस कोर्डोवा का स्थान लेंगे, जो 2020 में संस्था के निदेशक के तौर पर अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर होंगी।

नागरिकता शिक्षा पुरस्कार

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अंतोनियो कोस्टा ने हाल ही में महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने हेतु उनके विचारों और उद्धरणों से प्रेरित 'गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार' आरंभ करने की घोषणा की है। 'गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार' सामाजिक कल्याण के लिये समर्पित होगा। अंतोनियो के अनुसार, पहले साल का पुरस्कार पशु कल्याण के लिये समर्पित होगा क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि किसी भी राष्ट्र की महानता पशुओं के प्रति उसके व्यवहार से आँकी जा सकती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का प्रेम एवं सहिष्णुता का संदेश आज भी क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है।

फोर्ब्स इंडिया लिस्ट

फोर्ब्स इंडिया मैगज़ीन ने वर्ष 2019 की टॉप 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की है, जिसमें टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन साल से इस लिस्ट में सलमान खान शीर्ष स्थान पर थे। यह पहली बार है जब कोई खिलाड़ी फोर्ब्स इंडिया की इस लिस्ट में पहले पायदान पर पहुँचा है। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट के लॉन्च होने के आठ साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बॉलीवुड स्टार को रिप्लेस कर कोई खिलाड़ी टॉप पर पहुँचा है।

अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस

20 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को विविधता में एकता का महत्त्व बताते हुए जागरूकता उत्पन्न करना है। विश्व के विभिन्न देश इस दिन अपने नागरिकों के बीच शांति, भाईचारा, प्यार, सौहार्द और एकता के संदेश का प्रसार करते हैं। विदित है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 2005 को घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाएगा।

विश्व एड्स दिवस

हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- इसका उद्देश्य पूरी दुनिया के लोगों को एड्स का सामना करने के लिये एकजुट करना, HIV संक्रमित लोगों के प्रति समर्थन प्रदर्शित करना तथा HIV के कारण मरने वालों को श्रद्धांजलि देना है।
- इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1988 में हुई थी तथा यह पहला दिवस है जिसे वैश्विक रूप से स्वास्थ्य को समर्पित किया गया है।
- इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम 'नो योर स्टेटस' (Know Your Status) है।

नोट :

प्रमुख तथ्य

- HIV एक प्रमुख वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है इसके कारण अब तक लगभग 35 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वर्ष 2017 में, वैश्विक स्तर पर HIV के कारण 9,40,000 लोगों की मृत्यु हुई।
- 2017 के अंत तक लगभग 36.9 मिलियन लोग इससे संक्रमित थे और वैश्विक स्तर पर 2017 में 1.8 मिलियन नए लोग इससे संक्रमित हुए।
- HIV संक्रमित 59% वयस्क और 52% बच्चे 2017 में आजीवन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (Antiretroviral Therapy - ART) प्राप्त कर रहे थे।
- WHO के अनुसार, अफ्रीकी क्षेत्र एड्स से सबसे अधिक प्रभावित है वर्ष 2017 में इस क्षेत्र के 25.7 मिलियन लोग HIV संक्रमित थे। इसके अलावा HIV संक्रमण के नए मामलों में से दो तिहाई से अधिक मामले इस क्षेत्र से सामने आते हैं।
- एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान में HIV संक्रमित 75% लोगों को अपने स्टेटस के बारे में पाता है। 2017 में HIV संक्रमित 21.7 मिलियन लोग विश्व स्तर पर एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) प्राप्त कर रहे थे।

किम्बरले प्रक्रिया (Kimberley Process)

- बेल्जियम के ब्रूसेल्स में 12 से 16 नवंबर, 2018 तक किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) की बैठक आयोजित हुई।
- यूरोपीय संघ ने भारत को 1 जनवरी, 2019 से KPCS की अध्यक्षता सौंप दी है।
- KPCS का अगला अंतर-सत्रीय अधिवेशन भारत की अध्यक्षता में आयोजित होगा और वर्ष 2019-20 की अवधि में बोत्सवाना और रूसी संघ इसके उपाध्यक्ष होंगे।
- KPCS का लक्ष्य विश्व के लगभग 99 प्रतिशत हीरा व्यापार को विवाद से मुक्त करना है।

किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS)

- किम्बरले प्रक्रिया सरकार, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग और सिविल सोसाइटी की एक संयुक्त पहल है, जो कि 'कॉन्फ्लिक्ट डायमंड' (Conflict Diamonds) के प्रवाह को रोकने का कार्य करती है।
- 'कॉन्फ्लिक्ट डायमंड' का आशय विद्रोही आंदोलनों या उनके सहयोगियों द्वारा सरकारों के विरुद्ध युद्ध के वित्तपोषण हेतु उपयोग किये जाने वाले अपरिष्कृत (Rough) हीरे से है।
- 'किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना' (KPCS) 1 जनवरी, 2003 से प्रभावी हुई।
- भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
- किम्बरले प्रोसेस ने शांति, सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में योगदान दिया है।
- भारत KPCS का संस्थापक सदस्य है।

अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडमिरल कप नौका दौड़

- भारतीय नौसेना अकादमी (INA) एझिमाला द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित की जाने वाली प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडमिरल कप नौका दौड़ प्रतियोगिता का नौंवा संस्करण 2 से 6 दिसंबर, 2018 तक इट्टिकुलुम खाड़ी में आयोजित किया जाएगा।

  इस नौका दौड़ में 'लेजर रेडियल' श्रेणी में 31 विदेशी नौसैनिक अकादमी हिस्सा LE।
- इस वर्ष 31 देश- ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, कनाडा, मिस्र, फ्राँस, इंडोनेशिया, इस्राइल, जापान, मलेशिया, म्याँमार, नाइजीरिया, ओमान, पोलैंड, श्रीलंका, ब्रिटेन, अमरीका, सऊदी अरब, मालदीव, कतर, जर्मनी, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, बुल्गारिया, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, बहरीन, ईरान तथा चीन भाग लेंगे।
- इसके अतिरिक्त भारत से दो टीमें (INA तथा NDA) भाग लेंगी।

नोट :

हॉर्नबिल महोत्सव (Hornbill Festival)

नगालैंड राज्य के स्थापना दिवस (1 दिसंबर, 1963) के अवसर पर हर साल हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार राज्य में 19वें हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

- यह सांस्कृतिक महोत्सव नृत्य, संगीत और भोजन के साथ-साथ वर्षों से अपनाई गई नगा समुदाय की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का कलात्मक प्रदर्शन है, जो कि नगा समाज की विविधताओं को प्रदर्शित करता है।
- इस महोत्सव का उद्देश्य नगालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करने तथा सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ इसकी परंपराओं को प्रदर्शित करना है।
- इस उत्सव का आयोजन राज्य के पर्यटन तथा कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- पहली बार इस उत्सव का आयोजन वर्ष 2000 में किया गया था।

नगालैंड के बारे में

- नगालैंड राज्य का गठन औपचारिक रूप से 1 दिसंबर, 1963 को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में किया गया था। यह पश्चिम में असम, पूर्व में म्याँमार (बर्मा), उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्से तथा दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है।
- इसकी राजधानी कोहिमा है। राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी (English) है।
- राज्य में 16 प्रमुख जनजातियाँ तथा उनकी उप-जनजातियाँ निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति रिवाज, भाषा और पोशाक के मामले में एक-दूसरे से भिन्न है।

सशस्त्र बल ध्वज दिवस - 2018 (Armed Forces Flag Day - 2018)

वर्ष 1949 से ही 07 दिसंबर को शहीदों के साथ-साथ वर्दीधारी पुरुषों और महिलाओं, जो देश के सम्मान की रक्षा के लिये सीमाओं पर बहादुरी से लड़ते हैं, को सम्मानित करने के लिये सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इसी क्रम में पूर्व-सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिये पूर्ण देश का समर्थन सुनिश्चित करने के लिये 1 से 7 दिसंबर तक सशस्त्र बल सप्ताह (Armed Forces Week) का आयोजन किया जा रहा है।

- यह पूर्व सैनिकों, दिव्यांग सैनिकों, युद्ध में मारे गए जवानों की विधवाओं और उन लोगों के आश्रितों, जिन्होंने मातृभूमि की सुरक्षा, सम्मान और अखंडता के लिये अपनी जान न्यौछावर कर दी, की देखभाल करने हेतु देश के दायित्व को याद दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
- पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen- ESM) समुदाय के कल्याण और पुनर्वास के लिये भारत सरकार द्वारा 'सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष' (Armed forces Flag Day Fund- AFFDF) का गठन किया गया है।
- देश में 6.5 लाख विधवाओं सहित 30 लाख ESM हैं, जिसमें समय-पूर्व सेवानिवृत्ति ले लेने के कारण हर साल लगभग 60,000 ESM और जुड़ जाते हैं।
- इस अभियान का उद्देश्य 'सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष' के बारे में जागरूकता पैदा करना और उदारता से योगदान करने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करना है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस (International Day of Persons with Disabilities)

हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की थीम है- Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality.

प्रमुख तथ्य

- इस दिवस को मनाने की घोषणा वर्ष 1992 में हुई थी।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पूरी दुनिया की आबादी 7 बिलियन है जिसमें से 1 बिलियन लोग विकलांगता के किसी-न-किसी रूप से ग्रसित हैं। अर्थात् प्रत्येक 7 में से एक व्यक्ति दिव्यांग है।

नोट :

- दिव्यांग लोगों की कुल वैश्विक आबादी में 100 मिलियन से अधिक बच्चे शामिल हैं।
- दिव्यांग बच्चों के हिंसा से पीड़ित होने की संभावना गैर-अक्षम बच्चों की तुलना में चार गुना अधिक है।
- कुल दिव्यांग आबादी में से 80% लोग विकासशील देशों में रहते हैं।
- 50 प्रतिशत दिव्यांग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च वहन नहीं कर सकते।
- 177 देशों ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन की पुष्टि की है।

भारत में दिव्यांग जन

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दिव्यांग जनों की आबादी 2.68 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)] दिव्यांग जनों के सशक्तीकरण हेतु कार्य करता है।

तालानोआ वार्ता (Talanoa Dialogue)

तालानोआ वार्ता की शुरुआत वर्ष 2017 में बॉन, जर्मनी (Bonn,Germany) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP-23 (UN Climate Change Conference COP-23) में हुई थी जिसका आयोजन 2018 में भी पूरे वर्ष के दौरान किया जा रहा है।

- तालानोआ (Talanoa) एक पारंपरिक शब्द है जो फिजी और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, सहभागी और पारदर्शी वार्तालाप की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करने के लिये उपयोग किया जाता है।
- तालानोआ का उद्देश्य सामूहिक हित के लिये कहानियाँ साझा करना, सहानुभूति व्यक्त करना और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना है।
- तालानोआ की प्रक्रिया में कहानी के माध्यम से विचारों, कौशल और अनुभव को साझा करना शामिल है।

सहरिया जनजाति

सहरिया जनजाति (Saharia Tribe) को कम विकास सूचकांक के कारण विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Group- PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- यह जनजाति देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है।
- यह जनजाति राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करती है।
- यह जनजाति विभिन्न हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करती है तथा कई हिंदू त्योहार भी मनाती है।

फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स (Food Sustainability Index- FSI)

फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स (FSI), द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (The Economist Intelligence Unit) द्वारा बरीला सेंटर फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन (Barilla Center for Food & Nutrition) के साथ मिलकर विकसित किया गया है।

- फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के इस वर्ष के संस्करण का शीर्षक 'फिक्सिंग फूड-2018: सतत विकास लक्ष्यों के प्रति सर्वोत्तम अभ्यास' (Fixing Food-2018: Best Practices towards the Sustainable Development Goals) था।
- यह गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से राष्ट्रीय खाद्य प्रणालियों की स्थिरता का आकलन करने के लिये डिज़ाइन किया गया एक मॉडल है।
- खाद्य स्थिरता सूचकांक तीन व्यापक श्रेणियों पर आधारित है:

1. खाद्य हानि और अपशिष्ट (Food loss and Waste)
2. टिकाऊ कृषि (Sustainable Agriculture)
3. पोषण संबंधी चुनौतियाँ (Nutritional Challenges)

- वैश्विक परिदृश्य के साथ तुलनात्मक अध्ययन से संकेत मिलता है कि भारत ने खाद्य हानि और अपव्यय को रोकने में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन टिकाऊ कृषि में औसत से नीचे है और पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना करने में भी इसकी स्थिति सबसे खराब है।
- खाद्य उत्पादन में वृद्धि के बावजूद यह 2018 में 67 देशों के बीच 33वें स्थान पर है। ब्रिक्स (BRICS) देशों में केवल चीन (23) भारत से बेहतर है।
- फ्राँस ने इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि नीदरलैंड और कनाडा क्रमशः दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं।
- FSI का पहला संस्करण वर्ष 2016 में प्रकाशित किया गया था।

भारतीय नौसेना दिवस

4 दिसंबर को भारत में भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- वर्ष 1971 में कराची हार्बर में पाकिस्तान के नौसेना मुख्यालय पर भारतीय नौसेना को आपरेशन ट्राइडेंट (Trident) में मिली शानदार कामयाबी की याद में यह दिवस मनाया जाता है।
- 4 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर एक ही रात में पकिस्तान के तीन जलपोतों को नष्ट था।
- ऑपरेशन ट्राइडेंट की योजना नौसेना प्रमुख एडमिरल एस.एम. नंदा के नेतृत्व में बनाई गई थी। इस ऑपरेशन की ज़िम्मेदारी 25वीं स्क्वॉर्डन कमांडर बबरू भान यादव को दी गई थी।

अन्य महत्त्वपूर्ण ऑपरेशन

- ऑपरेशन विजय- (1961) पुर्तगालियों से गोवा की मुक्ति के लिये इस ऑपरेशन में पहली बार भारतीय नौसेना का इस्तेमाल किया गया।
- ऑपरेशन कैक्टस- (नवंबर 1988) – भारतीय सेना के साथ मिलकर मालदीव से तमिल उग्रवादियों को खदेड़ने के लिये।
- ऑपरेशन तलवार- कारगिल युद्ध के दौरान।
- ऑपरेशन सुकून (Sukoon) - (2006)- इज़रायल और लेबनान संघर्ष के दौरान लेबनान में फँसे भारत, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिये।
- ऑपरेशन सेफ होम कमिंग- (फरवरी 2011)- युद्धग्रस्त लीबिया से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिये।
- ऑपरेशन राहत (RAAHAT) – (अप्रैल 2015)- यमन संकट के दौरान वहाँ फँसे भारतीयों को बचने के लिये।
- ऑपरेशन निस्तार (NISTAR) - (जून 2018)- चक्रवाती तूफ़ान मेकेनु (Mekenu) के कारण यमन के सोकोत्रा (Yemeni island of Socotra) द्वीप में फँसे 38 भारतीयों को बचाने के लिये।

भालू पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन (International Conference on Bears)

आगरा (उत्तर प्रदेश) में भालू पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

इस सम्मलेन में 11 देशों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

- इस चार दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य चिड़ियाघरों, अभयारण्यों और बचाव केंद्रों पर भालू तथा अन्य जंगली जानवरों के कल्याण के बारे में जानकारी साझा करना है।
- इस सम्मलेन का आयोजन वाइल्डलाइफ SOS (Wildlife SOS) द्वारा अमेरिका और कनाडा के बियर केयर ग्रुप (Bear Care Group) के सहयोग से किया जा रहा है।
- यह सम्मेलन भालू देखभाल, वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष (Man-animal Conflict) को कम करने पर केंद्रित है।

'शिन्यु मैत्री- 2018' (SHINYUU Maitri- 2018)

3 दिसंबर, 2018 को भारतीय वायुसेना और जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेज (Japanese Air Self Defence Forces-JASDF) के बीच 'शिन्यु मैत्री' (SHINYUU Maitri) नामक अभ्यास शुरू हुआ।

- इस युद्धाभ्यास का आयोजन आगरा (उत्तर प्रदेश) में किया गया है जो 7 दिसंबर, 2018 तक चलेगा।
- इस युद्ध अभ्यास की थीम परिवहन वायुयान पर संयुक्त गतिशीलता/मानवीय सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance & Disaster Relief- HADR) है।
- भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच यह पहला अभ्यास है।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच भारत के मिज़ोरम में धर्म गार्जियन-2018 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया गया था।
- इसके अलावा जापान-भारत नौसैनिक अभ्यास जिसे JIMEX नाम से जाना जाता है का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया था।

एक्सीड सैट-1 (Exceed SAT 1)

हाल ही में अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स ने 17 देशों के 63 उपग्रहों के साथ भारत के पहले निजी उपग्रह एक्सीड सैट-1 (Exceed SAT1) को भी प्रक्षेपित किया।

- एक्सीड सैट-1 का निर्माण मुंबई की एक कंपनी एक्सीड स्पेस ने किया है। इस उपग्रह के निर्माण के साथ ही एक्सीड स्पेस अंतरिक्ष में निजी उपग्रह भेजने वाली भारत की पहली निजी वाणिज्यिक कंपनी बन गई है।
- इस उपग्रह का वज़न लगभग एक किग्रा. है तथा इसे एल्युमीनियम मिश्रधातु (Aluminium Alloy) से बनाया गया है।
- एक्सीड सैट-1 का जीवनकाल 5 वर्ष है तथा इसके निर्माण में केवल 18 महीनों का समय लगा है। इसकी लागत 2 करोड़ रुपए है।
- टीवी ट्यूनर की मदद से लोग 145.9 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर इस उपग्रह से सिग्नल प्राप्त कर सकेंगे।
- इस उपग्रह को स्पेसएक्स के राकेट फाल्कन 9 के ज़रिये प्रक्षेपित किया गया है। फाल्कन 9 के साथ लगभग 100 लोगों के अवशेष भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनमें से अधिकांश अवशेष सेना के दिग्गजों और अंतरिक्ष अनुसंधान में रुचि रखने वाले लोगों के अवशेष शामिल हैं। इससे पहले वर्ष 1998 में अंतरिक्ष यात्री यूजीन शूमेकर की अस्थियों से भरी एक शीशी नासा के लूनर प्रॉसपेक्टर मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजी गई थी।
- यह अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया वर्ष का 19वाँ प्रक्षेपण था। इसके अलावा फाल्कन 9 एक साथ 64 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने में सफल रहा जो कि अमेरिकी रिकॉर्ड है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी, 2017 को एक बार में 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर भारत ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया था।

मांगदेचू परियोजना (Mangdechhu Project)

- मांगदेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Mangdechhu Hydroelectric Project) भूटान में एक जलविद्युत परियोजना है।
- 720 मेगावाट क्षमता के पॉवरप्लांट का निर्माण भूटान में मांगदेचू नदी पर किया गया है।
- यह भारत सरकार के समर्थन से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Bharat Heavy Electricals Limited -BHEL) द्वारा निर्मित है।
- यह भूटान में वर्ष 2020 तक 10,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन के लिये योजनाबद्ध दस जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है।

USMCA व्यापार समझौता

संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (North American Free Trade Agreement -NAFTA) को प्रतिस्थापित करने वाले समझौते के लिये तैयार हो गए हैं।

नोट :

- 1994 के मूल NAFTA समझौते का नाम बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौता (United States-Mexico-Canada Agreement) या USMCA रखा गया है।
- NAFTA का उद्देश्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच व्यापार एवं निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करके आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था।
- USMCA श्रमिकों, किसानों और व्यवसायियों को एक उच्च मानक व्यापार समझौता उपलब्ध करेगा जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में मुक्त बाज़ार, बेहतर व्यापार और आर्थिक विकास मज़बूत होगा।
- यह मध्यम वर्ग को सशक्त बनाएगा और उत्तरी अमेरिका के लगभग आधा बिलियन लोगों के लिये अच्छे वेतन वाली नौकरियों तथा नए अवसरों का सृजन करेगा।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस (Mahaparinirvan Day)

6 दिसंबर, 1956 को संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी जिसे पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर का 63वाँ महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है।

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे।
- वह एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे।
- वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- अंबेडकर ने 1956 में अपनी आखिरी किताब लिखी जो बौद्ध धर्म पर थी इस किताब का नाम था 'द बुद्ध एंड हिज़ धम्म' (The Buddha and His Dhamma)। उल्लेखनीय है कि यह किताब उनकी मृत्यु के बाद वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी।
- मुंबई के दादर में स्थित चैत्य भूमि बी.आर अंबेडकर की समाधि स्थली है।

वृश्चिकोलसवम उत्सव (Vrischikolsavam Festival)

वृश्चिकोलसवम केरल के त्रिपुनीथुरा (Tripunithura) में श्री पूर्णाथरेयस (Sree Poornathrayeesa) मंदिर में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है।

- श्री पूर्णाथरेयस मंदिर दक्षिण भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति को एक अलग मुद्रा में देखा जा सकता है, इसमें भगवान विष्णु को दिव्य सर्प अनंथन (Ananthan) के पाँच फनों के नीचे बैठे देखा जा सकता है, जिसका मुड़ा हुआ शरीर स्वयं भगवान के लिये सिंहासन का कार्य करता है।
- इस उत्सव का आयोजन 8 दिनों तक किया जाता है।
- उत्सव के दौरान परंपरागत कला रूपों और कथकली, ओट्टंथुलल (ottanthullal), थायंपका (thayampaka) और संगीत जैसे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है।

विश्व की पहली टेलीरोबोटिक कोरोनरी सर्जरी (World's first' telerobotic coronary surgery)

- गुजरात के एक हृदयरोग विशेषज्ञ ने टेलीरोबोटिक सर्जरी के माध्यम से 32 किमी. दूर बैठकर दिल का ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन को टेलीरोबोटिक के माध्यम से किया जाने वाला विश्व का पहला ऑपरेशन माना जा रहा है।
- यह ऑपरेशन पद्मश्री से सम्मानित तथा विख्यात हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. तेजस पटेल ने किया है।
- ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रकार के ऑपरेशन से चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। इस तरह की तकनीक की सहायता से गाँवों और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में उच्च तकनीक वाली चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

नोट :

नगालैंड में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना

- 5 दिसंबर, 2018 को नगालैंड में 'जनजातीय सर्किट विकास : पेरेन-कोहिमा-वोखा' परियोजना का उद्घाटन किया गया।
- भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत नगालैंड राज्य में लागू होने वाली यह पहली परियोजना है।
- 97.36 करोड़ रुपए की की लागत वाली इस परियोजना को नवंबर, 2015 में पर्यटन मंत्रालय ने मंज़ूरी दी थी।
- इस परियोजना के अंतर्गत मंत्रालय ने जनजातीय पर्यटक गाँव, ईको लॉग हट्स (Eco Log Huts), ओपन एयर थियेटर (Open Air Theatre), जनजातीय कायाकल्प केंद्र, कैफेटेरिया, हैलिपैड, पर्यटक विवेचन केंद्र (Tourist Interpretation Centre), वे-साइड सुविधाएँ (Wayside Amenities), सार्वजनिक जन सुविधाएँ, बहुद्देशीय हॉल, ट्रैकिंग मार्ग जैसी सुविधाओं का विकास किया है।

स्वदेश दर्शन योजना

स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश में योजनाबद्ध और प्राथमिकता के तौर पर खास विशेषता वाले सर्किटों का विकास करना है।

- इस योजना के तहत सरकार जहाँ एक ओर पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएँ देने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण ढाँचागत विकास पर ज़ोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक वृद्धि को भी प्रोत्साहित कर रही है।
- इस योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई थी।
- पर्यटन मंत्रालय ने अब तक 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 5873.26 करोड़ रुपए की ऐसी 73 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। योजना के तहत अब तक 8 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा चुका है।

युवाओं के लिये राष्ट्रीय चुनौती (NATIONAL CHALLENGE for Youth)

हाल ही में छात्रों और युवाओं को समुदायों की समस्याओं के समाधान के लिये संकटमोचक बनने हेतु एक मंच के तौर पर 'भारत के लिये संकल्प- प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान' (Ideate for India- Creative Solutions using Technology) नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

- यह चुनौती इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग एवं इंटेल इंडिया की साझेदारी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy (DoSE&L) के सहयोग से शुरू की गई है।
- यह राष्ट्रीय चुनौती पूरे देश में कक्षा 6-12वीं तक के छात्रों के लिये है जिसका उद्देश्य अगले 3 महीनों में कम-से-कम एक मिलियन युवाओं तक पहुँचना है।
- इस चुनौती के तहत छात्रों को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान हेतु 90 सेकंड का वीडियो साझा करना होगा।
- इन विशेषज्ञों द्वारा शीर्ष 50 छात्रों का चयन कर उनके आदर्श प्रदर्शन के लिये उन्हें टेक क्रिएशन चैंपियंस घोषित किया जाएगा।
- इसमें स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ, शिक्षा सेवाएँ, डिजिटल सेवाएँ, पर्यावरण, महिला सुरक्षा, यातायात, आधारभूत संरचना, कृषि, सामाजिक कल्याण, अक्षमता और पर्यटन जैसे 11 विशेष क्षेत्र शामिल हैं जिन पर छात्र अपने विचार साझा कर सकते हैं।

हैंड-इन-हैंड (Hand-in-Hand)

भारत और चीन की सेना के बीच 10-23 दिसंबर, 2018 तक चीन के चेंगदू क्षेत्र में वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास 'हैंड-इन-हैंड' का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डोकलाम विवाद के बाद उत्पन्न तनाव के कारण गत वर्ष इस अभ्यास को रद्द कर दिया गया था।

- दोनों देशों के लगभग 175 सैन्यकर्मी इस अभ्यास में भाग लेंगे।

नोट :

- इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व उत्तरी कमान के 11 सिख लाइट रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जाएगा।
- यह अभ्यास तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच निकटतापूर्ण संबंध को बढ़ावा देना और मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समझना तथा उसका सामना करने के लिये संयुक्त रणनीति तैयार करना है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक हैकथॉन (Global Hackathon On Artificial Intelligence)

सिंगापुर स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप, पर्लिन (Perlin) के साथ साझेदारी में नीतिआयोग ने 'AI 4 All Global Hackathon' लॉन्च किया है।

- इस हैकथॉन के ज़रिये डेवलपर्स, छात्रों, स्टार्ट-अप और कंपनियों को भारत के लिये महत्त्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता एप्लीकेशंस को विकसित करने के लिये आमंत्रित किया जाएगा।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति में 'AI 4 All' के विचार को आगे बढ़ाने के लिये नीति आयोग ने इस वैश्विक हैकथॉन का आयोजन किया है।
- इस आयोजन का लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिये प्रौद्योगिकीय और नवाचार संबंधी उपाय सुझाना है

इंद्र नेवी (Indra Navy)-18

इंद्र नेवी भारत तथा रूस की नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है।

- इस नौसैनिक अभ्यास के 10वें संस्करण का आयोजन 9-16 दिसंबर, 2018 तक किया जा रहा है।
- यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जाएगा।
- इस अभ्यास के पहले चरण का आयोजन 9-12 दिसंबर के बीच विशाखापत्तनम तट पर जबकि दूसरे चरण का आयोजन 13-16 दिसंबर तक बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा।
- इस अभ्यास का आयोजन पहली बार वर्ष 2003 में किया गया था।

एविया-इंद्र (Avia Indra)- 18

एविया-इंद्र भारतीय वायुसेना एवं रशियन फेडरेशन एयरोस्पेस फोर्स (Russian Federation Aerospace Force- RFSAF) के बीच एक विशिष्ट अभ्यास है जिसका संचालन 10-21 दिसंबर, 2018 के बीच वायुसेना केंद्र जोधपुर से किया जाएगा।

- 17 से 28 सितंबर, 2018 तक भारत और रूस संघ की वायुसेना के बीच छमाही वायुसेना अभ्यास एविया इंद्र- 18 के पहले सत्र का आयोजन लिपेत्स्क, रूस में किया गया था।
- भारत और रूस की वायुसेनाओं के बीच इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी।

टिकाऊ जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय (Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) की राष्ट्रीय जलविद्युत परियोजना के तत्त्वावधान में टिकाऊ जल प्रबंधन विषय पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मोहाली के इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस (Indian School of Business -ISB) में 10-11 दिसंबर, 2018 को आयोजित किया जा रहा है।

- सम्मेलन की विषय-वस्तु जल संसाधनों के समेकित और टिकाऊ विकास एवं प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है।

नोट :

- सम्मेलन का उद्देश्य निम्नलिखित कार्यों हेतु सरकारों, वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहभागिता एवं संवाद को बढ़ावा देना है-
  - प्रबंधन हेतु टिकाऊ नीतियों को बढ़ावा देने के लिये।
  - जल से संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये।
  - जल से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रतिबद्धताओं को प्रेरित करने के लिये।
  - उपरोक्त सभी कार्यों की मदद से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये।
  - भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन, नीदरलैंड, कोरिया गणराज्य, कनाडा, जर्मनी, श्रीलंका आदि जैसे अन्य देशों के विख्यात संगठनों के कई विशेषज्ञ एवं प्रतिनिधि समारोह में भाग लेंगे तथा जल संसाधनों के टिकाऊ विकास के लिये अत्याधुनिक प्रोद्योगिकी के उपयोग में अनुभव एवं विशेषज्ञता को साझा करेंगे।

कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट

9 दिसंबर, 2018 को कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया।

- यह केरल का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केरल के अन्य तीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड में हैं।
- इस हवाई अड्डे के उदघाटन के साथ ही केरल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।

कन्नूर के बारे में

- कन्नूर जिसे कैन्नानोरे (Cannanore) नाम से भी जाना जाता है, भारत के केरल राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित एक सुंदर शहर है।
- कन्नूर के तटीय शहर है और केरल के उत्तरी क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ा शहर है इसमें कई कस्बे और गाँव शामिल हैं जिनमें थालासेरी शहर (औपनिवेशिक काल के दौरान इसे थेलिचेरी (Thelichery) कहा जाता था) भी शामिल है, इस शहर को इसके ऐतिहासिक महत्त्व के लिये केरल के पहले विरासत शहर का दर्जा दिया गया था।
- कन्नूर को इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण प्राय: 'केरल के मुकुट' (Crown Of Kerala) के रूप में जाना जाता था। यह पूर्व में पश्चिमी घाट, दक्षिण में कोझिकोड और वायनाड ज़िलों, पश्चिम में लक्षद्वीप सागर (Laccadive Sea) और उत्तर में कासरगोड से घिरा हुआ है।
- शहर में काम कर रहे हथकरघा उद्योगों और मंदिरों में अनुष्ठान के रूप में आयोजित होने वाले लोक नृत्य थैय्यम के कारण इसे City of Looms and Lores भी कहा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (International Human Rights Day) मनाया जाता है।

- इस दिन वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की थी।
- इस वर्ष मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) को 70 वर्ष पूरे हो गए हैं।
- वर्ष 2018 के लिये मानवाधिकार दिवस की थीम "स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स" (Stand up for Human Rights) है।
- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा दुनिया में सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज़ है जो कि 500 से अधिक भाषाओँ में उपलब्ध है।

सोनपुर मेला (Sonpur Fair)

सोनपुर पशु मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा और गंडक नदी के संगम पर सोनपुर, बिहार में आयोजित किया जाता है।

- इसे हरिहर क्षेत्र मेला (Harihar Kshetra Mela) भी कहा जाता है। यह मेला पूरे एशिया से आगंतुकों को आकर्षित करता है।
- यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो पंद्रह दिनों से लेकर एक महीने तक चलता है।
- यदि इस मेले के इतिहास की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य (340-297 ईसा पूर्व) गंगा नदी के पार से हाथी और घोड़े खरीदा करते थे।

- मूल रूप से इस मेले का आयोजन स्थल हाजीपुर था और सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में केवल पूजा-पाठ का आयोजन किया जाता था।
- लेकिन मुगल सम्राट औरंगज़ेब के शासनकाल में इस मेले के आयोजन स्थल को हाजीपुर से सोनपुर स्थानांतरित कर दिया गया।

येलो वेस्ट प्रोटेस्ट (Yellow Vest Protest)

पूरी दुनिया में पर्यटन के लिये मशहूर देश फ्राँस इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार यह देश पर्यटन नहीं बल्कि वहाँ चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण चर्चा में है।

- फ्राँस में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन का नाम येलो वेस्ट मूवमेंट (Yellow Vest Movement) है जिसकी शुरुआत 17 नवंबर, 2018 को हुई थी।
- इस आंदोलन का कारण पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतें हैं। उल्लेखनीय है कि फ्राँस में पिछले 12 महीनों में डीज़ल के दाम में 23 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। वैसे तो वैश्विक स्तर पर तेल की क़ीमत बढ़ती-घटती रहती है लेकिन फ्राँस के लोगों को इससे राहत नहीं मिली, क्योंकि वहाँ की सरकार ने तेल पर हाइड्रोकार्बन टैक्स बढ़ा दिया।
- पीले रंग के जैकेट को सुरक्षा की दृष्टि से पहना जाता है क्योंकि यह चटख रंग तेज़ी से ध्यान आकर्षित करता है। फ्राँस के प्रदर्शनकारियों ने इस जैकेट का चुनाव इसलिये किया ताकि वे अपनी मांगों और समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें।
- इस आंदोलन की विशेषता यह है कि इसका कोई विशेष नेता नहीं है।

अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण

10 दिसंबर, 2018 को सतह से सतह पर लंबी दूरी तक मार करने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया।

- इस मिसाइल को ओडिशा तट के समीप डॉ. अब्दुल कलाम द्वीप से मोबाइल लॉन्चर के ज़रिये प्रक्षेपित किया गया।
- अग्नि -5 एक त्रि-स्तरीय (Three stages) मिसाइल है। इसकी लंबाई लगभग 17 मीटर और व्यास 2 मीटर है। यह मिसाइल 1.5 टन परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है।
- अग्नि-5 मिसाइल का यह सातवाँ सफल प्रक्षेपण था। पिछला प्रक्षेपण 3 जून, 2018 को किया गया था।
- अग्नि मिसाइल श्रृंखला की दूसरी अन्य मिसाइलों के विपरीत, अग्नि-5 नेविगेशन, गाइडेंस, वारहैड और इंजन के संदर्भ में नई प्रौद्योगिकियों के साथ सबसे उन्नत मिसाइल है।
- इस मिसाइल को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि यह लक्ष्य को सटीकता से भेद सके। यह मिसाइल उसके अंदर लगे कंप्यूटर द्वारा निर्देशित होगी।
- अग्नि-5 वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से निर्मित स्वदेशी मिसाइल है।

कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Kaiga Nuclear Power Plant)

10 दिसंबर, 2018 को कर्नाटक स्थित कैगा परमाणु संयंत्र ने 941 दिनों के लिये सबसे लंबे समय तक निर्बाध संचालन कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। उल्लेखनीय है कि कैगा जेनरेटिंग स्टेशन (KGS-1) ने ब्रिटेन के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचा है।

- इससे पहले यह रिकॉर्ड ब्रिटेन के हेषाम-2 यूनिट-8 (Heysham-2 Unit-8) के नाम था जिसने दुनिया के सभी परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के बीच सबसे लंबे समय तक निर्बाध संचालन (940 दिन) का रिकॉर्ड स्थापित किया था।
- उल्लेखनीय है कि KGS-1 प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (Pressurised Heavy Water Reactor- PHWR) है, जबकि हेषाम -2 यूनिट -8 एक एडवांस्ड गैस कूल्ड रिएक्टर (Advanced Gas Cooled Reactor- AGR) है।
- इस साल 25 अक्तूबर को KGS-1 ने कनाडा के ओंटारियो (Ontario) स्थित पिकरिंग -7 (Pickering-7) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था जिसने 7 अक्तूबर, 1994 को सभी PWRS के बीच सबसे लंबे समय (894 दिनों और कुछ घंटों) तक निर्बाध संचालन का रिकॉर्ड बनाया था। पिकरिंग-7 द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को 24 साल बाद तोड़ा गया था।
- जून में KGS-1 ने 766 दिनों तक निरंतर संचालन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया था।

नोट :

पृष्ठभूमि

- कर्नाटक के बंदरगाह शहर करवार से 56 किमी. दूर स्थित कैगा में KGS -1, 13 मई, 2016 से लगातार बिजली उत्पादन कर रहा है।
- यह घरेलू ईंधन (यूरेनियम) द्वारा संचालित स्वदेश निर्मित PHWR है।
- इसने 16 नवंबर, 2000 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया और अब तक 500 करोड़ यूनिट ऊर्जा का उत्पादन कर चुका है।

यूनिसेफ का स्थापना दिवस (Foundation Day of UNICEF)

11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है।

- यूनीसेफ की स्थापना 11 दिसंबर, 1946 को द्वितीय विश्वयुद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क (अमेरिका) में है।
- यूनिसेफ 190 देशों और क्षेत्रों में बच्चों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने बचपन से किशोरावस्था तक अपनी क्षमता को परिपूर्ण करने में उनकी मदद करने के लिये काम करता है।
- यूनिसेफ सभी बच्चों की रक्षा करने हेतु सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने और नीतियों को बढ़ावा देने के लिये दुनिया भर के भागीदारों के साथ काम करता है।

ENSURE पोर्टल

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer- DBT) के लाभार्थियों को DBT से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिये ENSURE पोर्टल लॉन्च किया गया है।

- ENSURE पोर्टल को राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission- NLM) के घटक उद्यमिता विकास और रोज़गार सृजन (Entrepreneurship Development & Employment Generation- EDEG) के अंतर्गत लॉन्च किया गया है।
- इस पोर्टल को नाबार्ड (NABARD) द्वारा विकसित किया गया है तथा इसका संचालन पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries) द्वारा किया जाएगा।
- NLM के घटक उद्यमिता विकास और रोज़गार सृजन (EDEG) के अंतर्गत पोल्ट्री, जुगाली करने वाले छोटे जानवरों (Ruminants), सूअरों आदि से संबंधित गतिविधियों के लिये दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान DBT के ज़रिये सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाता है।
- इस प्रक्रिया को और अधिक बेहतर, सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिये नाबार्ड ने ऑनलाइन पोर्टल ENSURE का विकास किया है ताकि लाभार्थियों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी को आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

- राष्ट्रीय पशुधन मिशन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है।
- 2014-15 में प्रारंभ हुए इस मिशन को पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया था।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास और रोज़गार सृजन घटक के अंतर्गत नाबार्ड सब्सिडी चैनलाइज़िंग एजेंसी है।

संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको-सेंसिटिव ज़ोन (Eco-Sensitive Zone around Protected Regions)

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को देश भर के लगभग 21 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास के 10 किमी. के क्षेत्र को 'पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों' (Eco-Sensitive Zone- ESZ) के रूप में घोषित करने का निर्देश दिया है।

नोट :

अंडमान सी क्रेट्स (Andaman Sea Kraits)

उभयचर साँपों की दो प्रजातियों पीले होंठो वाले (Yellow lipped) तथा नीले होंठों वाले (Blue lipped) अंडमान सी क्रेट्स (Andaman Sea Kraits) को अंडमान के समुद्री तटों पर पाए जाने वाले वृक्षों (विशेष रूप से उखड़े हुए खिरनी (Manilkara littoralis), एक मैंग्रोव पेड़) की जड़ों पर देखा गया है।

- अंडमान सी क्रेट्स रंगीन समुद्री साँप हैं जो अंडमान द्वीप के लिये स्थानिक हैं।
- अंडमान सी क्रेट्स जो अधिकांशत: रात्रिचर होते हैं, मूंगा चट्टानों (Coral Reefs) में अपने शिकार की तलाश करते हैं। यद्यपि वे पानी में बहुत अधिक समय बिताते हैं लेकिन भोजन को पचाने, अंडे देने और अपने शरीर के ऊपर की मृत त्वचा को उतारने के लिये ज़मीन पर वापस आते हैं।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये समुद्र तट को साफ करने हेतु उखड़े हुए पेड़ों को हटाने से समुद्री क्रेट्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- रेतीले समुद्र तटों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने, रेत खनन और पर्यटन जैसी गतिविधियों पर विनियमन को लागू करने से उपेक्षा का शिकार हुए अंडमान सी क्रेट्स को बचाने में मदद मिल सकती है।

'आयुषाचार्य' सम्मेलन ('Ayushacharya' Conference)

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institute of Ayurveda-AIIA) ने 10 और 11 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में जनस्वास्थ्य प्रोत्साहन के लिये दिनचर्या (Daily Regimen) और ऋतुचर्या (Seasonal Regimen) पर 'आयुषाचार्य' सम्मेलन आयोजित किया। पूरे देश से लगभग 200 शिक्षाविदों, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

AIIA

- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी परिकल्पना आयुर्वेद के क्षेत्र में एक शीर्ष संस्थान के रूप में की गई है।
- इसका उद्देश्य आयुर्वेद के पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक औजारों एवं प्रौद्योगिकी के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।

बायोब्लिट्ज़ (BioBlitz)

- हाल ही में बंगलूरू के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज़ द्वारा आयोजित बायोब्लिट्ज़ में पूरे भारत से लोगों ने भाग लिया।
- प्रतिभागियों ने अपने आस-पास के परिसरों में वृक्षों का अवलोकन किया तथा वृक्षों की प्रजातियों, इनका स्थान, फूलों का अनुपात, फल और पत्तियों की पूरी जानकारी एकत्रित की।
- यह कुछ वर्षों में पूरे भारत में वृक्षों के अध्ययन (जलवायु संबंधी प्रभावों की दृष्टि से) के लिये आधार तैयार करेगा जो वैज्ञानिकों को यह विश्लेषण करने में मदद करेगा कि जलवायु परिवर्तन भविष्य में वृक्षों में बदलाव ला रहा है या नहीं।

क्या है बायोब्लिट्ज़ (BioBlitz)?

- बायोब्लिट्ज़ एक ऐसी घटना है जो छोटी अवधि के दौरान किसी विशिष्ट क्षेत्र में जितनी संभव हो उतनी प्रजातियों को खोजने और पहचानने पर केंद्रित होती है।
- इसे जैविक सूची या जैविक जनगणना के रूप में भी जाना जाता है जिसका प्राथमिक लक्ष्य पौधों, जानवरों, कवक और किसी स्थान पर पाए जाने वाले अन्य जीवों की समग्र गणना प्राप्त करना है।
- यह कई मायनों में किसी वैज्ञानिक सूची से अलग होती है। वैज्ञानिक सूची आमतौर पर जीवविज्ञानी, भूगोलवेत्ता और अन्य वैज्ञानिकों तक ही सीमित होती है, जबकि बायोब्लिट्ज़ स्वयंसेवी वैज्ञानिकों के साथ-साथ आम परिवारों, छात्रों, शिक्षकों और समुदाय के अन्य सदस्यों को एक साथ लाता है।

नोट :

- उक्त अंतर बायोब्लिट्ज़ को एक अद्वितीय जैविक सर्वेक्षण बनाते हैं जो किसी प्रदत्त क्षेत्र की प्रकृति और इंसानों के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य जैव विविधता को बेहतर ढंग से समझने और संरक्षित करने हेतु नागरिकों को सशक्त बनाकर स्थानीय प्राकृतिक स्थलों को बढ़ावा देना और उनमें सुधार लाना है।

स्पेसशिपटू (SpaceShipTwo)

वर्जिन गैलेक्टिक का अंतरिक्षयान कैलिफ़ोर्निया के मोजावे रेगिस्तान (Mojave Desert) से 50 मील की ऊँचाई पर पहुँचा।

- स्पेसशिपटू (SpaceShipTwo) नामक यह यान लगभग 51 मील (82 किलोमीटर) की ऊँचाई पर पहुँच चुका था।
- इस यान ने पृथ्वी के वायुमंडल की लगभग तीन परतों को पार करने के लिये ध्वनि की गति से 2.9 गुना तेज रफ़्तार (2,200 मील प्रति घंटा) से उड़ान भरी।
- यह यान 51.4 मील की ऊँचाई (फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा के तहत यहाँ से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है) पर तो पहुँचा, लेकिन अंतरिक्ष के शुरू होने की व्यापक रूप से स्वीकार्य सीमा से नीचे ही रहा। उल्लेखनीय है कि अंतरिक्ष की व्यापक रूप से स्वीकार्य सीमा पृथ्वी से 62 मील की ऊँचाई पर शुरू होती है।
- यह अंतरिक्ष पर्यटन को एक बड़े व्यवसाय के रूप में स्थापित करने की कल्पना को वास्तविकता में बदलने की दौड़ में एक महत्त्वपूर्ण कामयाबी है।

बो घोषणापत्र (Boe Declaration)

- जलवायु परिवर्तन के प्रति अतिसंवेदनशील प्रशांत महासागरीय देशों ने ऑस्ट्रेलिया से 12 वर्षों के अंदर कोयले से बिजली उत्पादन का बहिष्कार करने और मौजूदा कोयला संयंत्रों या नए संयंत्रों के विस्तार को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया है।
- हाल ही में, तुवालु (Tuvalu) ने ऑस्ट्रेलिया से क्वींसलैंड (Queensland) में कारमीचेल (Carmichael) खान के लिये अडानी परियोजना जैसी नई खानों को खोलने से बचने का आग्रह किया है। इसने बो घोषणापत्र (Boe Declaration) का भी ज़िक्र किया है जिस पर ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर में हस्ताक्षर किये थे।
- 'प्रशांत द्वीपसमूह फोरम' (Pacific Islands Forum) के 'बो घोषणा' के अंतर्गत इस बात की पुष्टि की गई थी कि जलवायु परिवर्तन, प्रशांत के लोगों की आजीविका, सुरक्षा और कल्याण के लिये सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है।
- बो घोषणा वर्ष 2000 की बिकतेवा घोषणा (Biketawa Declaration) की प्रतिबद्धताओं और सिद्धांतों को मान्यता देती है और उनकी पुष्टि करती है।

बिकतेवा घोषणा (Biketawa Declaration)

- यह क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान हेतु एक समन्वयित ढाँचे का गठन करने हेतु प्रशांत द्वीपसमूह फोरम के सभी नेताओं द्वारा स्वीकृत एक घोषणा है।
- अक्तूबर 2000 में किरिबाती में आयोजित प्रशांत द्वीपसमूह फोरम के 31वें शिखर सम्मेलन में इस घोषणा को स्वीकृत किया गया।
- इसके प्रमुख सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं: सुशासन के प्रति वचनबद्धता, कानून के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थानों को कायम रखना तथा सदस्य देशों की भेद्यता को उनकी सुरक्षा के प्रति खतरे के रूप में चिन्हित करना।

प्रशांत द्वीपसमूह फोरम (Pacific Islands Forum)

- प्रशांत द्वीपसमूह फोरम (Pacific Islands Forum), इस क्षेत्र का प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक नीति संगठन है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी।

नोट :

- इसमें 18 सदस्य शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, कुक द्वीप समूह (Cook Islands), संघीय राज्य माइक्रोनेशिया (Federated States of Micronesia), फिजी, फ्रेंच पॉलिनेशिया (French Polynesia), किरिबाती, नौरू (Nauru), न्यू कैलेडोनिया (New Caledonia), न्यूज़ीलैंड, नियू (Niue), पलाऊ (Palau), पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea), मार्शल द्वीप समूह गणराज्य, समोआ (Samoa), सोलोमन द्वीप समूह (Solomon Islands), टोंगा (Tonga), तुवालु (Tuvalu), और वानुअतु (Vanuatu)।
- प्रशांत द्वीपसमूह फोरम का उद्देश्य शांति, सद्भाव, सुरक्षा, सामाजिक समावेश और समृद्धि के क्षेत्र हेतु अपने सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकारों के बीच सहयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहभागिता स्थापित करना ताकि इस क्षेत्र के सभी लोग स्वतंत्र, स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन जी सकें।

भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway)

हाल ही में थाईलैंड के राजदूत द्वारा भारत, म्याँमार और थाईलैंड मोटर वाहन समझौते पर बातचीत तेज़ करने पर ज़ोर दिया गया।

- लगभग 1,400 किलोमीटर के त्रिपक्षीय राजमार्ग का लक्ष्य दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापार को व्यापक बढ़ावा देना है और यह भारत की 'एक्ट ईस्ट' (Act East) नीति का एक अभिन्न हिस्सा है।
- इस परियोजना का 2021 तक पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस परियोजना को लागू करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) को तकनीकी कार्यान्वयन एजेंसी और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

महिला किसान अवार्ड कार्यक्रम (Mahila Kisan Awards Programme)

'महिला किसान अवार्ड' कार्यक्रम एक रियलिटी शो है जिसकी शुरुआत डीडी किसान चैनल ने की है।

- यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गोवा, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों सहित देशभर की महिला किसान भाग लेंगी।
- इस कार्यक्रम के प्रतियोगियों का चयन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research) ने किया है। कार्यक्रम की प्रत्येक कड़ी में दो महिला किसानों को शामिल किया जाएगा और उनकी उपलब्धियों के बारे मेंचर्चा की जाएगी।

ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 (Jnanpith Award 2018)

प्रसिद्ध उपन्यासकार अमिताव घोष को वर्ष 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिये चुना गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाने वाला यह 54वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उल्लेखनीय है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब अंग्रेजी भाषा के किसी लेखक को यह पुरस्कार दिया गया है।

- 2017 में यह पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार 'कृष्णा सोबती' को दिया गया था।
- यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लेखक को दिया जाता है।
- पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम साहित्यकार जी. शंकर कुरुप को दिया गया था।
- भारतीय ज्ञानपीठ (Bhartiiya Jnanpith) द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति-पत्र तथा वाग्देवी की काँसे की प्रतिमा प्रदान की जाती है।

नोट :

अमिताव घोष

- सबसे प्रमुख समकालीन भारतीय लेखकों में से एक घोष को The Shadow Lines, The Glass Palace, The Hungry Tide, the Ibis Trilogy: Sea of Poppies, River of Smoke, The Calcutta Chromosome तथा Flood of Fire जैसे उपन्यासों की श्रृंखला के लिये जाना जाता है।
- घोष को उनके उपन्यास द शैडो लाइंस (Shadow Lines) के लिये साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
- वर्ष 2007 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- उनकी सबसे नवीनतम किताब, द ग्रेट डिरेंजमेंट; क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल (The Great Derangement; Climate Change and the Unthinkable) है जो कि वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई थी।

इंडिया पोस्ट का ई-कॉमर्स पोर्टल

हाल ही में संचार मंत्रालय ने डाक विभाग (DoP) का ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है।

- भारत में ई-कॉमर्स वेबसाइटों की बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनज़र इंडिया पोस्ट ने भी अपना ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च कर दिया है।
- यह पोर्टल ग्रामीण कारीगरों/स्वयं सहायता समूहों/महिला उद्यमियों/राज्य और केंद्रीय पीएसयू/स्वायत्त निकायों आदि को पूरे भारत में अपना उत्पाद बेचने हेतु ई-मार्केट स्थान प्रदान करेगा।
- छोटे और स्थानीय विक्रेताओं, जो ई-कॉमर्स के क्षेत्र में पीछे छूट गए हैं, अब डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाकर अपनी पहुँच और खुदरा बिक्री को अधिकतम करने में सक्षम होंगे।
- खरीदार उक्त पोर्टल पर विक्रेताओं द्वारा प्रदर्शित उत्पादों तक पहुँच सकते हैं और डिजिटल भुगतान करके ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। खरीदे गए उत्पादों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा।
- लॉन्च किये गए इस पोर्टल में लोग बेहद सस्ते दामों पर कई सारे उत्पाद खरीद सकेंगे। इंडिया पोस्ट के इस ई-कॉमर्स पोर्टल से अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है।
- इंडिया पोस्ट द्वारा लॉन्च किये गए इस पोर्टल की खासियत यह है कि यहाँ से खरीदे गए उत्पादों को देश के हर कोने में डिलीवर किया जाएगा। खरीदे गए उत्पादों की डिलीवरी डाकिये द्वारा की जाएगी।
- ध्यातव्य है कि देश के हर छोटे गाँव-देहात में डाकघर हैं, इन्हीं डाकघरों के ज़रिये उत्पादों की डिलीवरी संभव हो पाएगी।

वीमैन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवाड्र्स (Women Transforming India Awards)

नीति आयोग द्वारा 16 दिसंबर, 2018 को वीमैन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवाड्र्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्नत महिला उद्यमिता प्लेटफार्म (Women Entrepreneurship Platform) का भी शुभारंभ किया गया।

थीम

इस वर्ष की थीम 'महिलाएँ और उद्यमिता' है।

उद्देश्य

- वीमैन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवाड्र्स का गठन समूचे भारत में महिलाओं की अनुकरणीय गाथाओं को प्रोत्साहन और पहचान देने के उद्देश्य से किया गया है।

अन्य प्रमुख बिंदु

- महिला उद्यमिता प्लेटफार्म न सिर्फ देश में उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन लाने के प्रयास करेगा बल्कि भविष्य में उभरती महिला उद्यमियों के लिये एकल संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा।
- यह प्लेटफार्म अर्थव्यवस्था में विभिन्न हितधारकों को एकसाथ जोड़ने के साथ-साथ इनक्यूबेटर समर्थन, अनुपालन आदि जैसी एकीकृत सेवाएँ प्रदान करने का भी माध्यम भी बनता है।
- कार्यक्रम के दौरान 'उद्यमी का परिप्रेक्ष्य: स्टार्टअप से वृद्धि तक और इसकी अग्रिम बढ़ोतरी: डब्ल्यूईपी एक प्लेटफार्म के रूप में कैसे सहायता कर सकता है' जैसे विषयों पर विभिन्न सामूहिक चर्चाओं का आयोजन भी किया गया

नोट :

खजियार झील

हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले के खजियार (Khajjiar) को 'मिनी स्विट्ज़रलैंड' कहा जाता है। पिछले कुछ समय से झील में भारी मात्रा में गाद जमा होने के कारण यह सिकुड़ती जा रही है। यह झील करीब दो हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हुई है। हालाँकि, कई बार झील से गाद निकालने के प्रयास किये गए, लेकिन इसे पूरी तरह से गाद मुक्त नहीं किया जा सका। झील में सड़ रही घास के कारण दुर्गंध की समस्या ने इसकी खूबसूरती को और भी अधिक क्षति पहुँचाने का काम किया है।

'मिनी स्विट्ज़रलैंड' नाम कैसे पड़ा?

- 7 जुलाई, 1992 को स्विट्ज़रलैंड के तत्कालीन वाइस काउंसलर विली टी. ब्लेजर द्वारा खजियार को 'मिनी स्विट्ज़रलैंड' नाम दिया गया। गौरतलब है कि विश्व भर के तकरीबन 160 बेहद सुंदर स्थानों को इस खिताब से नवाज़ा गया है।
- खजियार झील
- खजियार का मुख्य आकर्षण चीड़ एवं देवदार के वृक्षों से ढ़की खजियार झील (Khajjiar Lake) है। पर्यटन की दृष्टि से यह झील बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- खजियार डलहौज़ी और चंबा (Dalhousie and Chamba) के बीच करीब 1,920 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह झील देवदार के वृक्षों (cedar trees) से घिरे घास के मैदान (grassy landscape) में अवस्थित है।
- इसे यह नाम खज्जीनागा (Khajjinags) मंदिर के नाम पर दिया गया है। यहाँ नागदेव की पूजा होती है।

वन्यजीवन हेतु कृत्रिम द्वीप

- हाल ही में डच अभियंताओं ने वन्यजीवन की सहायता में एक कृत्रिम द्वीपसमूह का निर्माण किया है।
- पाँच द्वीपों के इस द्वीपसमूह को एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना के तहत बनाया गया है। जिसे बनाने में ढाई वर्ष का समय लगा है।
- इस द्वीप के प्रति जंगली बत्तख, अबाबील और बगुले की कई अन्य प्रजातियाँ आकर्षित हो रही हैं।
- मार्कर वैडन (Marker Wadden) नामक यह कृत्रिम द्वीप नीदरलैंड के मार्करमेर (Markermeer) झील में स्थित है।
- मार्करमेर (Markermeer) झील यूरोप की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है।
- 700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह जल क्षेत्र जलीय जीवन से रहित हो गया था। इस कृत्रिम द्वीपसमूह के निर्माण ने इस क्षेत्र में जलीय जीवन की वापसी शुरू कर दी है।
- यह झील साउदर्न सी (southern sea) का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन 1932 में बाढ़ से निपटने के लिये इस क्षेत्र में कराए गए विशाल निर्माण कार्य ने कई हिस्सों में छोटी-छोटी झीलें और तालाब बना दिये जिससे जैव विविधता को भारी नुकसान पहुँचा था।

भारतीय डाक की दीन दयाल स्पर्श योजना (India Post's Deen Dayal SPARSH Yojana)

- संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग (Department of Posts, under Ministry of Communications) ने दीन दयाल स्पर्श (Scholarship for Promotion of Aptitude & Research in Stamps as a Hobby-SPARSH) योजना के तहत छात्रों के लिये एक छात्रवृत्ति प्रस्तुत की है।
- डाक टिकट संग्रह (philately) को प्रोत्साहन देने के लिये दीन दयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की गई थी।
- स्पर्श योजना के तहत कक्षा VI से IX तक उन बच्चों को वार्षिक तौर पर छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनका शैक्षणिक परिणाम अच्छा है और जिन्होंने डाक टिकट संग्रह को एक रूचि के रूप में चुना है।
- यह पूरे भारत के स्कूली बच्चों के लिये छात्रवृत्ति योजना है।

नोट :

मेघदूत पुरस्कार (Meghdoot Award)

- संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) के अधीन भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों और विभाग के कर्मचारियों को मेघदूत पुरस्कार से सम्मानित किया।
- डाक कर्मचारियों के उच्च पुरस्कार के प्रदर्शन को चिन्हित करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 1984 में 'मेघदूत पुरस्कार' के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार योजना शुरू की गई।
- आधिकारिक काम के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये आठ श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

रंगमंच महोत्सव 'अंडर द साल ट्री' (Under the Sal Tree)

हर साल दिसंबर के महीने में 'अंडर द साल ट्री' रंगमंच महोत्सव का आयोजन असम के गोलपाड़ा ज़िले में किया जाता है।

- इस महोत्सव का आयोजन गोलपाड़ा स्थित रामपुर गाँव के साल वन में किया जाता है।
- इस रंगमंच महोत्सव का आयोजन मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने के उद्देश्य से जंगल के बीचों-बीच किया जाता है।
- इस रंगमंच महोत्सव का आयोजन तीन दिनों तक किया जाता है।
- इस उत्सव की शुरुआत असमिया थियेटर के विख्यात कलाकार शुक्राचार्य राभा (Sukracharya Rabha) ने की थी।

ब्रह्मांड का सबसे चमकीला पिंड (Brightest Object in the Universe)

10 रेडियो टेलीस्कोप (10 Radio Telescope) की बहुत लंबी बेसलाइन श्रृंखला (Very Long Baseline Array-VLBA) प्रणाली का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने ब्रह्मांड में क्वासर पी 352-15 (Quasar P352-15) नामक सबसे चमकीले पिंड की खोज की है।

- क्वासर (Quasar) ब्रह्मांड में सबसे चमकीला पिंड है। यह आकाशगंगाओं के केंद्र में मौजूद है और अत्यधिक विशाल कृष्ण छिद्रों (supermassive black holes) से ऊर्जा प्राप्त करता है।
- P352-15 लगभग 13 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है जिसका अर्थ है कि क्वासर साक्ष्य के रूप में उस समय से संबंधित है जब ब्रह्मांड एक बिलियन वर्ष से कम पुराना था, या वर्तमान ब्रह्मांड का केवल 7% था।
- यह खोज बिग बैंग (Big Bang) से होने वाले संक्रमण के दौरान क्या हुआ होगा, यह समझने के लिये ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों की सहायता कर सकती है।

कंचनजंगा लैंडस्केप (Kanchenjunga Landscape)

भारत, नेपाल और भूटान की सरकारें राजनीतिक सीमाओं में वन्यजीवों के मुक्त आवागमन की अनुमति देने और कंचनजंगा लैंडस्केप (जो नेपाल, भारत और भूटान में फैला एक अंतर-सीमा क्षेत्र है) में वन्यजीवों की तस्करी की जाँच करने के लिये संयुक्त कार्यबल की नियुक्ति पर विचार कर रही हैं।

- कंचनजंगा पर्वत के दक्षिणी किनारे तक इस भू-परिदृश्य में पूर्वी नेपाल (21%), सिक्किम और पश्चिम बंगाल (56%) और भूटान के पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिम हिस्सों (23%) में फैले 25,080 वर्ग किमी का क्षेत्रफल शामिल है।
- इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (International Centre for Integrated Mountain Development- ICIMOD) के अनुसार, 2000 से 2010 के बीच इस क्षेत्र के 1,118 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला नदी तटीय घास का मैदान (riverine grassland) कृषि योग्य भूमि और रेंजलैंड (Rangeland) के रूप में परिवर्तित हो चुका था।
- कंचनजंगा लैंडस्केप सात मिलियन से अधिक लोगों के अलावा, स्तनधारियों की 169 और पक्षियों की 713 प्रजातियों का घर है।

नोट :

पाइका विद्रोह

संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, 24 दिसंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT भुवनेश्वर के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पाइका विद्रोह की याद में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। भारत सरकार ने उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में इस कार्यक्रम की याद में 5 करोड़ रुपए की लागत से एक पीठ स्थापित करने का फैसला किया है।

- यह धनराशि विश्वविद्यालय को संचित निधि के रूप में जारी की जाएगी। पीठ का खर्च संचित निधि पर अर्जित होने वाले ब्याज की रकम से वहन किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री पुरातत्व संग्रहालय, ललितगिरी का भी उद्घाटन करेंगे, जो निश्चित रूप से क्षेत्र के पर्यटन के फलक में एक नया आयाम जोड़ेगी और रोज़गार के अवसरों की संभावनाओं में अपार वृद्धि करेगी।

पृष्ठभूमि

- सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से 40 साल पहले 1817 में बक्सि जगबन्धु ने खोर्धा में दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ बहादुर पाइका योद्धाओं को जागृत किया था और जंग में उनका नेतृत्व किया था।
- इस विद्रोह के दो सौ साल पूरे होने के अवसर को उचित ढंग से मनाने के निर्णय की घोषणा 2017-18 के बजट भाषण में की गई थी।

स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV)

हाल ही में थुंबा (Thumba) में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (Vikram Sarabhai Space Centre-VSSC) द्वारा स्माल

स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (Small Satellite Launch Vehicle-SSLV) का डिज़ाइन तैयार किया गया है। इसरो को उम्मीद है कि छह महीने के अंदर ही इस व्हीकल को लॉन्च भी कर दिया जाएगा।

- इस लॉन्च व्हीकल को 'बेबी रॉकेट' भी कहा जा रहा है क्योंकि यह छोटे आकार के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिये सबसे छोटा और सबसे तेज़ व्हीकल होगा।
- लॉन्चपैड पर यह 34 मीटर का होगा जो कि ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च व्हीकल (Polar Satellite Launch Vehicle-PSLV) से 10 मीटर छोटा और भू-समकालिक उपग्रह लॉन्च व्हीकल (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle-GSLV) के MK-2 संस्करण से लगभग 15 मीटर छोटा होगा।
- इसके साथ-साथ यह सबसे 'पतला' लॉन्च व्हीकल भी है जिसका व्यास मात्र दो मीटर है।
- SSLV में तीन ठोस मोटर चरण हैं। ये PSLV एवं GSLV की तरह कई उपग्रहों को ले जा सकने में सक्षम है हालाँकि, ये उपग्रह आकार में छोटे होंगे।

बौद्ध स्थल संग्रहालय (Buddhist site museum)

ओडिशा की प्रारंभिक बौद्ध बस्तियों में से एक, ललितगिरि जहाँ खुदाई में प्राचीन मुहरें और शिलालेख मिले हैं, को एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है।

- कटक ज़िले में स्थित यह संग्रहालय रत्नागिरी और कोणार्क के बाद भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के भुवनेश्वर सर्कल का तीसरा स्थल संग्रहालय है।
- संग्रहालय परिसर 4,750 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भवन और सभागार का निर्माण 1,310 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में किया गया है।
- इस परिसर का निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।
- ललितगिरि में उत्खनन से चार मठों के अवशेष मिले हैं, जो मौर्य काल से लेकर 13वीं शताब्दी तक की सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाते हैं।
- इस संग्रहालय का प्रमुख आकर्षण महास्तूपों (Mahastupta) के अंदर पाए जाने वाले शारीरिक अवशेष हैं।

नोट :

- संग्रहालय में बुद्ध की विशाल मूर्तियों, विहार और चैत्य के स्थापत्य खंडों को काल-क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है।
- केंद्रीय गैलरी का निर्माण को बुद्ध मंडल (Buddha Mandala) के पीछे किया गया है, जिसे केंद्र में बुद्ध की विशाल मूर्ति और उसके चारों ओर छह बोधिसत्व चित्रों के साथ बनाया गया है।

सूचना समेकन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र
Information Fusion Centre - Indian Ocean Region (IFC-IOR)

22 दिसंबर, 2018 को सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (Information Management and Analysis Centre-IMAC) गुरुग्राम में 'सूचना समेकन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र' (IFC-IOR) का शुभारंभ किया गया।

लाभ

- IFC-IOR की स्थापना से पूरे क्षेत्र में आपसी सहयोग और सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा। इसके अलावा, यह क्षेत्र में व्याप्त चिंताओं और खतरों को समझने में भी सहायक होगा।
- IFC-IOR समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिये भागीदारों देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा।

IFC-IOR की आवश्यकता

- हिंद महासागर क्षेत्र विश्व व्यापार और कई देशों की आर्थिक समृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का 75% से अधिक समुद्री व्यापार और 50% वैश्विक तेल व्यापार IOR से होकर गुजरता है।
- हालाँकि, समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, मानव और अंतर्जनपदीय तस्करी, अवैध एवं अनियमित रूप से मछली पकड़ना, हथियार चलाना तथा अवैध शिकार करना इस क्षेत्र सुरक्षा के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा के लिये चुनौती उत्पन्न करते हैं।
- इन चुनौतियों का सामना करने के लिये इस क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की बढ़ती स्थितिजन्य जागरूकता की आवश्यकता है ताकि सुरक्षा एजेंसियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके।

राष्ट्रीय अखण्डता के लिये सरदार पटेल पुरस्कार

- हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अखण्डता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार की घोषणा की।
- यह नया पुरस्कार राष्ट्रीय एकीकरण को और बढ़ाने की दिशा में असाधारण प्रयासों के लिये दिया जाएगा।
- सरदार पटेल ने भारत को एकजुट करने के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया था।
- राष्ट्रीय अखण्डता के लिये घोषित किया गया यह पुरस्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिये उचित श्रद्धांजलि होगी और यह अधिक से अधिक लोगों को भारत की एकता तथा राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिये प्रेरित करेगा।

सदैव अटल (Sadaiv Atal)

'सदैव अटल' भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है। 25 दिसंबर, 2018 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया।

- यह समाधि एक कवि, मानवतावादी राजनेता और एक महान नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है।
- इस समाधि को विकसित करने की पहल अटल स्मृति न्यास सोसायटी ने की थी।
- यह सोसायटी प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा गठित की गई है तथा 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। समाधि के निर्माण का पूरा खर्च 'अटल स्मृति न्यास सोसाइटी' ने उठाया है।
- समाधि के लिये सरकार ने राजघाट के पास भूमि उपलब्ध करवाई गई है। समाधि के लिये निर्धारित यह भूमि सरकार की ही रहेगी।
- समाधि के निर्माण में देश के विभिन्न हिस्सों से लाए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है।

नोट :

- मुख्य समाधि का पत्थर खम्मम, तेलंगाना की सबसे अच्छी खदानों से प्राप्त मोनोलिथिक जेड ब्लैक पत्थर है।
- परिक्रमा क्षेत्र में सफेद मिश्रित टाइलें लगाई गई हैं, जो धूप में गर्म नहीं होती हैं।
- समाधि के केंद्र में बनाया गया दीया, खम्मम से प्राप्त लैदर फिनिश काले ग्रेनाइट पत्थर से बना है। दीये की लौ क्रिस्टल में बनाई गई हैं जिसमें LED लाइटें लगी हैं।
- इस समाधि का निर्माण कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) ने 10.51 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया है।

बदल सकता है अंडमान-निकोबार के तीन द्वीपों का नाम

केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार में तीन द्वीपों का नाम बदलने का फैसला किया है।

- केंद्र सरकार द्वारा किये गए नवीनतम फैसले के अनुसार, रॉस द्वीप (Ross Island) को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप (Neil Island) को शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप (Havelock Island) स्वराज द्वीप किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर का दौरा करने के दौरान नाम परिवर्तन की घोषणा कर सकते हैं।
- उल्लेखनीय है कि नवंबर 2018 में यह मांग की गई थी कि सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम बदलकर 'शहीद और स्वराज द्वीप' किया जाए

सस्टेनेबल प्लास्टिक

हाल ही में इज़राइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल खाने वाले रोगाणुओं से उत्पन्न बायोप्लास्टिक विकसित किया है।

- खारे पानी वाले एकल-कोशिकीय रोगाणु एक बहुलक को उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग बायोप्लास्टिक बनाने के लिये किया जा सकता है।
- यह बिना कृषि योग्य भूमि को प्रभावित किये और ताजे पानी का उपयोग किये महासागरों को साफ करने हेतु दुनिया के प्रयासों में क्रांति ला सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, समुद्र में 90 फीसदी प्रदूषण की वज़ह प्लास्टिक ही है।
- प्लास्टिक के विघटन में सैकड़ों वर्ष लगते हैं इसलिये प्लास्टिक के बैग और बोतल समुद्री जीवन को प्रभावित और पर्यावरण को दूषित करते हैं।
- पहले से ही ऐसे कारखाने हैं जो वाणिज्यिक स्तर पर इस प्रकार के बायोप्लास्टिक का उत्पादन करते हैं, लेकिन वे ऐसे पौधों का उपयोग करते हैं जिनके लिये कृषि भूमि और ताज़े पानी की आवश्यकता होती है।
- यह नई प्रक्रिया समुद्री सूक्ष्मजीवों से 'प्लास्टिक' का उत्पादन करती है जो पूरी तरह से जैविक कचरे में पुन:चक्रित हो जाती है।
- यह प्रक्रिया इज़राइल, चीन और भारत जैसे ताज़े पानी की कमी वाले देशों को पेट्रोलियम-व्युत्पन्न प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में बदलने में सक्षम बना देगी

थाईलैंड में मारिजुआना का प्रयोग वैध

- हाल ही में थाईलैंड की विधानमंडल ने चिकित्सकीय उपयोगों के लिये मारिजुआना को वैध कर दिया है। हालाँकि नशे के रूप में इसका उपयोग अब भी प्रतिबंधित है।
- रॉयल राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद यह परिवर्तन कानून बन जाएगा और चिकित्सा प्रयोजनों के लिये मारिजुआना तथा क्रैटम उत्पादों के उत्पादन, आयात, निर्यात एवं उपयोग को वैध बना देगा।
- थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में मारिजुआना को वैध करने वाला पहला देश बन गया है।
- उत्पादकों और शोधकर्त्ताओं को इसके लिये लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जबकि इन उत्पादों का उपभोग करने वाले लोगों को चिकित्सकिय सलाह पर ही उपलब्ध हो सकेगी
- ध्यातव्य हो कि इज़राइल ने भी चिकित्सकीय उपयोग के लिये मारिजुआना के उपयोग को वैध कर दिया है।

नोट :

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हेतु अलग-अलग उच्च न्यायालय

- सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हेतु उच्च न्यायालयों के के संदर्भ में आदेश दिया था, जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति ने उभयनिष्ठ हैदराबाद उच्च न्यायालय को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दो अलग-अलग उच्च न्यायालयों में विभाजित करने का आदेश दिया है।
- दोनों न्यायालयों में 1 जनवरी, 2019 से कार्य शुरू हो जाएगा।
- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, दोनों राज्यों हेतु तब तक एक उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय होना तय था, जब तक कि अलग-अलग न्यायालयों का गठन नहीं हो जाता।
- संविधान के अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय होगा।
- इस नए उच्च न्यायालय के निर्माण के साथ ही देश में अब कुल 25 उच्च न्यायालय हैं।
- वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस रमेश रंगनाथन आंध्र प्रदेश के नए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा 15 न्यायाधीश होंगे।
- शेष दस न्यायाधीश, जो उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय के हिस्सा थे, अब तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे।

पोक्काली धान (Pokkali Paddy)

जब अगस्त में विनाशकारी बाढ़ ने पूरे केरल (Kerala) में खेतों को जलमग्न कर दिया था उस समय पोक्काली धान की किस्म जो 2 मीटर तक की ऊँचाई तक बढ़ती है, इस जल वृद्धि से अप्रभावित रही।

- केरल की इस धान की किस्म को GI टैग प्राप्त है।
- इसकी खेती अलाप्पुझा (Alappuzha), एर्नाकुलम (Ernakulam) और त्रिशूर (Thrissur) ज़िलों के तटीय क्षेत्रों में की जाती है।
- एकल मौसम वाले इस धान की खेती जून से नवंबर के बीच खारे पानी के खेतों में की जाती है और उसके बाद इन्हीं खेतों में मछली पालन किया जाता है।
- फसल कटने के बाद खेतों में बचे धान के अवशेष झींगा तथा अन्य छोटी मछलियों के लिए भोजन और आश्रय का काम करते हैं।
- मछली के मलोत्सर्ग (excreta) और शल्क (Scales) के साथ-साथ धान के विघटित अवशेष अगले सीज़न में पोक्काली धान की खेती के लिये बेहतर प्राकृतिक खाद का काम करते हैं।
- स्थानीय लोगों का मानना है कि धान की यह किस्म औषधीय गुणों से युक्त है इसलिये कुछ स्थानीय सोसायटियों, सहकारी बैंकों और मनरेगा समूहों ने चावल की इस किस्म की रक्षा के लिये कदम बढ़ाया है।

पावाकूथू कठपुतली कला (Pavakoothu Puppetry)

- केरल में पारंपरिक पुतली नाटकों को पावाकूथू कहा जाता है।
- इसका प्रार्दुभाव 18वीं शताब्दी में वहाँ के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य-नाटक कथकली के पुतली-नाटकों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण हुआ।
- पावाकूथू में पुतली की लंबाई एक से दो फीट के बीच होती है। मस्तक तथा दोनों हाथ लकड़ी से बना कर एक मोटे कपड़े से जोड़े जाते हैं फिर एक छोटे से थैले के रूप में सिल दिये जाते हैं।
- परिचालक उस थैली में अपना हाथ डालकर पुतली के मस्तक और दोनों भुजाओं का संचालन करता है।
- पुतली के चेहरे के अंकरण में रंग, चमकीले टीन के टुकड़े तथा मोरपंखों का उपयोग किया जाता है।
- इस प्रस्तुति के समय चेंडा, चेनगिल, इलाथलम वाद्य-यंत्रों तथा शंख का उपयोग किया जाता है।
- केरल के ये पुतली-नाटक रामायण तथा महाभारत की कथाओं पर आधारित होते हैं।

नोट :

काजीरंगा में जलपक्षी का बेसलाइन सर्वे (Baseline Survey of Waterfowl in Kaziranga)

- हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों, विशेष रूप से जलपक्षी (waterfowl) का सर्वेक्षण किया गया।
- काजीरंगा में विशेष रूप से गेंडा, हाथी, बंगाल टाइगर और एशियाटिक वॉटर बफेलो (Asiatic water buffalo) पर ध्यान दिया जाता रहा है।
- किसी भी क्षेत्र में पक्षियों की संख्या उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। यह बेसलाइन सर्वेक्षण इस क्षेत्र में जलपक्षियों की जनसंख्या की प्रवृत्ति को समझने में मदद करेगा

सुंदरबन में रिवर डॉल्फिन पर खतरा

- भारतीय सुंदरबन के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में जल की लवणता में वृद्धि के परिणामस्वरूप गंगा रिवर डॉल्फिन (गंगा सूंस) की आबादी में कमी आई है।
- यह प्रजाति सुंदरबन के केवल पश्चिमी भाग में बहुत कम संख्या में पाई जाती हैं, जहाँ जल की लवणता कम है।
- लवणता में वृद्धि के कारण:
  - सुंदरबन ऊपरी इलाकों से आने वाले ताज़े जल की अनुपस्थिति
  - जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल-स्तर में वृद्धि
- सुंदरबन में ताज़े पानी का प्रवाह इन प्रजातियों के निर्वाह के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उच्च लवणता वाले जल में डूबे रहना डॉल्फिन के लिये मुश्किल हो जाता है।

कश्मीरी हंगुल

- कश्मीरी बारहसिंगे को कश्मीर में स्थानीय रूप से हंगुल भी कहा जाता है जो भारत में यूरोपीय लाल हिरणों की एकमात्र उप-प्रजाति है। हंगुल जम्मू-कश्मीर का राजकीय पशु भी है।
- पहली बार 1844 में अल्फर्ड वैगनर द्वारा चिह्नित इस प्रजाति के बारे में कहा जाता है कि इसने मध्य एशिया के बुखारा से कश्मीर तक यात्रा की है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) ने इसे गंभीर रूप से विलुप्तप्राय पशु घोषित किया है।
- श्रीनगर के पास दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान (Dachigam National Park) को हंगुल का आखिरी अविवादित आवास माना जाता है।
- हंगुल के सामने आने वाली चुनौतियों में अवैध शिकार, उग्रवाद से खतरा और भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष शामिल हैं।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) विधेयक, 2018 (National Commission for Homoeopathy (NCH) Bill, 2018)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (National Commission for Homoeopathy-NCH) विधेयक, 2018 की स्थापना के मसौदे को मंज़ूरी दी है।

- यह विधेयक वर्तमान की नियामक संस्था, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (Central Council for Homoeopathy-CCH) के स्थान पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नई संस्था का गठन करेगा।
- विधेयक के मसौदे में राष्ट्रीय आयोग के गठन का उल्लेख है जिसके अंतर्गत तीन स्वायत्त परिषदें (autonomous boards) होंगी। होम्योपैथी शिक्षा परिषद द्वारा दी जाने वाली होम्योपैथी शिक्षा के संचालन की ज़िम्मेदारी इन स्वायत्त परिषदों पर होंगी।

नोट :

- मूल्यांकन और योग्यता निर्धारण परिषद (Board of assessment and rating) होम्योपैथी के शैक्षिक संस्थाओं का मूल्यांकन करने और उन्हें मंज़ूरी प्रदान करने का काम करेगा।
- नीति और पंजीयन परिषद (Board of ethics and registration) होम्योपैथी के चिकित्सकों का पंजीयन करेगा और एक राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register) बनाएगा। इसके अतिरिक्त इलाज से संबंधित नीतिगत मामले राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अधिकार क्षेत्र में आएंगे।
- मसौदे में प्रवेश तथा एक्ज़िट परीक्षा का प्रस्ताव दिया गया है। चिकित्सकीय अभ्यास के इच्छुक सभी स्नातकों को इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- इसके अतिरिक्त शिक्षकों की योग्यता परीक्षा का भी प्रस्ताव है। इस परीक्षा से शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के पूर्व उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एलोपैथी औषधि प्रणाली की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। इसी प्रारूप के तहत होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा में सुधार करना इस मसौदे का लक्ष्य है।
- एक अध्यादेश (Ordinance) के जरिए तथा इसके पश्चात अधिनियम में किये गए संशोधन के माध्यम से पूर्व में CCH को निदेशक मंडल (Board of Governors) के अधिकार क्षेत्र में ला दिया गया था।

'एक ज़िला, एक उत्पाद' क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 'एक ज़िला, एक उत्पाद' (One District One Product) क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।

- राज्य के छोटे शहरों और छोटे ज़िलों के स्थानीय लोगों का कौशल बढ़ाना और देशी व्यापारों, हस्तकलाओं और उत्पादों की पहुँच बढ़ाना 'एक ज़िला, एक उत्पाद' योजना का लक्ष्य है।
- इनमें हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, अभियंत्रण सामग्री, दरी, सिले-सिलाए कपड़े, चमड़े के सामान आदि शामिल हैं। इनसे विदेशी मुद्रा अर्जित होने के साथ-साथ लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिलते हैं।
- इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय बीज शोध और प्रशिक्षण केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (International Rice Research Institute-IRRI) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया।
- यह दक्षिण एशिया और सार्क क्षेत्र में चावल शोध और प्रशिक्षण के प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा। भारत 1960 से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) से जुड़ा है।
- भारत के पूर्वी हिस्से में स्थापित सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन बढ़ाने और उसे टिकाऊ बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की 'एक ज़िला, एक उत्पाद' योजना को 'मेक इन इंडिया' का एक विस्तार बताया।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दूर संचार विभाग के पेंशनधारकों के लिये ''संपन्न'' 'द सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन योजना' (The system for authority and management of pension scheme) की शुरुआत की।
- यह योजना दूर संचार विभाग के पेंशनधारकों के लिये काफी मददगार होगी और पेंशन के समयबद्ध संवितरण में मदद करेगी।
- केंद्र सरकार जीवन की सरलता को बेहतर बनाने तथा लोकोन्मुखी सेवा से संबंधित सुविधाओं को और अधिक आसान बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है।
- डाक घरों के जरिए बैंकिंग सेवाओं को विस्तारित करने के लिये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का उपयोग किया जा रहा है।
- तीन लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर के एक नेटवर्क द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल तरीके से कई प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराने में मदद की जा रही है।
- लोगों को सुविधाएँ प्रदान करने के अतिरिक्त डिजिटल इंडिया सरकारी कामकाज में पारदर्शिता ला रहा है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहा है।
- ई-मार्केट प्लेस एमएसएमई के लिये कारगर साबित हो रहा है।

नोट :

तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगाँठ

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा भारतीय भूमि पर तिरंगा फहराने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट, सिक्का एवं 'फर्स्ट डे कवर' जारी किया।

- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार के तीन द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की।
- रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा।
- इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट, 'फर्स्ट डे कवर' और 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। 35 ग्राम के इस सिक्के में 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा तथा 5-5 प्रतिशत निकल और जस्ता होंगे।
- इस सिक्के में 'नेताजी सुभाषचंद्र बोस' की तस्वीर, सेलुलर जेल की पृष्ठभूमि में ध्वज को सलाम करते हुए दिखेगी। चित्र के नीचे 'वर्षगांठ' के साथ 75 का अंक छपा होगा।
- सिक्के पर देवनागरी लिपि और अंग्रेज़ी भाषा में 'पहला तिरंगा फहराने का दिन' छपा होगा।
- प्रधानमंत्री ने ऊर्जा, कनेक्टिविटी एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का भी अनावरण किया।
- उल्लेखनीय है कि 30 दिसंबर, 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
- आजाद हिंद फ़ौज की स्थापना 21 अक्टूबर, 1943 को की गई थी।
- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 21 अक्तूबर, 2018 को लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगाँठ के मौके पर एक पट्टिका का अनावरण किया था।
- प्रधानमंत्री ने बोस के नाम पर एक मानद विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की।

विविध

- 11 दिसंबर: यूनिसेफ स्थापना दिवस; इसी दिन 1946 में हुई थी United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) की स्थापना; द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेघर और अनाथ हुए यूरोपीय बच्चों की सहायता के लिये हुई थी स्थापना; बच्चों को शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य संबंधी सहायता देना है इसका लक्ष्य; न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय; 190 से अधिक देशों में काम करने वाले यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाज़ा जा चुका है

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का 38वाँ सदस्य बना इज़राइल; 2016 से पर्यवेक्षक देश के तौर पर इसमें शामिल था इज़राइल; मनीलांड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने का काम करता है FATF; पूर्ण सदस्य देशों को टेरर फंडिंग और मनीलांड्रिंग से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णय लेने और नियम बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का मिलता है अधिकार; पेरिस में है FATF का मुख्यालय

- पोलैंड के काटोवाइस में जलवायु सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप 'हेल्प अस ग्रीन' को मिला विशेष UN सम्मान; 13 अन्य देशों के स्टार्टअप्स के साथ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेता के तौर पर किया गया सम्मानित; कानपुर का यह स्टार्टअप मंदिरों में चढ़ाए जाने वालों फूलों को एकत्र कर उन्हें रिसाइकिल कर गंगा को प्रदूषण से बचाने का करता है काम; संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों में इसे दिया गया है 'फ्लावरसाइकिलिंग' नाम

- 12 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ दिवस (Universal Health Coverage Day 2018); Health for All स्लोगन के तहत Universal health coverage: everyone, everywhere; यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के सर्वसम्मत संकल्प 2017 के तहत आयोजित किया जाता है; विश्वभर में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिये जागरूकता बढ़ाना है इसका उद्देश्य

- 15 दिसंबर: अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस; चाय बागानों से लेकर चाय की कंपनियों तक में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का मुख्य उद्देश्य; भारत में इसकी शुरुआत 2005 में हुई; एक साल बाद यह श्रीलंका में मनाया गया और वहाँ से विश्वभर में इसका प्रसार हुआ

- 14 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस; ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये मनाया जाता है यह दिवस; भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत 1 मार्च, 2002 को स्थापित किया गया था ऊर्जा दक्षता ब्यूरो; यह ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिये नीतियों और रणनीतियों के विकास में करता है मदद

- डीडी किसान ने लॉन्च किया 'महिला किसान अवार्ड' नामक अपनी तरह का पहला रियलिटी शो; जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों सहित देशभर की महिला किसान भाग लेंगी इस शो में; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है इस कार्यक्रम के प्रतियोगियों का चयन; कार्यक्रम की प्रत्येक कड़ी में दो महिला किसानों को किया जाएगा शामिल; कार्यक्रम के दौरान सर्वाधिक अंक पाने वाले 5 प्रतियोगियों को मिलेगा फाइनल तक पहुँचने का अवसर; उनमें से एक को घोषित किया जाएगा विजेता

- गुजरात के वड़ोदरा में देश का पहला रेल विश्वविद्यालय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्र को समर्पित किया; रूस और चीन के बाद यह दुनिया का ऐसा तीसरा विश्वविद्यालय है जो रेल के कामकाज से जुड़े अध्ययन के क्षेत्र में काम करेगा; मानव संसाधन, कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिये इसकी स्थापना की गई है

- नीति आयोग ने किया वीमैन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवाड्र्स के तीसरे संस्करण का आयोजन; वीमैन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवाड्र्स का गठन देश में महिलाओं की अनुकरणीय गाथाओं को प्रोत्साहन और पहचान देने के लिये किया गया है; इस वर्ष की थीम 'महिलाएँ और उद्यमिता' रखी गई; उन्नत महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म की भी हुई शुरुआत; यह प्लेटफॉर्म भविष्य में उभरती महिला उद्यमियों के लिये एकल संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा

नोट :

- 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में बांग्लादेश बनाएगा वॉर मेमोरियल; चटगाँव के Bhramanbaria में बनाया जाने वाला यह वॉर मेमोरियल पूरी तरह भारतीय सैनिकों को समर्पित होगा; 47वें विजय दिवस के उपलक्ष्य में कोलकाता के फोर्ट विलियम स्थित थल सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश की ओर से 12 शहीद भारतीय सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया

- भारतीय वायुसेना के प्रमुख परीक्षण स्थल ASTE, बंगलुरु में पायलटों और इंजीनियरों ने AN-32 सैनिक परिवहन विमान में पहली बार मिश्रित बायो जेट ईंधन का इस्तेमाल करते हुए सफल प्रायोगिक उड़ान भरी; इससे पहले भारतीय वायुसेना ने ज़मीन पर बड़े पैमाने पर इंजन का परीक्षण किया और इसके बाद 10 प्रतिशत मिश्रित एटीएफ का इस्तेमाल करते हुए विमान का परीक्षण किया गया; इस ईंधन को छत्तीसगढ़ जैव डीज़ल विकास प्राधिकरण से प्राप्त जट्रोफा ऑयल से बनाया गया है

- पुरातत्त्वविदों ने मिस्र के नेक्रोपोलिस के सक्कारा प्रांत में 4400 वर्ष पुराने एक मकबरे की खोज की है; नेफेरिकर ककाई के शासन के दौरान बने 'बाह्ते' नाम के इस मकबरे में बनी हैं कुछ प्रतिमाएँ; रंग-बिरंगी चित्रलिपियाँ हैं और दीवारों पर फैरो की प्रतिमाएँ बनी हैं

- 18 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस; 1990 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया था; इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी कामगारों को आज़ादी के साथ काम करने और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिये किया जाता है; इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम Migration with Dignity रखी गई है

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 'टाइमलेस लक्ष्मण' नामक पुस्तक का विमोचन; देश के जाने-माने कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण पर आधारित है कॉफी टेबल बुक 'टाइमलेस लक्ष्मण'; आर.के. लक्ष्मण की रचनाओं के संसार को समझने में मदद करेगी यह पुस्तक

- केंद्र सरकार ने अधिवक्ता माधवी दीवान को नया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है; वह सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगी; इस सरकार द्वारा नियुक्त की गई वह तीसरी महिला कानून अधिकारी हैं; उनसे पहले पिंकी आनंद और मनिंदर आचार्य को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया जा चुका है

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'अंतरिक्ष कमान' के गठन के प्रस्ताव को दी मंज़ूरी; यह पेंटागन में एक नया संगठनात्मक ढाँचा होगा, जिसका सैन्य अंतरिक्ष अभियानों पर समग्र नियंत्रण होगा; अमेरिकी कानून के तहत 'यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस कमांड' को कार्यात्मक एकीकृत युद्धक कमांड के तौर पर स्थापित किया जाएगा; यह नई कमान सैन्य इकाई 'स्पेस फोर्स' बनाने के लक्ष्य से अलग है; यह US Army की 11वीं कमांड होगी

- इंडोनेशिया में सक्रिय हुआ सोपुतान ज्वालामुखी; इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में है माउंट सोपुतान; इंडोनेशिया के 129 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है मध्य इंडोनेशिया स्थित माउंट सोपुतान; भूकंप के प्रति संवेदनशील इलाके में स्थित है यह ज्वालामुखी, इसे 'आग का गोला' भी कहा जाता है

- भारत में पहली बार केरल में दी गई पालतू हाथियों को DNA आधारित जेनेटिक ID पहचान; केरल सरकार की DNA डेटाबेस पहल से हुआ यह संभव; स्थानीय राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के तकनीकी सहयोग से वन विभाग ने राज्यभर के सभी पंजीकृत पालतू हाथियों का डीएनए डेटाबेस तैयार किया; हाथियों के मालिकाना हक को लेकर किसी विवाद या अन्य जटिलताओं की स्थिति में प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में मददगार साबित होगा यह डेटाबेस

- I AM A VILLAGE पहल के तहत उत्तराखंड सरकार गाँवों के विकास पर काम कर रही है; अगले पाँच वर्षों में राज्य के 475 गाँवों की तस्वीर बदलने की है योजना; किसानों की आय दोगुना करने और गाँवों से लगातार हो रहे पलायन को रोकने के मद्देनज़र शुरू की गई है I AM A VILLAGE पहल; हर गाँव में खर्च की जाएगी एक से डेढ़ करोड़ रुपए की राशि; प्रत्येक विकास खंड में एक गाँव को कृषि की सभी सुविधाओं से किया जाएगा लैस

नोट :

- 24 दिसंबर: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (National Consumer Day); उपभोक्ता शिकायतों का समयबद्ध निपटान (Timely Disposal of Consumer Complaints) है इस वर्ष की थीम; 1986 में इसी दिन उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को मिली थी राष्ट्रपति की मंज़ूरी; त्रुटिपूर्ण वस्तुओं, सेवाओं में कमी तथा अनुचित व्यापार प्रचलनों जैसे विभिन्न प्रकार के शोषणों के खिलाफ उपभोक्ताओं को सुरक्षा उपलब्ध कराना है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के केवडिया में DGP-IGP सम्मेलन में राष्ट्रीय अखण्डता के लिये वार्षिक तौर पर सरदार पटेल पुरस्कार देने की घोषणा की; यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिये किये गए असाधारण प्रयासों हेतु दिया जाएगा; साथ ही प्रधानमंत्री ने साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की वेबसाइट भी लॉन्च की

- हरियाणा का गुरुग्राम बना देश का पहला ODF+ शहर; नए ODF+ प्रोटोकॉल के अनुसार किसी शहर, वार्ड या कार्यक्षेत्र को ODF+ तभी घोषित किया जा सकता है, जब दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति द्वारा खुले में शौच या मूत्रत्याग न किया जाता हो; साथ ही सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय वर्किंग कंडीशन में हों और उनकी बेहतर तरीके से देख-रेख की गई हो

- झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने शुरू की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना; इसके तहत राज्य में हर किसान को प्रति एकड़ 5000 रुपए दिये जाएंगे; एक एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को भी इतनी ही राशि दी जाएगी; यह योजना और राशि केवल खरीफ फसल के लिये लागू होगी; यह राशि सीधे किसानों के खाते में पहुँचेगी और उन्हें खाद तथा बीज के लिये किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा; किसानों को यह राशि फसल उत्पादन के बाद लौटानी नहीं होगी

- हाल ही में भाजपा सांसद वरुण गांधी द्वारा लिखित पुस्तक 'रूरल मेनिफेस्टो' का बंगलूरु में विमोचन हुआ; यह पुस्तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान देने के लिये विकास नीति में संभावित समाधान सुझाती है; इसके अलावा यह पुस्तक भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लगभग सभी पहलुओं की जानकारी भी देती है

- साइकिल से 159 दिनों में 29 हजार किलोमीटर सफर तय कर कोलकाता पहुंची पुणे की वेदांगी कुलकर्णी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बनीं; उनका यह सफर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से शुरू हुआ था और पर्थ में ही खत्म होगा; ब्रिटेन के बॉउर्नेमाउथ यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की स्टूडेंट हैं वेदांगी; अपने इस साइकिल सफर में वह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और रूस होकर गुजरीं

- देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को मनाया गया 'किसान दिवस'; 2001 में सरकार ने 23 दिसंबर को बतौर किसान दिवस मनाने की घोषणा की थी; देश के पाँचवें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह; 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक रहा उनका कार्यकाल

- तमिलनाडु के तिरुवाइयरू में केंद्र सरकार की सहायता से स्थापित होगा देश का पहला संगीत संग्रहालय; कर्नाटक संगीत के धुरंधर माने जाने वाले संत त्यागराज का जन्म स्थान है तिरुवाइयरू

- बुरुंडी की सरकार ने गितेगा (Gitega) को अपनी नई राजधानी घोषित किया है; बुरुंडी एक अल्प-विकसित अफ्रीकी देश है, जिसके पूर्व और दक्षिण में तंज़ानिया, उत्तर में रवांडा और पश्चिम में कांगो है; इससे पहले तांगानिका झील के किनारे स्थित बुजुम्बरा थी बुरुंडी की राजधानी; अब कॉमर्शियल कैपिटल के तौर पर काम करेगी बुजुम्बरा

- खाद्य सुरक्षा नियामक यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने शुरू किया 'प्रोजेक्ट धूप'; इसके तहत स्कूलों को मॉर्निंग असेंबली सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच शिफ्ट करने की दी गई है सलाह; देश के विभिन्न शहरों में कराए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 90% विद्यार्थियों में थी विटामिन-D की कमी; FSAAI ने NCERT, नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल और नॉर्थ MCD स्कूलों के साथ मिलकर तैयार किया है 'प्रोजेक्ट धूप'

नोट :

- रूस ने किया हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण; राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स ने अवंगार्ड (Avangard) मिसाइल से सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेदा; रूस के अनुसार अभेद्य (Invulnerable) है उसकी यह मिसाइल प्रणाली; इस प्रकार की मिसाइल का परीक्षण करने वाला विश्व का एकमात्र देश है रूस

- भारतीय रेल यात्रियों का सफर सुरक्षित बनाने के लिये 'उस्ताद' (USTAD) नामक रोबोट की मदद लेगा; इसका पूरा नाम Undergear Surveillance Through Artificial Intelligence Assisted Droid है; आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस आधारित यह रोबोट नागपुर रेल मंडल द्वारा बनाया गया है, जो पटरी पर खड़ी ट्रेनों के निचले हिस्से में आई खराबी का पता लगाकर सटीक जानकारी मुहैया कराएगा; इस रोबोट में विशेष प्रकार के इंटेलिजेंस कैमरों का इस्तेमाल किया गया है

- देश का पहला स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर अरेकनेरियम जबलपुर में शुरू हुआ; यहाँ मकड़ियों की 150 से अधिक प्रजातियाँ संरक्षित की गई हैं; जबलपुर स्थित ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुमित चक्रवर्ती ने 20 साल की मेहनत से देश के अलग-अलग हिस्सों से इन प्रजातियों को जुटाया; तीन साल के शोध के बाद सेंटर में इनका प्रजनन और सरंक्षण संभव हो पाया है

- महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले के सारंगखेड़ा में हुआ चेतक फेस्टिवल का आयोजन; यह देश में घोड़ों के सबसे पुराने मेलों में से एक है; सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल का यह तीसरा संस्करण है; सारंगखेड़ा कमेटी के साथ मिलकर महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है करता है इसका आयोजन; पश्चिम भारत की प्रमुख नदी तापी के किनारे लगता है यह मेला

- अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के तीन द्वीपों को मिलेंगे नए नाम; रॉस द्वीप अब कहलाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को मिलेगा शहीद द्वीप का नाम और हैवलॉक द्वीप को अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा; नेताजी की स्मृति डाक टिकट, सिक्का और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा भारत की धरती पर तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगाँठ पर फर्स्ट डे कवर प्रधानमंत्री जारी करेंगे; सुनामी स्मारक और वाल ऑफ लॉस्ट सोल्स पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री

- प्रख्यात सितारवादक मंजू मेहता को वर्ष 2018 के लिये मिला मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय तानसेन सम्मान; मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में हर वर्ष दिया जाता है यह सम्मान; वर्ष 2010-11 में हुई थी तानसेन पुरस्कार देने की शुरुआत; इसके अलावा संगीत धरोहर को सहेजकर सुरक्षित रखने के लिये वाराणसी के श्री संकट मोचन प्रतिष्ठान को वर्ष 2017 का राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान दिया गया

- नासा ने 'कर्मशल क्रू प्रोग्राम 2019 चिल्ड्रन आर्ट वर्क कैलेंडर' लॉन्च किया; इसके कवर पर है नोएडा की 9 वर्षीय दीपशिखा की बनाई पेंटिंग; इसके अलावा महाराष्ट्र के 10 साल के इंद्रयुद्ध और 8 साल के श्रीहन तथा तमिलनाडु के थेमुकिलिमन का आर्ट वर्क भी कैंलेंडर में शामिल; इंद्रयुद्ध और श्रीहन के बनाए आर्ट वर्क की थीम 'लिविंग एंड वर्किंग इन स्पेस' है, जबकि थेमुकिलिमन की थीम 'स्पेस फूड' है; इस कैलेंडर में साल के 12 महीनों के लिये बच्चों द्वारा तैयार आर्ट वर्क का इस्तेमाल किया गया है

नोट :